माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटील जी, हिंदी दिवस समारोह में राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा भारती' का विमोचन करते हुए।

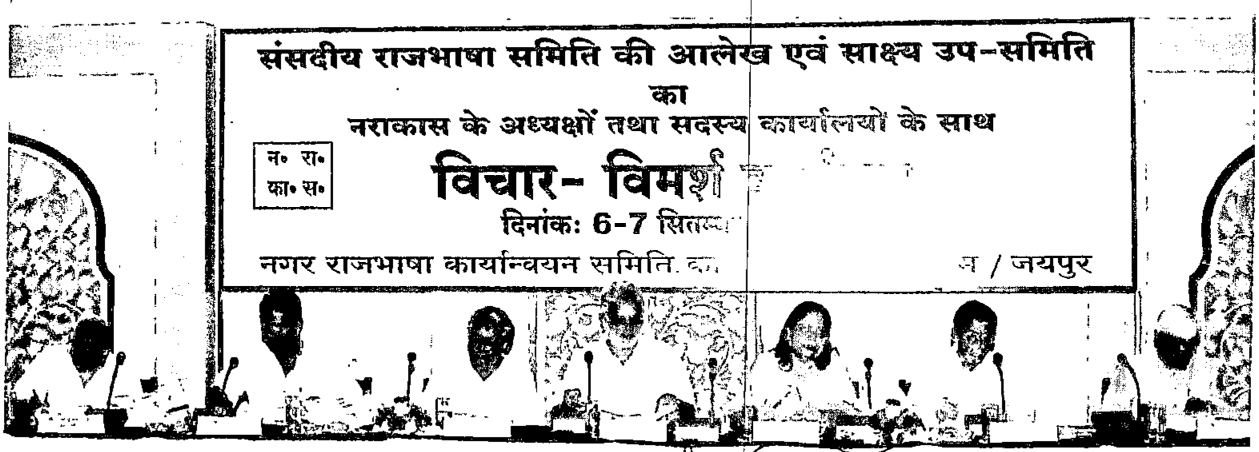

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति के मंच पर उपस्थित सदस्यगण, नराकास (उपक्रम), जयपुर

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 28

अंक : 110

जुलाई—सितंबर, 2005

❑ संपादक
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप संपादक
डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
फोन : 24698054

❑ नि:शुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
ईमेल— ru-ol@mha.nic.in
patrika--ol@mha.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.nic.in

विषय-सूची | पृष्ठ

विषय	लेखक	पृष्ठ
➢ संपादकीय		(iii)
➢ माननीय गृह मंत्री जी का व्याख्यान		1
➢ चिंतन		
1. राष्ट्रभाषा हिंदी	—न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी	5
2. राजभाषा हिंदी की प्रयोगगत कठिनाइयों का भाषिक पक्ष	—डॉ. शंकर बुंदेले	8
3. ग्लोबल विलेज में भारतीय भाषाएं	—अजयेंद्रनाथ त्रिवेदी	13
4. अनुवाद और भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन	—ईश्वर चंद्र मिश्र	17
➢ साहित्यिकी		
5. कलम का सिपाही : प्रेम चंद	—गिरधारी लाल विजय वर्गीय	23
6. आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका रचना संसार	—अमरेंद्र कुमार मिश्र	30
7. मुक्तिबोध की फैंटेसी और "अंधेरे में" कविता	—राकेश कुमार	37
➢ पर्यावरण		
8. पर्यावरण पर प्रदूषण का आक्रमण और समस्याओं का निराकरण	—संजय चौधरी एवं डॉ. नित्यानंद चौधरी	45
➢ संस्कृति		
9. सामाजिक न्याय की अनूठी धरोहर—श्री गुरु ग्रंथ साहिब	—अरविंद कुमार सिंह	51
10. आदि मानव की जन्म भूमि	—डॉ. कृष्ण नारायण पांडेय	56
➢ मानवाधिकार		
11. बाल अधिकारों को प्राप्त सांवधानिक सुरक्षा	—दिनेश मोहन चड्ढा	58
➢ हास-परिहास		
12. क्यों हों रिटायर ?	—मदन गुप्त	63

3298 HA/05–1

विषय-सूची	पृष्ठ

➢ विविध

13. जी-8 और भारत —गिरीश चंद्र पांडेय 66

14. जनसंख्या वृद्धि-एक विस्फोट —मनोज सिंह 69

➢ राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 73

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 77

(ग) कार्यशालाएं 84

(घ) हिंदी द्विवस 94

संगोष्ठी/सम्मेलन 102

पुरस्कार 105

प्रशिक्षण 106

आदेश-अनुदेश 109

विविध 114

पाठकों के पत्र 116

संपादकीय

कहा जाता है कि चीन के प्रसिद्‌ध कथाकार लू-सिन डॉक्टरी पढ़ने जापान गए थे। वहां एक बार उन्होंने एक फिल्म में एक मोटे-तगड़े चीनी को दुबले-पतले जापानी से पिटते देखा। इस फिल्म ने लू-सिन के जीवन को बदलकर रख दिया और उन्होंने सोचा कि शरीर की मजबूती से अधिक जरूरी है मन की मजबूती। अत: वे डाक्टरी की पढ़ाई को त्याग कर लेखनी लेकर समाज को मानसिक रूप से मजबूत करने में जुट गए। इसी प्रकार इस देश में गांधी जी ने भी वकालत छोड़कर पद-दलित समाज की जागृति को राष्ट्र की महती सेवा माना और उसके लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इन दोनों महान व्यक्तियों ने जन-भाषा को जन जागरण का माध्यम बनाया। परंतु आज जब हम विज्ञान की-प्रौद्‌योगिकी की-सूचना क्रांति की बात कर रहे हैं तो आम-जन को सुलभ कराने और इसके लिए सही भाषिक माध्यम चुनने के प्रति काफी हद तक उदासीन नज़र आते हैं। परिणामस्वरूप विकास की अवधारणा से जुड़े ये मोटे-मोटे शब्द अभिजात्य शब्दावली के अंग होकर रह गए हैं। इन्हें जन-जन तक पहुंचाना है तो मातृभाषा-राष्ट्रभाषा का माध्यम अपनाना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बहुत पहले भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी ओजस्वी लेखनी से ठीक ही लिखा था :—

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुण होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन॥

इस प्रकार निज भाषा का प्रश्न और उसका विकास, उसमें रोजी-रोटी की संभावना तथा उसकी अस्मिता की रक्षा व्यक्ति को सदैव से आंदोलित करते रहे हैं परंतु वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं, या यूँ कहें कि अंग्रेजी के अलावा विश्व की सभी भाषाएं बाजी हारती नजर आती हैं। हमारे देश की सभी भाषाएं इस रंग बिरंगे उपवन की डालियां हैं और सभी को मुरझाने से बचाए जाने की जरूरत है। इस युद्‌ध में विजय प्राप्त करने के लिए हिंदी को और देवनागरी लिपि को संयोजक की भूमिका निभानी है, संपर्क भाषा और संपर्क लिपि के रूप में कार्य करना है। आयार्च विनोबा भावे ने कहा था कि ''हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी की सभी भाषाएं, देवनागरी में भी लिखी जाएं। सभी लिपियां चलें, साथ-साथ देवनागरी का भी प्रयोग किया जाए।''

राजभाषा हिंदी का प्रश्न अब राष्ट्रीय स्तर को छोड़ अंतरराष्ट्रीय भाषा हिंदी का विषय बनकर एक वैचारिक आंदोलन में बदल चुका है, जो कि एक शुभ संकेत है। पंडित

विद्या निवास मिश्र ने वर्ष 1996 में ही विश्व हिंदी सम्मेलन को प्रेषित अपने आलेख में लिखा था :—

"हिंदी की अंतरराष्ट्रीय भूमिका एक स्वप्न नहीं है, नए विश्व मानव की मांग है और आने वाले भविष्य की एक जाज्वल्यमान वास्तविकता है। ··· हिंदी भाषी जन स्वाती की प्रतीक्षा न करें, वो अपने तप के ताप से स्वयं को बादल के रूप में रूपांतरित करें। धरती को हिंदी के पावस की प्रतीक्षा है।"

राजभाषा भारती के इस अंक में आप इसी विचार-आंदोलन को बढ़ावा पाएंगे।

नियमित स्तंभों से पहले 14 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में माननीय गृह मंत्री जी का व्याख्यान दिया जा रहा है। व्याख्यान का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि वह न केवल भारत सरकार की राजभाषा नीति की ओर निर्देश करता है वरन् हिंदी के प्रचार-प्रचार के लिए नई पहलों, नई विचार-प्रक्रिया की ओर भी इशारा करता है, जो कि सहभागिता और स्वप्रेरणा पर आधारित है। नियमित स्तंभों के अंतर्गत जहां 'राष्ट्रभाषा हिंदी' देश के एक प्रख्यात न्यायविद् तथा चिंतक के अनुभव-प्रसूत विचारों से निकला हुआ सार है, जो कि हमारे चिंतन पथ को आलोकित करता है, तो वहीं गंभीर आलेखों से थोड़ा हटकर 'क्यों हों रिटायर' नामक ललित निबंध सरकारी नौकरी के चिरंतन सत्य, सेवानिवृत्ति पर एक विनोदपूर्ण दृष्टि के साथ ही कई गंभीर प्रश्नों पर अनायास ही दृष्टि डालता है। इसके अलावा विभिन्न स्थाई स्तंभों के तहत विविधतापूर्ण, उपयोगी तथा विचारोत्तेजक आलेख और सूचनाप्रद सामग्री देने का प्रयास भी किया गया है।

पत्रिका के छपने के दौरान हमें भारतीय साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्रों सुश्री अमृता प्रीतम तथा श्री निर्मल वर्मा के अस्त होने का दुखद समाचार मिला। राजभाषा भारती परिवार की ओर से इन महान विभूतियों की महती सेवा का स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि।

उम्मीद है इस अंक को भी पाठक रुचिकर और उपयोगी पाएंगे। जागरूक पाठकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। अस्तु!

—संपादक

माननीय गृह मंत्री जी का व्याख्यान

(14 सितंबर, 2005)

मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री गावित जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, राजभाषा विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव, पुरस्कृत लेखकगण एवं अधिकारीगण, देवियों और सज्जनो! हिंदी दिवस आज हम मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। यह दिवस एक त्यौहार के जैसे मनाना चाहिए। यह दिवस हम यांत्रिक रूप से न मनाएं तो ठीक है। हमारा यह सरकारी कर्तव्य है और उसको निभाना है, इस दृष्टि से अगर हम इसको मनाएं तो शायद इसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। अब इसको कैसे हम अलग तरीके से मना सकते हैं वो आने वाले हिंदी दिवस पर देखने को मिलेगा और वह करने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे।

2. इस समारोह में बहुत से विभागों को, संस्थाओं को और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है और उन्होंने जो काम किया है उसकी इस प्रकार सराहना की गई है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको इस अच्छे काम के लिए फिर से बधाई देना चाहता हूं। दो प्रकार के पुरस्कार हम दे रहे हैं एक इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और दूसरा राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक लेखन पुरस्कार। मुझे यह लगता है कि पहले पुरस्कार में जो हम राशि दे रहे हैं वह शायद बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। मगर धनराशि बढ़ाने पर अगर पुरस्कार पाने के योग्य कोई पुस्तक नहीं पाई गई तो मुश्किल हो जाती है। तो एक तरफ इस पुरस्कार की राशि बढ़नी चाहिए और दूसरी तरफ से हिंदी भाषा की महत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास होने चाहिएं ताकि ऐसे पुरस्कार हम आसानी से दे सकें और किसको चुनें-क्योंकि सारी ही किताबें, पुस्तकें अच्छी हैं-ऐसी परिस्थिति निर्माण हो।

3. राजभाषा हिंदी का उपयोग शायद आम लोग ज्यादा कर रहे हैं, बाजार में भी इसका उपयोग हो रहा है। मगर ऊपर के स्तर पर सरकारी दफ्तरों में शायद उतना नहीं हो रहा है, जितना लोगों में हो रहा है। यह देखा गया है कि हिंदी भाषी प्रांतों में तो स्थानीय स्तर पर राजभाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या बिहार, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, पंजाब हो या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराचंल, राजभाषा का प्रयोग होता ही है। दूसरे प्रांतों में शायद नीचे के स्तर पर राजभाषा का उपयोग उतना नहीं होता। वहां उनके प्रांत की भाषा का उपयोग होता है। महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग होता है, तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग, कर्नाटक में कन्नड़ का प्रयोग होता है और ऐसा होना भी चाहिए। ये सारी भाषाएं हमारी हैं और इस अनेकता में एकता को हमें कायम ही नहीं रखना है, बढ़ाना भी है। मगर इन प्रांतों में नीचे के स्तर पर हिंदी भाषा का शायद प्रयोग ज्यादा नहीं हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह एक दूसरी बात है। कुछ भाई कहेंगे कि प्रांत की भाषा वहां की जो मातृभाषा है वह हो तो ठीक है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। अगर वहां नीचे के स्तर पर हिंदी भाषा का प्रयोग आज जितना हो रहा है उससे ज्यादा हो जाए तो हिंदी भाषा जन-जन की भाषा, लोगों की भाषा होगी। इसका परिणाम हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा हो जाए तो उसका असर अच्छा होगा। मगर ऐसा करते समय यह देखना जरूरी होगा कि वहां के अधिकारियों को और लोगों को यह न लगे कि हिंदी भाषा उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। जैसे अंग्रेजी बोलने में कुछ लोग गौरव का अनुभव करते हैं उसी प्रकार उन्हें हिंदी

3298 HA/05-2

भाषा बोलने में भी गौरव का अनुभव हो। इस प्रकार की मानसिकता बनना बहुत आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है।

4. केंद्र के स्तर पर संसद में मुझे देखने में आ रहा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है। कुछ लोग तो अच्छी हिंदी बोलते हैं और कुछ व्याकरण की दृष्टि से बहुत सुधरी हुई हिंदी नहीं बोलते मगर उनकी हिंदी में बहुत मिठास होता है। सुश्री ममता बैनर्जी जब हिंदी बोलती हैं तो मैं खासकर उन्हें सुनता हूं। एक तो उसमें नयापन नजर आता है, अपनापन भी नजर आता है और आकर्षण भी बहुत होता है, उनकी भाषा में। आजकल हमारे अध्यक्ष श्री सोमनाथ जी भी हिंदी बोलते हैं। मुझे याद है, इंदिरा जी के साथ उनका स्टेट मिनिस्टर होकर मैं काम करता था और एक सांसद सदन में खड़े होकर अपना भाषण हिंदी में दे रहे थे, उनके पीछे मेज पर मैं बैठा हुआ था। उन्होंने मुड़कर मेरी ओर देखा और बोली कि इसका भाषांतर कर हिंदी में बताओगे। इतनी ऊंचे स्तर पर हिंदी बोली जा रही थी कि हर शब्द का, हर वाक्य का अर्थ लगाने के लिए रुकना, सोचना जरूरी हो गया था। हृदय से निकलकर हृदय तक पहुंचने वाली भाषा नहीं रही थी। वो मस्तिष्क से निकल बहुत टेढ़े, ऊंचे-नीचे रास्तों से मस्तिष्क तक पहुंचने वाली भाषा बन गई थी। मगर आजकल कुछ साथी संसद में बोलते हैं तो वह भाषा हृदय से निकली हुई भाषा होती है। वह विचार दूसरे हृदय तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बार-बार यह कहा जा रहा है कि हम हिंदी में क्यों नहीं बोलते, अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं ? बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं, हिंदी बोलने का। उसका असर संसद में तो नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है, क्योंकि मैं संसद में 20 साल से अधिक रहा हूं और हिंदी भाषा किस रास्ते से चल रही है और कहां तक पहुंची है, कितनी ज्यादा या कम बोली जा रही है, इसका अनुमान मेरा मस्तिष्क लगा सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि संसद में इस भाषा का प्रयोग अधिक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए।

5. मगर मुझे आपके सामने यह कबूल करना पड़ेगा कि मंत्रालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग उतना नहीं हो रहा है जितना संसद में हो रहा है। इससे ज्यादा होना बहुत जरूरी है। जब चर्चा होती है तो हिंदी भाषा में होती है मगर नोट लिखकर आ जाता है अंग्रेजी में कभी हिंदी में नोट आता भी है तो उसको समझने के लिए अंग्रेजी नोट भी उसके साथ मंगाना जरूरी हो जाता है। इतने कठिन शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत प्रचुर भाषा भी समझी जा सकती है मगर अच्छी भाषा का मतलब बहुत लम्बे-लम्बे वाक्य, मोटे-जाड़े और कठिन शब्दों का प्रयोग माना जाता है। ऐसे नोट को समझने के लिए कभी-कभी अधिकारियों को बुलाकर कहना पड़ता है कि मैं समझ नहीं सका, अंग्रेजी में नोट भेज दोगे क्या ? ऐसा होने की वजह से भी हिंदी का प्रयोग बढ़ नहीं पाता। मगर लगता है कि एक प्रकार की मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। हिंदी में लिखें तो कम महत्वपूर्ण, अंग्रेजी में लिखें तो ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा क्यों होना चाहिए। विचार तो एक ही है अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में। भाषा का हृदय तो विचार ही हैं। यह मानसिकता कैसे बनाई जाए, इसके ऊपर सोचना बहुत ही आवश्यक है। मानसिकता बदलने का काम उतना आसान नहीं हैं जितना अनुवाद करने का काम है। आहिस्ता-आहिस्ता से जरूर हो जाएगा। यह भी महसूस कर रहे हैं कि अंग्रेजी जितनी प्रभावी या रोचक हो सकती है, वैसी ही थोड़ी सी अधिक प्रभावी और रोचक हिंदी भाषा भी हो सकती है, क्योंकि यह जमीन से जुड़ी हुई भाषा है, वो बाहर से आई हुई भाषा नहीं है। यहां पर ही बढ़ी हुई भाषा है और उसकी वजह से होगा, और यह होना भी जरूरी है। अब इसके लिए कोई बोले कि नियम बनाएं! बना सकते हैं, शायद बन सकते हैं, नियम बन सकते हैं और उसका पालन भी होगा, वही नहीं होगा तो शिक्षा होगी। मगर यह उतना उपयोगी नहीं है। इसको मन की भाषा—हृदय की भाषा बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए आवश्यक नहीं है कि

सारे लोगों पर प्रभाव डाला जाये-वो मार्किट करेगा, शैक्षणिक संस्थाएं करेंगे, घर में मां, बहिन, भाई करेंगे। हमारा दायित्व आफिस में काम करने वाले लोगों को कैसे मानसिक रूप से तैयार किया जाए, यह देखना है। यह अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पास कोई नुस्खा नहीं है, अगर आप ही ढूंढ निकालें तो अच्छा होगा।

6. एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि विज्ञान का उपयोग भाषा के प्रचार के लिए बहुत किया जा रहा है। अभी जो यहां पर हमें बताया गया है कि "लीला" हो या "मंत्र" हो या "सेलफोन" पर हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, वह बहुत उपयोगी सिद्‌ध होने वाला है। इसकी वजह से जो काम 10 साल में कर सकते थे शायद एक साल में कर सकेंगे। अब इसका उपयोग फैक्टरी में हो सकता है। आफिस में हो सकता है, मार्किट में हो सकता है, सभी तरफ इसका उपयोग हो सकता है। इसे जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। मगर कभी-कभी मुझे यह भी डर लगता है कि कहीं इसकी वजह से हिंदी सीखने की आवश्यकता ही समाप्त न हो जाए। अगर कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो हिंदी में सुन सकते हैं, अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो अंग्रेजी में सुन सकते हैं। अगर यह हो रहा है तो हिंदी सीखना क्यों है, मशीन को सीखने दें, खुद क्यों सीखें! ऐसा नहीं होना चाहिए, मशीन तो हमको मदद कर सकती है, सीखने के लिए,जल्दी से सीखने के लिए, थोड़े समय में सीखने के लिए। मगर मशीन सीखें और हम अनभिज्ञ रहें तो ठीक बात नहीं है। हमें भी सीखने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है।

7. हिंदी भाषा कैसे बढ़ सकती है? एक तो अनुवाद करके बढ़ सकेगी। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं और उसमें मौलिक साहित्य है। उसका अनुवाद करना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वकाल से भाषा की संपदा जो बनी हुई है उसे एक वांङमय से दूसरे वांङमय में जरूर ले जाया जाए। असल में यह काम हर भाषा में हो, तमिल में हो, कन्नड़ में हो, मराठी में हो, बंगला में हो, भोजपुरी में हो। अनुवाद तो होना चाहिए और बड़े पैमाने पर। उर्दू भाषा में बहुत अच्छा साहित्य है। उनकी शायरी, उसमें लेखन बहुत-बहुत है। निजाम सरकार के जमाने में कोर्ट का सारा काम उर्दू में प्रारंभ कर दिया गया था। सांईस की पढ़ाई उर्दू में शुरू कर दी थी और दफ्तरों में भी उर्दू का इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो किया था उसका अगर हिंदी भाषी उपयोग करना चाहें तो उसका लाभ सबसे ज्यादा हिंदी भाषा को अपनाने वाले लोगों को होगा। ऐसा लगता है कि हिंदी में और उर्दू में फर्क जरूर है। मगर बहुत फर्क नहीं है, जितना दूसरी भाषाओं में फर्क है। हमने देखा वकीलों के पास उनके सारे रिपोर्टर, लॉ रिपोर्टर उर्दू में ही हुआ करते थे। मैंने यह भी देखा कि कोर्ट की जो जजमेंट दी जाती थी, उस जजमेंट की क्वालिटी अंग्रेजी में दी गई जजमेंट से भी कुछ-कुछ अच्छी थी। उसका भी उपयोग जरूर किया जा सकता है। कैसे उपयोग किया जाए, उस पर सोचना जरूरी है। खास करके हैदराबाद में जो कुछ भी है, प्रेस थी, यूनिवर्सिटी थी उसका उपयोग जरूरी किया जाए। पर्याप्त शब्द इसमें बहुत मिल सकते हैं। उनका उपयोग होना भी बहुत जरूरी है। प्रशासन में उसका प्रयोग बहुत हो सकता है। इसके लिए यदि एक समिति गठित कर इस पर विचार करें तो अच्छा होगा।

8. दुनिया में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। उनकी ओर हमें अपनेपन से देखना जरूरी है। हम अपनी भाषा को बढ़ाएं तो दूसरी भाषा को छोटा बताने की हमें जरूरत नहीं है। इससे किसी भाषा का फायदा नहीं होता है। दुनिया में अंग्रेजी भाषा बहुत पैमाने पर बोली जाती है। वह इंटरनेशनल लैंग्यूएज बन गई है। इसके बाद फ्रेंच को महत्व दिया जाता था। मगर वो आहिस्ते-आहिस्ते से कम होती नजर आ रही है। स्पेनिश लैंग्यूएज को महत्व दिया जाता था मगर वह भी कम होती नजर आ रही है। ये जो भाषाएं हैं, इनकी

और घृणा की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। उनके मौलिक साहित्य को अपनाना बहुत जरूरी होगा। ये भाषाएं बढ़ी कैसे ? हर क्षेत्र में इनका उपयोग किया गया। ये जो साईंस की किताबें हैं, वे किताबें अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई हैं। वे सिर्फ सांईस थियोरी के लिए फेमस नहीं है। वे अंग्रेजी लैंग्यूएज के लिए भी फेमस हैं। **ओरिजन ऑफ स्पेशिज (डारविन)** की जो किताब है, उसको साहित्यिक पुस्तक मानते हैं और साहित्य के लिए किताब के रूप में पढ़ते हैं। इस प्रकार विज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा का उपयोग हो रहा है। आज देखा जा रहा है कि ललित वांड:मय का बहुत पैमाने पर निर्माण हो रहा है। कादंबरी, कहानियां और कविताएं हमको आजकल देखने को मिलती हैं। मगर ऐसी कोई किताब जो एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखी हुई हो या बोटनी पर लिखी हुई हो या एग्रीकल्चर पर लिखी हुई हो या आकाश विज्ञान पर लिखी हुई हो या समुंद्र विज्ञान पर लिखी हुई हो और जिसे लोग सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं भाषा के लिए पढ़ते हों ऐसी हमको अभी तक नजर नहीं आई। यह होना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है अगर यह हो जाए तो भाषा कितनी जल्दी से समृद्ध होगी और कितनी प्रभावी होगी इसका हम अनुमान कर सकते हैं।

9. आज कि इस दुनिया में हर देश अपनी भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। दो प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अपनाना और उसको प्रभावी तरीके से उपयोग में लाना, इसका एक प्रयोग चल रहा है। दूसरा प्रयोग है अपने देश की भाषा को बढ़ावा देने का प्रयोग। मैं चाईना से दो दिन पहले आया हूं। वहां से आने के बाद दो चीजों का अनुभव हुआ है। एक अनुभव यह था कि वहां अंग्रेजी हर आदमी सीख रहा है और अंग्रेजी इतनी सफाई से बोल रहा है जितना कि हिंदुस्तान के कई लोग उतनी सफाई से अंग्रेजी बोलते नजर नहीं आते। इतना ही नहीं, उतना ही महत्व चाईनीज भाषा को देते हैं। वहां पर अलग-अलग प्रकार की चाईनीज भाषाएं हैं, जैसे हमारे यहां हिंदी और भोजपुरी वगैरह। मगर उस भाषा को प्रयोग में लाने का प्रयोग चल रहा है और उस भाषा में विविधता है उसको भी बनाए रखने का प्रयोग चल रहा है। इस प्रकार भाषा की विविधा को बनाए रखना, भाषा में क्या एक हैं इसको भी उजागर करना, और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को सीखना उसका भी प्रयोग चल रहा है। उसकी वजह से भाषा के क्षेत्र में वे लोग प्रभावी हो रहे हैं। वही प्रयोग हमको रूस में होता नजर आता है। वही प्रयोग जहां पर अरबी भाषा बोली जाती है, वहां पर भी नजर आता है। वही प्रयोग स्पेनिश भाषा में, जो साऊथ अमेरिका में बोली जाती हैं, होता हुआ हमको नजर आता है। यह भाषा की समृद्धि बढ़ाने के लिए, उसे लोगों की भाषा बनाने के लिए, सरकार की भाषा बनाने के लिए, जमीन की भाषा, आकाश की भाषा, समुद्र की भाषा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हिंदी प्रयोग में आ जाए तो यह प्रयोग केवल हमारे सरकारी कार्यालयों में ही भाषा का प्रयोग करने के लिए नहीं होगा, मगर यह मन और मस्तिष्क तक पहुंचने वाली भाषा को बनाने का भी प्रयास होगा।

हमारी इस संस्था से यह काम पूरी तरह से होने की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको जो मैंडेट है, वह लिमिटेड है। मगर यदि दृष्टि ऐसी हो और मैंडेट कुछ भी हो, उस मैंडेट को बढ़ाते हुए और उस दृष्टि को सामने रखते हुए काम करें तो मैं समझता हूं कि यह काम जरूर होगा। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार से और इससे भी अच्छे ढंग से और नए विचारों के साथ भाषा का प्रयोग हो जाएगा। आप ही हमें बोल सकते हैं। आप जो बोलेंगे वो करेंगे, पैसे की कमी नहीं, यंत्रों की कमी नहीं। कमी अगर किसी में होगी तो अपनी इच्छा और मानसिकता की होगी। पैसे और यंत्र, साधन और संस्थाएं हम जरूर बना कर देंगे। जो कहेंगे वो कर के देंगे, मानसिकता और दृढ़ निश्चय कैसे बनेगा इसको भी उसके साथ देखना जरूरी है। यह काम आपसे हो, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा रहेगी।

राष्ट्रभाषा हिंदी

—न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी*

आजादी के 58 साल बाद भी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस तथा राजभाषा सप्ताह मनाते हैं। हिंदी के प्रचार के लिए और शासन व्यवहार में हिंदी का समुचित उपयोग हो इसलिए। यह मेरे लिए शर्म की बात है। हर राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। भारत की कोई अधिकृत राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है तो सहभाषा अंग्रेजी है। लेकिन शासन व्यवहार का ठीक से निरीक्षण करें तो यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी ही शासन-व्यवहार की भाषा और हिंदी 'उप पत्नी' के समान अनुवाद की भाषा है। उसे रानी का तो छोड़ दीजिए पूर्ण पत्नी का भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। 15 अगस्त, 1947 को ही इसका मुहुर्त टल गया, यह स्पष्ट है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत के साथ ही राष्ट्रभाषा हिंदी बन जानी चाहिए थी। परंतु प्रादेशिक और भाषिक अस्मिताओं के कारण वह नहीं हुआ और इसके लिए हिंदी भाषी लोगों का आग्रह-दुराग्रह कह लीजिए, अधिक जिम्मेदार है। सभी भाषाएं किसी न किसी की मातृभाषा होती हैं। लेकिन किसकी माँ रानी बने यही असली प्रश्न है, जो इस समस्या की जड़ है। उसमें भी भाषा शुद्धि के नाम पर चल रहा हिंदी का 'संस्कृत-करण' भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। राजभाषा हिंदी में जो उर्दू शब्द दाखिल हुए हैं, वे सारे निकाल देने का आग्रह धार्मिकवाद, संप्रदायवाद को उजागर करता है। इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि भाषा को भी धर्म और जाति से जोड़ा गया है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान को उर्दू नहीं आती परंतु वह उर्दू उसकी मातृभाषा है, इसका आग्रह नहीं छोड़ना चाहता। तो संस्कृत ब्राह्मण की ही भाषा मानी गई है, उसमें ब्राह्मण्य जुड़ा है। हम यह भूल रहे हैं कि वाणी मनुष्य की विशेषता है और भाषा, वह फिर मातृभाषा ही क्यों न हो, सीखनी ही पड़ती है। माँ, बापू कहना सीखना पड़ता है, वैसे ही मम्मी-डैडी या पापा कहना भी सिखाना ही पड़ता है। आज जो परदेशी शब्द यानी अंग्रेजी शब्द हम आत्मसात कर रहे हैं, उसमें बहुत आपत्ति नहीं है, अगर वे अनायास और जीवन व्यवहार में रूढ़ हैं। स्टेशन, टेबल इन शब्दों से एतराज नहीं है, वे भाषा को बिगाड़ते नहीं हैं लेकिन फादर, मम्मी, डैडी इन शब्दों में बापू, बाबा, माँ या पिताजी इन शब्दों की लाज नीहित है। ये शब्द सुशिक्षित, प्रबुद्ध लोगों की गुलाम मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। भाषा के और राष्ट्र के स्वभाव से वे मिलते-जुलते नहीं हैं। इसलिए ऐसे अंग्रेजी शब्द भाषा को केवल बिगाड़ते ही नहीं हैं बल्कि वे अंग्रेजियत को पालते-पोसते हैं। यह भी मेरी वेदना नहीं है। मेरी वेदना है कि आज मुंबई से लेकर सारे महानगरों में सुशिक्षित हिंदी वालों के घर में भी हिंदी गृहभाषा या मातृभाषा नहीं रही है। जिनकी जन्मजात नैसर्गिक मातृभाषा हिंदी है, वे भी हिंदी नहीं बोलते, और सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंग्रेजी में ही भाषण देना या बोलना पसंद करते हैं और निर्लज्जता से यह भी कहते हैं कि वे हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी में अपने विचार अधिक अच्छी तरह और सुचारू रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अब तो हिंदी मातृभाषा या गृहभाषा भी रहेगी या नहीं, यही राजभाषा और राष्ट्रभाषा के सामने एक यक्ष प्रश्न है, जिसका उत्तर ढूंढना होगा। यह काम आसान नहीं है।

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है, यह कहने से सवाल हल नहीं होता। पुराने जमाने में संस्कृत भिन्न

*8-ए, समता, जनरल भोसले मार्ग, मुंबई-400 021

3298 HA/05-3

भाषी लोगों की संपर्क भाषा थी। वह स्थान हिंदी या हिंदुस्तानी को मिलेगा, ऐसा माना गया था। लेकिन आजादी के बाद भी वह स्थान अंग्रेजी को ही मिला है। दुर्भाग्य से अपने दादा-दादी को या नाना-नानी को मातृभाषा में पत्र लिख सकें, ऐसे पोता-पोती सुबुद्ध संपत्तिवार घरों में अस्तित्व में ही नहीं हैं। आजादी के समय 15 अगस्त को बी.बी.सी. के वार्ताकार को महात्मा गांधी ने कहा था कि "दुनिया से कह दो कि आज से गांधी अंग्रेजी नहीं जानता"। इसमें भाषा विरोध नहीं था, गुलामी के खिलाफ उठाया गया कदम था। अंग्रेजों के साथ गुलामी की प्रतीक जो अंग्रेजियत है उसका भी अंत हो यह भावना थी। गांधी के बाद यह भावना भी नहीं रही। गांधी जी ने कहा था उच्च न्यायालय तथा न्याय व्यवहार की भाषा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिंदी-हिंदुस्तानी होनी चाहिये। लेकिन हमने समूची न्याय प्रणाली अंग्रेजों से विरासत में ली, इसलिए उसमें भाषा, पोषाक तथा चिंतन, इनमें से कुछ भी स्वदेशी नहीं है और यही हालत सभी कार्यों में दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लगता है कि आज भी भारत इंग्लैंड का विस्तारित हिस्सा ही है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। भाषा सिर्फ भाषा ही नहीं होती, वह तो जीवन शैली और वृत्ति की निदर्शक होती है। आज भारत में प्रबुद्ध लोगों में "रेजीडेन्ट नॉन इंडियन्स" यानि जो शरीर से भारत में रहते हैं, लेकिन मन तथा भावना से जो भारतीय नहीं हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है।

अब तो हिंदी भी बिखर रही है। भोजपुरी, खड़ी बोली आदि बोलियाँ हिंदी पर हावी हो रही हैं। उनके अलग से सम्मेलन हो रहे हैं, साहित्य छप रहा है। यह बोलियाँ हिंदी की उपभाषा या बोली भाषा न रह कर स्वतंत्र भाषा बनना चाहती हैं। इसका भी कारण ढूँढने की जरूरत है। प्रबुद्ध जन की हिंदी सामान्य जन की हिंदी से अलग होगी और बोलियों को घटिया माना जाएगा, तो यह अस्मिताएं बगावत कर उठेंगी ही। अगर प्रबुद्ध और सामान्य जन के मत में यह भेद आ गया, तो हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। भाषा मनुष्य को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। वह विनिमय का साधन है, साध्य नहीं। यह कोशिश भारत सरकार के स्तर पर हो रही है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम शीघ्रातिशीघ्र उठाए जा रहे हैं। भारत के एक प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को हिंदी में संबोधित किया था, इसका हमें कितना नाज़ है। यह कैसी विडंबना है ? इसका मतलब यह होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पहुँचेगी पर वह राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। शासन व्यवहार में हिंदी का अधिकारिक प्रयोग हो, इसलिए केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई है, जिसका मैं सदस्य हूँ। इस ओर प्रयास हो भी रहे हैं। सारी शासन व्यवस्था के सभी कर्मचारी, अधिकारी तथा मंत्री भी हिंदी का प्रयोग करें। कम से कम हिंदी देवनागरी में ही दस्तखत करें, यह आग्रह मैंने रखा। कई अधिकारियों ने यह माना भी, फिर भी नाम का प्रथम अक्षर-इनिशियल अंग्रेजी ही रहा, जिसे देवनागरी में लिखा गया। वे सारे यह भूल रहे हैं कि गंगाजल छिड़क कर ऑमलेट खाने से उसका थालीपीठ या दोसा नहीं बनता। यह लिपि या अक्षरों की हेरा-फेरी नहीं है, वह तो स्वदेशी भावना का प्रश्न है। परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। नियत में ही मिलावट है। आजादी के बाद हमने जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया तब यह मान लिया था कि सामान्य जन की शासन व्यवहार में सहभागिता होगी। कम से कम वह 'व्यवहार' समझ सकेगा। यह आज तक नहीं हुआ। सूचना तथा जानकारी का अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकार का हिस्सा है। वैसा कानून भी बना। लेकिन यह जानकारी अंग्रेजी में ही दी जाएगी, तो इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसे अंधा बनाकर अंग्रेजी की ही लकड़ी उसे थमा दी जाएगी।

संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था, तब दक्षिणात्य लोगों को लगा कि राज्य सत्ता के प्रयोग में

उत्तर भारतीय भाषायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और इसलिए सांस्कृतिक और भाषाई कुरुक्षेत्र में गंगा-कावेरी के बीच युद्ध के लक्षण दिखने लगे थे। उस समय सभी यह भूल गए थे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का राष्ट्रभाषा एक अहम् हिस्सा था और दक्षिण में हिंदी का पहला स्कूल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के संस्थापक रामस्वामी नायकर के घर में ही शुरु हुआ था। इसी संदर्भ में डॉ. अंबेडकर जी ने संविधान सभा में जो भाषण दिया था, उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। अंबेडकर जी ने कहा था ''मैं ऐसे प्रांत का हूँ जिसका अपना इतिहास है और उस इतिहास पर मुझे शर्म लगने का कोई कारण नहीं है। मेरी भाषा में ऐसा साहित्य है, जिसका मुझे अभिमान है। इतना होते हुए भी मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि समूचे हिंदुस्तान की एक ही राजभाषा होनी चाहिए। उसके लिए मैं मेरी भाषा का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। वरना हमारी अखिल भारतीयता की बातें खोखली ही ठहरेंगी।'' उन्होंने आगे यह भी कहा कि ''आप लोगों की अपनी इच्छा हो तो प्रांत की विधान सभा में, विद्यापीठ में प्रादेशिक भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन समग्र तथा समूचे देश के शासन व्यवहार की भाषा एक ही होनी चाहिए।'' यह अखिल भारतीय तथा राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन कराने वाले शब्द थे। अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि राष्ट्रभाषा का कार्य द्विविध है। एक ओर उसका उपयोग 'चलन', जैसा अंतर प्रांतीय व्यवहार में होना चाहिए तो दूसरी ओर 'खजाना' जैसा वह ज्ञान का भंडार भी बननी चाहिए। पहले प्रकार का गुण हिंदी में है, दूसरा उसे विकसित करना चाहिए। आखिरकार ऐसी राय बनी कि ''भारत की राजभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी ही रहे। उसकी लिपि नागरी ही हो। कुछ समय तक अंग्रेजी का स्थान वैसा ही रहेगा और राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होगा, उसका अमल कब और कैसे होगा, यह निश्चिंत करते समय हिंदीतर प्रांतों के मत निर्णायक रहें।'' बाद का इतिहास तथा वर्तमान सबको ज्ञात है। गांधी जी ने पाकिस्तान बनने पर भी कहा था कि ''मैं द्विराष्ट्रवाद को मान्यता नहीं दूँगा। दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते, यह मुझे मान्य नहीं है।'' गांधी के बाद गांधी के तथाकथित अनुयाइयों ने यह मान लिया कि भिन्न भाषा बोलने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते इसलिए भाषा के आधार पर प्रांत रचना अपनाई गई। अब तो भिन्न संस्कृति और अस्मिता के आधार पर उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड बन चुके हैं। यह सिलसिला कब तक और कहां तक चलने वाला है यह कहना आसान नहीं है। अखिल भारतीय प्रवृत्ति के बदले प्रादेशिकता और भाषिक अहंता ही बढ़ रही है, जो अखिल भारतीयता तथा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन है। कार्लाईल का प्रसिद्ध वाक्य है कि ''जब छोटे और ठिगने लोगों की लंबी छाया पड़ने लगती है, तब सूर्यास्त नज़दीक आया है ऐसा मानना चाहिए'' इस कगार पर हम आज खड़े हैं। आजादी के बाद अंग्रेजी कान्वेंटों की इमारतें बिकने लगी थीं, अब उन्हीं का कार्य फल-फूल रहा है। महाराष्ट्र में प्राथमिक कक्षा से ही अंग्रेजी में बोलने की शिक्षा दी जा रही है। परिणामस्वरूप, देहातों में 'आई-बाबा' के स्थान पर 'मम्मी-डैडी' या 'पापा' पहुँच गए हैं। वैश्वीकरण के झंझावात में हिंदी या भारती ही नहीं, सारी मातृभाषाएं समाप्त होंगी, यह भय है, भारतीयता ही खतरे में है। भाषावाद, धर्म संप्रदायवाद पनप रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि भिन्न भाषा बोलने वाले समाज, समुदाय एक साथ रह सकें और उनमें पारस्परिकता और राष्ट्रीय भावना का विकास हो, जो मानवनिष्ठ भी होगा, यह काम 'हिंदी' कर सकती है। यह सत्य है कि हिंदी का विकास, प्रसार और प्रचार अहिंदी भाषी लोगों ने ही अधिक किया है। फिर अब क्या हो गया, कि हिंदी का विरोध बढ़कर अंग्रेजी की अहमियत बढ़ रही है। वैश्वीकरण के कारण भारत-भारती भी खत्म न हो जाए, इसकी फिक्र करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। सबको सन्मति दे भगवान्!

राजभाषा हिंदी की प्रयोगगत कठिनाइयों का भाषिक पक्ष

—प्रो. डॉ. शंकर बुंदेले *

'राजभाषा' से तात्पर्य है— 'राजकाज चलाने की भाषा' अर्थात् भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हो। शब्द की दृष्टि से राजभाषा शब्द अतिप्राचीन नहीं है। पहले राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता था, अब राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में विभेद माना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति प्रो. डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी ने राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में विभेद करते हुए—53 वें अधिवेशन के सभापतित्व से कहा था—''राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्र की निजता या सांस्कृतिक चेतना से है, जो उसकी अपनी पहचान से है। इसके पीछे जातीय अस्मिता काम करती है।''

अतः, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब जिस भाषा में हो वह भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा —''राजभाषा देश को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने वाली प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है।'' अतः, राजभाषा—प्रशासनिक प्रयोजन व सेवामाध्यम की भाषा कहलाती है।

वास्तव में प्रारंभिक इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए प्रो. डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया ने लिखा है—''पहले राष्ट्रभाषा का प्रयोग चलता था अब राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में भेद किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में हो।''

ऐतिहासिक दृष्टि से 'हिंदी' मुग़लकाल से ही संपर्क-भाषा या राजकाज की भाषा के रूप में प्रचलित थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विफल होने के अनेक कारणों में हिंदी का संपर्क-भाषा न होना भी एक प्रमुख कारण था। इस संदर्भ में हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में प्रचलन की साक्ष्य मोहम्मद बुराहनुद्दीन की ये काव्य पंक्तियाँ हैं—

''ये सब बोल हिंदी बोल,
पण तू अनुभव सेती खोल,
ऐब न राखे हिंदी बोल,
माने तो चख देखे खोल।''

पं. केशवचंद्र सेन ने सन् 1875 में हिंदी को अमूर्त राष्ट्र भारत की संपर्क-भाषा के रूप में स्वीकार किया था, जिससे संपूर्ण देश में सहज की एकरूपता प्रस्थापित किया जाना संभव हुआ था।

भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी को विशेषाधिकार प्राप्त है, पर राजभाषा अधिनियम, 1983 (यथासंशोधित 1967) के अनुसार सहभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रावधान है। यद्यपि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नये-नये आदेश निकाले जाते हैं तथापि हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने से संबंधित अनेक भाषिक कठिनाइयाँ भी हैं, जिनपर विस्तृत विचार-विमर्श करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है-जिनमें प्रमुख है—

(1) प्रशासनिक शब्दावली में एकरूपता का अभाव

(2) अनुवाद की समस्या

(3) टिप्पणी/मसौदा की भाषा की समस्या

(4) लिप्यंतरण तथा प्रतिलेखन की समस्या

*वि.म.वि. रोड, अभियंता कालोनी विद्युत नगर, अमरावती

(5) संक्षिप्त रूपों की समस्या

(6) पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

वास्तव में, इन समस्याओं के स्वरूप पर भाषिक दृष्टि से विश्लेषण करने की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है; जिससे निदानात्मक उपाय किया जाना संभव हो सकेगा और राजभाषा हिंदी संबंधी नीति का क्रियान्वयन किया जाना संभव हो सकेगा। इसी दृष्टि से इन समस्याओं पर विस्तारपूर्णक विचार-विमर्श यहाँ प्रस्तुत कर, निदान की दिशा में सकारात्मक पहल की गई है - जो इस प्रकार है -

(1) **एकरूपता की समस्या :**—भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के तत्वावधान में प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई है। प्रशासनिक शब्दावली का प्रथम प्रारूप मुद्रित रूप में 15 जनवरी, 1965 को उपलब्ध हुआ, क्योंकि 26 जनवरी, 1965 को हिंदी को पूर्ण राज़भाषा का पद प्राप्त होना था। इस शब्दावली को महामहिम राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सरलता, संक्षिप्तता तथा सहज बोधगम्यता की दृष्टि से तैयार किया गया था। प्रमुख, तत्व, जिसे ध्यान में रखकर यह शब्दावली विनिर्मित की गई थी, वह था सभी भारतीय भाषाओं के बीच अधिकाधिक समरूपता की प्राप्ति की जा सके।

यही शब्दावली सन् 1968 में समेकित प्रशासन शब्दावली शीर्षक से संशोधित रूप में प्रकाशित हुई और इसका बृहद संशोधित संस्करण सन् 1974 में प्रकाशित हुआ है। इस शब्दावली के निर्माण में केंद्र को अन्य सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से सहयोग भी प्राप्त हुआ था। इसका लक्ष्य सभी राज्यों में एक समान शब्दावली लागू करना था, परंतु अनेक कारणों से हिंदी भाषी राज्यों ने पूर्व ही अपने यहाँ प्रशासन संबंधी शब्दावली का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। इसी कारण पर्याप्त शब्दों में एकरूपता का अभाव हो गया है। एक ही तकनीकी शब्द के लिए अलग-अलग शब्दावलियों में भिन्न-भिन्न शब्द सुझाए गए हैं, जिससे मानकीकरण की समस्या का जन्म हुआ है।

यद्यपि इन शब्दावलियों में एकरूपता लाने के प्रयास प्रारंभ से ही किए गए थे, ऐसा स्पष्टत: परिलक्षित होता है। जैसाकि - उत्तर प्रदेश सरकार की शब्दावली के सन् 1971 के पुन:मुद्रण के समय राज्य के मुख्य सचिव ने प्रस्तावना में घोषणा की थी, जो इस प्रकार है—"यह शब्दकोश मुख्यत: इस प्रदेश में प्रचलित प्रशासनिक शब्दों पर आधारित है, परंतु साथ ही हिंदी के सार्वदेशिक स्वरूप की एकरूपता की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा परिनिश्चित शब्दों को प्राथमिकता प्रदान की गई है।"

अत: शब्दावली - निर्माण में एकरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की सबसे बड़ी भाषिक बाधा का निराकरण संभव हो सकेगा। ऐसे अनेक पारिभाषिक व प्रशासनिक शब्द हैं जिनके विविध रूप प्रचलित हैं। यथा—

Gratuitous -

केंद्र सरकार	-	अनुग्राहिक तथा मुफ्त
उत्तर प्रदेश	-	नि:शुल्क
बिहार	-	अयाचित एवं बेमाँग
मध्य प्रदेश	-	निर्मूल्य

Grievance -

केंद्र सरकार	-	शिक़ायत
उत्तर प्रदेश	-	कष्ट
बिहार	-	व्यथा
मध्य प्रदेश	-	दु:ख

Hall -

केंद्र सरकार	-	हाल/भवन
उत्तर प्रदेश	-	सभा

किया जाता हैऔर इसके बाद अंतिम रूप से वैज्ञानिक, तकनीकी एवं कार्यालयीन पारिभाषिक शब्दावली निर्धारित की जाती है। इसे शिक्षण की आगमन पद्धति (Inductive Method)कहते हैं। हम निगमन पद्धति(Deductive Method) का ही प्रयोग करते हैं, अत: उदाहरण की सहायता से नियमों अथवा सिद्धांतों को सुनिश्चितिकरण करना है आगमन। जबकि नियम या सिदधांतों को प्रतिपादित कर, स्वीकार कर, व्यवहार में लाना है निगमन। वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के सदस्य प्रो. सूरजभान सिंह ने भी वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में यही अभिमत प्रतिपादित किया है, जिससे पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग की समस्या का निराकरण सहज ही हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रो. सूरजभान सिंह ने हिंदी को अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त होकर, पारिभाषिक तकनीकी शब्दावली के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। जिससे पारिभाषिक शब्दावली का सहज विकास संभव हो सकेगा। वे लिखते हैं-

''हिंदी में तकनीकी भाषा की शब्दावली का मौलिक रूप विकसित होने में क्रमश: समय लगेगा फिर भी वह पूर्णत: अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त हो सकेगी, ऐसा कहा जाना संभव नहीं लगता।''

राजभाषा हिंदी के प्रयोग में आनेवाली कठिनाइयों को यहाँ विश्लेषित करने का प्रमुख लक्ष्य राजभाषा-नीति के क्रियान्वन की समस्याओं का भाषिक दृष्टि से निदान प्रस्तुत करना है। इस से राजभाषा के प्रयोग विषयक भाषिक पक्ष को दृष्टि में रखकर सजगता बरती जायेगी, जिससे हिंदी राजभाषा के पद पर पूर्णत: आसीन हो सकेगी। इसी दृष्टि से प्रो. डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया का अभिमत विचारणीय है, जिसकी राजभाषा नीति के सफल क्रियान्वयन की नई दिशा को सुनिश्चित करने में सकारात्मक करने में सकारात्मक भूमिका है। जो इस प्रकार है—

''राजभाषा हिंदी क्षेत्रीयता के संकुचित दायरे से निकलकर व्यापक परिवेश में सांस ले रही है। हमारी परपंरा, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों ने इसे भारतीय भाषाओं के साथ तादात्म करा दिया है, जिसके कारण हिंदी के प्रति एक वातावरण बन रहा है, लोग प्रेरित एवं प्रोत्साहित हो रहे है।''

इन समस्याओं के प्रति सकारात्मक चिंतन को स्वीकारने से निश्चित ही हिंदी की प्रयोगगत कठिनाइयों का निराकरण संभव हो सकेगा, जिससे राजभाषा नीति का क्रियान्वयन पूर्णत: संभव होगा। इसीलिए मेरे शब्दों में-

प्रगति का रथ बढ़ता अविराम,
जिसे हम सब करते प्रणाम।
प्रस्फुटित नवचिंतन के अगारों को,
जलाए रखे निज-निज धाम।

> 'समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।'
>
> —जस्टिस कृष्णास्वामी अय्यर

ग्लोबल विलेज में भारतीय भाषाएं

—अजयेंद्रनाथ त्रिवेदी*

उदारीकरण के आरंभिक उत्साह के क्रमशः ठंडा होने के साथ-साथ ग्लोबल विलेज के निर्माण का शोर उठने लगा है। हिंदी पत्रकारिता में इसे विश्वग्राम कह कर पुकारा गया है। पर इस निबंध में इसे ग्लोबल विलेज ही कहा जा रहा है। ग्लोबल विलेज की अब तक कोई परिभाषा नहीं की जा सकी है। यह एक संकल्पना है या यथार्थ अथवा एक मिथक- इस संबंध में भी अभी निश्चयात्मक रूप से नहीं कुछ कहा जा सकता। पर इतना स्पष्ट है कि यह कोई प्रभावशाली बुद्धिविलास तो है ही। ऐसा यदि नहीं होता तो बुद्धिजीवियों, आलोचकों और सूचनाक्रांति के भगीरथों के मुख से 'ग्लोबल विलेज' शब्द अकारण ही नहीं टपक पड़ता। आपने अभी तक अन-आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (हिंदी में उड़नतश्तरी) की कोई परिभाषा नहीं की। पर वह पदार्थ तो है ही, उसके अस्तित्व से तो इंकार नहीं ही किया जा सकता। इसी प्रकार ग्लोबल विलेज की भले ही कोई परिभाषा न की जा सकी हो, पर एक यथार्थ की तरह हमारे वैचारिक चौहद में अस्तित्वमान बना हुआ है।

ग्लोबल विलेज एक अवधारणा है। उदारीकरण के दौर में ही इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ यह तो ठीक है, पर कब हुआ इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है। इस संकल्पना के अनुसार सूचनाक्रांति के फलस्वरूप सारा विश्व सिमट जायेगा। दूरियाँ मिटेंगी तो नहीं, पर बेमानी हो जायेंगी। आपके पास विश्व की सारी सूचनाएँ होंगी। सिमटी हुई इस दुनिया में विविधताएँ मिट चुकी होंगी। जहाँ हम अब तक हजारों भाषाओं का प्रयोग करते थे वहाँ अब एक भाषा (अंग्रेजी) से काम चल जाया करेगा। अब तक जहाँ हम मनोरंजनार्थ सैकड़ों तरह की लोककलाओं के मुँहताज रहते थे, अब बस रॉक ऐंड रोल आदि से ही मन बहल जायेगा। इस ग्लोबल विलेज में 'विलेजरों' को खाने-पीने के लिए अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाने की आवश्यकता न होगी। दुनिया के कुछ सम्पन्न देश डिब्बाबंद भोजन बनाएंगे और सारा विश्व उसे एक ही अंदाज में बैठकर खाएगा।

अगर संक्षेप में कहना चाहें तो ग्लोबल विलेज भौतिक विविधता को मिटा एक एकरूपता लाने का एक प्रयास है। सांस्कृतिक, भौतिक, कलात्मक, पारंपरिक और वैचारिक विविधता के विश्व में भावात्मक एकता की स्थापना का प्रयास कोई नया प्रयास नहीं है। भारतीय चिंतकों ने विश्व की विविधता का न सिर्फ अनुभव किया, वरन उसके बने रहने की आवश्यकता भी महसूस की। संस्कृत के कालजयी नाटककार भवभूति ने कहा है— कालोह्य निरवधिं विपुला च पृथ्वी (काल का कोई परिमाण नहीं है और पृथ्वी विशाल है) ऋग्वेद ने भी माना है कि एक ही सत्य विद्वानों के मुख से अनेक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुआ करता है—ऐं कसद् विप्राः बहुधा वदंति। ऋग्वेद में आगे कामना की गई है कि श्रेष्ठ विचारों का हमारी मानसभूमि में प्रवाह बना रहे-आनो भद्राः क्रतेवो यंतु विश्वतः।

विश्व को भौतिक दृष्टि से विविधतामय बनाए रखते हुए भारतीय मनीषा ने उसे वैचारिक और भावात्मक धरातल पर एकात्म करने की अपूर्व चेष्टा की है। यह चेष्टा उपनिषदों में व्यक्त हुई है। ऋषि

*सहायक मुख्य अधिकारी (राजभाषा) यूको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलपुखुरी, गुवाहाटी-781003

3298 HA/05-5

कहते हैं कि वे अपनी साधना से उस भावलोक का निर्माण करेंगे, जहाँ विश्व एक घोंसले की तरह पारस्परिक नैकट्य का अनुभव करेगा—*यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्*। आश्चर्य नहीं कि कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर ने इस उक्ति को विश्वभारती का आदर्श वाक्य बनाया।

भावात्मक धरातल पर विश्व को निकट लाने का प्रयास विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी किया गया है। पर भारत द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक चिंतकों के उक्त आदर्श को चरितार्थ करने का प्रयास भारत में अनवरत चलता रहा। आधुनिक युग के चिंतकों ने भी इस वैदिक लक्ष्य की सिद्धि में अपना योग्दान दिया। श्री अरविंद का Ideal of Human unity या फिर स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म या व्यवहारिक वेदांत इसी दिशा में उठाये गये कदम हैं। अंतरराष्ट्रीयता की पूरक राष्ट्रीयता का भारतीय आदर्श विश्व के लोगों के बीच का एक अपरिचय-अजनबीपन को दूर करने की एक प्रेरणा सदा से देता रहा है। भावात्मक धरातल पर विश्व को एक करने का प्रयास ही वसुधैव कुटुंबकम् में मुखरित हुआ है। पर यह विश्वग्राम ? क्या है इसके वैचारिक आधार ? क्या हैं इसके आदर्श और इसके लक्ष्य ?

विश्व की आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयास में उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया के प्रभाव में एक सांस्कृतिक परिवेश भी उत्पन्न हुआ। यह परिवेश पहले अमरीका तथा यूरोपीय देशों में उदित हुआ और संचार क्रांति के रथ पर सवार होकर यह समस्त विश्व को विजित करने चल पड़ा। उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर आर्थिक प्रतिबंध शिथिल किये गये और बाद में कई क्षेत्रों से ये प्रतिबंध उठा लिए गए। फलस्वरूप विश्व के एक कोने का उत्पाद दूसरे कोने तक आबाध आने-जाने लगा। विश्व के एक कोने का परिधान दूसरे कोने तक पहुँच गया और एक स्थानीय व्यंजन रातों-रात विश्व के नामी रेस्तराओं के मीनू में शामिल हो गया।

इसी समय संचार क्रांति का बिगुल पूरे विश्व में बज उठा। संयुक्त राज्य अमरीका की सेना की आवश्यकता के लिए मूलत: विकसित की गयी प्रणाली इंटरनेट के नाम से पूरे विश्व को बाँधने आ गयी। टेलीविजन जो पहले से ही बुद्धू बक्सा के नाम से कुख्यात हो चुका था, उपग्रह का सहारा पाकर एक अनिवार्य बुराई के रूप में हमारे बैठकखाने में जम गया। इंटरनेट तथा टेलीविजन के माध्यम से उत्पादों का व्यापक प्रचार किया गया। विज्ञापन के माध्यम से दर्शकों के मन में हीन भावना जगाकर, घृणा फैला कर अथवा डरा-धमका कर अपने उत्पाद बेचने के लिए उत्पादक मैदान में आ डटे। कोमलमति बालकों तथा अनुकरणप्रिय युवाओं के मन में इन उपभोक्ता वस्तुओं की ललक ने उन्हें अपराध की ओर धकेला। हीन भावना से ग्रस्त गृहिणियों ने अपने पतियों पर दबाव बनाकर अनुत्पादक वस्तुओं को सिर्फ झूठी शान के खातिर खरीदने को मजबूर किया। फलस्वरूप परिवारों का आर्थिक अनुशासन भंग हुआ।

यह सब अनायास नहीं हुआ। इसके पीछे बाजार पर काबू करने की सुचिंतित चाल थी। ''पहले आवश्यकता अनुभव कराओ और फिर माल बेचो। माल बिके नहीं तो फिर वित्त उपलब्ध करा कर बेचो और ब्याज कमाओ।'' इस नयी व्यापार नीति की गिरफ्त में मध्यवर्ग फंस गया। उपभोक्तावाद के प्रचारकों ने घरेलू आहारों को अपौष्टिक बताया और पारम्परिक ज्ञान की खिल्लियाँ उड़ाई। गले में खराश की गोलियाँ हों या जब चाहो पीयो और हो जाओ फ्रेश—वाले शीतल पेय, चालाकी भरे विज्ञापन अभियान के बल पर रातों-रात मनपसंद बन गये। ये उत्पाद महानगरों के बाजारों को जीतकर, अब कस्बाई और ग्रामीण बाजारों की ओर कूच कर रहे हैं। आज विकासशील भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाने लगा

है। कमाओ और उपभोग करो की इस आँधी में वे भी जिनकी नियमित कमाई न थी उड़ने लगे। इन कमाई हीन लोगों ने गैर-कानूनी पेशे अपना लिये, क्योंकि नये जमाने का मंत्र 'भोगो' अब सबको आविष्ट कर चुका था। एक प्रकार से उपभोक्तावाद की अंधी गली की ओर दौड़ शुरू हो चली थी।

इस अंधी गली में दौड़ने के खतरों से आगाह करने वाले विचारों की वाहिका भारतीय भाषाएं रही हैं। इन भाषाओं ने मौलिक चिंतन की धारा को धारण किया था और देश को सही दिशा में सोचने का अवसर दिया था। दु:ख है कि इन भाषाओं को तो पहले ही (स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा) लांछित किया जा चुका था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी के माध्यम से देश को एक करने का प्रयत्न हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने किया था। आगे चलकर हिंदी संघ की राजभाषा बनी और हिंदी के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने का प्रयास आरंभ हुआ। पर इसी बीच उदारीकरण के साथ अंग्रेजी का धमाकेदार प्रवेश हुआ। कम्प्यूटर क्रांति ने एक मिथक गढ़ा कि अंग्रेजी भाषा ही कम्प्यूटर ज्ञान की कुंजी है और देखते ही देखते भारतीय भाषाओं के बल पर भारतीय जन-गण को प्रबुद्ध करने वाले 'इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स' में दाखिल हो गये। टेलीविजन के कार्यक्रमों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वालों का दखल हो गया और देश फिर से भारत बनते-बनते इंडिया बनने के पथ पर बढ़ गया।

नवसंस्कृति के इस ग्लोबल विलेज में भारतीय भाषाओं की वकालत करने वाले एक बार फिर बचाव की मुद्रा में आ गये हैं। जिन लोगों ने देश की भाषाओं के माध्यम से देश की सर्जनात्मक शक्ति को जगाने का काम हाथ में लिया था उनको लगातार बहलाने की चेष्टा की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब तो ग्लोबल विलेज का निर्माण हो रहा है अत: अंग्रेजी को स्वीकार कर लेने में ही अपनी भलाई है। जबकि सच्चाई यह है कि हमने अंग्रेजी की पढ़ाई का विरोध कभी नहीं किया। हम तो यह कहते हैं कि भारतीय भाषाओं की खोई प्रतिष्ठा वापस की जाए। हमें समझ में नहीं आता कि ठेठ देशी भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी रेल की उच्च श्रेणी अथवा वायुयान में बनावटी भाषा (अंग्रेजी) में अस्वाभाविक ढंग से क्यों बोलने लगता है। हमें यह बात समझ में नहीं आती कि हम अपने पारिवारिक आयोजनों के निमंत्रण पत्र अथवा बधाई संदेश भी अंग्रेजी भाषा में भेजने में गौरव का अनुभव क्यों करते हैं।

थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लें कि ग्लोबल विलेज की भाषा अंग्रेजी है तो क्या इसी तर्क के आधार पर भारत के 100 करोड़ की आबादी अंग्रेजी ज्ञान संपन्न हो जाती है? ग्लोबल विलेज में यदि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है तो उन भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति करने वालों का क्या होगा? भाषा की समृद्धि से जाति समृद्ध होती है और भाषा की उपेक्षा से जाति उपेक्षित हो जाती है - इस सिद्ध तथ्य को नजरअंदाज करके आरोपित भाषा को ही संवाद का माध्यम मान लेना और सबको उसी भाषा में दीक्षित करने का प्रयास करना उल्टे बाँस बरेली भेजने जैसा हास्यास्पद नहीं होगा क्या? हमारी समृद्ध भाषाओं के माध्यम से हमारे देशवासी अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं एवं अपनी आकांक्षाओं को प्रकट करते हैं। इन भाषाओं के प्रचार को उत्साहित करके ही हम उन भाषाओं के बोलने वालों को समृद्ध बनाने का उपक्रम कर सकते हैं। सार्थक और समन्वयकारी सवांद के अभाव में भौतिक प्रगति अर्थहीन हो जाती है। ऐसा संवाद भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है-"सकल पदारथ एहि जग माँही, करमहीन नर पावत नाहीं।" स्वाभाविक भाषाओं के छिन जाने से उन भाषाओं के प्रयोक्ता नि:शक्त और निस्तेज हो जाते हैं। अपनी भाषा में अपनी माँगें रखते समय या अपना

पक्ष प्रस्तुत करते समय हममें जो आत्मविश्वास रहता है वह पराई भाषा में अभिव्यक्ति करते समय नहीं रह जाता। अपना पक्ष सबलता से रखने के लिए हमें अपनी सहज भाषा का बल चाहिए ही। ग्लोबल विलेज में भारत को यदि अपनी साख बचानी है तो वह राष्ट्रीय स्वाभिमान से ही बचेगी। राष्ट्रीय स्वाभिमान पराई भाषा में तुतलाने से कभी नहीं जगेगा।

भारतीय जनगण की सर्जनात्मक शक्ति के उन्मेष के लिए जब भी हम भारतीय भाषाओं के प्रयोग और शिक्षण की बात करते हैं तो कुछ निहित स्वार्थी तत्व इसे भारतीय भाषाओं बनाम अंग्रेजी का द्वंद्व कहके प्रचारित करने लगते हैं। भारतीय भाषाओं के प्रयोग और उनके सशक्तिकरण का प्रयास करना अंग्रेजी का विरोध करना नहीं है। अंग्रेजी की अपनी भूमिका है। उस भूमिका का निर्वाह वही भाषा कर सकती है। ऐसा हम सदा मानते आए हैं। पर इसी तर्क के अनुसार यह क्यों नहीं माना जाता कि भारतीय भाषाओं की भी अपनी भूमिका है और उसकी जो भूमिका है, उसका निर्वाह वे भाषाएं ही कर सकती हैं। भारतीय भाषाओं को उनकी भूमिका के निर्वाह करने का उचित वातावरण आखिर उपलब्ध होने क्यों नहीं दिया जाता? भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में यदि कोई अवरोध है तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। यह न करके सिर्फ यही कहते रहना कि ये भाषाएं समृद्ध नहीं हैं किस काम का है। भारतीय भाषाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराने का उपक्रम न करके सिर्फ उनकी अशक्तता का रोना रोना हमें छोड़ना होगा और कुछ कर दिखाने के लिए आगे आना होगा।

हम एक प्रजातंत्र हैं। इस प्रजातंत्र की रीढ़ है यहाँ के नागरिकों का स्वस्थ जनमत और उसकी प्रखर अभिव्यक्ति। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करके भारत में स्वस्थ जनमत का निर्माण हम कभी नहीं कर सकते। स्वस्थ जनमत की परिपक्वता ही राष्ट्रीय नीतियों को बनाती अथवा प्रभावित करती है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में विश्व में अपनी पहचान यदि बनानी है तो हमें अपनी भौतिक प्रगति के साथ-साथ अपने स्वस्थ और परिपक्व जनमत के निर्माण के अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे। जनमत जिन भाषाओं में अभिव्यक्त होता है उन भारतीय भाषाओं की महत्ता को हमें पहचानना होगा। हमारी भाषाओं का हनन हमारा आत्महनन है— यह अनुभव करके भारतीय भाषाओं के लिए संभावनाओं के सभी द्वार हमें खोल कर रखने होंगे। तभी उन द्वारों से सर्जनात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और देश में नवशक्ति का संचार होगा। अन्यथा हमारी भाषाओं की हो रही लगातर उपेक्षा से देश का सोया हुआ स्वाभिमान निहत न हो जाय इसकी आशंका रहेगी। निहत स्वाभिमान लेकर हमारा देश 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकेगा। अत: यदि हमें इस सदी की चुनौतियों को स्वीकार करना है तो भारतीय भाषाओं की उपेक्षा तत्काल बंद करनी होगी और 'एक हृदय हो भारत जननी' का घोष करना होगा। यह घोष तब तक निरर्थक रहेगा जब तक हमारे देश के सभी कार्यक्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के सम्मानजनक प्रयोग के अवसर उपलब्ध न हो जाएं।

●

'हिंदी का काम देश का काम है, समूचे राष्ट्रनिर्माण का प्रश्न है।'

—बाबूराम सक्सेना

अनुवाद और भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन

—ईश्वरचंद्र मिश्र*

अध्ययन के विषय क्षेत्र के रूप में अनुवाद की प्रकृति बहुत ही जटिल और सम्मिश्र है। इसमें विषय और भाषा के ज्ञान संबंधी अनेक प्रकरण अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विशेषकर भाषाविज्ञान की अनेक शाखाओं का गहरा संबंध अनुवाद से है। अर्थविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, और ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के साथ-साथ भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन (Contrastive Stiudy) अर्थात् व्यतिरेकी भाषा-विज्ञान (व्यतिरेकी भाषाविज्ञान अंग्रेजी की संकल्पना Contrastive Linguistics के लिए हिंदी में पर्याय है।) अनुवाद को समझने में काफी सहायक हैं। व्यतिरेकी अध्ययन का आशय है, दो भाषाओं की रूपरचना, शब्दरचना और वाक्यरचना आदि का परस्पर तुलना के आधार पर अध्ययन; ऐसा विश्लेषण जिसमें दोनों भाषाओं की इकाइयों में परस्पर समानता और असमानता के उदाहरणों का विशद विवेचन किया जाए। ऐसे विश्लेषण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है तथा भाषा एवं अनुवाद के अध्ययन को काफी समावेशी बनाती है।

1. सर्वप्रथम संबद्ध दोनों भाषाओं के विश्लेषण के लिए सामग्री अथवा उदाहरण उपलब्ध करना अपेक्षित होता है। यह मौखिक अथवा लिखित दोनों रूपों में हो सकती है। यदि व्यतिरेकी विश्लेषण उच्चारण तथा ध्वनि स्तर पर करना अभिप्रेत हो तो सामग्री (चाहे लिखित हो या मौखिक हो) ध्वन्यात्मक लिपि में लिखि जानी आवश्यक है।
2. यदि शब्दरचना, रूपरचना, वाक्यरचना और अर्थ संरचना के स्तर पर विश्लेषण करना हो तो परंपरागत लेखन से सामग्री लेकर काम किया जा सकता है।
3. दोनों भाषाओं और उसकी मान्य प्रयोगधारा से उदाहरण का लिया जाना अधिक उपयोगी हो सकता है और उसके आधार पर विश्लेषण करना स्थिति को और अधिक स्पष्ट बना सकता है।
4. विश्लेषण में ध्यान रखता अपेक्षित है कि वह एककालिक हो।
5. विश्लेषण के लिए दोनों भाषाओं से किसी एक मॉडेल का (जैसे कि संरचनात्मक रूपांतरण, कारकीय प्रकरण आदि में से) चयन कर लेना लाभकारी हो सकता है।
6. विश्लेषण आवश्यकतानुरूप ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों आदि में से किसी एक, एकाधिक अथवा सभी स्तरों पर किया जा सकता है।

ध्वनि का व्यतिरेक

ध्वनि के स्तर पर व्यतिरेकी विश्लेषण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:—

Patna इस एक शब्द को कुछ लोग **पाटना** पढ़ते हैं और कुछ लोग **पटना**। हिंदी में **मदन, मदान** और **मादन** अलग-अलग शब्द हैं, इन्हें अंग्रेजी में लिखना हो तो एक ही रूप में अर्थात् Madan लिखना संभव होगा। इसी Madan को कोई **मदान** पढ़ेगा, कोई

*केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, पांचवां तल, डी विंग, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूर-560034

3298 HA/05-6

मदन अथवा **मादन** पढ़ेगा। Pragya को कोई **प्राज्ञ** पढ़ेगा और कोई **प्रज्ञा** । अगर रोमन लिपि में Patni लिखा हो तो कोई **पटनी** (एक Surname) पढ़ेगा, जबकि इसे ही पत्नी पढ़ा जा सकता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में **सती** नाम महिलाओं के लिए काफी लोकप्रिय है जिसे अंग्रेजी में Sathi लिखते हैं। Sathi होने पर उत्तर भारत के लोगों द्वारा **साथी** पढ़ना ही ज्यादा संभव है। इसी तरह Raman को हिंदी में **रमन** और **रामन** दोनों पढ़ा जा सकता है। हिंदी में **अ** और **आ** क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ ध्वनियाँ है और एक-दूसरे से अलग हैं। मुश्किल यह है कि अंग्रेजी में **अ** और **आ** दोनों के लिए A लिखते हैं अर्थात् अमर और आनंद दोनों नाम अंग्रेजी में A से लिखे जाएंगे।

अंग्रेजी स्वरों (Vowels) जैसे कि a, e, i, o और u में से सभी के हिंदी रूपांतरण में a जैसी स्थिति ही अनेक उदाहरणों में मिलती है। **Pen** और **Fine** इन दोनों शब्दों में e का उच्चारण एक जैसा नहीं है। Rise और Ship में i उच्चारण अलग-अलग है। पुनः Not तथा Photo में O का एवं Cut और Put में u का उच्चारण परस्पर भिन्न है। अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ऐसे ध्वन्यात्मक प्रकरणों में सावधानी अपेक्षित है।

व्याकरण के स्तर पर व्यतिरेकी विश्लेषण करते समय मुख्यतः चार बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं :—

1. शब्द रचना
2. रूप रचना
3. वाक्य रचना, और
4. प्रोक्ति रचना

1. शब्द रचना

हिंदी शब्द रचना में रूढ़, योगरूढ़ शब्दों के अलावा उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास की बड़ी भूमिका होती है। हिंदी में समास के साथ-साथ संधि प्रकरण भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी में अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश रूढ़ शब्द हैं जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में क्रमशः fire, air, earth, sky रूढ़ शब्द हैं। किंतु दोनों भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन बताता है कि अंग्रेजी के अनेक रूढ़ शब्दों के लिए हिंदी में रूढ़ शब्द नहीं मिलते, बल्कि संकल्पना को समझकर, संधि अथवा समास के आधार पर शब्द पर्याय गढ़ने पढ़ते हैं—

अंग्रेजी के रूढ़ शब्द	हिंदी में निर्मित पर्याय
Library	= पुस्तकालय (ध्यातव्य है कि लाइब्रेरी लैटीन शब्द Libra से बना है।)
Kitchen	= रसोईघर
Toilet	= शौचालय
School	= विद्यालय
Office	= कार्यालय

ध्यान देने लायक है कि उपर्युक्त उदाहरणों में हिंदी पर्याय संकल्पनाओं को समझकर बनाए गए हैं। अंग्रेजी में Head Master जैसे शब्द को Compound Words बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों घटक शब्दों Head और Master के अर्थ शामिल हैं। हिंदी में भी प्रधानाध्यापक संधि से बना यौगिक शब्द है। इसमें प्रधान तथा अध्यापक दोनों घटक शब्दों के अर्थ सक्रिय हैं। पुनः हिंदी के कुशल (योगरूढ़) और दक्ष (रूढ़) दोनों शब्दों के लिए अंग्रेजी में क्रमशः Skilled और Expert रूढ़ शब्द हैं। Managing Director में आशय है : The Director who is supposed to manage the things. इसलिए इसका हिंदी पर्याय **प्रबंध निदेशक** सोच-विचार के बाद बनाया गया उचित प्रतिशब्द है।

शब्दों और उसके पर्याय संबंधी व्यतिरेकी अध्ययन में उपसर्गों पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए देखा जा सकता है कि दोनों भाषाओं में कितने-कितने उपसर्ग हैं तथा वे किन-किन अर्थों में जोड़े जाते हैं।

हिंदी में संस्कृत से आया हुआ उपसर्ग **अ** शब्द निर्माण में बहुत ही सक्षम है। यह प्राय: निषेधात्मक उपसर्ग है:

संभव	—	असंभव
सत्य	—	असत्य
प्रत्यक्ष	—	अप्रत्यक्ष
मानवीय	—	अमानवीय
वैधानिक	—	अवैधानिक
नियमित	—	अनियमित
परंतु	—	
Possible	—	Impossible
True	—	Untrue
Direct	—	Indirect
Human	—	Inhuman
Legal	—	Illegal
Regular	—	Irregular

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि हिंदी के एक ही नकारात्मक उपसर्ग (**अ**) के लिए अंग्रेजी में im, un,in,il,ir उपसर्गों (Prefixes) के प्रयोग हुए हैं। यहां ध्यान देने के लायक है कि **अ** उपसर्ग के जोड़ने से अमूल्य और अनिर्वचनीय जैसे शब्द बने हैं। इन उदाहरणों में मूलार्थ का उत्कर्ष देखने को मिलता है। माता के अमूल्य प्रेम और भक्ति के अनिर्वचनीय आनंद में **अ** उपसर्ग का आशय उपर्युक्त Prefixes व्यक्त नहीं कर सकते।

हिंदी में कपूत और सपूत ये शब्द क्रमश: **क** और **स** उपसर्गों के कारण बने हैं। इन उपसर्गों के समकक्ष अंग्रेजी में कोई उपसर्ग नहीं है। **अव** उपसर्ग से हिंदी में अवमानना, अवशेष, अवबोध, अवधूत जैसे शब्द बने हैं। इस **अव** का समानधर्मा उपसर्ग अंग्रेजी में ढूँढ़ पाना कठिन है। संस्कृत का उपसर्ग है **अन्** जिससे **अन्+अधिकार=अनधिकार** और **अन् + आचार** = **अनाचार** जैसे शब्द बने हैं। अनधिकार प्रवेश unauthorized entrance ठीक है। किन्तु अनाचार के लिए un (Prefix) से पर्याय बनाना कठिन है। हिंदी का अपना उपसर्ग है **अन** जिससे **अनबन** और **अनमेल** शब्द बने हैं। **अनबन** और **अनमेल** का पर्याय बनाने में un (Prefix) हमेशा मदद नहीं कर सकता। इसी तरह अंग्रेजी में बहुत-से उपसर्ग (Prefixes) ऐसे हैं जिनके समकक्ष हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में उपसर्ग नहीं मिलते। उदाहरण के लिए ultravirus एवं ultrasound जैसे शब्दों में उपसर्ग अल्ट्रा का हिंदी पर्याय देना मुश्किल है। अंग्रेजी में Multi के लिए हिंदी में 'बहु' काफी उचित एवं स्वयंपूर्ण है।

Multinational Company	—	बहुराष्ट्रीय कंपनी
Multidimensional	—	बहुआयामी

किंतु अंग्रेजी में **Poly** भी शब्दखंड है = **Polygamy** अर्थात् **बहुविवाह**।

हिंदी प्रत्ययों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है एवं उनका व्यतिरेकी अध्ययन और भी मज़ेदार है। हिंदी में दुर्गंधवाची प्रत्यय है—आँध जैसे सड़ाँध। रंग से रंगीन (ईन प्रत्यय) और पुन: रंग से रँगीला (ईला प्रत्यय) आदि में प्रत्ययों की विशिष्टता देखने लायक है। क्षोभ से क्षुब्ध, क्रोध से क्रुद्ध आदि अन्य उदाहरण है। किंतु ऐसे प्रत्ययों के लिए सभी भाषाओं में प्रत्यय (Suffix) ढूँढना असंभव है।

हिंदी व्याकरण बताता है कि स्रोत की दृष्टि से हिंदी में चार प्रकार के प्रत्यय हैं : तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इनके प्रयोग में समस्रोतता के पक्ष पर वैसे ही ध्यान दिया जाता है जैसे कि उपसर्गों के मामले में ध्यान देते हैं। हिंदी में **ता** प्रत्यय विशेषणों में जुड़ते हैं जिससे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे दीन + ता = दीनता, सुंदर + ता = सुंदरता, दयालु + ता = दयालुता, आदि। पुन: कुछ विशेषणों में **ई** के जुड़ने से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे **गरीब** +

ई = गरीबी, लाल + ई = लाली आदि। अंग्रेजी में Ness विशेषण (Adjective) में जुड़ते हैं जैसे Kind + ness=Kindness, Truthful + ness = Truthfulness आदि। किन्तु उपर्युक्त दीनता और गरीबी के लिए अंग्रेज़ी में Poor और Poverty बना है जो मूल शब्द में (Suffix) जोड़ने पर बना है, ऐसा कहना कठिन है। Poverty काफी हद तक Poor से उनमुक्त लगता है, जबकि Red से Redness में स्थिति हिंदी जैसी है। Milk से Milky, किन्तु हिंदी में दूध से दुधिया होता है।

शब्द निर्माण को लेकर हिंदी में समास की उल्लेखनीय भूमिका है जो संस्कृत से हिंदी में आया है। जल और वायु = जलवायु (Climate के लिए) वायु से चलनेवाला यान = वायुयान (Aircraft के लिए) जल का पान जलपान, (Breakfast के लिए), प्रयोग के लिए प्रयोगशाला (Laboratory के लिए), जैसी शब्द निर्माणक स्थितियां अंग्रेजी में नामुमकिन हैं। अनुवाद के विद्यार्थी के लिए हिंदी व्याकरण के संधि तथा समास का प्रकरण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उसके बिना वे शब्दार्थ के भव्य प्रसाद में प्रवेश ही नहीं कर सकते।

2. रूप रचना :

रूप रचना में मुख्य रूप से कारकीय रूप रचना और क्रिया रूप रचना के विषय आते हैं। एक ही शब्द **लड़का** से **लड़के** वचन के कारण रूप बनता है— अर्थात् एक लड़का, तीन लड़के। पुन: कर्ताकारक का चिह्न 'ने' जोड़ने से भी **लड़का** शब्द का रूप बदलकर **लड़के** हो जाता है।

1. वह लड़का बोला।	1. वह लड़की बोली।
2. उस लड़के ने कहा।	2. वह लड़की ने कहा।

ध्यातव्य है कि **लड़की** में कारक चिह्न (ने) से कोई अंतर नहीं आया। संबंध कारक के कारण **लड़के की मां**, अधिकरण कारक के कारण उस **लड़के में अनेक विशेषताएं** जैसे रूप बनते हैं। पुन: बहुवचन होने की दशा में **को, में, का, के लिए** जैसे चिह्नों के जुड़ने से रूप रचना प्रभावित होती है :

1. लड़कों को बुलाना है।
2. लड़कों में मोहन लंबा है।
3. लड़कों के लिए कपड़े बनवाने हैं।
4. लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता।

पुन: हिंदी के अन्य पुरुष एकवचन **वह** के लिए अंग्रेजी के **Third Person singular number** में **he, she,** it तीनों का प्रयोग होता है। **उसका भाई**–हिंदी की इस रूप रचना के लिए अंग्रेजी में **His brother** और **Her brother** दोनों लिख सकते हैं। क्रिया की रूपरचना संबंधी निम्नलिखित उदाहरण देखें :—

1. मोहन खाएगा — Mohan will eat
2. सीता खाएगी — Sita will eat
3. लड़के खाएंगे — Boys will eat
4. लड़कियां खाएंगी— Girls will eat

अर्थात् हिंदी के क्रियारूप **खाएगा, खाएगी, खाएंगे, खाएंगी** अलग-अलग हैं, किंतु अंग्रेजी में चारों क्रियारूपों के लिए will eat ही लिखा जाता है। इसी तरह **He is doing his work, She is doing her work** तथा **They are doing their works** इन तीनों वाक्यों में आए His work, her work, their works के लिए हिंदी में **अपना काम** ही लिखेंगे। रूप रचना की दृष्टि से और भी अनेक उदाहरणों से स्रोतभाषा और लक्ष्यभाषा के रूप में अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया जा सकता है। **पापी पेट, खूँखार आतंकवादी, डबडबाई आँखें, शराशर झूठ, ठसाठस भीड़, घोर अन्याय, सरेआम डकैती, चिलचिलाती धूप, सरसराती वसंती हवा**

जैसे उदाहरण हिंदी संरचना की विशिष्टता दर्शाते हैं। इनके अंग्रेजी पर्याय संभव है उतने गत्यात्मक (Dynamic) और प्रभावपूर्ण न हों।

अंग्रेजी और हिंदी के मुहावरे तथा लोकोक्तियां रूपरचना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके अनुवाद में भी रूप रचनात्मक विशेषताएं होती हैं :

1. Far-flung areas : दूर-दराज के क्षेत्र
2. Scorching rays : चिलचिलाती धूप
3. Twinkling stars : टिमटिमाते तारे
4. Hustle and Bustle : शोर-शराबा
5. Day-light dacoity : दिन-दहाड़े डकैती

उपर्युक्त प्रकार की रूप-रचनात्मक विशेषताएं कई बार अनुवाद की देन होती हैं जिसे अनुवाद की सर्जनात्मक भूमिका कहना चाहिए।

3. वाक्य रचना

वाक्य रचना में सबसे अधिक व्यतिरेक अन्वय को लेकर मिलता है। अन्वय अर्थात् वाक्यात्मक संरचना ही किसी भाषा का स्वत्व होती है। भाषा का व्याकरण मुख्यत: वाक्यात्मक संरचना का नियमन करता है। हिंदी में लड़का प्रतिभाशाली है और लड़की प्रतिभाशालिनी है—ऐसा लिखते हैं, किंतु अंग्रेजी में विशेषण पर लिंग (Gender) का प्रभाव नहीं पड़ता है।

The boy is brilliant.

The girl is brilliant.

वाक्य में क्रिया का स्तर हिंदी के अन्वय और अंग्रेजी के अन्वय को अलग-अलग रीति से प्रभावित करता है। अंग्रेजी में क्रिया (verb) कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार बदलती है—

1. He is reading (Third Person और Singular)—वह पढ़ता है।
2. They are reading (Third Person और Plural) —वे पढ़ते हैं।
3. I am reading (First Person और Singular) —मैं पढ़ता हूँ।
4. We are reading (First Person और Plural)—हम लोग पढ़ते हैं।

किंतु हिंदी में क्रिया का रूप कभी तो कर्ता के अनुसार और कभी कर्म के अनुसार बदलता है—

1. राम ने आम खाया। (Ram ate mango)
2. राम ने रोटी खाई। (Ram ate roti)

यहां **खाया** और **खाई** रूपों का कारण **कर्म** (क्रमश: आम और रोटी) है। कर्ता के स्थान पर 'राम' के बजाए 'सीता' लिखें तब भी वाक्य के अन्य अवयव नहीं बदलेंगे।

हिंदी में ऐसे उदाहरण भी होते हैं जब क्रिया, कर्म अथवा कर्ता दोनों से मुक्त होती है :—

1. राम से चला नहीं जाता।
2. सीता से चला नहीं जाता।

ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। हिंदी के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को अंग्रेजी में क्रमश: Active Voice और Passive Voice कहते हैं। भाववाच्य हिंदी की अपनी विशेषता है।

- भाषा की वास्तविक पहचान उसकी वाक्य रचना से होती है। हिंदी वाक्यों पर कर्मकारक के चिह्नकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी और हिंदी के व्यतिरेकी अध्ययन में रुचि रखनेवालों के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि :

1. यदि कर्म प्राणिवाचक संज्ञा हो तो उसके बाद को चिह्न लगाना आवश्यक होता है। जैसे—

(क) उसने बाघ को मारा।

(ख) राजा ने ब्राह्मणों को गायें दी।

(ग) लोग लड़की को देखने आए।

3298 HA/05-7

किंतु, उसने कुर्सी तोड़ दी, उसने फूल तोड़ लिया जैसे वाक्यों में क्रमश: कुर्सी और फूल के बाद को का प्रयोग गलत होगा। इन वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में ऐसी कोई बात नहीं होती।

2. उसको पढ़ना होगा। पथिक को दूर जाना है। अमर को जाना पड़ेगा। रवि को आना चाहिए। इन वाक्यों में स्पष्ट है कि क्रिया के मूल रूप (अर्थात् ना वाले रूप) के बाद यदि है, पड़ेगा, होगा, चाहिए—यह चार आएं तो कर्ता के साथ को चिह्न लगेगा।

3. आपको मिठाई अच्छी लगती है। उसको फ़िल्म बुरी लगी। सभी को लड़की पसंद आई—इन वाक्यों में पसंद होना, अच्छा लगना, बुरा लगना जैसी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग होने पर कर्ता के साथ को चिह्न लगता है।

गलत प्रयोग	सही प्रयोग
1. उसको बुलाओ।	उसे बुलाओ।
2. मुझको जाना है।	मुझे जाना है।
3. हमको सुबह जगना चाहिए।	हमें सुबह जगना चाहिए।
4. तुमको कहां जाना है?	तुम्हें कहां जाना है?

उपर्युक्त वाक्य (3) हमें सुबह जगना चाहिए को अंग्रेजी में We should get up early in the morning लिखा जाता है। स्पष्ट है कि हिंदी वाक्य के एक शब्द सुबह के लिए early in the morning चार शब्द लिखे गए हैं। अंग्रेजी के Prepositions और Articles हिंदी में अनुवाद करते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनसे संबंधित व्यतिरेकी अध्ययन मज़ेदार हो सकता है।

1. He is going to Patna.
   वह पटना जा रहा है।

2. He is known to me.
   वह मेरा परिचित है।

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में Prepositions का अनुवाद नहीं हुआ है।

4. प्रोक्ति (Discourse)

प्रोक्ति वाक्यों की ऐसी व्यवस्था है जो संप्रेषण की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण इकाई होती है। इसमें अनेक वाक्य संरचना की दृष्टि से परस्पर संबद्ध होते हैं। भाषा वैज्ञानिकों की राय है कि किसी कहानी, उपन्यास या महाकाव्य का एक भाग भी प्रोक्ति हो सकता है और वह पूरी रचना या पूरा महाकाव्य भी प्रोक्ति हो सकता है। स्पष्ट है कि प्रोक्ति भाषा अध्ययन की दृष्टि से वाक्य के ऊपर की इकाई है। प्रोक्ति की रचना के लिए एकाधिक वाक्यों को परस्पर जोड़ना आवश्यक है। किंतु प्रत्येक भाषा में वाक्यों को परस्पर जोड़ने के नियम एक जैसे नहीं होते; उनमें व्यतिरेक होता है। उदाहरण :

"चंद्रशेखर रोज सुबह आता है। अख़बार पढ़ता है। चाय पीता है। कुछ गपशप करता है। काम पड़ने पर दोपहर से पहले जाता है। कई बार दोपहर का भोजन यहीं करता है। शाम को घर वापस आता है।" इस पूरी वाक्य व्यवस्था में कर्ता चंद्रशेखर केवल पहले वाक्य में आया है। बार-बार नहीं आकर भी सभी क्रियाओं से उसका संबंध जुड़ा रहता है। अंग्रेजी के वाक्यों में ऐसा नहीं हो सकता। अंग्रेजी में प्रोक्ति के सभी वाक्यों के साथ कर्ता लगाना पडेगा।

स्पष्ट है कि अनुवाद और उसका विषलेषण वास्तव में दो भाषाओं के व्यतिरेक का अध्ययन है। व्याकरण की दृष्टि से व्यतिरेकी विषलेषण वस्तुत: स्रोत भाषा और लक्ष्य/भाषा का संपूर्ण अध्ययन हो सकता है। यह विषय बहुत ही व्यापक है। इस लेख को व्यतिरेकी विषलेषण के व्यापक प्रकरण से परिचय का एक संक्षिप्त प्रयास मात्र समझना चाहिए। ○

कलम का सिपाही : प्रेमचंद

—गिरधारी लाल विजयवर्गीय*

"मैने उनको जब से देखा, उनमें किसी प्रकार की कटुता नहीं दिखी। सहज निश्चल व्यक्ति थे। सहज जैसे एक ग्रामीण होता है वेश-भूषा में भी रहन-सहन में भी और विचारों में भी इतने ऊंचे थे कि उस युग का कोई भी उनके कंधे तक नहीं पहुंचता था। उनकी लेखनी में उपदेश नहीं होता था वरन् संदेश की भावना निहित थी।"

सुविख्यात लेखिका और साहित्यकार महादेवी वर्मा की ये बेबाक पंक्तियां उपन्यास सम्राट नवाब राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व का लेखा-जोखा करने के लिए काफी है। सच भी है प्रेमचंद जैसे कहानीकार व उपन्यासकार अपने जन्म के 125 वर्ष बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं। भले उनको इस दुनिया से गए हुए 70 वर्ष हो गए मगर उनको होरी व धनिया आज भी रह-रहकर याद आते हैं। भौतिकवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, प्रकृतिवाद व सौंदर्यवाद पर तो लिखने वाले बहुत मिल जाएंगे मगर गोदान, गबन, कफन, रंगभूमि, कर्मभूमि व निर्मला पर तो प्रेमचंद जैसे बिरले ही लिख पाए। आज भी कहीं न कहीं भारत के किसी ग्राम में धनिया की चीत्कार सुनने को मिल जाएगी, रंगभूमि का सूरदास कहीं न कहीं किसी पूंजीपति द्वारा बनाए गए मिल (कारखाने) के नीचे दबी अपनी छोटी सी जमीन की रिहाई के लिए आंसू बहा रहा होगा। अगर कोई चीज इस समय नहीं है तो वह है कलम और उस कलम का सिपाही।

करीब 300 से अधिक कहानियों व एक दर्जन से अधिक उपन्यासों की रचना करने वाले मुशी प्रेमचंद सही मायने में साधारण जीवन जीने वाले व उच्च कोटि के विचारों वाले व्यक्ति थे। प्रेमचंद को याद करना इस दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं कि उन्होंने बेमिसाल उपन्यासों व कहानियों की रचना की, अपितु इस संदर्भ में भी याद करना ठीक होगा कि अपने प्रारंभिक जीवन में जिस कदर वे संघर्षों व दुखों की भट्टी में जले और फिर बाद में साहित्य पटल पर सोना बनकर चमके। वह मार्क्सवाद व गांधीवाद से प्रभावित अपनी प्रारंभिक साहित्यिक लेखनी में प्रेमचंद ने तात्कालिक समय में व्याप्त हर प्रकार की बुराइयों पर जमकर प्रहार किया। चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो, सामंतवादी अराजकता हो या फिर अंग्रेजी शासन की नीति। अपनी हर कहानी व उपन्यास के अंत में वे कहीं न कहीं, कोई न कोई संदेश अवश्य छोड़ते हैं। मजे की बात तो यह है कि उनकी कथा का पात्र कोई विलायती बाबू या पढ़ा-लिखा नौजवान नहीं होता था बल्कि उनकी रचना का नायक गांव का होरी, सूरदास, जीखू होता था जो न तो पढ़ा-लिखा होता था और न ही कोई पेशेवर व्यापारी। वह तो सहज, निश्चल और सीधा-साधा होता था। उनके पात्रों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे वह किसान, मजदूर, श्रमिक, पंडे, महाजन हो या राजे-महाराजे, जमींदार, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, नेता, समाज सुधारक, पत्रकार हो। विशेषकर उपेक्षित व शोषित वर्ग को जो स्थान साहित्य व समाज में प्रेमचंद ने दिलाया वह भी अनुकरणीय है।

यहां एक ओर दिलचस्प पहलू प्रेमचंद का यह है कि वे साहित्य संसार में उर्दू से हिंदी में आए। उन्होंने

*3326, जयलाल मुंशी का रास्ता, चौथा चौराहा, चांदपोल बाजार, जयपुर-302001

शुरू के 15 वर्षों तक उर्दू में लेखन किया। बाद में हिंदी भाषा को नवाब राय ने जो ऊंचाइयां प्रदान की, वह तो जग-जाहिर है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म गीतकार और निर्माता-निर्देशक गुलजार ने दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर ''तहरीर'' नाम से प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाओं पर आधारित एक शृंखला पेश की, जिसकी प्रस्तुति बेहद सराहनीय, प्रभावशाली व उत्कृष्ट रही। इस संदर्भ में स्वयं गुलजार कहते हैं कि ''मैं प्रेमचंद के साहित्य से तब से परिचित हूं, जब वे उर्दू में लिखा करते थे। दूसरी बात यह है कि उनकी कृतियों में हमारे देश की उस सामाजिक जीवन की सबसे विश्वसनीय छवि है जिसमें यथार्थ की एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। तीसरी बात यह कि उनकी लेखनी यानि कि गद्य मुझे उसी तरह अच्छा लगता है, जैसे की गालिब की शायरी।''

अब हम यहां मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं का विवेचन करेंगे—

प्रारंभिक जीवन और अभूतपूर्व संघर्ष— 31 जुलाई, 1880 को बनारस के ग्राम लमही में जन्में प्रेमचंद का बचपन भले ही नटखट शरारतों में बीता मगर 8 वर्ष की आयु की दहलीज पर कदम रखते ही जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस दौरान मां आनंदी चल बसी और कुछ समय पश्चात् पिता मुंशी अजायबलाल श्रीवास्तव ने दूसरी शादी कर डाली। यहां भी नवाब राय को सौतेली मां द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। 16 वर्ष की अवस्था में पिता भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। 17 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद का पहला विवाह कर दिया गया। इस दौरान दो भाइयों और पत्नी की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, सो पहली शादी के 10 साल बाद उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया।

अत: यहां कहा जा सकता है कि इन सारी परिस्थितियों ने मिलकर प्रेमचंद को अभूतपूर्व संघर्षों की आग में झोंक दिया। इन सब का उल्लेख स्वयं प्रेमचंद ने अपने लेख ''जीवन सार'' में किया है। 1896 में मिशन स्कूल से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी युवावस्था के प्रारंभिक दिनों से मुंशी प्रेमचंद घर की माली हालत देखकर पांच रुपए मासिक पर ट्यूशन कर गुजारा करने लगे। बाद में 18 रुपए मासिक वेतन पर उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। मगर जल्दी ही यह नौकरी भी छोड़कर सन् 1900 में बहराइच के सरकारी जिला स्कूल में 20 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापक की नौकरी की। इसी समय नवाब राय की साहित्यिक लेखनी की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी और उनके लेख उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं ''जमाना'' व ''सरस्वती'' में प्रकाशित होने लगे थे।

प्रेमचंद के प्रेरणा-स्रोत—प्रेमचंद को बाल्याकाल से ही पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था। प्रारंभ में उनकी शिक्षा-दीक्षा एक मौलवी साहब के सान्निध्य में हुई। यहीं से उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ उर्दू, अरबी व फारसी का ज्ञान पाया। जिस समय प्रेमचंद ने साहित्य लेखन आरंभ किया उस दौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्र प्रेम की लहरें उफान पर थी। गांधी जी के अहिंसा व असहयोग आंदोलन ने नवाब राय को बहुत प्रभावित किया। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में देशभक्ति से ओत-प्रोत अनेक लेख लिखे। दूसरी ओर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र-प्रेम संबंधी विचारों से तो वे गद्गद् हुए बिना नहीं रह सके। इस संदर्भ में मासिक पत्रिका ''जमाना'' में 1908 में उन्होंने एक लेख भी लिख डाला। मार्क्सवाद से तो प्रेमचंद विशेष रूप से प्रभावित थे, जिसकी झलक उनकी रचना ''मिल

मजदूर'' में देखने को मिलती है। विदेशी लेखकों व साहित्यकारों से भी वे अछूते नहीं रहे। अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्होंने रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन, अमरीकी साहित्य पढ़ डाला। इनमें टाल्स्टाय, माक्सिम गोर्की, कुप्रिन, तुर्गनेव, डिकिन्स, रोमा रोला, बर्नाड शॉ, गल्सवर्दी, मेटरलिंग की रचनाएं प्रमुख थी। उक्त में से माक्सिम गोर्की से तो प्रेमचंद इतने प्रभावित हुए कि 1935 में उनकी मृत्यु पर वे विकल हो उठे।

लेखन की शुरूआत—वरिष्ठ आलोचक व साहित्यकार डा. नगेंद्र की पुस्तक ''हिंदी साहित्य का इतिहास'' के संदर्भ में देखें तो ज्ञात होगा कि सन् 1900 में ''सरस्वती'' के प्रकाशन के साथ ही कहानियों का दौर शुरू हो चुका था। इस अवधि में अनेक पत्र-पत्रिकाएं राष्ट्रीय सामाजिक व राजनैतिक चेतना में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही थी। नवाबराय उर्फ मुंशी प्रेमचंद भी कहां पीछे रहने वालों में थे। पढ़ने के बेहद शौकीन प्रेमचंद की पहली प्रकाशित रचना ''ओलिवर क्रामवेल'' (उर्दू) है, जो उूर्द साप्ताहिक आवाज-ए-खल्क में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई। ''जमाना'' के संपादक दयानारायण निगम से मुलाकात के बाद तो प्रेमचंद ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा ओर यहीं से उनके साहित्यिक जीवन में नया मोड़ आया। जमाना में प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास ''हमखुर्मा'' व ''हमसवाब'' छपा। इस दौरान उनके अन्य साहित्यिक मित्रों नौबतराय ''नजर'', दुर्गासहाय ''सरूर'', प्यारेलाल आदि के साथ अच्छी महफिल जमती। इस काल में प्रेमचंद के जितने भी लेख व रचनाएं प्रकाशित हुई, वे सब ''नवाब राय'' के नाम से प्रकाशित होते थे, न कि प्रेमचंद के नाम से। वो भी एक या दो साल नहीं बल्कि पूरे 15 वर्ष। शुरू के 15 वर्षों में उर्दू में लिखने के पश्चात् नवाबराय हिंदी भाषा में आए। यहां दयानारायण निगम की चर्चा करते हुए यह बताना उचित होगा कि निगम ने ही नवाबराय को ''प्रेमचंद'' नाम दिया था, जो आगे चलकर इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग नवाबराय या धनपत राय को भूल गए, याद था तो बस मुंशी प्रेमचंद। यहां एक आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रेमचंद ने दयानारायण निगम से मित्रता नहीं तोड़ी और सुख-दुख में उनके हिस्सेदार रहे।

प्रेमचंद की पत्रकारिता—जब प्रेमचंद के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा हो रही हो, तो उनकी यशस्वी और समाज सेवा से सराबोर बहुमूल्य पत्रकारिता को कैसे भुलाया जा सकता है। वैसे प्रेमचंद की पत्रकारिता भी कम संघर्षपूर्ण नहीं थी। सन् 1900 में ''जमाना'' और ''सरस्वती'' जैसी पत्रिकाओं के अस्तित्व में आने के बाद प्रेमचंद की स्वतंत्र पत्रकारिता का दौर शुरू हो गया था। इस समय तक उनकी ''प्रेमा'' और ''रूठी रानी'' रचनाएं प्रसिद्धि पा चुकी थी। वैसे प्रेमचंद की पत्रकारिता को असली रंग उस समय चढ़ा जब वे जमाना के संपादक दयानारायण निगम के संपर्क में आए। उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह ''सोजेवतन'' (1908) जमाना में प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध जमकर लिखा, मगर जल्दी ही उन्हें अंग्रेज सरकार का कोप भाजन भी बनना पड़ा। इसी के चलते सोजेवतन की बची-खुची प्रतियां आग में झोक दी गईं। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।

बाद में सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी को सोजेवतन की प्रति भेजी और यहीं से प्रेमचंद—द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ। कुछ समय के लिए पैसों को लेकर प्रेमचंद की निगम से अनबन हो गई थी मगर वे जमाना में लिखते रहे। इसी दौरान वे ''स्वदेश'' व ''मर्यादा'' में भी बराबर लिखते रहे। प्रेमचंद ने अपने चचेरे भाई व कुछ साहित्यिक मित्रों के सहयोग से खुद की प्रेस शुरू करने का मानस

3298 HA/05-8

बनाया, मगर व्यवसाय की प्रकृति न होने के कारण उन्हें घाटा उठाना पड़ा और प्रेस बंद करनी पड़ी। इसके बाद उन्हें नौकरी के लिए फिर दर-दर भटकना पड़ा और लखनऊ जाकर गंगा पुस्तक माला प्रकाशन में कार्य प्रारंभ किया। यहां उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कहानी ''शतरंज के खिलाड़ी'' और नाटक'' 'कर्बला'. लिखा, जो आगे चलकर काफी प्रसिद्ध हुए।

एक बार फिर गंगा प्रेस छोड़कर सपरिवार बनारस आए और अपनी प्रेस पुन: खोलने की सोची। मगर फिर घाटा लगने की वजह से ''माधुरी'' पत्रिका मे नौकरी की किंतु कुछ माह बाद ही यह नौकरी भी छोड़नी पड़ी। प्रेमचंद ने फिर तीसरी बार प्रेस दुबारा शुरू करने की सोची और जयशंकर प्रसाद के सुझाव पर ''हंस'' नाम रखकर पत्रिका शुरू की, जिसका प्रथम अंक 10 मार्च, 1930 को निकाला। इसके ठीक दो वर्ष बाद सन् 1932 में विनोद शंकर व्यास का ''जागरण'' पत्र अपने हाथ में लिया मगर बदकिस्मती से यहां भी प्रेमचंद को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और हंस और जागरण दोनों ही पत्र बंद करने पड़े। जागरण के लिए तो उन्होंने संपादकीय ''जागरण की समाधि'' भी लिखा। इस प्रकार प्रेमचंद स्वयं की पत्रिकाएं तो निकालने में पूरी तरह से सफल तो नहीं हो सके मगर इस अवधि में उनकी कहानियां व उपन्यास अन्य पत्र-पत्रिकाओं में बराबर छपते रहे और प्रसिद्धि पाते रहे। नवाब राय ने हिंदी पत्रकारिता को जो मान-सम्मान दिया, वह वास्तव में अनुकरणीय है।

कहानियों, उपन्यासों व अन्य लेखन पर चर्चा—तीन सौ से अधिक कहानियां, दर्जन भर उपन्यास, नाटक,जीवनी, अनुवाद, न जाने कितने ही लेख संग्रह, बाल साहित्य, चिट्ठी-पत्री लिखना वाकई अपने आप में एक मिसाल है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संख्या की दृष्टि से तो प्रेमचंद साहित्य अमूल्य है ही, परन्तु इन सभी रचनाओं में जो गुणवत्ता, मौलिकता, प्रासंगकिता व जीवंतता दिखाई देती है, वह भी हिंदी साहित्य के लिए अनमोल है। प्रेमचंद की एक-एक कहानी व्यक्ति के मन को ही नहीं झकझोरती अपितु समाज व देश की आत्मा को भी हिला देने वाली है। उनका एक-एक पात्र आदि भी अमर है।

प्रेमचंद की पहली प्रकाशित रचना उर्दू में ''ओलिवर क्रामवेल'' है, जोकि ''आवाज-ए-खल्क'' में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी। पहला उर्दू उपन्यास ''हम खुर्मा व हम सवाब'' तथा इनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह 1908 में ''सोजेवतन'' दोनों ही ''जमाना'' में छपे। 1910 के जमाना के ही दिसंबर अंक में उनकी पहली हिंदी कहानी ''बड़े घर की बेटी'' प्रकाशित हुई। उर्दू में काफी कुछ लिखने के पश्चात् प्रेमचंद ने हिंदी में लिखने का मन बनाया और उनका प्रथम हिंदी कहानी ''सप्त-सरोज'' छपा, जिसमें बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा, आदि प्रकाशित हुए। उनका प्रथम श्रेष्ठ उर्दू उपन्यास सेवासदन (उर्दू में बाजारे-हुस्न) था। इसी दौरान नवाब राय के ''प्रेमाश्रम'' तथा ''रंगभूमि'' भी प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद के उपन्यासों में किशना, प्रेमा, वरदान, रूठी रानी, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, कर्मभूमि, मंगल-सूत्र (अधूरा) आदि प्रसिद्ध रहे। इनमें ''गोदान'' अंतिम महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। जिसको लिखने व प्रकाशित होने में पूरे तीन वर्ष लगे। कहानी संग्रह की चर्चा करें तो सप्त-सरोज, प्रेम-प्रतीज्ञा, प्रेम-प्रसून, प्रेम-प्रमोद, अग्नि-समाधि आदि रहे तथा कहानियों में ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, हीरा-मोती, ईश्वरीय, दुर्गा का मंदिर, प्रेम-कुंज, प्रेम-पंचमी, समर यात्रा, सप्त-सुमन, पांच फूल, मानसरोवर (आठ भागों में) लैला और अन्य कहानियां गुप्त धन (दो भागों में) प्रमुख रहीं। इसी

प्रकार नाटकों में संग्राम, कर्बला व प्रेम की वेदी, जीवनी में महात्मा शेखसदी, राम चर्चा, दुर्गादास प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने बाल साहित्य, अनुवाद व लेख भी प्रचुर मात्रा में लिखे।

आज भी अमर हैं पात्र—यह सही है कि जितनी प्रसिद्धि प्रेमचंद की कहानियों व उपन्यासों को मिली, उससे अधिक लोकप्रियता इनकी रचनाओं के पात्रों ने हासिल की। वास्तव में प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र आज भी अमर हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी नवाब राय ने होरी, धनिया, सूरदास, मीठुआ, धीसू, जीखू आदि पात्रों को अपना नायक बनाया, जोकि एकदम निर्धन परिवार से ताल्लुक रखने वाले व सहज-निश्चल ग्रामीण हैं। प्रेमचंद की हर कहानी व उपन्यास में पात्रों की जो विविधता दिखाई देती है, वह सराहनीय है। उन्होंने सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया। इस संबंध में प्रख्यात कथाकार—आलोचक विजयमोहन सिंह की ये पंक्तियां सही प्रतीत होती है—"उनकी रचनाओं में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता है। उनमें यदि किसान, मजदूर, पंडे, पुरोहित, सेठ-महाजन, साहूकार आदि हैं तो राजे-महाराजे, ताल्लुकदार, जमींदार, उद्योगपति, डाक्टर, वकील, समाज-सुधारक, नेता, पत्रकार आदि भी कम नहीं हैं। वर्गों और विभिन्न पेशों का प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या और भी आगे बढ़ाई जा सकती है क्योंकि उनमें चमार, लोहार, बढ़ई, खटीक, हरिजन, खोमचेवाले और न जाने कितने पेशे वाले चरित्र शामिल हैं।"

वास्तव में प्रेमचंद के ये सभी पात्र अपनी-अपनी विशेषता लिए हुए हैं। किसी कहानी में न किसी विशेष पात्र का एकाधिकार है, ना ही आधिपत्य अपितु सभी अपनी-अपनी भूमिकाएं सहज ढंग से निभाते हैं। इस संदर्भ में वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी रविभूषण की यह मार्मिक टिप्पणी द्रष्टव्य है—"गोदान के अंत में धनिया नहीं बल्कि भारत माता पछाड़ खाकर गिरी थी। उस समय ब्रिटिश शासन था। स्वतंत्र भारत के 59 वर्षों में और मुख्य रूप से 21वीं सदी में भारत *माता* कहां और किन हालातों में रह रही है, क्या यह हमें नहीं जानना चाहिए।"

प्रेमचंद रंगमंच पर—अब तक प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट कहानियां व उपन्यास पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तकों तक ही सीमित थे मगर समय ने करवट बदली। अब उनकी रचनाओं के पात्र रंगमंच पर चलते-फिरते और बोलते नजर आए। यह देखकर प्रेमचंद भी प्रसन्न हुए कि उनके पात्र जीवित हो उठे हैं। अनेक पेशेवर और गैर-पेशेवर कला संस्थाओं द्वारा प्रेमचंद के नाटकों कहानियों व उपन्यासों को रंगमंच पर उतारा गया। इनमें "'बड़े भाईसाहब', "मोटेराम का सत्याग्रह", "शतरंज के खिलाड़ी", "गबन", "गोदान", "कफन" प्रमुख रहें। इनमें नाटक "मोटेराम का सत्याग्रह" में जहां आधुनिक समाज पर प्रकाश डाला गया, वहीं दूसरी फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह द्वारा निर्देशित "शतरंज के मोहरे" में पूंजीवादी व सामंतवादी व्यवस्था की भौतिकवादी सुविधाओं की खुल कर तस्वीर पेश की गई। इसी प्रकार एम के रैना द्वारा निर्देशित "गोदान" और सुरेंद शर्मा द्वारा तैयार "रंगभूमि" भी सराहनीय रहा। इसके अतिरिक्त "कफन" और "पंच-परमेश्वर" तो न जाने कितनी बार थिएटर में मंचित हुए। हालांकि इससे प्रेमचंद का साहित्य जन-जन तक आसानी से सुलभ हो सका मगर आज भी यह दुःख का विषय है कि रंगकर्मी व कला निर्देशक प्रेमचंद के साहित्य को उतना सामने नहीं ला पाए, जितना कि उसे आना चाहिए। आज भी अधिकांश प्रसिद्ध कला निर्देशकों का रुझान प्रेमचंद की तरफ कम और मध्यम वर्गीय परिवार की सोच, उनके रहन-सहन फैशन परस्ती जिंदगी की तरफ ज्यादा रहा है। अच्छा तो यही होगा कि वे इस संकुचित सोच से थोड़ा ऊपर उठकर होरी व धनिया के गांव में जाकर उनकी सुध लें।

प्रेमचंद पर्दे पर—रंगमंच के बाद सिनेमा के बड़े पर्दे पर प्रेमचंद का साहित्य जब सामने आया तो एकबारगी तो प्रेमचंद भी धोखा खा गए। उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी किसी रचना को इस तरह फिल्माया जाएगा। अपनी रचना ''मिल-मजदूर'' को फिल्म के रूप में देखकर प्रेमचंद अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। परंतु जल्दी ही उनका यह भ्रम टूट गया। जब वे फिल्मों को माया नगरी मुम्बई में तीन वर्ष रहकर वापिस अपने गांव लमही लौट आए। ऐसा माना जाता है कि फिल्मों में नायिकाओं की अश्लीलता और निर्माता-निर्देशकों का कड़ा अनुबंध आदि बातों ने प्रेमचंद को बहुत झकझोरा।

प्रेमचंद के वापिस लौटने के पश्चात भी उनकी रचनाओं ''सेवा-सदन'', ''गोदान'', ''हीरा-मोती'', ''गबन'', ''सद्गति'', ''शतरंज के खिलाड़ी'' आदि को बड़े पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से साथ उतारा गया। मगर यहां भी प्रेमचंद के साहित्य से ज्यादा उक्त फिल्मों के निर्माता-निर्देशकों को अधिक वाह-वाही मिली। इस बिंदु का कड़वा पहलू यह भी है कि उस दौर में फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रेमचंद के साहित्य पर फिल्म बनाने से कतराते थे, क्योंकि उन लोगों को डर था कि कहीं किसी बड़े स्टार को होरी-धनिया के रूप में पेश कर दिया गया तो उनकी इमेज न बिगड़ जाये। फिर भी इस संबंध में ''कफ़न'' को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाले प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक मृणाल सैन कहते हैं कि—''मुंशी प्रेमचंद इस युग के महत्वपूर्ण और पिछली शताब्दी के अन्यतम लेखक थे। उनमें गजब की संवेदनशीलता थी। कफन उनकी उत्कृष्ट कहानियों में से एक है।''

प्रेमचंद कैनवास पर—टीवी, रंगमंच और फिल्मी पर्दे पर अपनी आभा बिखेरने के बाद प्रेमचंद के साहित्य को अनेक जाने-माने चित्रकारों ने कैनवास पर भी रंगों में उकेरा। इन चित्रों के माध्यम से उस युग की जो तस्वीर पेश की गई उसमें प्रेमचंद का साहित्य वास्तव में जीवंत हो उठा। इनमें अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन व सतीश गुजराल ने प्रेमचंद की कहानी ''शतरंज के खिलाड़ी'' को लेकर पेंटिंग्स बनाई। इसके अतिरिक्त वीर मुंशी, अर्पणा कौर, हकू शाह, गोपी गजवाणी, नंद कत्याल, सबा हसन, पार्थिव शाह जैसे चित्रकारों ने प्रेमचंद की 125वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में उनके साहित्य में विभिन्न रंग भरे।

प्रेमचंद के साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद—बिंदु पर चर्चा करते हुए हमें थोड़ी निराशा हाथ लगेगी क्योंकि प्रेमचंद के साहित्य का अब तक जितना भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है वह कम है, फिर चाहे वह भाषा गुजराती, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी हो या फिर जर्मन व जापानी हो। इस संबंध में डा. कमल किशोर गोयनका की पुस्तक ''प्रेमचंद चित्रात्मक जीवन'' के अनुसार वर्ष 1928 का समय प्रेमचंद के साहित्य के अुनवाद का प्रारंभिक समय रहा।

उनकी पुस्तक के मुताबिक उस युग के गुजराती लेखक जगमोहन हरिलाल पारीख ने प्रेमचंद से उनकी रचनाओं की मांग की। इसी प्रकार जापान की पत्रिका ''केजो'' में प्रेमचंद की रचना ''मुक्ति मार्ग'', ''सेईडो नोमीची'' के नाम से प्रकाशित हुई। इधर जर्मनी में हिंदी के प्रो. ताराचंद राय ने भी मुंशी प्रेमचंद से रचनाएं मांगी। इधर भारत में भी अंग्रेजी मासिक पत्रिका ''मार्डन रिव्यू'' में भी प्रेमचंद साहित्य को पूरा स्थान मिल रहा था। अंग्रेजी में अनुवाद की बात करें तो गोदान, निर्मला (दो बार) ''गबन'' सेवा सदन के अंग्रेजी अनुवाद हुए हैं और लगभग 80 से 90 कहानियों का भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ है।

प्रेमचंद का बाल साहित्य—धनपतराय उर्फ मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानीकार-उपन्यासकार के रूप में ही प्रसिद्धि नहीं पाई बल्कि एक सच्चे शिक्षक के

रूप में भी अपनी उज्जवल छवि को बनाए रखा। अपने प्रारंभिक संघर्ष के दिनों में उन्हें शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। शायद यही वजह रही कि कुछ ही वर्षों में बच्चों को पढ़ाते -पढ़ाते उनका बाल साहित्य की ओर रुझान हुआ। प्रेमचंद ने बाल साहित्य में अपने बचपन की नटखट शरारतों व अपने जीवन के बारे में उल्लेख किया है। "कुत्ते की कहानी" रचना में उन्होंने अपने जीवन के मार्मिक अंश, बचपन की अठखेलियां छेड़छाड़, शरारत आदि का जिक्र किया है। तो दूसरी ओर "कलम के सिपाही" में शरारती मगर एक अच्छे निशानेबाज होने का खुलासा किया है। इसी प्रकार "होली की छुट्टी" में उन्होंने अपनी मां के नाना के घर जाने पर ढेर सारा गुड़ खा जाने का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य बाल साहित्य में "चोरी" "कजाकी" "रामलीला" "गुल्ली डंडा" भी प्रमुख हैं।

साहित्यिक दुनिया से विदाई—आज भी सहसा विश्वास नहीं होता कि प्रेमचंद को गए 70 साल हो गए। मगर हमें संतोष भी होना चाहिए कि उनकी कहानियों व उपन्यासों के रूप में एक अमूल्य निधि हमारे पास है। यह शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि प्रेमचंद ने अपनी साहित्यिक यात्रा अभूतपूर्व संघर्षों में की मगर साथ ही उन्हें अंत तक शारीरिक रोगों से भी दो चार होना पड़ा। कमल किशोर गोयनका की पुस्तक के अनुसार 6 जून 1936 को लमही गांव में प्रेमचंद को पहली खून की उल्टी हुई। इसके ठीक एक माह पश्चात उन्हें पुनः खून की उल्टी हुई और धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ ले जाया गया मगर कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय उनके पास जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद पोद्दार, बैजनाथ केडिया, दयानारायण निगम, जैनेंद्र कुमार, नंददुलारे वाजपेयी, वाचस्पति पाठक जैसी उस युग की साहित्यिक हस्तियां मौजूद थी। किंतु होनी को कौन टाल सकता था सो अंततः 8 अक्टूबर 1930 को मुंशी प्रेमचंद उर्फ नवाब राय इस साहित्यिक दुनिया को अलविदा कह गए।

वास्तव में प्रेमचंद की क्षति अपूरणीय है। एक ऐसा कहानीकार व उपन्यासकार जो जीवन पर्यंत खुद संघर्ष करता रहा लेकिन उसने अपनी लेखनी से भारत की मूल कृषि संस्कृति की रक्षा की। उन गरीब व अनपढ़ ग्रामीणों की आवाज को उठाया जो पूंजीवादी, सामंतवादी व महाजनी व्यवस्था के शिकार थे। वे एक जमीनी साहित्यकार थे, जिसे भौतिकवादी चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं था। वे प्रायः फर्श पर बैठकर ही साहित्य लेखन किया करते थे। वे साहित्य को भीड़-भाड़ व आयोजनों से दूर रखना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने स्वयं 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन में कहा था—

जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यहां तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मुहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ में है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेंगी। ❐

हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है।

—शंकरराव कप्पीकेरी

3298 HA/05-9

आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका रचना संसार

—अमरेंद्र कुमार मिश्र*

हिंदी साहित्य को जिस समय ऐसे प्रकाशपुंज की आवश्यकता थी कि उस प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो एवं सर्वसाधारण उसे अपनी अनुभूति बना सके, ऐसे ही काल में आचार्य शुक्ल जी का प्रादर्भाव हुआ और उन्होंने अपने आलोक से हिंदी साहित्य को यथेष्ट प्रकाश प्रदान किया।

इनका जन्म सन् 1884 ईसवी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगौना नामक ग्राम में हुआ तथा स्वर्गवास सन् 1941 ईसवी में वाराणसी में हुआ। शुक्ल जी की कृतियाँ एकत्र नहीं मिलतीं। सन् 1908 तक शुक्ल जी के प्रारंभिक लेख और कविताएं आनंद कादंबिनी, सरस्वती, समालोचक आदि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं और अंग्रेजी के 'दी इंडियन पीपुल' और एक्सप्रेस अखबार तथा हिंदुस्तान रिव्यू और मार्डन रिव्यू नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। 1908 के बाद की रचनाएं नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका, माधुरी, सुधा, वीणा आदि पत्रिकाओं में छपी हैं। सुविधा के लिए उनकी कृतियाँ गद्य, पद्य, संपादन, अनुवाद, स्वतंत्र रचना और अंग्रेजी लेख इन छह भागों में बाँट दी गई हैं। जिनके निर्माण के काल का निश्चय नहीं हो सका, उनके सामने प्रश्न का चिह्न लगा दिया गया है।

गद्य :

(1) **हास्य विनोद (प्रहसन)** (1896) शुक्ल जी की यह पहली कृति 12वें वर्ष में लिखी गई थी। इसकी रोचकता ही इसके विनाश का कारण हुई और सहपाठियों ने इसे पढ़ते-पढ़ते फाड़ डाला। (2) **पृथ्वीराज (नाटक)** (1897) भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर शुक्ल जी ने पाँच अंकों का ऐतिहासिक नाटक लिखना प्रारंभ किया था। 1898 में इसके दो अंक लिखकर शेष पूरा करके प्रकाशित करने के लिए रख छोड़ा था। पूरा होने के पहले ही यह कहीं खो गया। (3) **संयोगिता स्वयंवर (नाटक)** यह भी पृथ्वीराज के समान ऐतिहासिक नाटक था और उसी की तरह पूरा होने के पहले गायब भी हो गया। (4) **भाषा का विस्तार** (1899) इस लेख में भाषा के विविध रूपों का तात्विक विवेचन किया गया है। यह लेख आनंद-कादंबिनी में छपा था। इसे शुक्ल जी की पहली गद्य रचना कहना चाहिए। (5) **ग्यारह वर्ष का समय** (1903) यह एक छोटी सी रोचक कहानी है। इसमें एक पथिक के ग्यारह वर्ष की यात्रा आदि का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यह कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। (6) **प्राचीन भारतवासियों का पहिरावा** (1902) उस समय अंग्रेजी पढ़े-लिखे समाज में यह धारणा जोर पकड़ती जा रही थी कि प्राचीन भारतवासी नंगे रहा करते थे। उनकी अपनी कोई पोशाक न थी, इस भ्रम को दूर करने के लिये इसे प्रकाशित किया गया था। (7) **कविता क्या है** (1903) काव्य के संबंध में इस लेख में जो बातें कही गयी है वे आगे चलकर रस-मीमांसा में विकसित रूप में दिखाई देती है। यह लेख सरस्वती के अक्तूबर अंक में छपा था। (8) **हुएन सांग** (1904) हुएन सांग नामक चीनी यात्री के परिचय के लिए यह ऐतिहासिक लेख पढ़ने लायक है। यह दो खंडों में प्रकाशित हुआ था। पूर्वार्ध जुलाई में और उत्तरार्ध अगस्त में निकला। (9) **दुर्गावती** (1905) गोंडवाना

*719/1, श्याम पार्क मेन, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005

की रानी दुर्गावती पर यह सुंदर ऐतिहासिक लेख आनंद-कादंबिनी (?) में प्रकाशित हुआ था। (10) **अपनी भाषा पर विचार** (1907) लेख का शीर्षक ही अपना परिचय दे देता है। यह आनंद-कादंबिनी में छपा था। (11) **पारसियों का इतिहास** (1907) पारसी जाति का यह सुंदर और संक्षिप्त इतिहास सरस्वती में प्रकाशित हुआ है। (12) **फ्रेडरिक पिनकाट** (1908) फ्रेडरिक पिनकाट नामक एक विदेशी सज्जन के हिंदी अनुराग का इस लेख में बड़ा सुंदर वर्णन है। यह जनवरी की सरस्वती में छपा था (13) **उपन्यास** (1910) उपन्यास क्या है, यह जानने के लिये यह लेख बड़े काम का है। काशी-नागरी प्रचारिणी पत्रिका के जुलाई-अगस्त-सितंबर वाले अंक में यह प्रकाशित हुआ था। (14) **मनोविकारों पर लेख** (1912 से 1918 तक) हिंदी में मनोविकारों पर यह लेख अद्‌वितीय है। भावों का इतना सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दुनिया की बहुत कम भाषाओं में मिलेगा। इनकी कुल संख्या दस है। इन लेखों के शीर्षक हैं :—भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्‌धा, भक्ति, करूणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध ।

ये लेख नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में 1912 से 1918 तक क्रमशः प्रकाशित होते रहे। बाद में 1930 में विचार-बीथी नाम से ये प्रथम भाग में परिवर्धित रूप में प्रकाशित हुए। दार्शनिकता में सरसता इनकी अन्य दुर्लभ विशेषता है। इन पर हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने शुक्ल जी को प्रसाद पारितोषित के रूप में 1200/- का पुरस्कार दिया था। (15) **भाषा की शक्ति** (1912) नागरी प्रचारिणी सभा की जनवरी-मार्च की पत्रिका में प्रकाशित यह लेख भाषा की विविध शक्तियों का बड़ा ही सजीव और गंभीर विवेचन हैं। (16) **काव्य में प्राकृतिक दृश्य** (1922) 1918 में शुक्ल जी का नागरी प्रचारिणी से संबंध शिथिल हो गया था। शब्द सागर का संपादन समाप्त प्रायः था। 1919 में उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्‌यालय में हो गई। इसलिए अब वे पाठ्‌य पुस्तकों को प्रस्तुत करने में लग गये। परिणाम यह हुआ कि 1918 से 1922 तक उन्हें फुटकर रचनाओं का समय न मिला। यह लेख माधुरी में दो खंडों में प्रकाशित हुआ था। (17) **गोस्वामी तुलसीदास और लोकधर्म** (1923) इस लेख में गोस्वामी तुलसीदास जी के लोकधर्म-संबंधी शुक्ल जी के विचार चिंतन योग्य हैं। इनकी तुलसी की आलोचना समझने के लिए इसका ज्ञान अनिवार्य है। यह लेख श्रावण की माधुरी में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में शुक्ल जी बताते हैं—कर्म, ज्ञान और उपासना, ये लोक धर्म के तीन अवयव बहुत प्राचीन काल से समाज की स्थिति के लिए भारत में प्रतिष्ठित हैं। मानव जीवन की पूर्णता इन तीनों के मेल के बिना नहीं हो सकती। यह विकसित रूप में 'गोस्वामी तुलसीदास' में रखा गया है। (18) **भारतेंदु हरिश्चंद्र** (1928) शुक्ल जी द्‌वारा की हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह मार्मिक समीक्षा अब तक हिंदी में बेजोड़ है। (19) **हिंदी-शब्दसागर की प्रस्तावना में छपा हिंदी साहित्य का इतिहास** (1929) शुक्ल जी की प्रसिद्‌ध पुस्तक 'हिंदी साहित्य' का बीज यही निबंध है। यह नागरी प्रचारिणी सभा के हिंदी-शब्दसागर के साथ 1929 में प्रकाशित हुआ था। (20) **सभ्यता के आवरण और कविता** (1929) सभ्यता की जटिलता के साथ-साथ कविता में भी क्या-क़्या परिवर्तन होते चलते हैं। इस लेख में इसी का तात्विक विवेचन किया गया है। यह लेख आश्विन की 'सुधा' में प्रकाशित हुआ था। (21) **साधारणीकरण** (1933) साधारणीकरण किसका होता है और किस तरह होता है। इस लेख का यही विषय है। यह सभा द्‌वारा प्रस्तुत 'द्विवेदी अभिनंदन-ग्रंथ' में प्रकाशित हुआ था। (22) **व्यक्ति-वैचित्र्यवाद** (1933) व्यक्ति-वैचित्र्यवाद पर यह लेख संसार की समुन्नत भाषाओं में अपना जोड़ नहीं रखता। यह भी उक्त द्‌विवेदी-अभिनंदन-ग्रथ में प्रकाशित हुआ था। इनके अतिरिक्त शुक्ल जी के प्रसिद्‌ध लेखों में नीचे दिये गये चार लेख विशेष उल्लेख योग्य हैं। संबद्‌ध

पत्रिकाओं के न मिलने से उनके प्रकाशन का काल निश्चित न हो सका। (23) **काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था** (?) (24) **मानस की धर्मभूमि** (?) (25) **तुलसी का भक्ति मार्ग** (?) (26) **रसात्मक बोध के विविध रूप** (?)

पद्य :

(1) **भारत और वसंत** (1896)—यह भारत और वसंत के काल्पनिक संलाप का पद्यात्मक चित्रण है। यह आनंद-कादंबिनी में छपा था। इसके पहले शुक्ल जी ने हास्य-विनोद नामक एक प्रहसन लिखा, जिसे सहपाठियों ने पढ़ते-पढ़ते फाड़ डाला था।

(2) **मनोहर छटा** (1901)—यह मीरजापुर में शुक्ल जी के घर तीन कोस दक्षिण बरघाट नामक प्रपात का एक पद्यचित्र है। इसे शुक्ल जी की पहली कविता कह सकते हैं। यह अक्तूबर के सरस्वती में छपी थी। बीजरूप में इसमें वे सब गुण मौजूद हैं, जो शुक्ल जी काव्य में देखना चाहते थे।

नीचे पर्वतथली रम्य रसिकन मन मोहत।
ऊपर निर्मल चंद्र नवल आभायुक्त सोहत॥
नवल चंद्रिका छिटकि फेरिसब बनहिं प्रकासत।
निर्मल द्युति फैलाय बेगि तमपुंज बिनासत॥

(3) **वसंत** (1904)—भारत और वसंत के भाव इस कविता में दोहराये गए हैं। इसमें मनोहर छटा के उत्साह और ललक की जगह क्षोभ और विषाद लहरा रहा है। यह कविता मार्च की सरस्वती में थी।

कुसुमित लतिका ललित तरुन बसि क्यों छवि छावत।
हे रसालयन! बौरि व्यर्थ क्यों सोग बढ़ावत?
हे कोकिल! तांजि भूमि नाहिं क्यों अनत सिधारी।
कोमल रस सुनाव बैठि अजहूँ तरु डारी॥

(4) **देशद्रोह को दुतकार** (1904)—इस कविता में शुक्ल जी का देश प्रेम छलक रहा है। वे देश-द्रोह किन बातों में मानते थे, यह इस कविता से स्पष्ट है। यह 1904 में आनंद-कादंबिनी में छपी थी।

(5) **वसंत-पथिक** (?)—डॉ. श्यामसुंदरदास ने लिखा है कि शुक्ल जी ने इस शीर्ष से एक कविता लिखी थी। जब तक उस काल की पत्रिकाएं उपलब्ध न हो तब तक इसका पता लगाना कठिन है। संभव है शिशिर-पथिक के आधार पर डाक्टर साहब ने ऊपर दी हुई वसंत शीर्षक कविता को ही वसंत-पथित लिख दिया हो।

(6) **शिशिर-पथिक** (1905)—यह कविता सरस्वती के मार्च वाले अंक में प्रकाशित हुई थी। तत्कालीन सरस्वती-संपादक पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मूल कविता को संशोधित करके छापा था। इन संशोधनों पर शुक्ल जी को बड़ा दुःख हुआ। इसकी व्यंजना के लिए उन्होंने द्विवेदी जी के पास भेजने के लिये एक चित्र बनाया जिसमें सरस्वती की मूर्ति को चूर्ण करने के लिए उद्यत हाथ में गदा लिए हुए हनुमान जी का चित्र बना था। शुक्ल जी के हाथ से संशोधित इस कविता की सरस्वती की एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसी से कुछ अंश प्रस्तुत हैं, जो उस समय सरस्वती में छपा था।

विकल पीड़ित पीय पयान ते
चहुँ रहयो नलिनी-दल घेरि जो
भुजन भोंरि तिन्हैं अनुराग सों
गमन उद्यत भानु लखात है।

(7) **फूट** (1907)—यह कविता आनंद-कादंबिनी में छपी थी। इसमें भारत को गिराने वाली पारस्परिक फूट का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। (8) **प्रकृति-प्रबोध** (1923)—हिंदी में अंग्रेजी और बंगला की नकल पर छायावाद या रहस्यवाद की रंग-बिरंगी कविताओं में डूबती हुई काव्य की मर्यादा की रक्षा के लिए शुक्ल जी ने यह कविता लिखी थी। यह चैत्र की माधुरी में प्रकाशित हुई थी। इसके निकलते ही हिंदी के नवयुवक कवि और लेखक शुक्ल जी के विरुद्ध भीड़ की तरह उठ पड़े। परिणाम-स्वरूप-शुक्ल जी ने बारह वर्ष तक कमर कसकर उनका विरोध किया।

'काव्य में रहस्यवाद' और इंदौर वाला भाषण इस लड़ाई के सबसे कठिन मोर्चे थे। 'पाखण्ड-प्रतिषेध' इसकी विजय ध्वनि थी। कुछ अंश निम्नवत् हैं :—

शक्ति सिंधु के बीच भुवन को खेने वाले
गोचर गराप स्वरूप काल को देने वाले।
विश्व-विभाजक के आगम आभास मात्र पर
रहा कृष्ण अर्धांग काल का मिट तिल-तिल भर,
दृश्य-भेद है लीन जगत के जिसमें सारे
चेतन वृत्ति समेट सृष्टि है जड़ता धारे

(9) **हृदय का मधुर भार** (झलक1) (1924)— यह कविता फाल्गुन के माधुरी में छपी थी। इसमें शुक्ल जी के हृदय में दिए भावों की सुंदर अभिव्यंजना मिलती है। कुछ अंश निम्नवत् है :—

हृदय, क्यों लाद दिया यह भार
किसी देश की किसी काल की छाया का भंडार?
कहाँ लिये जाता है मुझको यह जीवन विस्तार?
उठते पैर नहीं हैं मेरे झुक-झुक बारंबार;
झाँका करता हूँ मैं तेरे भीतर दृष्टि पसार;

(10) **आमंत्रण** (1925)—कविता की सामग्री कहाँ मिल सकती है, छायावादियों को यही बताने के उद्देश्य से यह कविता लिखी गई थी। यह कार्तिक की माधुरी में प्रकाशित हुई थी। उसके कुछ अंश निम्नवत् हैं :—

दृग के प्रतिरूप सरोज हमारे उन्हें जग ज्योति
जगाती जहाँ।
जल बीच कलंब करंबित कूल से दूर छटा
छहराती जहाँ॥
घन अंजन वर्षा खड़े, तृण-जाल की झांई पड़ी
दरसाती जहाँ॥
बिखरे बक के निखरे सित पंख, बिलोक बकी
बिक जाती जहाँ॥

(11) **हर्षोद्‌गार** (1925)—यह कविता अयोध्या (फैजाबाद) के कवि सम्मेलन में पढ़ी गई थी। शुक्ल जी सम्मेलनों में भरसक नहीं जाते थे। यही एक कविता ऐसी है जिसे उन्होंने किसी कवि-सम्मेलन में कभी पढ़कर सुनाया था। यह मार्गशीर्ष की माधुरी में प्रकाशित हुई थी, उसके कुछ अंश निम्नवत् हैं :—

धन्य! यह कमनीय कोशल भूमि परम ललाम,
'गुरु प्रसाद' विभूति लहि जहँ लखत जन श्रीराम।
विमल मानस ते अभंग तरंग सरयू लाय,
विमल मानस बीच तुंग तरंग देति उठाय॥

(12) **हृदय का मधुर भोर** (झलक2)(1926)— इस कविता में शुक्ल जी ने ऊपर बढ़ते हुए छायावादियों के आक्षेपों का जवाब दिया है। यह चैत्र की माधुरी में छपी थी। इसके भी कुछ अंश निम्न हैं :—

नर भवशक्ति की अनंतरूपता है बिछी
तुझे अंधकूपता से बाहर बढ़ाने को।
चारों ओर फैले महामानस की ओर देख,
गर्त में न गड़ा-गड़ा हँस कुछ पाने को॥

(13) **गोस्वामी जी और हिंदू जाति** (1927)— यह कविता श्रावण की माधुरी में छपी थी। इसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :—

बल-वैभव-विहीन यह जाति हुई जब सारी।
जीवन-रुचि घट चली हट चली जग से दृष्टि
हमारी॥

(14) **हृदय का मधुर भाग** (झलक 2)—इस कविता में शुक्ल जी की जीवन और काव्य संबंधी धाराएं अभिव्यंजित हैं। यह श्रावण की "माधुरी" में प्रकाशित हुई थी। इसके कुछ अंश निम्न प्रकार हैं:—

गर्भ में धरित्री अपने ही कुछ काल जिन्हें
धरकर गोद में उठती फिर चाव से।

(15) **पाखंड-प्रतिषेध** (1928)—अपने विरुद्ध अनर्गल प्रचार से ऊबकर शुक्ल जी ने कविता में छायावाद या रहस्यवाद का खुलकर विरोध किया है। उसके मूल में कुठाराघात के रूप में यह कविता

3298 HA/05-10

हिंदी में अमर है। यह कविता माघ की 'सुधा' में प्रकाशित हुई थी। इसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :—

तमोमयी वासना के गर्भ में विलीन कभी
गड़े हुए आपमें जो आपको छिपाते हैं,
रूप गति-भेद का विकास लेके वही भाव
खेलते खेलाते हुए खुले चले आते हैं।

परम हृदय खुला, बना क्या ? जगत काव्य,
जगी हुई ज्योति सा जगाते जिसे पाते हैं।
यों ही खुल बाहर जो आपको बढ़ाते वे ही
हृदय पुनीत कला काव्य की दिखाते हैं।।

(16) **मधुस्रोत** (1930)—इस कविता का विषय स्मृति जनित आनंद है। यह आश्विन की "सुधा" में छपी थी। 'हृदय के मधुर भार' और 'रुपमय हृदय' के समान यह कविता भी शुक्ल जी की परिभाषा के अनुसार श्रेष्ठ काव्य का नमूना है। बाह्य जगत के साथ हृदय का यही सामंजस्य शुक्ल जी के अनुसार काव्य का आर्दश है। यहाँ शुक्ल जी अपनी सत्ता को लोकसत्ता में लीन किए हुए हैं। उनकी अनुभूति सबकी अनुभूति है।

(17) **रूपमय हृदय** (?)—इस कविता में शुक्ल जी की काव्य की धारणा मूर्तिमती होकर सामने आती है। रस-मीमांसा के पृष्ठ सात और आठ पर उन्होंने काव्य का जो परिचय दिया है उनके अनुसार यह कविता श्रेष्ठ काव्य का नमूना है।

संपादित ग्रंथ :

(1) **चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान** (1906) —शुल्क जी से इस ग्रंथ का संपादन कराके डॉ० श्यामसुंदर दास ने ज्यों का त्यों अपने नाम से छपवाया। इस बात के प्रमाण के लिए उन्होंने अपनी आत्मकि के पृष्ठ 139 पर लिख दिया है। "एक दिन पं० केदारनाथ पाठक रामचंद्र शुक्ल को मेरे पास मिलाने लाए"। मैंने उन्हें चंद्रावती की हस्तलिखित प्रति देकर कहा कि शुद्धतापूर्वक साफ-साफ नकल कर जाइये। इस ग्रंथ के संबंध से पहले-पहल मेरा परिचय पं० रामचंद्र शुक्ल से हुआ।"

(2) **भ्रमरगीत-सार** (1922) यह सूरसागर में गोपियों के भ्रमर को संबोधित करके उद्धव को दिए हुये उपालंभ के चुने-चुनाएं पद्यों का, कठिन शब्दों की टिप्पणी सहित, संपादन है। 1924 में यह सरस्वती-सदन से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में 77 पृष्ठों में सूरदास की गंभीर समालोचना देकर उन्होंने इस प्रयास को साहित्यिक महत्त्व देते हुए अपनी यह बात प्रमाणित कर दी है कि 'प्रेम का सूर सा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान और किसी कवि को नहीं।' (3) **जायसी-ग्रंथावली** (1924) सच्ची आलोचना किस तरह कवि में छिपे गुणों को प्रकाशित कर उसको चमका देती है, जायसी-ग्रंथावली के संपादन के बाद 271 पृष्ठों की भूमिका देकर शुक्ल जी ने इसका अद्भुत नमूना सामने रखा है। इस भूमिका में उन्होंने जायसी का कवि हृदय बड़ी ही सहृदयता से खोलकर रख दिया है। **(4) वीरसिंहदेव-चरित** (1926) यह केशवदास के वीरसिंहदेव-चरित का संपादन है। यह आधा ही मुद्रित हुआ है। **(5) तुलसी-ग्रंथावली** (1928) इसमें तुलसीदास जी के ग्रंथों का संपादन है। इसके संपादन में इनका साथ दिया था लाला भगवानदीन जी ने। **(6) हिंदी-शब्दसागर** (1929) इस नाम से प्रसिद्ध काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के कोश का संपादन शुक्ल जी ने 1908 से 1927 तक किया। इसके बाद इसकी प्रस्तावना में दिया हुआ 'साहित्य का इतिहास' डेढ़ वर्ष में प्रस्तुत किया। इस कोश में अनेक विद्वानों ने काम किया। शुक्ल जी के काम के लिए इसके प्रधान संपादक बाबू श्यामसुंदरदास ने लिखा है- 'यदि यह कहा जाय कि शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का श्रेय पं. रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो कोई अत्युक्ति न होगी।' एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है।

कोश ने शुक्ल जी को बनाया और कोश को शुक्ल जी ने। इस कोश में 93,115 शब्द हैं।

(7) सूरसागर (?)—शुक्ल जी सूरसागर को क्लिष्ठ ग्रंथ कहते थे। उसे समझने के लिए भारतीय दर्शन का सच्चा ज्ञान आवश्यक बतलाते थे। साथ ही भाषा के गंभीर ज्ञान के बिना उसे समझना कठिन मानते थे। उसके संपादन में जल्दी करना-वे काम बिगाड़ना समझते थे। इसी से नागरी प्रचारिणी से जिम्मा लेकर उन्होंने दो वर्ष बाद जवाब दे दिया। सभा ने तो अपना काम रत्नाकर जी, अजमेरी जी और अन्यों से कराया। लेकिन शुक्ल जी भी इस पर बराबर कुछ न कुछ लिखा करते थे। उनका विचार टिप्पणी, भूमिका और आवश्यकतानुसार व्याख्या देते हुए इसका स्वंतत्र संस्करण निकालने का था। वे कहते थे कि इसके बिना हिंदी का बड़ा कोना अंधेरा है। मरने के पहले वे करीब 150 पृष्ठों की भूमिका और 200 पदों की टिप्पणी पूरी कर चुके थे।

अनुदित ग्रंथ (गद्य) :

(1) कल्पना का आनंद (1898-99)—यह एडिसन के 'ऐसे ऑन इमेजिनेशन' का अनुवाद है। यह नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह शुक्ल जी का पहला अनुवाद है। **(2) राज्यप्रबंध-शिक्षा (?)**—यह सर टी. माधव राव के 'माइनर हिट्स' का अनुवाद है। राजकुमारों की शिक्षा और राज्य प्रबंध पर आवश्यक सलाह है। यह ग्रंथाकार प्रकाशित हुआ था। **(3) मेगस्थिनीज का भारतवर्षीय विवरण** (1906)—यह ग्रंथाकार प्रकाशित हुआ था। (4) यह अंग्रेजी के प्रसिद्ध ग्रंथ 'रिडल आफ दी यूनिवर्स' का अनुवाद है। इसमें 155 पृष्ठ की भूमिका लिखकर शुक्ल जी ने अपने गंभीर दार्शनिक-ज्ञान का पूरा परिचय दिया है। जटिल दार्शनिक तत्वों को जिस सरलता से शुक्ल जी ने इसमें व्यक्त किया है, उससे हिंदी भाषा पर उनके अधिकार का अनुमान हो जाता है। यह विशाल ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ था।

(5) शशांक (1922)—यह राखालदास वंद्योपाध्याय के इसी नाम के बंगला उपन्यास का अनुवाद है। इसमें दो अध्याय शुक्ल जी ने स्वयम् लिखकर बढ़ाए हैं। इसका कारण यह कि मूल ग्रंथ में शंशाक की मृत्यु दिखाई गई थी, पर आगे के अन्वेषण से सिद्ध हुआ है कि वह उसके अनंतर भी जी रहा था।

(पद्य) :

बुद्धचरित (1924)—यह एडविन आरनाल्ड के 'लाइट आफ एशिया' का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद है। इसकी भाषा प्रांजल और मँजी हुई है। इसमें शब्दों को शुक्ल जी ने बिना तोड़े-मरोड़े उनके तत्सम रूप में रखा है। अनुवाद में मूल ग्रंथ की त्रुटियाँ बड़ी सफाई से दूर कर दी गई हैं। पूरा अनुवाद प्रसाद गुण से लबालब है। भाषा में सुंदर गति और मधुर प्रवाह है। भूमिका में शुक्ल जी ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोलियों का जो विस्तृत विवेचन किया है, वह भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हैं। पूरा ग्रंथ पढ़ने में मौलिक ग्रंथ का सा रस मिलता है। अनुवाद की दृष्टि से यह ग्रंथ उत्कृष्ट ही नहीं अद्वितीय है। एक-एक शब्द से अनुवादक की कुशलता टपकती है।

स्वतंत्र रचनाद :

(1) साहित्य (1904)—यह लेख न्यूमैन के 'आइडिया आव् ए यूनिवर्सिटी' के 'लिटरेचर' नामक निबंध के आधार पर लिखा गया था। यह सरस्वती के दो अंकों में प्रकाशित हुआ था। पूर्वार्ध मई और उत्तरार्ध जून में छपा था। **(2) बाबू राधाकृष्णदास का जीवन चरित (1908)**—यह ग्रंथ 1908 में लिखा गया और 1913 में छपा था। **(3) आदर्श जीवन (1914)**—यह ग्रंथ 'प्लेन लिविंग एण्ड हाई थिंकिंग' के आधार पर शुक्ल जी के स्वतंत्र लेखों का संग्रह है। (4) **गोस्वामी तुलसीदास (1922)**—तुलसीदास जी का स्वरूप समझने के लिये शुक्ल जी की यह आलोचना

बहुत उपयोगी है। इसने 'सूर-सूर तुलसी शशि' की धारा को उलट कर तुलसी को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित किया। **(5) महाकवि सूरदास** (1924)—सूरदास जी पर यह आलोचना नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। **(6) हिंदी साहित्य का इतिहास** (1929)—हिंदी-शब्दसागर की प्रस्तावना 'साहित्य का इतिहास' नाम से स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुई। यह हिंदी का पहला प्रामाणिक इतिहास है। इसके जोड़ का दूसरा ग्रंथ प्रचुर सामग्रियों के इस युग में भी अभी तक न दिखाई पड़ा।

शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के क्रमिक विकास का जितना गंभीर और व्यापक ज्ञान था, उतना ही भाषा पर अधिकार भी था। सच बात तो यह है कि वे हिंदी के बड़े से बड़े भाषा-विज्ञानी को सिखा सकते थे। आलोचना-शक्ति का भी उन्होंने इस ग्रंथ में अभीष्ट उपयोग किया। इन सबका फल यह उत्कृष्ट इतिहास है।

(7) काव्य में रहस्यवाद (1929)—रहस्यवाद के रहस्य को समझने के लिए यह छोटी सी पुस्तक बड़ी उपयोगी है। इसमें उसके विविध रूपों का पांडित्यपूर्ण विवेचन है। इसमें हिंदी में फैले रहस्यवाद का अकाट्य तर्कों के दृढ़ आधार पर खंडन किया गया है। शुक्ल जी ने यह कह कर इसको लिखना प्रारंभ किया था कि 'अब छायावाद और रहस्यवाद के नाम से साहित्यिक पाखंड बहुत फैल रहा है। छायावादी बहुत बढ़-चढ़कर बक रहे हैं। उनका मुँह बंद करना है।' **(8) विचार-वीथी (1930)**—इसमें शुक्ल जी के मनोविकार-संबंधी लेखों का प्रथम संग्रह था। **(9) इंदौर वाला भाषण** (1935)—हिंदी साहित्य-सम्मेलन के 24वें अधिवेशन की साहित्य-परिषद के सभापति के पद से इंदौर में दिया हुआ भाषण। यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था। इसमें साहित्य के विविध अंगो का बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर विवेचन है। **(10) चिंतामणि (भाग-1)** (1939)—इस ग्रंथ में शुक्ल जी के नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छपे मनोविकार संबंधी लेख परिमार्जित और परिवर्धित रूप में एकत्र प्रकाशित हैं। इस पर 1939 में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने 12000 का मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया था। **(11) चिंतामणि (भाग-2)** (1939)—इसमें 'काव्य में प्राकृतिक दृश्य', 'काव्य में रहस्यवाद' और 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' (इंदौर वाला भाषण) शुक्ल जी के ये तीनों लेख एकत्र प्रकाशित हैं। **(12) त्रिवेणी** (1939)—इसमें शुक्ल जी के सूर-तुलसी और जायसी संबंधी तीन आलोचनात्मक लेख संक्षिप्त रूप में संगृहीत हैं। **(13) रस-मीमांसा** (1939)—इस ग्रंथ रत्न में 1922 तक के शुक्ल जी के काव्यशास्त्र विषयक विचारों का संग्रह है। उनके निधन के बाद बड़ी कठिनाई से जोड़कर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन करके 1949 में प्रकाशित किया। प्रस्तावना में मिश्र जी लिखते हैं—

'वे पेंसिल से लिखा करते थे—लेटे-लेटे। दीर्घकाल ने अक्षरों की रेखाएं मंद कर दीं, कुछ पृष्ठ फटकर निकल गए। सारी सामग्री इतस्तत: लेकर अस्त-व्यस्त हो गई। कुछ अंश अधूरे ही रह गए, उनकी केवल टिप्पणियाँ मात्र हैं, उनका पल्लवन न हो सका। हस्त-लिखित और मुद्रित निबंध-राशि का आड़ोलन करके किसी प्रकार अखंड़ता की स्थापना की गई।'

काव्य को शुक्ल जी मन की चीज मानते थे। उसे वे मनोनाश के बाद प्राप्तव्य ज्ञान और योग की अंतर्दशा से भिन्न बतलाते थे। इसी से उसे मनोमय कोश से ऊपर खींचना ठीक नहीं समझते थे। रसानंद को 'अलौकिक अनिर्वचनीय, ब्रह्मानंद-सहोदर' आदि कहना पसंद नहीं करते थे। वे लिखते हैं—

'काव्य की इतनी परिपूर्ण परिभाषा विश्व का कोई समालोचक अब तक नहीं दे सका है। यहीं शुक्ल जी संसार के समालोचकों में सबसे आगे बढ़ जाते हैं और उनकी रस-मीमांसा विश्व-समालोचना में अग्रणी के

(शेष पृष्ठ 44 पर)

मुक्तिबोध की फैंटेसी और "अंधेरे में" कविता

—राकेश कुमार*

प्रख्यात कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कला फैंटेसी की कला है। मुक्तिबोध का प्रखर यथार्थ बोध अपनी अभिव्यक्ति के लिए फैंटेसी को चुनता है। बाहरी यथार्थ के संपर्क से कवि के हृदय में जो प्रतिक्रिया होती है, उसमें कल्पना के योग से मुक्तिबोध ऐसे चित्र खड़े करते हैं जिनमें अद्‌भुत सौंदर्य और विलक्षणता का रोमांचक योग होता है। मुक्तिबोध की कविता में मिलने वाला वातावरण बड़ा ही अद्‌भुत है। वे अपनी कविताओं की विशाल पटभूमि पर भयानक रहस्यमता से भरपूर दिल दहला देने वाली फैंटेसी की सजीव सर्जना बड़ी बारीकी से करते हैं तथा उसमें अपनें विचारों की लड़ियां बड़ी कुशलता से पिरो देते हैं। "ब्रह्मराक्षस" और "अंधेरे में" कविताएं उनकी सफल फैंटेसी की सृजन-क्षमता की उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वस्तुत: जितना प्रखर था मुक्तिबोध का यथार्थ बोध, उतनी ही सशक्त थी उनकी फैंटेसी की रचना।

उनकी फैंटेसियों की विशेषता यह है कि वे प्याज के छिलकों की भांति पर्त-दर-पर्त खुलती चली जाती हैं, दृश्य बदलते जाते हैं और यथार्थ की सजीव छवियां सामने फिल्म की रील की तरह उद्‌घाटित होती जाती हैं। तीखा,मर्म तक चुभने वाला, तेज धार से युक्त कथ्य स्पष्ट से स्पष्टतर होता चलता है और कविता के समाप्त होते-होते सहृदय पाठक यह निर्णय नहीं कर पाता कि जिस यथार्थ से उसने अभी साक्षात्कार किया है वह फैंटेसी है या जीवंत प्रत्यक्ष सत्य। "अंधेरे में" कविता इस प्रक्रिया का एक सफल उदाहरण है।

मुक्तिबोध जिस फैंटेसी का सृजन करते हैं वह सामान्य कल्पना-जीवी कवियों की फैंटेसी से विशिष्ट होती है। इसका कारण यह है कि जहां सामान्य कल्पना-जीवी कवि कल्पना के आधार पर फैंटेसी को बुनता है, वहां मुक्तिबोध उस कल्पनात्मक फैंटेसी को प्रखर यथार्थ बोध और गहन जीवनानुभूति से जोड़ देने में भी सफल हो जाते हैं। फैंटेसी के प्रयोग से मुक्तिबोध यथार्थ चित्रण की स्थिति से बच जाते हैं तथा उनके वर्णन में मितव्ययता तथा सघनता का स्वत: ही समावेश हो जाता है।

मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी कला-सृजन प्रक्रिया की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य स्थिति है। "एक साहित्यिक की डायरी" में उन्होंने "तीसरा क्षण" लेख के अंतर्गत इस संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं-"कला का पहला क्षण है, जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है, इस अनुभव का अपने कसकते-दुखते हुए मूलों से पृथक् हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्द-बद्‌ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता। फैंटेसी को शब्द-बद्‌ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो-जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमश: विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है।"

फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती हैं। कला के दूसरे क्षण में उपस्थित फैंटेसी की इकाई में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक

*85 ए, पॉकेट 'ई', जी. टी. बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093

3298 HA/05-11

संवेदना कुछ इस तरह समायी रहती है कि लेखक उन्हें शब्द-बद्ध करने के लिए तत्पर हो उठता है।

''फैंटेसी गतिहीन स्थिर-चित्र नहीं है। उद्देश्य और उद्देश्य की दिशा के कारण ही वह गतिमय है। फैंटेसी डायनामिक होती है। कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे से उत्पन्न होते ही उसकी गतिमानता शुरू हो जाती है।''

''कला के तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जोरों से गतिमान होती है। पुरानी फैंटेसी अब अधिक संपन्न समृद्ध और सार्वजनिक हो जाती है। यह सार्वजनिकता, अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान शब्दों के अर्थ स्पंदों द्वारा पैदा होती है। अर्थ स्पंदनों के पीछे सार्वजनिक-सामाजिक अनुभवों की परंपरा होती है, इसलिए अर्थ परंपराएं न केवल मूल फैंटेसी को काट देती हैं, तराशती हैं, रंग उड़ा देती हैं, वरन् उसके साथ ही, वे नया रंग चढ़ा देती हैं, नये भावों और प्रवाहों से उसे संपन्न करती हैं, उसके अर्थ-क्षेत्र का विस्तार कर देती हैं।''

''भाषा फैंटेसी को काटती-छांटती है और इस प्रक्रिया के विपरीत फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध भी करती है। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नये अर्थ-अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार, कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निस्संदेह महान कवि है।''

''भाषा, परंपरा के रूप में, फैंटेसी के मूल रंग को विस्तृत कर देती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंग के निर्वाह के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए, भाषा पर दबाव लाती है, उसके शब्दों और मुहावरों में नयी अर्थवत्ता, नयी अर्थ-क्षमता, नयी अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है।''

''इसलिए कलाकार को यह महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था, वह पूर्ण रूप से न कह सका और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में, उसे मालूम नहीं था कि कह जाएगा।''

फैंटेसी के माध्यम से काव्य की सृजन प्रक्रिया का इतना विस्तृत और सारगर्भित विवेचन मुक्तिबोध की अंतर्दृष्टि की गहन पैठ का प्रतीक है। ऊपर से देखने पर फैंटेसी एक शैली मात्र लगती है, काव्यानुभूति को अभिव्यंजित करने का माध्यम भर ज्ञात होती है। लेकिन मुक्तिबोध के उपर्युक्त विचार यह सिद्ध करते हैं कि वे फैंटेसी का व्यापक अर्थों में प्रयोग करते हैं।

मुक्तिबोध ने एक स्थान पर लिखा है कि ''अपने स्वयं के शिल्प का विकास केवल वही कवि कर सकता है, जिसके पास अपने निज का कोई ऐसा मौलिक विशेष हो, जो यह चाहता हो कि उसकी अभिव्यक्ति उसी के मनस्तत्वों के आकार की, उन्हीं मनस्तत्वों के रंग की, उन्हीं के स्पर्श और गंध की ही हो।'' यह बात मुक्तिबोध पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। मुक्तिबोध का शिल्प उन्हीं के मनस्तत्वों के अनुरूप विकसित हुआ है।

समग्रत: मुक्तिबोध की काव्य-संवेदना के भाषिक रूपांतरण के विभन्न पहलुओं का विवेचन-विश्लेषण करने के उपरांत सहज ही यह निषकर्ष निकाला जा सकता है कि मुक्तिबोध अपनी काव्यानुभूति के अनुरूप शिल्प का निर्माण करने में सक्षम एक ऐसे कवि हैं जो अपनी रचनाओं की भाषिक संरचना के प्रति अत्यंत सजग हैं। वे शिल्प के प्रचलित प्रतिमानों को ग्रहण करते हुए उन्हें नयी अर्थवत्ता देते हैं तथा उसका विकास करते हैं। मुक्तिबोध का शिल्प बृहद् आयामी है। मुक्तिबोध यदि भाषा बिंब, प्रतीक आदि का सक्षम प्रयोग करते हुए अपने शब्द कौशल का प्रमाण देते हैं तो लंबी नाटयात्मक कविताओं द्वारा अपनी अनुभूति की व्यापकता तथा भाव-सामर्थ्य की पहचान कराते हैं। यथार्थ को उसकी संपूर्णता में रूपायित करने के लिए फैंटेसी का प्रयोग करते हैं तथा उसे शिल्प का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान बना देते हैं। यह उनकी शिल्प

दक्षता का ही प्रमाण है। निस्संदेह मुक्तिबोध नयी कविता के एक श्रेष्ठ और प्रखर काव्य शिल्पी हैं तथा उनकी कविताएं उनके उत्कृष्ट काव्य-शिल्प की जीवंत कलाकृतियां हैं।

''अंधेरे में'' आत्म साक्षात्कार के द्वंद्व की पारदर्शी कविता है। जीवन की गतिमानता का एक पक्ष आत्म-संघर्ष में है, जिसे मुक्तिबोध ने अपनी अंतिम कविता ''अंधेरे में'' में अत्यंत भस्वरता के साथ उभारा है। यह संघर्ष दो स्तरों पर चलता है। इसका एक पक्ष व्यक्ति के मनोजगत् के संघर्ष का है तो दूसरा पक्ष समाज की विभिन्न स्थितियों से संघर्ष का है। ''अंधेरे में'' कविता में मध्यमवर्ग के उस व्यक्ति के आत्म-संघर्ष को उभारा गया है जो एक ओर समाज की अव्यवस्था, उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करना चाहता है पर दूसरी ओर वह अपनी सुविधाओं को छोड़ भी नहीं पाता। एक ओर वह संघर्ष से प्रेरित होकर ''रक्तालोक-स्नात-पुरुष'' बनना चाहता है किंतु दूसरी ओर उसे कमजोरियों से भी लगाव है। पर इसके साथ ही उसकी दूसरी स्थिति यह है कि—

''डरता हूं उससे
वह बिठा देता है तुंग शिखर के
ख़तरनाक, खुरदरे कगार-तट पर
शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको।
कहता है—पार करो पर्वत संधि के गहवर
रस्सी के पुल पर चलकर
दूर उस शिखर—कगार पर स्वयं ही पहुचो।,
अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा,
मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से
बजने दो सांकल !''

''अंधेरे में'' कविता का मूल प्रतिपाद्य इसी द्वंद्व का चित्रण है जो हमारे समाज के मध्यमवर्गीय व्यक्ति के सुविधाजीवी और आदर्शजीवी मन के बीच हुआ करता है। मन की दुविधा बड़ी स्वाभाविक है। मध्यमवर्गीय मन सदैव सामंजस्य स्थापित करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति सब कुछ सहेजने की होती है।

''अंधेरे में'' कविता में अंधेरे की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ''अंधेरे'' को समझे बिना कविता पकड़ में नहीं आ सकती। वस्तुतः कविता में ''अंधेरे'' की भूमिका दो स्तरों पर है। प्रथम और स्थूल स्तर पर तो यह कविता को एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जो रहस्यमय, भयावह है तथा जिसमें कवि-इच्छित वस्तुओं को पूर्ण मूर्तता के साथ उभारने में भी सफल होता है। दूसरे स्तर पर यह अंधेरा सामाजिक अव्यवस्था तथा व्यक्ति मन की निविड़ता को प्रकट करता है।

इस कविता का आरंभ किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंधेरे कमरे में, हृदय के अंधकार में, चक्कर काटते हुए किसी अनजान, अनपहचाने व्यक्ति से होता है जिसके पैरों की चाप तो सुनाई देती है किंतु वह स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है। उसके अस्तित्व का संकेत तो मिलता है किंतु उससे साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है—

''जिंदगी के ...
कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर
कोई एक लगातार
आवाज़ पैरों की देती है सुनाई
बार-बार, बार-बार
वह नहीं दीखता ... नहीं ही दीखता ...।
किंतु वह रहा घूम''

यहीं से दुविधा आरंभ होती है। वस्तुतः यह ''रक्तालोक-स्नात पुरुष'' दो हैं। एक ओर यह जिंदगी के कमरों के अंधेरे में चक्कर लगाता है, दूसरी ओर शहर के बाहर के तालाब की लहरियों में उसका चेहरा फैला है तथा जो वाचक को द्वार पर अंदर आने के लिए सांकल बजा रहा है। इस तरह स्पष्ट है कि ''रक्तालोक-स्नात पुरुष'' दो हैं—एक अंदर है, दूसरा बाहर। अब प्रश्न उठता है कि यह रक्तालोक-स्नात पुरुष है कौन ? इसका परिचय क्या है ? वाचक से

इसका क्या संबंध है ? वाचक को आरंभ में भ्रम होता है कि वह मनु है। बाद में वाचक स्वीकार करता है:—

''वह रहस्यमय व्यक्ति
अब तक न पायी गयी मेरी अभिव्यक्ति है,
पूर्ण अवस्था वह
निज संभावनाओं, निहित प्रभाओं, प्रतिभाओं की,
मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव,
हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह,
आत्मा की प्रतिमा।''

मुक्तिबोध ने इस ''रक्तालोक-स्नात पुरुष'' के प्रतीक के माध्यम से सामाजिकता और कविता को अभेद रूप में संगठित कर दिया है जो संपूर्ण कविता में आद्यंत विद्यमान है। इस कविता से मुक्तिबोध की यह धारणा सामने आती है कि मनुष्य की पूर्ण संभवानाएं तभी प्रकट होंगी जब कविता सामाजिकता को ग्रहण कर ले और समाज, कविता या कला को अंगीकार कर ले।

कविता में आया अंधेरा कई बातों की ओर संकेत करता है। एक तो यह कि समाज में अव्यवस्था का अंधेरा फैला हुआ है। अत: अंधेरे के दूर होने का मतलब सामाजिक कुव्यवस्था का दूर होना है। दूसरी ओर यह अंधेरा कवि के मन में छायी उस अमूर्तता व अस्पृश्यता को भी व्यंजित करता है जो कविता लिखने से पहले, सृजन प्रक्रिया के आरंभ में होती है। जैसे सृष्टि के पहले प्रलय होती है, पंच-भूत बिखरे होते हैं, उसी तरह कविता की सृष्टि से पहले कवि के मन में भी प्रलय होती है। इस तरह मुक्तिबोध के कवि की संवेदना भी अंधकार से घिरी हुई है।

कविता में आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया ''वह'' और ''मैं'' के बीच चल रही है। ''रहस्यमय रक्तालोक-स्नात पुरुष'' ही ''वह'' है, जिसे पाने के लिए ''मैं'' को अपनी कमजोरियों से लगाव है:—

''पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव,
हाथों से महसूस करता हूं दिशाएं
सांसों से अनुभव करता हूं दुनियां,
मस्तक अनुभव करता है आकाश
दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज''

* * * *

''आत्मा में भीषण
सत्-चित-वेदना जल उठी, दहकी।''

अब ''मैं'' की आत्मा में ''सत्-चित-वेदना'' जल उठी है। उसमें वेदना से युक्त सकर्मकता का समावेश हो गया है। उसे एक मूल-मंत्र मिल गया है कि संसार में जो कुछ है उसे ग्रहण करो, पीड़ा-करुणा को स्वीकारो और सहानुभूतिपूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण करो।

वाचक जब यह सोच रहा होता है, तभी दृश्य बदलता है और उसे अंधेरे में डूबे शहर के मध्य में से जुलूस आता दिखाई देता है जिसमें शहर के अनेक सम्माननीय व्यक्ति, जिनमें आलोचक, विचारक, कवि, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान, जनरल, ब्रिगेडियर आदि शहर के कुख्यात बदमाश ''डोमा जी उस्ताद'' के साथ दिखाई पड़ते हैं। वाचक उस जुलूस को देखता है। उसकी प्रतिक्रिया है—

''यहां ये दीखते हैं भूत-पिशाच काय।
भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब
साफ उभर आया है,
छिपे हुए उद्देश्य
यहां निखर आये हैं
यह शोभा-यात्रा है किसी मृत्यु-दल की।''

जुलूस में सम्मिलित ये सभी लोग दिन के उजाले में बड़े सम्माननीय होते हैं किंतु रात के अंधेरे में उनकी कलई खुल गई है और उनके अंदर का छुपा विकृत रूप उभर आया है। यह विकृत रूप उसी तरह से प्रकट हो गया है जैसे किसी शांत सरोवर में आलोड़न होने

पर उसके तल में जमी कीचड़ ऊपर उभर आती है। यह जुलूस सामाजिक अव्यवस्था को मूर्त करता है।

''वाचक'' ने सभ्य लोगों के इस जुलूस को देख लिया है । उनकी असलियत जान ली है। प्रभावशाली सभ्य लोगों की असलियत जान लेना साधारण जन के लिए अपराध है। इसीलिए ''वाचक'' को जोकि एक सामान्य जन है जुलूस में से एक शोर उठता मालूम पड़ता है और वह पसीने से सराबोर हो भागता है। उसका स्वप्न टूट गया। वह जाग्रतावस्था में पहुंच अंधेरे में देखे चेहरों को याद करने लगता है या कि उसे वे याद आने लगते हैं। वह इस जुलूस को देख लेने के परिणामों के बारे में विचार कर रहा है । उसे पता चल गया है कि...

''गहन मृतात्माएं इसी नगर की
हर रात जुलूस में चलतीं,
परंतु, दिन में
बैठती है मिलकर करती हुई षडयंत्र
विभिन्न दफ्तरों-कार्यालयों, केन्द्रों में,
घरों में।
हाय, हाय। मैंने उन्हें देख लिया नंगा,
इसकी मुझे और सज़ा मिलेगी।''

समाज की अव्यवस्था पर इससे प्रखर व्यंग्य और क्या हो सकता है। तथाकथित सांस्कृतिक वर्ग के कार्य-कलापों का कच्चा चिट्ठा यहां वाचक ने खोला है। वाचक जो अपनी जाग्रतावस्था में विचार कर रहा था फिर से स्वप्न की दुनिया में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि सेना ने सड़कों को घेर लिया है। किसी संभावित जन-क्रांति के दमन के लिए शहर में ''मार्शल लॉ'' लग गया है। सभी लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। वाचक को लगता है कि कोई उसका भी पीछा कर रहा है और वह भी दुहराता है.....

''भागता मैं दम छोड़,
घूम गया कई मोड़।
कहीं आग लग गई,
कहीं गोली चल गई''

ये पंक्तियां कविता में बार-बार आती हैं जो कवि की अस्थिर और रहस्यमयी सोच का प्रतीक है। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि कवि मानसिक रूप से डरा हुआ है तथा साथ ही साथ वह सामाजिक रूप से असुरक्षित भी महसूस करता है। भागते हुए वाचक को ''अंधकार-स्तूप-सा भयंकर बरगद'' दिखाई देता है जो सभी उपेक्षितों, वंचितों, गरीबों का घर है। वाचक भी यहां शरण लेने जाता है। इस बरगद के नीचे ''एक सिर-फिरा जन'' रहता है, जो ''पागल'' है। वस्तुत: यह पागल वाचक का आदर्शवादी समझौता न करने वाला निरीह मन है, जो वाचक के आत्म साक्षात्कार के क्षण में प्रकट हुआ है। यह पागल एक गीत गाता है जिसमें वह वाचक या कि आज के मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी की सुविधा लोलुपता, अवसरवादिता की कलई, खोलता है।

''ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे
सिद्धांतवादी मन,
अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया!!
उदरम्भरि बन अनात्म बन गए,
भूतों की शादी में कनात से तन गए;
किसी व्यभिचार के बन गए बिस्तर,
दुखों के दागों को तमगां सा पहना,
अपने ही खयालों में दिन रात रहना,
असंग बुद्धि व अकेले में सहना,
जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर. . . ''

आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वाचक भूमि की सतहों के नीचे छिपी ''अंधियारी प्राकृत गुहा'' में पहुंच जाता है जहां वह ''तिमिर भेदने वाले पत्थर, मणि तेजस्क्रिय रेडियो-एक्टिव रत्न'' देखता है। वस्तुत: वाचक अपने मन की भीतरी सतहों में धंसता है जहां उसे अपनी आदिम इच्छाएं, कामनाएं ही रत्न और पत्थरों के रूप में मिलती हैं, जिनका

3298 HA/05-12

वाचक ने अपनी वास्तविक जिन्दगी में दमन किया था। वह स्वीकार करता है...

"हाय, हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया।
लोक हित क्षेत्र से कर दिया वंचित
जनोपयोग से वर्जित किया और
निषिद्ध कर दिया
खोह में डाल दिया।"

वाचक विवेकयुक्त होने के बाद ही तिलक, गांधी की मूर्ति तक पहुंचता है। तिलक की मूर्ति की नासिका से बहते खून को देख कर वाचक विचलित हो जाता है। उसमें "आत्म संशोधन" की भावना पैदा होती है। तिलक की पाषाण प्रतिमा उसे इसकी प्रेरणाा देती है। गांधी जी द्वारा वाचक को प्रदत्त शिशु ऐतिहासिक दायित्व का प्रतीक है। नये युग की आने वाली पीढ़ी का प्रतीक है।

वाचक प्रखर रूप से कार्यशील हो गया है, उसने कर्म करने का संकल्प कर लिया है। इसीलिए उसे अपने जैसे अन्य लोगों की आवश्यकता महसूस होती है। वह उनकी खोज में लग जाता है। इस सक्रिय सार्थकता के आते ही वाचक का "आततायी सत्ता" द्वारा दमन आरम्भ हो जाता है—

"पकड़ कर कालर गला दबाया गया।
चांटे से कनपटी टूटी कि यह क्या त्वचा उखड़
गयी गाल की पूरी।"

* * * *

"स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता
क्रास एक्जामिन हिम थॉरोली!!"

पर वाचक अब संकल्प की वह चट्टान बन चुका है जिस पर किसी भी प्रकार के दमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाचक का एक रूप "कवि" का भी है इसीलिए वह अपने काव्य सृजन के प्रति भी सकर्मता से युक्त है। वाचक इन सारी स्थितियों से जूझना चाहता है, अत: वह निश्चय करता है . . .

"अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे
उठाने ही होंगे।
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब।
पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार
तब कहीं देखने मिलेंगी हमको
नीली झील की लहरीली थाहें
जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता
अरुण कमल एक..."

यह "अरुण कमल" क्या है, यह मानव सौंदर्य के पूर्ण विकास का प्रतीक है। उसके पूर्ण आदर्शों, सम्भावनाओं का प्रतीक है। इसके साथ ही साथ यह अरुण कमल भाषा के उस रूप का भी प्रतीक है जो अपनी ताजगी में अप्रतिम है, जिसे मुक्तिबोध प्राप्त करना चाहते हैं।

इस स्थिति तक पहुंच कर वाचक खतरे उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वह आगे बढ़ता है किंतु एक विचित्र बात होती है कि वाचक जितना भी आगे बढ़ता है उतना ही वह "पश्चात् पद" रहता है। वह अपने आसपास के लोगों को देखता है। वाचक अंधेरी गलियों में भागता जा रहा है कि कोई उसे "गुप्त पर्चा" दे जाता है। वाचक उसे पढ़ता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है—

"आश्चर्य।
उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व
दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव
पीड़ाए जगमगा रही हैं"

पर्चा पढ़ने पर वाचक को अपने व्यापक प्रभाव का पता चलता है। वह अपने को "सर्वत्र सचेत उपस्थित" पाता है। वाचक समाज को पूर्णत: बदल देने की बात करता है। क्रांति अवश्यंभावी है और क्रांति होती है। क्रांति होते ही अव्यवस्था के नियामक लोग चुप साध बर बैठ गये। उनके ख्याल से क्रांति की बात ही गप है, किंवदंती है और "रक्तपायी वर्ग से नाभिनाल–

बद्ध ये सब लोग" "भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गये" और जन क्रांति की ज्वालाएँ पूर्ण तेजी के साथ भभकने लगती हैं। वेदना की नदियाँ बहने लगती हैं जिसके जल में जैसे सदियों से होने वाले श्रमिकों के शोषण की पीड़ा बह निकली है।

यह व्यक्ति "रक्तालोक स्नात पुरुष" वाचक के "परिपूर्ण का आविर्भाव" है। उसे प्राप्त किए बिना वाचक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वह "निज संभावनाओं, निहित प्रभाओं, प्रतिभाओं की पूर्ण अवस्था है। वह वाचक की परम अभिव्यक्ति है, उसका गुरु है, वाचक उसका शिष्य है। लेकिन वाचक को वह मिल नहीं सकता क्योंकि यह रक्तालोक स्नात पुरुष अब—"

"जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल
वह फटे हाल रूप!
तड़ितरंगीय वही गतिमयता,
उद्विग्न ज्ञान तनाव वह
सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता
वही फटेहाल रूप!!
परम अभिव्यक्ति
अविरत घूमती है जग में
पता नहीं जाने कहां, जाने कहां
वह है।"

अब वह "रक्तालोक-स्नात-पुरुष" तिलस्मी खोह में निर्वासित होकर वहीं रहता है। वह जगत की गलियों में विचरण करता है। फटेहाल वह पहले भी था और अब भी है लेकिन अब उसमें "उद्विग्न ज्ञान का तनाव और सकर्मक प्रेम की अतिशयता" भी है। अब वह व्यष्टि न रहकर समष्टि में परिवर्तित हो गया है। वह जन-जन में घुल मिल गया है। इसीलिए वह मिल नहीं पाता है। वाचक अपनी "निजता" में उसे नहीं पा सकता इसलिए अब वह हर गली, हर सड़क, हर चरित्र में यानि कि सर्वत्र अपनी "आत्म संभवा अभिव्यक्ति" को खोजता फिर रहा है, जिसे डॉ. नामवर सिंह "अस्मिता की खोज" कहते हैं—

"खोजता हूं पठार-पहाड़ समुंदर,
जहां मिल सके मुझे
मेरी वह खोयी हुई
परम अभिव्यक्ति अनिवार
आत्म संभवा।"

अंतर्मन की तिलस्मी गुहा में निवास करने वाले इस "रहस्यमय रक्तालोक स्नात पुरुष" को जगत की गलियों, पहाड़ों पर सामान्य जनों के बीच ले आना ही इस कविता की परिणति है, सिद्धि है। फैंटैसी के ताने-बाने से बुनी यह स्वप्न कथा कवि या वाचक के मानसिक जगत में घटित होती है। यह "रक्तालोक स्नात पुरुष" वाचक की "परम अभिव्यक्ति" है, जो जन-जन में घुलमिल गयी है। अर्थात् कवि की अभिव्यक्ति केवल कवि की न रहकर सबकी बन गयी है। "स्व" का "पर" में अंतर्भाव हो गया है। ममत्व-परत्व की भावना जाती रही है। वाचक अपनी अभिव्यक्ति को पाने के, शोधने के उपक्रम में, उसे खो देता है। पर क्या सचमुच वह उसे खोता है? शायद नहीं। नहीं, इसलिए क्यों "वाचक" की यह अभिव्यक्ति पहले जीवन के स्रोत से कटी होने के कारण निरर्थक थी। अब उसमें, जन-जन में मिल जाने के बाद, सकर्मकता आ जाने के बाद, सार्थकता का समावेश हो गया है। कवि अभिव्यक्ति की सार्थकता इसी में है कि वह सबकी अनुभूति की अभिव्यक्ति बन सके। यही काव्य का सत्य है, उसकी उपलब्धि है। मुक्तिबोध ने इसी कविता में "रक्तालोक-स्नात पुरुष" के माध्यम से अनेक अर्थमयी संकेत दिए हैं। "रक्तालोक-स्नात पुरुष" मनु मानवीय संस्कृति के विकास के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले पुरुष का प्रतीक है। वह हम सबके अंतर्मन में विद्यमान है। वह बाहर भी है। बाहर से—यानि समाज से हमारे मन में आकर वह हमें सक्रिय, सकर्मक बनाता है। अंतर्मन में बैठा हुआ यह पुरुष सकर्मक हो बाहर अभिव्यक्ति पाता है।

मुक्तिबोध की यह कविता उनके ''चांद का मुंह टेढ़ा है'' संग्रह की ही सबसे महत्वपूर्ण कविता नहीं है, वरन् उनके अब तक के उपलब्ध काव्य साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कविता का महत्व इस बात से भी आँका जा सकता है कि मुक्तिबोध के काव्य पर लिखने वाले अधिकाँश विद्वान आलोचकों ने अपने-अपने विचार इस कविता पर व्यक्त किये हैं।

''चांद का मुंह टेढ़ा है'' की भूमिका में शमशेर सिंह लिखते हैं, ''यह कविता देश के आधुनिक जन-इतिहास का, स्वतंत्रतापूर्व और पश्चात् का-एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकाँक्षा नस-नस इसमें फड़क रही है—और भावनाओं के अनेक स्तरों पर''।

डॉ. प्रभाकर माचवे, पिकासो की विश्व प्रसिद्ध कलाकृति ''गोएर्निका'' के समकक्ष मानते हुए इसे 'गोएर्निका इन वर्स' कहते हैं। डॉ. नामवर सिंह ''अंधेरे में'' को नयी कविता की चरम उपलब्धि स्वीकारते हुए इसे निराला की 'राम की शक्तिपूजा' जैसी काव्यकृति मानते हैं।

(पृष्ठ 36 का शेष)

रूप में दिखाई देती है। इस संबंध में 1955 में प्रकाशित 'डिक्शनरी आव् वर्ल्ड लिटरेरी टर्म्स' का दिया उद्धरण विचारणीय है।'हाल में आडेन ने इस सिद्धांत की पुन: स्थापना की है कि समालोचक का कर्तव्य प्राचीन संस्कृतियों के ज्ञान का विस्तार करना, पाठक को मानव जीवन का समंजस्य दिखाना, किसी कृति का अपनी अनुभूतियों से संबंध प्रकाशन और कला के सिद्धांतों का निरुपण है।'

अंग्रेजी लेख :

(1) **'ह्वाट हैज इंडिया टुडे'** (1903)—यह लेख भारतीय गुलामी और कचहरी की दासता को लक्ष्य करके लिखा गया है। यह 1903 या 1904 में 'हिंदुस्तान रिव्यू' में छपा था। इससे पढ़े-लिखे समाज में बहुत दिनों तक खासी गरमी रही। (2) **'हिंदी में धांधली'** पर अंग्रेजी लेखमाला (1904 से 1907 तक)—यह लेखमाला प्रयाग के 'द इंडियन पीपल' नामक अखबार में निकलती रही। इसमें हिंदी के लेखकों की अनेक कुरीतियों की तीव्र आलोचना है। उनके अनुवादों को अपनी रचना बताने और पराई कृतियों को नोंच-नोंच कर लेखक बनने की निंदा इन लेखकों का मुख्य विषय था। इन लेखों से हिंदी लेखकों में बहुत दिनों तक बड़ा कोलाहल रहा। (3) **अंग्रेजी में हिंदी की आलोचना** (1906 से 1908 तक)—'मार्डन रिव्यू' में आलोचनाएँ समय-समय पर छपती रहीं। (4) 50 पृष्ठों में नागरी प्रचारिणी सभा का संक्षिप्त इतिहास 1913 में शुक्ल जी ने लिखा था। यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था। (5) **'हिंदी एण्ड दी मुसलमान्स'** (1917)—1917 में सी.बाई. चिंतामणि ने हिंदी के संबंध में प्रांतीय काउंसिल में जो प्रस्ताव पेश किया था। उसका मुसलमान सदस्यों ने घोर विरोध किया था। यह लेख इसी विरोध की प्रतिक्रिया है। यह 'लीडर' अखबार के कई अकों में छपा था। (6) **'नानकॉपरेशन एंड दी नानमर्केंटाइल क्लासेज'** (1921)—गाँधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध शुक्ल जी का यह लेख बाँकीपुर (पटना) के 'एक्सप्रेस' अखबार के कई अंकों में प्रकाशित हुआ था। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी बरसों चर्चा रही। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया, परतुं उनकी आलोचनाएँ अद्वितीय हैं और वे आलोचनाओं के कारण ही हिंदी जगत के विख्यात साहित्यकार माने गए।

पर्यावरण पर प्रदूषण का आक्रमण और समस्याओं का निराकरण

—संजय चौधरी,
डॉ. नित्यानंद चौधरी*

"इस पिंण्ड पर अब जीवन का अस्तित्व मानव मात्र की दूरदर्शिता पर टिका हुआ है। आज हम प्राकृतिक संसाधनों से जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो, इसका भुगतान हमारी आने वाली संततियों को करना पड़े।" (**जेक्स एविस कोस्ट्यू**) उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि मानव-जाति के लिए आज अपने अस्तित्व का प्रश्न सर्वप्रमुख हो गया है। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन तथा विकासात्मक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रदूषण ने मानव को अपने भविष्य के प्रति आशंकित कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण का बढ़ता प्रदूषण इक्कीसवीं सदी के मानव के लिए सबसे गंभीर चुनौती बन गई है।

पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या

आधुनिक मनुष्य ने अनेक आशाओं एवं अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद के साथ नई सदी में प्रवेश किया। परंतु अन्य सभी समस्याओं से अधिक गंभीर प्रदूषण की समस्या है जिसका प्रकोप इतना व्यापक है कि पूरा विश्व आज इससे चिंताग्रस्त है। जल, थल, वायु और नभ सभी प्रदूषण के चंगुल में छटपटाते प्रतीत होते हैं तथा इसके प्रहार ने श्रव्य जगत को भी अछूता नहीं छोड़ा है। जब प्रकृति के सभी घटक तथा पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है तो इस प्रकोप से मानव का निरापद रहना नितांत अकल्पनीय ही माना जाएगा।

यह एक सच्चाई है कि पर्यावरण के प्रदूषण ने मानव के जीवन और उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला है लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि धरती पर सर्वप्रथम प्रदूषण रूपी विष को जन्म देने का जिम्मेदार भी मानव स्वयं है। मनुष्य के मानसिक धरातल पर पनपे इस रोग को वैचारिक प्रदूषण का नाम दिया गया है। मानव के स्वार्थ अर्थात् 'स्वान्तः सुखाय' की भावना तथा उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति के कारण ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा पर्या-प्रतिकूल योजनाओं की उत्पत्ति हुई। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रदूषण को बढ़ावा मिला है।

पर्यावरण-प्रदूषण की वर्तमान दशा तथा इसमें हो रही निरंतर वृद्धि ने मानव को एक संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया है। आधुनिक मानव आज एक दोराहे पर अनिश्चय की स्थिति में खड़ा है। एक मार्ग प्रकृति और पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हुए उसे उत्थान की ओर ले जाने वाला है जबकि दूसरा मार्ग प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग तथा पर्यावरणीय असंतुलन लाने वाले मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप उसे पतन की ओर प्रवृत्त करेगा। इन दोनों मार्गों में से मानव किस मार्ग को चुनेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा लेकिन यह एक वास्तविकता है कि उसके इसी निर्णय पर मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है।

*द्वारा श्री एस.एन.पी. सिंह, जे एंड के-16 बी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

3298 HA/05-13

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण

'पर्यावरण' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत हमारे चारों ओर का परिवेश अर्थात् वनस्पति, प्राकृतिक पदार्थ, जीव-जगत आदि सभी कुछ आते हैं। इन सबके बीच परस्पर सामंजस्य तथा संतुलन की स्थिति पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता करती है। वहीं पर किसी एक घटक का शोषण अथवा दुरुपयोग इस संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी है। वर्तमान युग में एक ओर प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है तो दूसरी ओर पर्यावरण का प्रदूषण अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। यह स्थिति तब है जबकि सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय संस्कृति एवं जीवन-दर्शन में प्रकृति और पर्यावरण के विभिन्न घटकों को आदरणीय मान कर इनकी पूजा-अर्चना करने की परंपरा रही है।

भारतीय मनीषियों ने प्रकृति को सर्वप्रमुख माना था तथा मानव के लिए कुछ विधान निर्धारित किए थे जिनका पालन सबके द्वारा अपेक्षित था। उन्होंने मानव द्वारा प्रकृति के अनुकूल चलने को 'धर्म' की संज्ञा दी थी तथा प्रकृति-विरुद्ध कार्यों को 'अधर्म' बताया था। अथर्वेद के कांड-4, सूक्त-3 के प्रथम श्लोक में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि प्रकृति की जीव-सृष्टि का विनाश करने वाले व्याघ्र, चोर और भेड़ियों से हमारी रक्षा हो। इतना ही नहीं, प्रदूषण की संभावना तथा इसके परिणामों का अनुमान लगाकर प्राचीन विद्वानों ने इसी श्लोक में आगे कहा कि वन्य-प्रदेश, झरने एवं वायु को प्रदूषित करने वालों से हम सुरक्षित रहें।

पर्यावरण-संरक्षण तथा प्रदूषण-निवारण जैसे विषयों की चर्चा हमारे प्राचीन साहित्य में बार-बार की गई है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने समस्त जीव-जगत को पर्यावरण से जोड़ कर देखा। यही कारण है कि प्रदूषण फैलाने वाले को उन्होंने पाप का भागी बताया। महर्षि चरक ने भी अपनी संहिता के विमान स्थान के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में विस्तारपूर्वक बताया है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ऋतुएं अपने शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि धर्मों से च्युत होने लगेंगी। पृथ्वी के रस सूखने लगेगें जिससे औषधीय पौधे अपने प्रभाव से वंचित होने लगेंगे। पदार्थ, मिट्टी आदि अपने सामान्य गुण, धर्म, रंग, गंध, स्वाद, स्पर्श आदि से विपरीत पाए जाएंगे। 'चरक संहिता' में वर्णित इन भविष्य-कथनों को आज हम वास्तविकता में घटित होता देख रहे हैं जिसका एकमात्र कारण मनुष्य का स्वार्थपूर्ण आचरण तथा उसकी अविवेकपूर्ण गतिविधियां हैं।

अनियोजित विकास और पर्यावरण का प्रदूषण

न्यूटन के सिद्धांत—'हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है' को यदि हम मानवीय विकास के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि अनियोजित विकास के प्रतिक्रिया-स्वरूप पर्यावरणीय असंतुलन की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में मानव द्वारा किए गए विकास को देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव ने जितना विकास किया है, उससे कहीं अधिक मात्रा में प्रदूषण का विस्तार किया है। विकास कार्यों के लिए आज जिस प्रकार से धरती की प्राकृतिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है, उसके कारण पर्यावरण पर सबसे अधिक कठोर प्रहार हुआ है। यह भी एक वास्तविकता है कि मानव द्वारा फैलाया गया सर्वव्यापी पर्यावरण-प्रदूषण आज मानव के लिए ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है।

अनियोजित विकास परियोजनाओं तथा अविवेकपूर्ण मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मनुष्य को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए साफ पानी तथा खाने के लिए शुद्ध भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। शहरों में भारी जनसंख्या-घनत्व तथा यहां से निकलने वाले घरेलू एवं औद्योगिक उत्सर्ग एवं वाहनों के उत्सर्जन के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। उधर, गांवों की स्थिति भी इन शहरों से भिन्न नहीं है। कृषि-कार्य

में रासायनिक खाद तथा कीटनाशियों के प्रयोग में वृद्धि से मिट्टी प्रदूषित हो रही है तथा इसकी उर्वरता में कमी आ रही है। एक अनुमान के अनुसार सन् 1965-66 में विश्व में 2503 अरब टन कीटनाशक तत्वों का उपयोग किया गया, जबकि 1980 में बढ़कर इनकी मात्रा 4155 अरब टन हो गई। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग एक लाख टन से अधिक कीटनाशक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रदूषित तत्वों का दुष्प्रभाव मनुष्य और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, इस रासायनिक प्रदूषण का दीर्घावधि प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है जो अधिक गंभीर है।

प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण अधिक आबादी वाले देशों में प्रति व्यक्ति के आधार पर जमीन, जल और जंगल की उपलब्धता लगातार घट रही है। इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक ओर इसके कारण उपयोगी संसाधनों के भंडार लगातार घट रहे हैं तथा दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता में वृद्धि हो रही है। जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, धातु एवं ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के दोहन से धरती खोखली हो रही है जबकि बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। संरक्षण-प्रयासों के अभाव में वनों के निर्मम विनाश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है जिससे पर्यावरण का असंतुलन खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है।

वनों के उजड़ने तथा पेड़ों के कटने से जगह-जगह मिट्टी बहने लगती है अर्थात् इसका अपरदन होता है। भूमि के ऊपर मिट्टी और हरियाली का विनाश होता है तो भूमि के नीचे स्थित जल-भंडार में कमी आती है तथा वर्षा-चक्र बाधित होता है। बाढ़, अकाल, मरुस्थलीकरण, तापमान का बढ़ना तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान हालात में तापमान में वृद्धि से जलवायु-परिवर्तन का संकट उत्पन्न हो गया है। ''पर्यावरण संरक्षण'' विषय पर जून 1988 में आयोजित टोरंटो सम्मेलन में 48 राष्ट्रों के 300 वैज्ञानिकों ने जलवायु-परिवर्तन तथा इसके संभावित खतरों के प्रति चिंता प्रकट की—''मौसम के बदलाव से अत्यधिक गर्मी, सूखा, पानी की कमी, बर्फीली चोटियों का पिघलना तथा समुद्री जल-स्तर ऊंचा उठ जाना संभव हो सकता है, जिससे समुद्र तट के पास बसे शहरों में बाढ़ आना आदि संभावित खतरे है।''

उद्योगों द्वारा प्रदूषण का प्रसार

औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा बढ़ते यातायात ने पर्यावरण का अधिकतम अहित किया है क्योंकि मानव की इन अविवेकपूर्ण गतिविधियों ने सर्वाधिक प्रदूषण फैलाया है। उद्योग-धंधों ने उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन तो किया है, लेकिन इनसे कहीं अधिक बड़ी तादाद में अपशिष्ट पदार्थों विषैले यौगिकों तथा रासायनिक तत्वों का ढेर लगा दिया है। एक ताजे अनुमान के अनुसार अब तक 40 लाख से अधिक रसायन प्राकृतिक पदार्थों से संश्लेषित अथवा पृथक किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 60,000 से अधिक रसायनों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। लगभग 1,500 रसायन कीटनाशक दवाओं में सक्रिय घटक के रूप में, 4,000 औषधियों एवं अर्ध-औषधियों के रूप में तथा 5,500 खाद्य योजकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तालिका 1 में कुछ रासायनिक प्रदूषकों के स्रोत एवं इनके दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग तथा प्रदूषण-वृद्धि के दोहरे आक्रमण के द्वारा पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त करने में खनन तथा परिवहन सहित विभिन्न उद्योग सबसे आगे हैं। भारतीय खानों द्वारा धरती के अंदर से खनिज निकालने के लिए जो अवैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके कारण खनन क्षेत्र में भयंकर प्रदूषण हुआ है। भारत में लगभग 65 विभिन्न खनिजों का उत्पादन किया जाता है जिन्हें

देश के कुल क्षेत्रफल के 0.26% भाग में फैली खानों से प्राप्त किया जाता है। खनन क्षेत्र भले ही मात्र 0.26% भाग में फैला हो, लेकिन इनमें संचालित खनन गतिविधियां इतनी विनाशकारी हैं कि पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव बहुत अधिक पाया गया है। इसके विपरीत आस्ट्रेलिया में भारतीय खनन क्षेत्र की तुलना में तीन गुणा अधिक खनन गतिविधियां चलाई जाती हैं, जबकि वहां पर पर्यावरण की क्षति काफी कम है।

पर्यावरण असंतुलन की दृष्टि से खनन उद्योग का योगदान सर्वविदित है। खनन के माध्यम से आज पूरे विश्व में ऊर्जा के साधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है क्योंकि मानव का जीवन इसी ऊर्जा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि ऊर्जा के स्रोतों की मांग लगातार बढ़ रही है। आँकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में लगभग 4 अरब टन अश्मीभूत ईंधन प्रतिवर्ष के हिसाब से जल रहा है और इसमें 3 से 4% की वृद्धि हो रही है। साथ ही कोयला और ईंधन गैस की खपत आज 130% तक बढ़ गई है। उद्योगों एवं परिवहन के साधनों द्वारा भारी खपत के कारण ऊर्जा का भंडार प्रतिदिन कम होता जा रहा है तथा ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के दोहन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

तालिका 1 : रासायनिक प्रदूषकों का दुष्प्रभाव

प्रदूषक	स्रोत	दुष्प्रभाव
सल्फर डाई ऑक्साइड	ज्वालामुखी, ईंधन-दहन, परिवहन के साधन	साँस लेने में कठिनाई, आँखों एवं गले की परेशानी
नाइट्रोजन ऑक्साइड	प्राकृतिक जीवाणु क्रिया, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन	ब्रोन्काइटिस एवं फेफड़ों में पानी भरना (एडिमा)
हाइड्रोजन फ्लोराइड	उर्वरक, रासायनिक उद्योग	हड्डी एवं दाँतों के रोग
कार्बन मोनो ऑक्साइड	ज्वालामुखी, प्राकृतिक गैस निक्षेप, बिजली चमकना, मार्श गैस उत्पादन	भूख न लगना
हाइड्रोकार्बन	कारबोनिक पदार्थों का विघटन, परिवहन के साधन	आँखों में जलन, साँस संबंधी रोग—ब्रोन्काइटिस, अस्थमा, फेफड़ों की सूजन (एम्फाइसिमा)
सीसा	उद्योग, खान कोयला, वाहनों में ईंधन का दहन	पौधों में प्रकाश संश्लेषण का अवरोधक, खून की कमी एवं तंत्रिका विकार
डी.डी.टी.	कीटनाशक	कैंसर

प्रदूषक	स्रोत	दुष्प्रभाव
पारा	औद्योगिक अपशिष्ट, खान, कीट-नाशक	तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, रक्त संबंधी रोग, मंदबुद्धि एवं मिनामाटा रोग
कैडियम	खानों के अपशिष्ट उत्पाद, उद्योग	उच्च रक्तचाप, वृक्क विकार, जलीय पौधों में विषैलापन
उड़न राख	ताप ऊर्जा संयंत्र, सीमेंट निर्माण, ईंट निर्माण, भराव सामग्री	पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण बाधित, फसलों की वृद्धि एवं उत्पादन में कमी, सूक्ष्म कण कैंसर-उत्पादक
बेन्जीडीन	कृत्रिम रंग निर्माण, प्लास्टिक	कैंसर (ब्लैडर)

परिवहन का पूरा तंत्र ऊर्जा पर निर्भर करता है। परिवहन के विभिन्न साधन एक ओर पारंपरिक ईंधन के सीमित भंडार का तेजी से उपयोग कर रहे हैं तथा दूसरी ओर इनके प्रयोग के दौरान विभिन्न विषाक्त गैसों को वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। चिंताजनक बात तो यह है कि परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा की माँग लगातार बढ़ रही है। 1980-81 से 1991-92 के बीच इस खपत में 4.8% प्रति वर्ष की वृद्धि-दर रिकार्ड की गई। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण अधिक बड़े क्षेत्र में प्रदूषण का प्रसार हुआ है और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ा है।

प्रदूषण-नियंत्रण की आवश्यकता

इस सच्चाई को आज अधिकाधिक लोग स्वीकार करने लगे हैं कि जब तक प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आता तब तक प्रदूषण की विभीषिका को समाप्त नहीं किया जा सकता। स्वार्थ के वशीभूत होकर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने के बाद पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। यही बात प्रकृति पर भी लागू होती है। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार असीमित नहीं है अर्थात इनका अंत हो सकता है जबकि मनुष्य के स्वार्थ का कोई अंत नहीं है। अत: अपने स्वार्थपूर्ण आचरण को त्याग कर मानव जितनी जल्दी प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग बंद कर देगा, उतनी जल्दी वह इक्कीसवीं सदी में मानव जाति के 'स्वर्ण-युग' का सूत्रपात कर सकेगा। इसी प्रकार भौतिकवाद में आकंठ डूबे देश भी आज महसूस करने लगे हैं कि आधुनिक युग की कृत्रिमतापूर्ण जीवन-शैली में सुख-सुविधा के साधनों का संग्रह करते जाने की प्रवृत्ति का कोई अंत नहीं है। सुख के भौतिक साधनों का गुलाम बनने पर मनुष्य एक ऐसे कुचक्र में फँस जाता है कि वह अनजाने में ही अपने पर्यावरण का तथा सही अर्थों में अपना भी दुश्मन बन बैठता है।

प्रदूषण-नियंत्रण के उपाय

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण के संरक्षण तथा प्रदूषण के खतरों के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया है। आरंभ से ही प्रकृति और पर्यावरण के साथ मनुष्य का संबंध अत्यंत प्रगाढ़ रहा है। भारतवर्ष में यह संबंध शरीर और प्राण के समान अटूट माना गया है। यही कारण है कि सामाजिक परंपराओं से जुड़े अधिसंख्य भारतीयों के लिए अब भी पीपल, बरगद, नीम आदि वृक्ष पवित्र हैं और इन्हें काटा नहीं जाता। इक्कीसवीं सदी में प्रदूषण की चुनौती को समाप्त किया जा सकता है और यह कार्य तभी संभव हो सकेगा जब प्राचीन

3298 HA/05-14

भारतीय ज्ञान का समुचित उपयोग किया जाएगा। वास्तव में भारतीय जीवन-दर्शन प्रकृति से पूर्ण तादात्म्य पर आधारित जीवन-दर्शन है। आधुनिक विज्ञान भी वृक्षों को प्रदूषण कम करने के लिए सबसे प्रभावकारी साधन मानने लगा है क्योंकि पेड़-पौधे प्राकृतिक रूप से हर प्रकार के प्रदूषण का निवारण करने में सक्षम होते हैं। वर्तमान युग में भारी उद्योग-धंधों एवं खानों के आसपास और प्रमुख मार्गों के किनारे-किनारे यदि वृक्षों की घनी कतारें लगाई जाएँ तो प्रदूषण को कारगर ढंग से रोका जा सकता है। वृक्ष प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त अनमोल वरदान हैं क्योंकि प्रदूषण के नियंत्रण तथा पर्यावरण के संरक्षण में इनका अनमोल योगदान है। अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि 50 टन वजन का एक पेड़ यदि 50 वर्ष तक जीवित रहता है तो वायु-प्रदूषण पर नियंत्रण करके वह मानव को लगभग ढाई लाख रुपए का लाभ पहुँचाता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित हो चुका है कि ऊँचे घने वृक्षों की पर्याप्त संख्या ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है।

आधुनिक विज्ञान ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि प्रदूषण-निवारण में वृक्षों का योगदान अतुलनीय है। अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया है कि मिट्टी में उपस्थित दूषित तत्वों को पेड़-पौधों की जड़ें सोख लेती हैं। पर्यावरण-प्रदूषण के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरणीय दृष्टि से जागरूक होना जरूरी है। पर्यावरण को प्रदूषण-रहित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबका यह दायित्व बनता है कि पर्यावरण की स्वच्छता तथा प्रदूषण की रोकथाम के प्रति प्रत्येक व्यक्ति सचेत और सावधान रहे। पर्यावरण-प्रदूषण के रोकथाम की दृष्टि से प्रेस, मीडिया, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन माध्यमों के व्यापक प्रभाव-क्षेत्र का लाभ उठाते हुए बड़े स्तर पर पर्यावरणीय चेतना का प्रसार किया जाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारी पहल की प्रतीक्षा किए बगैर स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर सुधार के उपायों को अपनाना अधिक कारगर साबित हो सकता है।

उपसंहार

प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ संपूर्ण तालमेल रख कर व्यक्ति के शतायु होने की कामना बार-बार की गई है। इसी प्रकार, इन सभी ग्रन्थों में पर्यावरण के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के उपायों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है।

वर्तमान युग में प्रदूषण की विकरालता को देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट पदार्थों के पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग तथा अधिक से अधिक वनस्पति के विकास की योजनाओं में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ-साथ यांत्रिक उपकरणों एवं भौतिक साधनों पर आश्रित होने की अपेक्षा मनुष्य यदि मानवता, सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व के प्रति समर्पित सादा जीवन व्यतीत करे तो वह अधिक आनंदमय जीवन जी सकेगा। सह-मानवों के हित में ही अपना हित देखते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए गए मानवीय प्रयास मनुष्य और पर्यावरण में अटूट तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। संपूर्ण संसार के प्रति परमार्थ की उदात्त भावना ही मानव को अपने अंदर के प्रदूषण से मुक्त करके उसे 'अपने-पराये' के भेदभाव से ऊपर उठा सकती है। जब व्यक्ति पर्यावरण के प्रत्येक अणु के साथ एकाकार हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि उसकी होगी और वह संपूर्ण सृष्टि का होगा।

❖

राष्ट्रभाषा हिंदी का किसी क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं।
—अनंत गोपाल शेवड़े

सामाजिक न्याय की अनूठी धरोहर—श्री गुरु ग्रंथ साहिब

—अरविंद कुमार सिंह*

श्री गुरु ग्रंथ साहिब केवल सिखों का मार्गदर्शक सजीव गुरु मात्र नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे अनूठा ग्रंथ है जिसे सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा माना जा सकता है। इस महान ग्रंथ में सभी जाति-धर्मों के संतों-फकीरों की अनूठी वाणी को जगह दी गयी है। समाज जिन दिनों कर्मकाडों के अजीब ताने-बाने में लिपटा था और जड़ता से घिरा था तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने विभिन्न मत-मतांतरों के संतों-फकीरों की वाणी को अपने में समाहित कर और उन दलित-उपेक्षित लोगों को भी आवाज दी, जो हाशिए पर पड़े छटपटा रहे थे। सामाजिक न्याय की बुनियाद तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परिकल्पना के साथ ही जुड़ गयी थी। इस महान ग्रंथ में समाहित मानवता, सहनशीलता, उदार और उदात्त विचारों ने समाज को व्यापक पैमाने पर एक सूत्र में जोड़ा और सामाजिक न्याय के लिए अनूठा योगदान दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महज एक बृहदाकार धर्म-ग्रंथ और सजीव गुरु नहीं है, बल्कि विश्व मानवता और समाज को अंधकार तथा कुरीतियों से लड़ने की प्रेरणा देने वाला एक अनूठा संदेशवाहक है। अपनी इसी भूमिका के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब चार सौ वर्षों से समाज में लगातार रोशनी बिखेर रहा है। आज इसी के प्रेरणा और आशीर्वाद से भारत ही नहीं पूरे विश्व में सिख समाज संख्या में कई समुदायों से कम होने के बावजूद नेतृत्वकारी भूमिका में खड़ा है और अपनी छाप सब पर छोड़ रहा है। इसकी प्रेरणा से समाज को ऐसे करोड़ों स्वयं सेवक मिले हैं जो पूरी दुनिया को सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाने में लगातार लगे हैं। यही नहीं समूचे विश्व में इस अनूठे प्रेरक ग्रंथ की एक अलग ठोस प्रतिष्ठा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आचार-व्यवहार और वाणी को महत्व दिया गया है, न कि जाति या धर्म को। सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता तथा सद्भावना का अनूठा संदेश इस महान ग्रंथ में तो है ही, पंजाबी, मुल्तानी तथा बृजभाषा समेत कई भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग करके उनको इस महान ग्रंथ ने प्रतिष्ठा दी है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करने का काम महान सिख गुरु श्री अर्जुन देव ने 1604 में किया था। शुरु में इस महान ग्रंथ को पोथी और बाद में आदि-ग्रंथ कहा गया। श्री गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ को अंतिम रूप देने का काम सौ साल बाद गुरु तेगबहादुर जी की वाणी को शामिल करके 1708 में नांदेड़ में दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया। अपने जीवन काल के दौरान 7 अक्तूबर 1708 को श्री गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को आधिकारिक गुरु घोषित किया और कहा कि— *आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिक्खन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ।* तभी से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकट गुरु की देह मानने की परंपरा भी शुरु हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि दुनिया में यही अकेला ग्रंथ है जिसे गुरु का सम्मान हासिल है तथा इसे दस गुरुओं की ज्योति माना जाता है। समय के साथ पूरी दुनिया ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को आध्यात्मिक विचारों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब हालांकि सिखों का पावन ग्रंथ है, पर वास्तविकता यह है कि यह विश्व

* 383, एस ब्लाक, डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060

मानवता की उदारतम और विनम्रतम धरोहर है। यह महान ग्रंथ विश्व शांति, सामाजिक सौहार्द्र तथा भाईचारे का संदेशवाहक है। इसकी स्थापना के लिए मुसलिम शासक अकबर ने तोहफे में जमीन दी थी तथा यह भी महज संयोग नहीं था कि श्री गुरु अर्जन देव ने मुसलिम फकीर साईं मिंया मीर से श्री हरिमंदिर साहिब का शिलान्यास कराया था।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 पृष्ठ, 3348 शबद तथा 15,575 बंद हैं। इसमें कुल 31 रागों के पद हैं, जिसमें से 19 रागों का प्रयोग आदिगुरु ने किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी 33 खंडों में विभक्त है और आदमी को पूर्णता प्रदान करने का संदेश देती है। गुरु अर्जुन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महान सिख गुरुओं के साथ संत कबीर, नामदेव, शेख फरीद और संत रविदास जैसे संतों–फकीरों की वाणी को शामिल किया। अगर बारीकी से पड़ताल की जाये तो पता चलता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सूफी फकीर, ब्राह्मण, वैश्य, कसाई, जुलाहा, नाई, दलित और कई अन्य जाति समुदाय के हिंदू–मुसलमान संतों और फकीरों तथा लोककवियों की वाणी को शामिल करके सारे विश्व को एक अनूठा संदेश दिया गया है। ये सभी महान संत और फकीर दूर–दराज के रहने वाले थे और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ अपने–अपने इलाकों में अलख जगा रहे थे। इस महान ग्रंथ की पृष्ठभूमि से पता चलता है कि इसकी रचना में बहुत लंबी अवधि लगी और गुरु श्री अर्जुन देव को तमाम पांडुलिपियों की तलाश में तमाम मशक्कत और लंबी यात्राएं भी करनी पड़ी। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन–संपादन का कार्य चल रहा था तो सम्राट् अकबर के पास इस आशय की शिकायत पहुंची कि इसमें इस्लाम विरोधी बातें कही गयी हैं। सम्राट अकबर ने खुद अमृतसर पहुंच कर इस शिकायत की जांच की और इनको गलत पाया। अकबर की यह यात्रा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण रही कि इस यात्रा में अकबर गुरु श्री अर्जुन देव से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद को गुरु का दास करार दिया।

इस पवित्र ग्रंथ में उन सभी जटिल सवालों का हल छिपा है, जिसके लिए आदमी जाने कहां–कहां भटकता रहता है। पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सारे सवालों और समस्याओं का समाधान इस पवित्र ग्रंथ में निहित है। यही नहीं यह पवित्र ग्रंथ बड़े से बड़े दुखों और पीड़ा से मजबूती से लड़ने की ताकत तथा मजबूती भी व्यक्ति और समाज को देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महान ग्रंथ में सर्वधर्म समभाव का महान संदेश है। कोई कितना भी धनवान क्यों न हो और कोई निर्धनतम क्यों न हो, ऊंच नीच या जाति, वर्ण तथा लिंग भेद किसी की गुंजाइश इस ग्रंथ में नहीं है। यह समानता का संदेशवाहक है। इस महान ग्रंथ का संदेश सबके लिए है। इस ग्रंथ को सही अर्थों में समझने, लोगों को समझाने और उस पर अमल करने की जरूरत है। जहां तक सिखों का सवाल है, वे गुरुद्वारे जाते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मस्तक झुका कर उसका हुक्म मानने को खुद को तैयार बताते हैं। वे किसी शरीरधारी, देवता की मूर्ति या पाखंड के आगे सिर नहीं झुकाते। यहां उल्लेखनीय है कि भले ही कई धर्मों के पुरोधा अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कितने दावे क्यों न करें और उनको विश्व में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा क्यों न करें, मगर इस महान ग्रंथ की तरह सामाजिक बुराइयों और भेदभाव को खत्म करने का संदेश देने वाले इस महान ग्रंथ ने पूरे समाज को जोड़ने में जो भूमिका निभायी है, वह कोई और नहीं कर सका है। विश्व की इस अनूठी धरोहर का वे सभी सम्मान करते हैं जिनका विश्वास मानव कल्याण में है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जात–पात, कुरीतियों–पाखंड के खिलाफ जहां मानवता को जगाता है, वहीं ऐसे संदेश देता है जिसका अनुकरण करके ही मानव पूर्णता को पा सकता है।

गुरु अर्जुन देव जी का मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों को एक साथ सहेज कर रखना तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रचार करना था। तभी उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू और मुसलिम संतों और सूफियों की सदवाणी को भी शामिल किया। यहां ध्यान देने की बात है कि जिस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई थी, उस दौर का समाज तमाम बंधनों में जकड़ा था और जातीय तथा धार्मिक भेदभाव शिखर पर थे। मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने किसी भी धर्म को पराया नहीं माना। हाल में गुरु ग्रंथ साहिब के 400 साल पूरे होने के मौके पर गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में दुनियां भर के विद्वानों ने इस ग्रंथ की महत्ता के बारे में अपने विचार रखे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम खास तौर पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांतों का अनुसरण कर राष्ट्र और विश्व में शांति, भाईचारे और सौहार्द स्थापित करने के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देश की बहुमूल्य धरोहर बताया तथा कहा कि इसके कंम्प्यूटरीकरण में वह खुद सहयोग देने को तैयार हैं। भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व सचिव और मध्यकालीन इतिहास की जानीमानी हस्ती प्रोफेसर शिरी मूसवी का कहना था कि गुरु साहिबान के संदेश को विश्व स्तर पर प्रचारित करने की जरुरत है। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्क्स ब्रेब्रुक का कहना था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पूरे समाज की धरोहर है। इस ग्रंथ में कोई भी धर्म पराया नहीं है। ऐसे बहुत से विद्वानों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान में बहुत सी बातें कही है। पंचम पादशाह श्री गुरु अर्जन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन करने में कोई 15 साल लंबी अवधि लगायी तथा रात दिन की मेहनत की। उस दौर में जो सामाजिक राजनीतिक वातावरण था उसमें इतना प्रगतिशील कदम उठाना कोई आसान काम नहीं था। मगर इस महान ग्रंथ ने समाज को तो सीख दी ही राजसत्ता को भी सीधे सपाट शब्दों में काफी कुछ कहा। इस महान ग्रंथ में कहा गया है कि केवल उस योग्य व्यक्ति को ही राज सत्ता पर बैठने का हक है, जिसे सच और झूठ तथा न्याय और अन्याय का वास्तविक बोध हो।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह नसीहत भी दी गयी है कि एक राजा को तब तक शासन करना चाहिए जब तक प्रजा उसकी ताकत को स्वीकारे और उसकी छत्रछाया में खुद को महफूज महसूसे। पतित और पापी राजा को सिंहासन पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह भी कहा गया है कि कोई कैसा भी ताज छत्र या पगड़ी क्यों न धारण कर ले या कितनी पदवी क्यों न हासिल कर ले, लेकिन गुरु के बिना उसकी सारी शान-शौकत व्यर्थ है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सशक्त आवाज दिखती है। रिश्वत को अनैतिक तथा अन्यायकारी बताते हुए कहा गया है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति कभी भी सत्य के आधार पर फैसला नहीं करते। यही कारण है कि भ्रष्ट रिश्वतखोरों को गुरुवाणी ने नरभक्षी और कसाई जैसी संज्ञा दी है और घोर निंदा की है। गुरुवाणी ने इन बातों के साथ समाज के नैतिक पक्ष को मजबूती प्रदान की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आधी आबादी की गरिमा का भी खास ख्याल किया है। औरतों की निंदा करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यहां तक कहा गया है कि जो औरत महान प्रतापी राजाओं को जन्म देती है, उसकी निंदा करना ठीक नहीं। उसको तो उच्चतम सामाजिक ओहदे पर बैठाना चाहिए। **सो किउ मंदी आखीऐ जित जणे राजान**। यही नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दहेज निषेध करते हुए आध्यामिक दहेज को सर्वोपरि माना गया है और साथ ही तमाम सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। उस दौर में खास तौर पर हिंदू समाज में सती प्रथा विद्यमान थी जिसका श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने मजबूती

3298 HA/05-15

से विरोध किया और कहा कि मजबूरी में अपने पति के साथ जल जाने वाली या जला दी जाने वाली स्त्री सती नहीं है, बल्कि सती तो वह है जो जीवित रह कर भी अपने पति की विरह अग्नि में हमेशा जलती रहती है। ऐसी तमाम बातों और शिक्षा ने समाज को एक सही दिशा दी।

जाति-पांत जिसने भारत को गर्त में धकेलने के साथ समाज को बुरी तरह विभाजित किया उसका सिख गुरुओं ने विरोध किया। जो समाज में जाति-पांत के नाम पर बंटवारा करते हैं, वाहिगुरु उनसे प्रसन्न नहीं होते। सिख धर्म में जाति-पांत का कोई स्थान नहीं है। गुरु के लंगर का प्रसाद सबको बिना भेदभाव दिया जाता है। सरोवर में भी सभी बिना भेदभाव के स्नान करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में जहां एक ओर देश काल का सटीक वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर समाज को एक ठोस दिशा और अनुशासन भी। माता-पिता के प्रति सम्मान तथा कर्त्तव्य की अनूठी शिक्षा देते गुरुवाणी आदेश देती है कि जो माता-पिता बच्चों को जाने कितनी तकलीफ झेल कर जन्म देते हैं,उनके साथ पुत्र का लड़ाई-झगड़ा करना पाप है-काहे पूत झगरत हउ संगि बाप जिन के जणे बडीरे तुम हउ, तिन सिउ झगरत पाप।

वास्तव में इस पवित्र ग्रंथ की रचना की बुनियाद में ही सभी धर्मों के प्रति आदरभाव है। यही कारण है कि सभी इसके प्रति आदर रखते हैं तथा इसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। यही कारण है कि सिख धर्म भेदभाव को नहीं मानता है। ऐसा होता तो हर मंदिर साहिब की नींव मुसलिम फकीर ने नहीं रखी होती। मंदिरों का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा तथा मस्जिद का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर होता है पर गुरु अर्जुन देव जी ने इससे अलग हट कर हर मंदिर साहिब के दरवाजे चारों दिशाओं में बनवाए और इस बात का सीधा संकेत दिया कि सिख धर्म के दरवाजे सभी जाति तथा धर्म के लोगों के लिए खुले हैं।

अव्वल अल्लाह नूर उपाइया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। साहिब मेरा एको है एको है भाई एको है।

इस अद्वितीय ग्रंथ में बारहवीं सदी के शेख फरीद और जयदेव से लेकर सत्रहवीं सदी के गुरु तेग बहादुर जैसे पांच शताब्दियों के महानायकों तथा संतों की वाणियां हैं। आदि ग्रंथ में जिन संतों की वचनामृत है, उनमें अधिकतर गुरु नानक देव जी के समकालीन थे। यह दौर भारी उथल-पुथल भरा रहा है और जिन महान संतों-मनीषियों की वाणी को इसमें जगह मिली उन्होंने लंबे भ्रमण और जनजागरण के द्वारा समाज की धड़कन को समझा था और मन के उद्‌गारों को उतारा था। खुद गुरु नानक देव जी ने जितनी लंबी दूरी तक यात्राऐं की हैं, उतनी यात्राऐं किसी और संत ने नहीं की हैं। यही कारण है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इतनी संपन्न शक्ल दी जा सकी। इस महान ग्रंथ के चलते ही सद्‌भावना का जो व्यापक संदेश समाज में गया, उसी के चलते आज हालत कुछ और ही है। खुद महाराजा रंजीत सिंह का उदाहरण लिया जाये तो पता चलता है कि वह जहां एक ओर स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र लगवा रहे होते हैं तो हिंदुओं के पवित्र मंदिर काशी विश्वनाथ के लिए 21 मन सोना भेजना नहीं भूलते हैं। इसी कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने भावनात्मक एकता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। जिस भक्ति की परिकल्पना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में की गयी है और जिस आदर्श समाज का खाका खींचा गया है, वह सराहनीय, अनुकरणीय है। इस महान ग्रंथ में हरि, राम, प्रभु, गोपाल, गोविंद, नारायण, सतनाम, जगदीश, मोहन, अलख, भगवान, गोपीनाथ, वाहिगुरु, पारब्रह्म, ठाकुर, कर्ता, कृष्ण, दामोदर, रघुनाथ समेत जाने कितने सांझी संस्कृति के आराध्य नामों का उल्लेख आया है। इस प्रकार भावनात्मक एकता के संदेशों से यह महान ग्रंथ ओतप्रोत है।

हिंदी के महान लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में—यह ग्रंथ किसी एक देश, या

जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, अपितु समूची मानवता के लिए एक दिव्य संदेश है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब मानवता के उच्चतम आदर्श का प्रतिस्थापक महान ग्रंथ है। आज की विषम परिस्थिति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहीत संदेश ही हमारे लिए प्रासंगिक हैं। इन संदेशों को अपने जीवन में उतारना हम सबका परम कर्तव्य है। जाने-माने विद्वान डा. महीप सिंह का कहना है कि—गुरु ग्रंथ साहिब संतवाणी का संग्रह है—चाहे वे गुरु साहिबान हों या मुलतान से लेकर बंगाल तक तथा सिंध से लेकर महाराष्ट्र तक फैले हुए संत और सुफी हों, ब्राहमण हों या अति सूद्र हों, सभी की रचनाओं को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान प्राप्त हुआ और सभी पूज्य हुए। कालक्रम के लिहाज से देखा जाये तो जयदेव और शेख फरीद बारहवीं शती के संत थे। इनमें एक बंगाल तो दूसरा पश्चिमी पंजाब का था। एक के संस्कार वैष्णव थे तो दूसरा सूफी सिद्धांतों में पला-बढ़ा। त्रिलोचन, नामदेव, साधना, वेणी तेरहवीं शदी के संत थे। रविदास, कबीर, पीपा, सैण, धत्रा, भीखण और सूरदास से सभी संत पंद्रहवीं शदी के थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित वाणीकारों का आग्रह परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की ओर है। वे अवतारवाद के समर्थक नहीं हैं। वर्ण व्यवस्था, जातपांत, छुआ-छूत, ऊंच-नीच में उनका विश्वास नहीं है। वे मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और सर्वत्र परमात्मा की ज्योति को प्रसारित देखते हैं। इनके द्वारा व्यक्त किया गया धार्मिक भाव सीधा-सादा, आडंबररहित और व्यापक है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब सदेह गुरु के रूप में ही पूज्य है और इसे सर्वोच्च दर्जा मिला हुआ है। इसकी शिक्षाओं ने समाज को सही दिशा देने का काम किया है। इसकी पृष्ठभूमि में श्री गुरु नानक देव जी साहिब पहली पातशाही के उस शब्द पर ध्यान देना जरूरी है जिसका शब्द है परमात्मा का न कोई कुल-परिवार है, न ही कोई जाति। सब परिवार उसके ही हैं और सबका स्वामी तथा मुखिया वही है। वह समूची मानव जाति का आदि पुरूष है, परमात्मा है और सब जातियां उसकी ही हैं। उनमें न कोई ऊंची है, न नीची है। गुरु नानक देव जी कुल, जाति, गोत्र, धर्म, प्रदेश, रंग और भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक ही अकाल पुरूष की संतान हैं।

यहां यह संदर्भ भी उल्लेखनीय है कि खालसा पंत की स्थापना अधर्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए हुई थी। जिन पांच व्यक्तियों ने श्री गुरु गोविंद सिंह के समक्ष अपना सिर अर्पित किया उनमें दयारामजी लाहौर निवासी खत्री थे, तो धर्मदास हस्तिनापुर (मेरठ) के जाट। इसी तरह पुरी (उड़ीसा) के कहार जाति के हिम्मत राय, द्वारका के धोबी मोहकमचंद तथा बीदर निवासी नाई जाति के साहिबचंद पंच प्यारे बने। यानि ये सारे देश का प्रतिनिधित्व तो करते ही थे, दलित और पिछड़ी जातियों से आते थे जहां से बहुसंख्य जनता आती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, ऊंचनीच, भेदभाव आदि के खिलाफ मुहिम चलायी और 1699 को बैसाखी के दिन जो खालसा पंथ की परिकल्पना की, उस परिकल्पना के साथ ही एक सामाजिक क्रांति का बीजारोपण हुआ। उस दौर में यह कल्पना कितनी कठिन रही होगी कि उपेक्षित और तिरस्कृत दलित वर्ग को गले लगाया जाए और एक पंगत में बैठ कर उसके साथ खाना खाया जाए। इसी तरह महिलाओं को समान दर्जा देना भी कोई कम क्रांतिकारी कदम नहीं था जो पांव की जूतियों की तरह समझी जाती रही थीं। ■

आदि मानव की जन्मभूमि

—डॉ. कृष्ण नारायण पांडेय*

प्राचीन संस्कृत साहित्य के संदर्भों के अनुसार वर्तमान मानव जाति के आदि पूर्वज सवायंभुव मनु शतरूपा का जन्म जंबूद्वीप में हिमाचल में मेरूपर्वत पर ब्रह्मपुरी में हुआ था।

मेरु पर्वत की स्थिति के विषय में स्कंदपुराण कुमारिका खंड में वर्णित है-मेरु के शिखर की आकृति प्याली के समान है। यह पर्वत तीन शिखरों से युक्त है। इसके मध्यम शिखर पर ब्रह्माजी का निवास (ब्रह्मपुरी) है। ईशान कोण पूर्वोत्तर में जो शिखर है उस पर शंकर जी का निवास (शिवपुरी कैलास) है तथा नैरित्य दक्षिण—पश्चिम कोण वाले शिखर पर भगवान विष्णु (विशाला पुरी-बद्रीनाथ) की पुरी है। मेरु के सुवर्णमय शिखर पर ब्रह्मा का, रत्नमय शिखर पर (कसौटी पत्थर) शंकर का तथा रजतमय शिखर पर विष्णु का निवास है। मेरु पर्वत के दक्षिण में हेमकूट पर्वत तथा मानसरोवर की स्थिति वर्णित है।

इस वर्णन में गंधमादन पर्वत पर स्थित बद्रीनाथ धाम तथा कैलास मानसरोवर की स्थित सुज्ञात है। अत: पृथ्वी ग्रह के प्रथम मानव की जन्मभूमि ब्रह्मपुरी की स्थिति प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम तथा कैलास पर्वत के मध्य में होनी चाहिए।

हेमकूट पर्वत - वर्तमान में प्रसिद्ध हेमकुंड तीर्थ यात्रा हेमकुंट-हेमकूट पर्वत पर स्थित पुराण प्रसिद्ध लोकपाल तीर्थ (सरोवर) की की जाती है। यहां सप्त श्रंग पर्वत के पास प्राचीन लक्ष्मण मंदिर तथा आधुनिक गुरुद्वारा है।

पुरातात्विक उल्लेख-स्कंदपुराण के बदरिकाश्रम महात्म्य में लोकपाल तीर्थ के निर्माण का वर्णन इस प्रकार है—भगवान विष्णु ने जल की इच्छा से शैलदंड के द्वारा एक पर्वत को तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया। वहां विष्णु भगवान द्वादशी तथा पूर्णिमा को स्नान हेतु आते हैं। ऋषि मुनि इस जल में स्नान कर असंग ज्योति का दर्शन करते हैं। इस दंड पुष्करिणी में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि में विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।

पत्थर के औजार से (शैलदंड) सरोवर निर्माण का यह प्रथम पुरातात्विक उल्लेख है। इस पौराणिक वर्णन के अनुसार आदि मानव स्वायंभुव मनु की जन्म भूमि ब्रह्मपुरी इसी हेमकूट पर्वत के उत्तर में प्रमाणित होती है। इसी क्षेत्र को मेरु तथा सुमेरु की संज्ञा दी गई है।

गुरु नानक की सुमेरु तीर्थ यात्रा प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में स्थित काकभुसुंडि तीर्थ की यात्रा संत तुलसीदास (1497-1623 ई.) ने की थी। अपनी मानसरोवर यात्रा के समय श्री कृष्ण 3226-3102 ई.पू. के भी यहां आने के संदर्भ हैं। पूर्वजन्म में दशमेश गुरु गोविंद सिंह ने रामायण काल के रामानुज लक्ष्मण की तपोभूमि में इस लोकपाल तीर्थ में तपस्या की थी। द्वापर युग में हस्तिनापुर नरेश पांडु 3228 ई. पू. ने भी यहां साधना की थी। जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग में स्थित पांडुकेश्वर मंदिर इस घटना के स्मारक हैं। यह पंच पांडवों की जन्म भूमि भी है। पांडुकेश्वर मंदिर में संवत् 5, 21,

*संयुक्त निदेशक (राजभाषा) आयुष, रेडक्रास भवन, नई दिल्ली-1

22 तथा 25 के 4 ताम्रपत्र उपलब्ध हैं। इनमें खस, द्रविड़, कलिंग, गौड़, उड्र, आंध्र, किरात तथा हूण लोगों के शासक के रूप में ललितसूरि देव एवं उनके वंशजों को निरूपित किया गया है।

अपनी वनवास यात्रा के समय पांडवों ने नर नारायण आश्रम एवं बद्रीनाथ तीर्थ प्रवास किया। यहीं पर गंधमादन पर्वत पर सौगांधिक (फूलों की घाटी) से ब्रह्मकमल वन पुष्प लाने के लिए भीम की भेंट हनुमान से कदली वन (हनुमान चट्टी) में हुई थी। महाभारत युद्ध 3138 ई.पू. में विजय के पश्चात् 3102 ई.पू. में अपनी वानप्रस्थ स्वर्गारोहण यात्रा भी पांडवों ने इसी क्षेत्र में की थी। बद्रीनाथ धाम, मानाग्राम तथा वसुधारा होते हुए त्रिकोण सतोपथ तीर्थ की तीन दिन की पद यात्रा करके स्वर्गारोहण पर्वत के दर्शन संभव हैं। यह यात्रा किसी स्थानीय पथ प्रदर्शक के साथ करना उपयुक्त है।

ब्रह्मपुरी की वर्तमान स्थिति—हेमकुन्ट साहिब लोकपाल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान के लिए बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित गोविंद घाट से 20 कि.मी. लंबा लक्ष्मण गंगा के दाहिने किनारे पर पद यात्रा मार्ग है।

गोविंद घाट के मानवता केंद्र रूप गुरुद्वारे से चाय एवं लंगर प्रसाद प्राप्त कर तीर्थ यात्री झूला पुल पार कर पर्वतारोहण (ट्रेकिंग) प्रारंभ करते हैं। डोली तथा खच्चर-घोड़े भी समुचित किराए पर उपलब्ध रहते हैं। लगभग 3 कि.मी. की यात्रा के पश्चात् पूरणा गांव मिलता है। आगे 6 कि.मी. की दूरी पर भ्यूंडार गांव है। वहां से 4 कि.मी. की यात्रा के पश्चात् (लक्ष्मण-गंगा को पुल से पार करके) घांघरिया गांव मिलता है। घांघरिया में सभी तीर्थ यात्रियों के लिए आवास, भोजन, लंगर—प्रसाद व्यवस्था से युक्त सुंदर गरुद्वारा है। सभी सुविधाओं से युक्त आधुनिक बाजार भी यहां है।

रात्रि विश्राम के पश्चात् प्रात: 6 कि.मी. की कड़ी चढ़ाई प्रारंभ होती है। अनगढ़ पत्थरों की पहाड़/सड़क एवं सीढ़ियां सभी यात्रियों को तपस्वी साधक बना देती हैं। अंत में मंजिल मिलती है। हेमकूट पर्वत पर स्थित लोकपाल तीर्थ, शत शृंग/सप्त शृंग पर्वत माला से घिरी सुंदर स्वच्छ झील के दर्शन, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं आधुनिक गुरुद्वारा के मध्य से पश्चिमोत्तर दिशा में बहती लक्ष्मण गंगा के स्रोत लोकपाल सरोवर में स्नान के पश्चात् मार्ग की थकावट समाप्त हो जाती है। पूजा तथा अरदास के पश्चात् गरम-गरम चाय के साथ गर्म पेय जैसी स्वादिष्ट खिचड़ी का प्रसाद परमानंद की अनुभूति कराता है।

प्रथम राजधानी नगर—इसी हेमकूट पर्वत के उत्तर भाग के क्षेत्र का नाम है ब्रह्मपुरी, जहां पर प्रथम मानव स्वायंभुव मनु शतरूपा का जन्म हुआ था। स्वायंभुव मनु ने सप्तऋषियों के निर्देशन में सरस्वती नदी के तट पर प्रथम मानव बस्ती ब्रह्मावर्त तथा प्रथम नगर बर्हिष्मती (वराह कलां जींद हरियाणा) की स्थापना की थी। विश्व की इस प्रथम राजधानी बर्हिष्मती का पर्यटन की दृष्टि से विकास प्रतीक्षित है।

ब्रह्मपुरी क्षेत्र से लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट तक जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। यहीं से ऊपर ही ऊपर नर पर्वत से सरस्वती नदी माना गांव से होते हुए आज भी गोमुख गंगोत्री तक पदयात्रा ट्रेकिंग मार्ग है। आगे यमुनोत्री के शिवालिक क्षेत्र से सरस्वती, कुरूक्षेत्र होते हुए प्राचीन काल (1900 ई. पूर्व से पहले) में पश्चिम समुद्र तक प्रवाह मान थी। इसके अवशेष पुष्कर से लेकर मोढेरा-अम्बावती तथा सोमनाथ तक विद्यमान हैं। इसी आधार पर भारत प्रायद्वीप की प्राचीन 3100 ई.पू. की द्वापर युग की सभ्यता का नामकरण **सिंधु-सरस्वती** किया गया है। रामायण कालीन तथा वैदिक सभ्यता क्रमश: त्रेता तथा सतयुग की हैं और इससे पहले की हैं। यह तथ्य 25 से 29 सितंबर, 2004 ई. तक सहयात्री श्री नारायण राम और श्री दुर्गा प्रसाद के साथ की गई शोध यात्रा से प्रमाणित होता है।

(शेष पृष्ठ 62 पर)

3298 HA/05-16

बाल अधिकारों को प्राप्त सांविधानिक सुरक्षा

—दिनेश मोहन चड्ढा*
विधि प्रवक्ता

प्रत्येक राष्ट्र बच्चों को अपनी अमूल्य संपदा मानता है क्योंकि भविष्य में यही बच्चे अनुशासित, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ व जागरूक नागरिक बनकर देश के नव-निर्माण एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं और तद्नुसार अपने राष्ट्र को महानता के उच्चतम शिखर तक ले जाते हैं। वस्तुतः इन बच्चों की स्थिति काफी हद तक पौधों के समान होती है क्योंकि जिस प्रकार एक पौधे को उचित पोषण, संरक्षण व अनुकूल वातावरण प्रदान किये जाने पर वह कुछ अवधि पश्चात् एक बड़े फलदार वृक्ष के रूप में परिणत् हो जाता है ठीक उसी प्रकार यदि हम बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करते हुये उन्हें विकास के समुचित अवसर प्रदान करें तो वे भी निश्चय ही आगे जाकर एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपने देश की सेवा करने के लिये तत्पर रहेंगे। अतः इस प्रकार बच्चों व पौधों के बीच कोई सारभूत अंतर नहीं है बल्कि दोनों ही समान रूप से जन्मतः कोमल, अबोध व निर्विकार होते हैं और उन्हें जिस प्रकार का परिवेश प्रदान किया जाता है वे उसी के अनुरूप परिणाम देते हैं।

यदि इस संदर्भ में यह कहा जाए कि बच्चों के भीतर ही देश का भविष्य किसी न किसी रूप में निहित होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी इस बाल संपदा का सदुपयोग एवं संरक्षण किस रूप में एवं किस भावना से करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारी नीति बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान कर उनके जीवन को साकार रूप देने की है और इसी आशय से हम उनके वैयक्तिक गुणों का विकास करते हुए उन्हें उचित शिक्षा व मार्गदर्शन दे रहे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के मार्ग में लेशमात्र भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी लेकिन इसके विपरीत यदि हम बच्चों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाते हैं, और उनके कल्याण एवं विकास जैसे उल्लेखनीय विषयों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते तो ऐसी दशा में राष्ट्र का पतन अवश्यंभावी है।

तथापि, आश्चर्य इस बात का है कि उपर्युक्त वास्तविकता का भली-भांति ज्ञान होते हुये भी हमारे समक्ष यह दुर्भाग्यपूर्ण समस्या निरंतर अपना अस्तित्व बनाए हुए है कि देश के हजारों-लाखों बच्चे, जोकि समाज के दुर्बल व असुरक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं, बाल श्रम, बाल वेश्यावृत्ति व बाल भिक्षावृत्ति जैसे कई रूपों में उत्पीड़न, उपेक्षा व शोषण के शिकार बनते जा रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख उत्तरदायी कारण यह है कि बच्चों में पर्याप्त समझ व परिपक्वता का अभाव होता है और साथ ही अनुचित कार्यों का प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं होती। इसी बात का लाभ उठाते हुए संकीर्ण विचारधारा के कुछ लोग अपने मानवीय आदर्शों एवं बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और उनके स्वास्थ्य व विकास की कीमत पर केवल अपने ही स्वार्थों को पूरा करने

*पुलिस अकादमी अधिकारीगण आवास, काठ रोड, मुरादाबाद-उ.प्र.

में तल्लीन हो जाते हैं। विडंबना यह है कि कई माता-पिता भी इस प्रकार के व्यक्तियों की श्रृंखला में सम्मिलित पाए गए हैं। वास्तव में यही परिस्थितियाँ इन बच्चों को अनेक प्रकार की विषम दशाओं में जीवन-यापन करने के लिए बाध्य कर देती हैं और परिणामस्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है।

निश्चय ही यह कटु सत्य हमारे आधुनिक समाज के लिए एक अत्यंत लज्जाजनक एवं शोचनीय विषय है और साथ ही हमारे प्रगतिशील होने के दावे को भी खोखला साबित कर देता है। आखिरकार हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जिस राष्ट्र का बचपन पीड़ित होगा, उसका भविष्य भी सुखद नहीं हो सकता, अर्थात् जब तक हम बच्चों को पर्याप्त संरक्षण, शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तथा उनके प्रति होने वाले शोषण को निवारित नहीं करेंगे तब तक हगारे राष्ट्र के विकास की नींव भी सही अर्थों में स्थापित नहीं हो पाएगी। अत: उन्हें हमें उनकी अंतर्निहित क्षमताएं विकसित करने का समुचित अवसर प्रदान करना होगा और बच्चों के कल्याण को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना होगा।

इस विषय में अपने गंभीर दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करते हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह उचित समझा कि बच्चों की शिक्षा, पोषण, संरक्षण एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संवैधानिक स्तर पर भी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि एक ओर तो इससे जनसाधारण को बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का बोध हो सकेगा वहीं दूसरी ओर यह संदेश प्रसारित होगा कि देश की सर्वोच्च विधि भी बच्चों के कल्याण एवं विकास को लेकर अत्यंत सजग है।

भारतीय संविधान की बच्चों के अधिकारों के प्रति यह सजगता निम्नलिखित प्रावधानों का परिशीलन करने मात्र से स्वत: स्पष्ट हो जाती है—

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का क्यों न हो।
* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) बच्चों के लिए प्रमुख रूप से लाभकारी एक अनोखी व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार यदि राज्य ने बच्चों के हित में कोई विशेष उपबंध निर्मित किया है तो भी वह संवैधानिक दृष्टि से विभेदकारी नहीं माना जायेगा।
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वस्तुत: इस प्रावधान का मानवीय दृष्टिकोण से निर्वचन करते हुए हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका ने, कई अवसरों पर बच्चों से संबंधित मानवाधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है।
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-क के प्रावधानों के अनुसार राज्य उन तरीकों से जैसा कि विधि द्वारा निश्चित किया जाए, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

  इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि यह उपबंध मूल भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं था बल्कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया है और इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गयी है।
* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि

बच्चों को अनैतिक शोषण से मुक्ति दिलाने में इस प्रावधान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 का प्रमुख उद्देश्य अल्पायु के बच्चों के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा और ना ही जोखिम भरे अन्य कार्यों में लगाया जाएगा।

* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2) किसी बच्चे को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा किसी आधार पर कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से वंचित कर दिया जाना अनुचित मानता है।

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निदेश, आदेश या रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गयी है जिसका प्रयोग उसने समय-समय प्र बच्चों के हितों के रक्षार्थ भी किया है।

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(ङ) के अंतर्गत राज्य से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपनी नीति का संचालन विशिष्ट रूप से इस प्रकार करे, ताकि पुरुष व महिला कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो कि उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(च) राज्य को अपनी नीति का संचालन विशिष्टतया इस प्रकार करने का निर्देश देता है, जिससे कि बच्चों को स्वतंत्र व गरिमा पूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर व सुविधाएं प्राप्त हों, और साथ ही बच्चों व अल्पवय व्यक्तियों की न केवल शोषण से अपितु नैतिक व आर्थिक परित्याग से भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।-

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करे।

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45, जोकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था उपबंधित करता है जिसके अनुसार राज्य सभी बच्चों को प्राथमिक बचपन की सावधानी व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के प्रावधानों के अनुसार राज्य का यह प्राथमिक कर्त्तव्य होगा कि वह अपने लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊँचा करें और साथ ही लोक स्वास्थ्य में भी सुधार करें। निश्चय ही इसमें बच्चे भी शामिल हैं।

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-क(ट) के अंतर्गत शिक्षा को जीवन का एक अत्यंत आवश्यक अंग मानते हुये यह नवीन व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, का यह मूल कर्त्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे या

प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा के अवसर उपलब्ध करायें। यह उपबंध भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया है।

अत: इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधानों का मनन करने के पश्चात् यह बात पूर्णतया साबित हो जाती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय यह भी है कि संविधान में निहित इन भावनाओं को फलीभूत करने के लिये राज्य की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी अपने-अपने स्तरों पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किये गए हैं। उदाहरणार्थ, हमारी विधायिका ने इस प्रयोजन की पूर्ति के लिये विशेष रूप से कई अधिनियमों का निर्माण किया है, जिनमें से प्रमुख हैं—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956, अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956 इत्यादि।

इसके अलावा शासन द्वारा भी बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं व कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जैसे कि समन्वित बाल विकास कार्यक्रम बालिका समृद्धि योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान इत्यादि।

साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस क्षेत्र में अपनी पावन भूमिका का निर्वहन करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षार्थ कई मार्ग दर्शक निर्णय पारित किए हैं जिसका स्पष्ट प्रमाण है, ये वाद—एम.सी. मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ए.आई.आर. 1997 सु.को. 699, गौरव जैन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1990 सु.को. 292, लक्ष्मीकांत पांडेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.आई.आर. 1984 सु.को. 469, उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ए.आई.आर. 1993 सु.को. 2178 व शीला बारसे बनाम भारत संघ, 1986 एस.सी.सी. 596, प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, 2005(52) ए.सी.सी., 12 सु.कोर्ट।

इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व कई अन्य गैर सरकारी संस्थाएं भी बच्चों से संबंधित समस्याओं का निराकरण खोजने एवं उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

हालांकि इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संविधान की भावना के अनुरूप, बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु कई स्तरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। परंतु फिर भी वास्तविकता का एक अन्य पक्ष यह भी है कि अभी तक इस क्षेत्र मे आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि बच्चों के कानूनी अधिकारों की विद्यमानता या शासकीय उपाय मात्र अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं कहे जा सकते जब तक कि समाज का प्रत्येक नागरिक इस आन्दोलन के साथ न जुड़ जाए।

वस्तुत: इस लक्ष्य को सही अर्थों में पाने के लिये सर्वप्रथम जनसंचार माध्यमों, स्वैच्छिक संगठनों एवं शासन को अपने-अपने माध्यम से बच्चों के मूलभूत मानवाधिकारों का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंचना होगा, क्योंकि बच्चे स्वयं अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त बच्चों के प्रति हिंसा या बालश्रम का कोई भी प्रकरण जब भी प्रकाश में आए तो इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। इस संदर्भ में यह अत्यंत समीचीन है कि शासन द्वारा निर्धन परिवारों के आर्थिक विकास के लिये विशेष योजनाएं संचालित की जानी चाहिये ताकि कोई भी बच्चा निर्धनता के कारण श्रमिक बनने के लिये विवश न हो जाए। तत्पश्चात् शासन को यह भी चाहिए कि वह बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु न केवल योजनाओं

का निर्माण करे अपितु समय-समय पर उनका निरीक्षण भी करे और इस बात को सुनिश्चित कर ले कि इन योजनाओं का लाभ वास्तव में उन बच्चों तक पहुंच भी रहा है अथवा नहीं। इसके अलावा वे बच्चे जोकि परित्यक्त, विकलांग या माता-पिता विहीन हैं उनके प्रति समाज को विशेष रूप से सहानुभूति भरा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

साथ ही आपराधिक न्याय-प्रशासन के घटकों जैसे पुलिस व न्यायपालिका को भी इस संबंध में सचेत रहने की अतीव आवश्यकता है, यदि कोई बच्चा किसी भी प्रकार से उनके संपर्क में आ जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें चाहिए कि वे विधिक औपचारिकताओं की परिधि को अनुमन्य सीमा तक शिथिल करके, उस बच्चे के प्रति मानवीय व्यवहार का परिचय दें। निष्कर्षत: सभी बच्चों के शारीरिक मानसिक नैतिक और सामाजिक विकास पर तथा उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना वर्तमान समय की सबसे प्रबल आवश्यकता है और वास्तव में इसी आवश्यकता को पूरा करने के बाद बच्चों के कल्याण एवं विकास से संबंधित संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी अन्यथा नहीं। हम सभी इसी भावना से अपने-अपने संवैधानिक दायित्वो का पालन करते हुये दृढसंकल्प होकर यह वचन लें कि प्रत्येक बच्चे को बेहतर भविष्य प्रदान करना, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी जिसे पूरा करने के लिए हम जीवन भर प्रतिबद्ध रहेंगे। ■

(पृष्ठ 57 का शेष)

द्रविणों का मूल स्थान

पुराण वंशावली एवं ऐतिहासिक अभिलेखों में उद्धृत राजा पृथु, प्रसिद्ध भक्त ध्रुव के वंशज थे। ध्रुव स्वायंभुव मनु शतरूपा के पौत्र थे। राजा पृथु के 5 पुत्रों में से एक राजकुमार द्रविण ने सर्वप्रथम तत्कालीन विश्व राजधानी बर्हिष्मती से उत्तर दिशा में प्रवास किया। कालांतर में दक्षिण प्रवास में कृतमाला (वेगई-मदुराई) नदी तथा समुद्र के संगम में इनके वंशज द्रविणेश्वर श्राद्धदेव ने साधना की । वर्तमान श्रीलंका के सर्वोच्च शिखर त्रिकूटपर्वत (एडम्स पीक) पर इनका दुर्ग था। जल प्रलय के समय द्रविणेश्वर तथा सप्तर्षियों की नौका कृतमाला समुद्र संगम से चलकर मनाली (मनुस्थली) हिमाचल प्रदेश में पहुंची थी। यही सप्तम मन्वंतर के द्रविणेश्वर मनु सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के जनक एवं राम, कृष्ण, बुद्ध, प्रताप, शिवाजी तथा नेपाल नरेशों के आदि के पूर्वज हैं।

आकाशीय पुरातत्व

उत्तर के स्थिर तारे का नाम ध्रुव, इस ग्रह का नाम राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी, पिहोवा में स्थापित मंदिर का नाम पृथ्वीश्वर, दक्षिण के तारे का नाम महर्षि अगस्त्य के नाम पर तथा देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ग्रहों के नाम आकाशीय पुरातत्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पृथ्वी ग्रह में जन्म प्राप्त प्रथम मानव स्वायंभुव मनु शतरूपा का 195 करोड़ वर्ष पूर्व जन्म एवम् नैमिषारण्य में समाधि जब विद्यमान हैं, मनु स्थापित अयोध्या तथा श्रीकृष्ण द्वारा स्थापित द्वारका भी प्रसिद्ध हैं तो फिर इनकी खोज में पुरातत्व और मानव विज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी) द्वारा उत्खनन करके आदि मानव का कंकाल खोजने में अनावश्यक धन व्यय करने की क्या आवश्यकता है।

पुराणों के चार लाख श्लोकों में वर्णित तथा 20000 से अधिक संस्कृताभिलेखों से प्रमाणित यह द्रविणेश्वर मनु तथा कथित वैदिक आर्य राजा पृथु के वंशज हैं। इस आधार पर यह सुप्रमाणित होता है कि आर्य-द्रविण का भेदभाव पाश्चात्यों की प्रथकतावादी प्रवृत्ति की आधारहीन कल्पना है। इन आर्यद्रविणों का मूलस्थान बर्हिष्मती तथा ब्रह्मपुरी हिमालय है। यही ब्रह्मपुरी विश्व के प्रथम मानव की जन्मस्थली है। ❒

क्यों हों रिटायर ?

—मदन गुप्त*

महीने के इस आखिरी दिन से अजूबा बातें हो गई। पहली तो यह कि हमारे एक सहयोगी आज रिटायर हो गए। अभी स्वास्थ्य अच्छा है। इंटैलीजैन्ट तो हैं ही, कायदे-कानूनों से खूब वाकिफ हैं। सच कहें तो अभी तो इतने परिपक्व हुए हैं कि निष्पक्ष रह कर मामले जांचते परखते हैं और पूरी ईमानदारी बरतते हैं। ऐसा नौकरी के शुरू के कुछ सालों में अक्सर कम ही हो पाता है। कुछ तो कायदे-कानूनों की जानकारी पूरी नहीं होती है और कुछ उन्हें काम में लाना नहीं आता। ईमानदारी से कायदे-कानून के मुताबिक काम करने के लिए तजुर्बा चाहिए। इधर जब तक आदमी तजुर्बा हासिल करे रिटायरमेन्ट आ लेता है। यही बात आज शाम से परेशान किए हुए है।

अब यह तो जग जाहिर है कि शुरू में आदमी खुद-परस्त,कुनबा-परस्त या फिरका-परस्त हो सकता है। पूरी नेकनीयती बरतने के लिए, थोड़ा वक्त बीतते-बीतते आदमी इंसानियत-परस्त बन जाता है। तब तलक खेल खत्म होने की घंटी बज जाती है। लोग पष्टिपूर्ति मनाते हैं, बाकायदा जश्न मनाते है। कुछ खुशकिस्मत जोड़े तो दूसरा ब्याह ही रचा डालते हैं, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के न केवल फेरे पड़ते हैं बल्कि बारातियों की दावत भी होती है और करने वाले तो निकाह तक कर डालते हैं। अब भला अगर आदमी एकदम फिट न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, पर इधर उल्टे रिटायर कर देते हैं। हमें कबीर की उलट बाँसी समझ आ जाए, इन्कम-टैक्स का सैक्शन 88 भी कोशिश करें तो समझ में आ जाए, पर ये रिटायरमेंट का लॉजिक (यानि तर्क) बिल्कुल समझ में नहीं आता। आजकल तो साठ बरस तक युवा वर्ग ही कहा जाता है,उसके बाद में ही परिपक्वता का समय शुरू होता है। हम समझते हैं कि परिपक्व आदमी ज्यादा अच्छा सरकारी कर्मचारी हो सकता है। बात इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि समझदार सरकारों ने रिटायरमेंट रोकने के लिए 55 वर्ष की सीमा को 58 वर्ष और फिर 60 वर्ष कर दिया। अब समय आ गया है कि रिटायरमेंट की उम्र की सीमा पूरी तरह हटा ली जाये। यानी क्यों हों रिटायर ? इसके लाभ कुछ क्षणों बाद परखेंगे। पर उसके पहले गौरवशाली परंपरा के धनी अपने देश की इस विषय में जो परंपरा रही हैं उसका संक्षिप्त परिचय ले लें।

हमारे यहां रिटायरमेंट जैसी कोई चीज रही ही नहीं है। अलबत्ता एक तरह का वौलेन्टरी रिटायरमेंट कह लीजिये, अवश्य रहा है। हमारी परंपरा में वाणप्रस्थ की परंपरा उल्लेखनीय है। जब आप ठीक समझें, अपनी इच्छानुसार राजपाट त्याग कर वन-गमन कर जाइए। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। हमारे यहां तो बड़े लोग अपने से छोटों को आशीर्वाद ही सौ बरस का होने का देते हैं-शतायु भव:। तो अगर कोई समय रहते वन-गमन नहीं करेगा तो सौ बरस से ऊपर क्या राजकाज करेगा ? इस परंपरा का निर्वहन करने के इच्छुक आज भी मिल जाएंगे, पर समस्या दूसरी है। अब वन ही नहीं रहे तो जाएं कहां ? वनों पर आदमी ने अतिक्रमण कर बस्तियां बना ली हैं और बाघ सड़कों पर चले आए हैं। इसीलिए इतने संकुचित वन क्षेत्र में इतने विस्तृत सेवानिवृत्त समाज का गमन संभव नहीं लगता। शायद इसीलिए ज्यादातर तो घर बैठ जाते हैं, पर कुछ

*सयुंक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोक नायक भवन,नई दिल्ली-110003

लोग कुछ-कुछ सरकारी सेवा करते ही रहते हैं। ये सेवा तकरीबन नि:शुल्क की जाती है। कई सरकारी सेवी सज्जन दो दशक से भी ज्यादा अपनी सेवा उपलब्ध कराते हैं। कुछ तो महज एक रुपया महीना तनख्वाह लेते हैं, जोकि लेनी पड़ती है। वैसे एक रुपए की यह नौकरी करने वाले हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, पर हरेक को थोड़े ही मिलती है एक रुपये की यह नौकरी।

हम यह सब सोचते-सोचते अपनी सोच को कोई अच्छा सा मोड़ देने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक खबर ने हमें एकदम चौंका दिया। यह दूसरा अजूबा ही था। खबर यह थी कि कुछ सभ्य, सुसंस्कृत और विकसित देशों में रिटायरमेंट की कोई उम्र ही नहीं होती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां रिटायरमेंट की आयु 70 बरस की है। इस खबर ने हमारा तो मूड ही बदल दिया और हम उन विकसित देशों की समझदारी,दूरदर्शिता और प्रगतिशील सोच की सराहना करने लगे। अंग्रेजों के शासन के दुष्प्रभावों के रूप में ही हमारे यहां आज तक रिटायरमेंट जैसे, पिछड़े, दकियानूसी और प्रतिक्रियावादी शब्द का प्रचलन है। ऐसी सोच विकास के पथ पर अग्रसर राष्ट्र के पैरों का बंधन होता है। हम तो विकसित राष्ट्रों के कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चलते बल्कि उनसे दो कदम आगे चलने का हौसला रखते हैं। हमें तो अचंभा इस बात का है कि हमारे लोक प्रशासन विशेषज्ञ और विद्वानों के ध्यान में ये बात अभी तक क्यों नहीं आई? यह तो अब तक लागू हो जाना चाहिए था। रिटायरमेंट की तो कोई उम्र होनी ही नहीं चाहिए। हम बेकार ही एक के बाद एक वेतन आयोग गठित करते चले आ रहे हैं। **रिटायरमेंट हटाओ, अनुभव का लाभ उठाओ।**

सीरियसली देखें तो इसके बहुत फायदे हैं। पहला तो यही कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पर हर वर्ष बहाया जा रहा करीब तीन-चार सौ करोड़ रुपया बच जाएगा। उसके बाद कम्युटेशन पेमेंट का 1000-1500 करोड़ रुपया सालाना बच जायेगा। पेंशन पर कोई खर्चा ही नहीं होगा। एक के बाद एक वेतन आयोग नहीं बिठाना पड़ेगा। यानी चांदी ही चांदी। इन सब भुगतानों के एवज में दी जाने वाली पगार कुल राशि के ब्याज का एक प्रतिशत से कम पड़ेगी।

विश्वास नहीं होता? जांच लीजिए अमरीका, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ अन्य देशों के नियम और व्यवस्थाएं। अंग्रेज भले ही नदी किनारे बैठ कर दिन भर मछलियों को दाना खिलाकर बिताते, अमरीका वासियों को ऐसी अकर्मण्यता नहीं भाती। हम ही कौन सी माला फेर लेंगे। अब तो सरकार करम करे कि रिटायरमेंट ही खत्म कर दे, जो जब तक चाहे सरकारी सेवा करता रहे। अच्छे काम की पूरी पगार, कम अच्छे की थोड़ी कम पगार, जब तक जी चाहे सरकार की नौकरी करो। जब जी भर जाए तो खुद ही रिटायरमेंट लेकर चले जाओ।

दिल्ली की इस असहाय गर्मी में अब तो बस यही आस है कि बरसात जब चाहे आ जाए, रिटायरमेंट समाप्त करने का आदेश जल्दी आ जाए ताकि हम भी खम ठोक कर कह सकें कि हम अमरीका या यूरोप से कम नहीं है। यह व्यवस्था 1-4-2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों पर तो तुरंत लागू कर दी जानी चाहिए क्योंकि वे पैंशन के हकदार नहीं हैं। अमरीका ने संभवत: 1986 से ही यह व्यवस्था कर रखी है। हम अमरीका से 18 बरस पीछे कैसे रह गये? कम से कम यूरोप में इस व्यवस्था के लागू किए जाने से पहले इसे हमें अपने यहां अवश्य लागू कर देना चाहिए। वैसे भी जब यह व्यवस्था हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में लागू है तो सिर्फ बेचारे नौकरी पेशा श्रमिक वर्ग को ही क्यों रिटायर करें। राजनीतिक जीवन में रिटायरमेंट जैसी कोई संकल्पना हमारे देश में है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का, मर्द हो या औरत, अंग्रेजी बोलता हो या हिंदी, मराठी या गुजराती, बंगला या असमिया, तमिल या तेलुगु, आस्तिक या नास्तिक,धनी

या निर्धन, कभी भी राजनीति के अखाड़े में उतर सकता है। पद के साथ-साथ प्रतिष्ठा पा सकता है। रंक से राजा बन सकता है। यह काम सठियाने के बाद भी शुरू किया जा सकता है जो गठियाने के बाद भी जारी रह सकता है। दरअसल साठोत्तर काल ही तो आदमी का सबसे ज्यादा सृजनात्मक और उत्पादक काल होता है। यही तो वो काल है जब आदमी उपभोक्ता कम और उत्पादनशील इकाई ज्यादा बन जाता है।

रिटायरमेंट की ऐसी संकल्पना का हमारे उद्योग-व्यापार जगत में भी कोई स्थान नहीं है। लाईफलोंग या ज़ीवनपर्यंत चेयरमैन या एग्जीक्युटिव डायरेक्टर जैसे पद हमारे आर्थिक जगत में विधि सम्मत स्वीकृत हैं। इन पर किसी को किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं। जब मालिकों के लिए रिटायरमेंट नहीं तो मजदूरों के लिए ऐसा क्यों हो ? यह तो सरासर समानता का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी भारतीय समान हैं, बराबर के हैं, इकुअल हैं। ये कैसी समानता है जहां एक वर्ग पर रिटायरमेंट लागू है और दूसरे पर नहीं ? एम्पलॉयर पर तो यह नियम लागू नहीं है पर एम्पलाई पर लागू है। हमें इस भेदभाव को दूर कर ही देना चाहिए। तभी हम विकसित राष्ट्रों के समूह में एक विकसित देश की हैसियत से बैठ सकेंगे।

हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि रिटायरमेंट खत्म करने का यह काम बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इतना समझदार वर्ग समाज की बेहतर सेवा कर सकेगा। यह उन सभी साठोत्तरी भारतीय महिलाओं और पुरुषों ने निर्विवाद रूप से साबित कर दिया है, जिन्हें रिटायरमेंट के दसियों साल बाद खोजकर कमीशनों, कमेटियों, राजभवनों को सम्हालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनमें से एक की भी कहानी असफलता की कहानी नहीं है, सभी सफल ही रहे हैं। फिर समाज की दूषित हो रही व्यवस्था चरमराने के बजाय मजबूत हो जायेगी। अभी जो रवैया चल रहा है उससे यह आभास होता है कि हमने रिटायरमेंट का मतलब लगा लिया कि आदमी नाकारा हो गया है, बेकार हो गया है, अनुत्पादक इकाई हो गया, बच्चों पर बोझा बन गया है, समाज पर एक बोझा बन गया है। और तो और असामाजिक तत्व उन्हीं को निशाना बना रहे हैं और चुन-चुन कर आए दिन हत्याएं और लूटपाट कर रहे हैं। अगर रिटायरमेंट की यह व्यवस्था समाप्त हो जाए तो समाज को दूषित होने से बचाया जा सकता है। पुलिस ऐसे नागरिकों की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो जाएगी और नागरिक भी पुलिस के 'सदैव-साथ' से मुक्ति पा जाएंगे।

अब फल देते पेड़ को भला कोई काटता है ? दूध देती गाय को कोई कसाई के हाथ करता है ? तो फिर बेशकीमती कर्मचारी को ही क्यों काटकर या रिटायर करके समय रूपी कसाई के हवाले कर दिया जाता है। बताइए भला कि साठ साल भी कोई उम्र होती है कि आते न आते आप किसी को रिटायर कर दें। यही तो वह उम्र है जब व्यक्ति रूपी पेड़ फलने लगता है और समाज को मीठे-मीठे फल देने लगता है। सही मायनों में जिंदगी शुरू ही षष्टिपूर्ति के पश्चात् होती है। जो चाहे आदमी की शक्ति का परीक्षण कर ले साठ पूरे होने पर। सोलह की ताकत और साठ बरस का अनुभव होता है इस वक्त। पूनम का चांद ही है एकमात्र जो ऐसे व्यक्ति के मुकाबले खड़ा हो सकता है—चमकने से लेकर शीतलता बिखेरने में, जनहितकारी और स्वास्थ्यवर्धक होने में। फिर तो अवश्य ही इस बात पर पुनर्विचार होना चाहिए और ये उम्र का भेदभाव तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इससे देश को अपार क्षति हो रही है। अंग्रेज तो हमें क्षति पहुंचाना ही चाहते थे, इसीलिए अपने शासनकाल में व्यवस्था कर गए निगोड़ी रिटायरमेंट की। क्या जरूरी है कि हम उनकी हरेक बात को मानते ही चले जाएं? चूंकि यह रिटायरमेंटी व्यवस्था फिरंगियों की बनाई हुई है और नितांत अभारतीय है, इसे तुरंत रिटायर करने की

(शेष पृष्ठ 72 पर)

जी-8 और भारत

—गिरीश चंद्र पांडेय*

अभी हाल में स्कॉटलैंड के ग्लेनईगल शहर में संपन्न आठ विकसित देशों (अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, इटली और कनाडा) के संगठन जी-8 की तीन दिवसीय शिखर बैठक में भारत के अलावा जी-5 के अन्य देशों-ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा मैक्सिको के राष्ट्र प्रमुखों की उपस्थिति इस मायने में महत्वपूर्ण रही कि इस बैठक में जलवायु परिवर्तन तथा अफ्रीकी देशों को आर्थिक पैकेज प्रदान करने संबंधी दो प्रमुख मुद्दों पर सविस्तार चर्चा की गयीं। लेकिन सम्मेलन प्रारंभ होने से ठीक पहले लंदन में हुए आतंकवादी हमले से आतंकवाद का मुद्दा भी शिखर बैठक में छाया रहा।

जहां तक भारत के इस बैठक में भाग लेने और उससे प्राप्त उपलब्धियों का संबंध है, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने यह स्वीकार किया कि जी-8 में भारत की भूमिका आमंत्रित सदस्य के रूप में होने से भले ही सीमित रही लेकिन वह सृजनात्मक थी। भारत को पहली बार उच्च स्तर पर अपनी राय रखने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का उल्लेख करते हुए पर्यावरण तथा विकास के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और दीर्घकालिक विकास हेतु वाजिब दामों पर बेहतर प्रौद्योगिकी प्रणाली हस्तांतरित करने तथा विकासशील देशों हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विकसित देशों से पहल करने का अनुरोध किया। भारत का स्पष्ट मत है कि पृथ्वी पर बढ़ते तापमान तथा ग्रीन हाउस गैसों को पर्यावरण में घुलने से रोकने हेतु परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए ताकि बिजली उत्पादन में मदद मिले। भारत के लिए अनुकूल स्थिति यह है कि यहां परमाणु विशेषज्ञों तथा तकनीशियनों की भरमार है। साथ ही उसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर ली है और वह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का पक्षधर रहा है। स्मरणीय है कि भारत ने न्यूक्लियर फ्यूजन विधि से परमाणु ऊर्जा पैदा करने के प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर में भाग लेने की अपनी इच्छा की पुष्टि की है। इसके भागीदार देशों यूरोपीय संघ, जापान, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया से बातचीत चल रही है। समुद्र के पानी से सूर्य जैसी असीम स्वच्छ ऊर्जा परमाणु विलयन विधि से संभव है। लेकिन इसमें लगभग 25 वर्ष लगेंगे और 10 अरब डालर से अधिक निवेश की संभावना है। भारत ने जलवायु परिवर्तन तथा क्योटो प्रोतोकोल 1997 पर संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। क्योटो प्रोटोकोल में औद्योगिक देशों हेतु यह व्यवस्था है कि वे वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन सीमा को 1990 के स्तर पर ले आएं। गौरतलब है कि अमरीका को छोड़कर जी-8 के सभी 7 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और वे उच्च प्रौद्योगिकी की सहायता से ग्रीन हाउस गैसों के जरिए बढ़ने वाले तापमान पर रोक लगाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। परन्तु अमरीका ने अपनी अर्थव्यवस्था पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जी-8 की बैठक में भी इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पायी। अमरीका में विश्व

*ई-3/3, सैक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली-110085

की कुल आबादी का 4 प्रतिशत भाग निवास करता है जबकि वैश्विक प्रदूषण की समस्या में उसका योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने ब्रिटेन में नवम्बर, 2005 में एक अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ने से रोकने पर विस्तृत विचार-विमर्श की आशा है। अमरीका तथा चीन को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीद करें कि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या का समाधान निकलेगा।

निःसंदेह जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसका समाधान भावी-पीढ़ियों के लिए करना जरूरी है। पिछली शताब्दी में तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तथा वर्ष 1991 से 10 सर्वाधिक गर्म वर्ष रिकार्ड किए गए और बाढ़-पीड़ित लोगों की संख्या 60 के दशक में मौजूद 7 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 150 मिलियन हो गई। अकेले यूरोप में वर्ष 2002 में भयंकर बाढ़ से कई जानें गईं। यह भी तथ्य है कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनके शिकार सभी देश होते हैं परन्तु विकासशील देशों पर ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके पास भू-स्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और उच्च तकनीक नहीं होती। विकसित देश विकासशील देशों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में आनाकानी करते हैं। उन्हें केवल यह डर बना रहता है कि कहीं विकासशील देश उनकी बराबरी न कर लें। इसी कारण जी-8 बैठक में अमरीका की हठधर्मी के कारण वातावरण जैसे मुद्दों पर आशानुरूप समर्थन नहीं मिला।

सम्मेलन में जी-8 देशों द्वारा अफ्रीकी देशों की गरीबी, कुपोषण तथा भुखमरी के खात्मे हेतु महत्वपूर्ण पहल करते हुए इन देशों को प्रदान की जा रही सहायता राशि 25 बिलियन डालर से बढ़ाकर वर्ष 2010 तक 50 बिलियन डालर करने का निश्चय किया गया है और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए भी पुरजोर सहयोग का आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि विश्व में दक्षिण अफ्रीका में एड्स पीड़ितों की संख्या सर्वाधिक है। साथ ही विकसित देशों द्वारा गैर-अफ्रीकी देशों को मिलने वाली मदद में भी इजाफा करने का विचार है। इस बैठक से पहले जी-8 दुनिया के 18 गरीब देशों के कर्ज माफ करने की योजना प्रस्तुत कर चुका है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि संपूर्ण विश्व में गरीबी की समस्या विकट है। प्रतिदिन 800 मिलियन लोग भुखे सोते हैं, 30,000 बच्चे ऐसी बीमारियों से काल कवलित होते हैं जिनकी रोकथाम संभव है। वास्तव में विश्व में सर्वाधिक आतंक खाली पेट का है क्योंकि बिना पेट भरे शांति और मानव सुरक्षा खोखली है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तस्वीर ज्यादा भयानक है। वहां प्रत्येक मिनट में एक बच्चा मलेरिया का शिकार होता है मौजूदा जनसंख्या की प्रवृत्ति को यदि देखें तो वहां वर्ष 2015 में 353 मिलियन लोग गरीबी में जीएंगे, जिसमें वैश्विक गरीबी में सब-सहारा अफ्रीका का हिस्सा कुल संख्या का 29 से 53 प्रतिशत बढ़ेगा। विश्व जनसंख्या में सब-सहारा अफ्रीका का योगदान 11 प्रतिशत है और एक डालर से भी कम में गुजर कर रही जनसंख्या 29.4 प्रतिशत है। निश्चित तौर पर अफ्रीका में कुपोषण समस्या विकट है और कुपोषण की वजह से ही 43 प्रतिशत बच्चे प्राइमरी शिक्षा से वंचित है और प्रतिवर्ष पांच वर्ष तक के बच्चों का मौत का प्रतिशत 42.9 है। विश्व बैंक ने वर्ष 2003 में 27 देशों में से 22 की अफ्रीकी देशों के रूप में पहचान की जो भयंकर कर्जजाल में फंसे हैं और जिनकी आय बहुत कम है, शेष 5 देश एशिया से संबद्ध थे। यह भी गौरतलब है कि वर्ष 1990 से 20 देशों में से 13 देश जहां मानव विकास सूचकांक गिरा, अफ्रीकी देश थे। लेकिन हमें यहां इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि दाता देशों द्वारा अफ्रीकी

देशों को प्रदान की जा रही सहायता राशि का केवल 20-22 प्रतिशत भाग ही गरीबों तक पहुंच पाता है। शेष राशि या तो इन देशों में व्याप्त भ्रष्टाचार लील कर जाता है या वापस दाता देशों की जेब में इन गरीब देशों को प्रौद्योगिकी व उपकरणों की खरीद एवम् परामर्शी तथा संविदाओं के निष्पादन के बहाने चली जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि धनी राष्ट्रों विशेषकर फ्रांस तथा अमरीका द्वारा दी जा रही लगभग 60 प्रतिशत सहायता एक प्रकार का दिखावा है जो जरूरतमंद देशों को कोई लाभ पहुंचाए बिना वापस उन्हीं दाता देशों के पास जा रही है।

इसलिए विकसित देशों द्वारा अफ्रीकी देशों को प्रदान की जा रही यह सहायता खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर उनके संप्रभु अधिकारों का अतिक्रमण न हो, हमें इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अफ्रीकी देश ऋण तथा भारी सहायता पर कब तक निर्भर रहेंगे। इसलिए उन्हें स्वंय के स्तर पर संसाधनों के सृजन पर भी जोर देना होगा। यही नहीं, पश्चिम तथा मध्य अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को कपास पर दी जा रही भेदभावपूर्ण सब्सिडी से चौपट हुई है। स्वयं अफ्रीकी अर्थव्यवस्था इस सब्सिडी को 'कोढ़' के रूप में देखती है और बुर्कीना फासो, माली और चाड़ जैसे अफ्रीकी देश विकसित देशों को इस सब्सिडी को समाप्त करने की अपील करते रहे हैं। देखना है कि अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा 2010 तक कृषि निर्यात पर दी जा रही सब्सिडी को समाप्त करने के आश्वासन की पूर्ति कहां तक होती है? भारत ने इस शिखर बैठक में सब्सिडी के अलावा गैर-शुल्क बाधाओं के रूप में विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी उपायों का सहारा लेना वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में सही नहीं माना और एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु विकसित देशों से आग्रह किया।

भारत ने आतंकवाद के खात्मे हेतु वैश्विक स्तर पर संयुक्त मोर्चा बनाने पर जोर दिया और स्पष्ट रूप से अब तक विकसित देशों विशेषकर अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए दोहरे मानदंड का त्याग करने पर जोर दिया।

यहां इस बात पर भी गौर करना होगा कि धनी देशों की इस प्रकार की शिखर बैठकें एक मायने में उनकी अपनी निजी बैठकें होती हैं और वे अपनी समस्याओं का समाधान भी अपने ढंग से करते हैं। साथ ही उनकी सदैव यह प्रवृति रही है कि वे अपनी अर्जित संपदा पर किसी अन्य विकासशील देश की सहभागिता सहन नहीं करते और न ही वे अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण करने के पक्ष में हैं। उनका प्रयास सदैव अपने लिए गए निर्णयों को विकासशील देशों पर थोपना रहा है। क्योटो प्रोटोकोल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें जी-8 के शेष देशों ने अमरीका पर इस संबंध में दबाव न बनाकर उन्हें भारत और चीन को अधिक ऊर्जा खपत वाला देश बताकर उनके पाले में गैंद डालकर उन्हें पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे डाली। कृषि सब्सिडी तथा आतंकवाद के मुद्दे पर भी विकसित देशों का यही दृष्टिकोण रहा है। लेकिन विकासशील देशों की बढ़ती एकजुटता देर-सबेर विकसित देशों को अपनी भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति को त्यागने हेतु अवश्य विवश करेगी। ❖

> **हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।**
> **—वी० कृष्णस्वामी अय्यर**

जनसंख्या वृद्धि-एक विस्फोट

—मनोज सिंह*

किसी भी भूभाग, देश, प्रदेश में बसे हुये लोगों/जनता की कुल संख्या, वहाँ की जनसंख्या कहलाती है। हम पूरी दुनिया पर एक नजर डालें तो पायेंगे कि जनंसख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सन् 2000 में विश्व की जनसंख्या 6.1 बिलियन थी। अनुमान है कि अगले पचास वर्षो में यह बढ़कर करीब 9 बिलियन से कुछ अधिक हो जायेगी। जहाँ 1950-2000 के बीच जनसंख्या में अब तक की तीव्रतम वृद्धि हुई है। वहीं ऐसा अनुमान है कि अब भविष्य में इतनी तीव्र वृद्धि कभी नहीं होगी। विश्व दृष्टिकोण से यह एक प्रसन्नता की बात हो सकती है। पंरतु भारत की वर्तमान अवस्था स्वागत योग्य एवं अनुकूल नहीं है।

प्राचीन काल में जनसंख्या सीमित थी। खेती के अविष्कार के पश्चात् इसमें धीमी गति से विस्तार शुरू हुआ, पंरतु पिछले कुछ दशकों में, औद्योगीकरण के दौरान जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक रूप से तीव्रता आयी। बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ 1.6 बिलियन से शुरू हुआ तो अंत 6.1 बिलियन से हुआ (Populations Reference Bureau) जनसंख्या की वृद्धि का विश्लेषण करने पर दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है।

1. जहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उदाहरणार्थ एशियाई एवं अफ्रीकी देश।

2. जहाँ जनसंख्या स्थिर है, जैसे कि अमेरिकी महाद्वीप के अधिकाशं देश।

3. जहाँ जनसंख्या कम हो रही है, यूरोप के ज्यादातर देश इसमें आते हैं।

चूंकि दुनिया की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि उपरोक्त सूची में प्रथम क्रमांक वाले देशों की भागीदारी एवं योगदान, द्वितीय एंव तृतीय क्रमांक वाले देशों से अधिक है।

विश्व की जनसंख्या परिवर्तन के दो ही कारण है, जन्म और मृत्यु। परंतु किसी भी देश की जनसंख्या में परिवर्तन के चार कारण होते हैं। जन्म, मृत्यु के अलावा आप्रवास (Immigration) और उत्प्रवासन (Emigration)। जन्म एवं आप्रवास जहाँ जनसंख्या वृद्धि में सहायक हैं वही मृत्यु एवं उत्प्रवासन के कारण जनसंख्या में कमी होती है। जन्म दर किसी भी नियत समय के सुनिश्चित कालखंड में उस भूखंड में जन्म एवं जनसंख्या का अनुपात होता है। उसी तरह मृत्यु दर, मृत्यु एवं जनसंख्या का अनुपात है। आप्रवास देश या भूखंड में बाहर से आने वालों की संख्या है तो उत्प्रवासन बाहर जाने वालों की संख्या।

चीन के बाद एक बिलियन की संख्या वाला दूसरा देश, भारत, विश्व की 2.4 प्रतिशत जमीन पर, दुनिया की 15 प्रतिशत जनसंख्या को समेटे हुए है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की भयानकता का अनुभव इसी बात से किया जा सकता है कि हर वर्ष इसमें आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ जाती है। चीन ने परिवार नियोजन के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से, जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित एवं नियंत्रित कर लिया है और अगर हम समय रहते नहीं संभले तो अगले लगभग 35 वर्षों में हम दो बिलियन की संख्या पार कर लेंगे और 2040 तक चीन को पार कर विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश होने का गौरव प्राप्त कर लेंगे।

*डी.जी.एम., बी.एस.एन.एल., सपरूने, सोलन (हि.प्र.)

विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहे विकासशील देश भारत में और भी कई मुश्किलें हैं परंतु सर्वप्रथम स्थान जनसंख्या वृद्धि का ही होना चाहिए। अगर कहा जाए कि जनसंख्या की वृद्धि सभी अन्य समस्याओं की जननी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण

(क) जन्म दर: भारत में लगभग 33 जन्म प्रति मिनट, 2000 प्रति घंटा, 48000 प्रति दिन की रफ्तार से हर वर्ष जनसंख्या में 12 मिलियन और जुड़ जाते हैं। इस रफ्तार से बढ़ते हुए हम शीघ्र ही चीन की जनसंख्या पार कर विश्व के प्रथम देश बन जाएंगे। विश्लेषण करने पर जन्म दर बढ़ने के निम्नलिखित कारण दिखाई पड़ते हैं।

1. गरीबी—गरीबी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। गरीबी अभिशाप तो है ही अज्ञानता एवं अंधविश्वास सदैव इसके साथ रहते हैं। गरीबों में अधिकतर ऐसी धारणा होती है कि अधिक बच्चे अर्थात अधिक कमाने वालों की संख्या। साथ ही साथ चूंकि इन परिवारों में कम बच्चे जीवित रह पाते हैं अत: गरीब परिवार में अधिक बच्चे पैदा किए जाते हैं। फलस्वरूप गरीबी और अधिक बढ़ती है जो कि पुन: अधिक बच्चे पैदा करती है। यह एक चक्र है जिसको रोकना आवश्यक है।

2. धार्मिक मत—बच्चे भगवान की दी गई भेंट मानकर अधिकांश भारतीय इस पर रोक नहीं लगाना चाहते । कई धर्मों में गर्भपात मान्य नहीं तो कई धर्मों में गर्भ निरोध स्वीकार्य नहीं। यह सभी जन्म दर बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं।

3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं–भारतीय समाज में पुत्र का विशेष महत्व है। परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति की अभिलाषा में कई लड़कियों का जन्म हो जाता है। दूसरी ओर परंपराओं के कारण लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देने से अधिक बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है।

4. अज्ञानता – उपरोक्त परेशानियों से बचने के लिये ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसकी अनुपस्थिति एवं परिवार ही मनोरंजन का एकमात्र साधन होने के फलस्वरूप भी अधिक बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं।

5. विज्ञान– चिकित्सा विज्ञान में विकास के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है। विभिन्न बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के कारण गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु दर में कमी आयी है। यह मानव जाति व समाज के लिए शुभ है परंतु यकीनन जन्म दर के बढ़ाने में इसकी अह्म भूमिका है। दूसरी ओर विज्ञान के चमत्कार, उत्कृष्ट गर्भ निरोधक एवं गर्भपात की व्यवस्था से इसे कम भी किया जा सकता है।

(ख) मृत्यु दर:– बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान थे। अकाल, महामारी एवं संक्रामक रोग के प्रकोप से मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। अत: जनसंख्या में वृद्धि काफी धीमी थी। चिकित्सा विज्ञान की उन्नति से जीवन बेहतर, स्वस्थ एवं आयु लंबी होती जा रही है। यह मानव के लिये शुभ लक्षण हो सकते हैं परंतु मृत्यु दर का घटना जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। मृत्यु दर बढ़ाना अकल्पनीय होगा परंतु इसी के मद्देनजर हमें जन्म दर को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

(ग) आप्रवास (Immigration): हो सकता है कि विभिन्न विकसित देशों के समाज शास्त्रियों एवं जनसंख्या विशेषज्ञों के लिये यह महत्वपूर्ण न हो परंतु भारत जैसे विकासशील देश के लिये, जिसके पड़ोस में पाकिस्तान, बागंलादेश एवं नेपाल जैसे गरीब देश हैं, यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अवैध घुसपैठ से जनसंख्या में वृद्धि तो होती ही है साथ ही इसके सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक पहलू भी

हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अधिकांशतः ये लोग गरीब होते हैं अतः इनका कालांतर में जनसंख्या वृद्धि में विशेष योगदान होता है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ हजारों कि.मी. लंबी खुली सीमा है वहाँ इसको रोकना कठिन है परंतु असंभव नहीं। इस पर शीघ्र ही विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा।

(घ) उत्प्रवासन (Emigration): हमारे देश से बाहर जाने वालों की संख्या सीमित है। अतः इनसे जनसंख्या में कमी नगण्य होती है। परंतु इसका अप्रत्यक्ष असर अवश्य होता है। बाहर जाने वाले अक्सर सफल व्यवसायी, विशेषज्ञ, इंजीनियर और डॉक्टर होते हैं। जिनके देश में रहने से, विकास को गति मिलती, शिक्षा में प्रसार होता और समाज का उत्थान होता। परंतु इनके जाने से समाज एवं देश में प्रगति की दर में कमी आती है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं।

जनसंख्या वृद्धि के परिणाम

विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती हुई 2050 तक 10 बिलियन पहुँच जाने की उम्मीद है। जनसंख्या एवं विकास के अंतरराष्ट्रीय संगठन के मतानुसार जनसंख्या वृद्धि में आधा योगदान चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया केवल यही पाँच देश करेंगे। चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अभूतपूर्व रोक लगा रखी है। परंतु भारत में परिवार नियोजन व अन्य योजनायें आशा के अनुरूप सफल नहीं हो पायीं। फलस्वरूप हम शीघ्र ही विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने का गौरव प्राप्त कर लेंगे। वैसे तो भारत में 1951 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी थी। जिसमें प्रत्येक परिवार में दो बच्चों का नारा था। परंतु आज की औसतन 3.4 बच्चे प्रत्येक महिला द्वारा जन्म दिये जाते हैं। भारत में जनसंख्या की सघनता का एक रूप देखें–1901 में जहाँ 77 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. की जनसंख्या थी जो बढ़ कर 1981 में 216 एवं 1991 में 267 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गई है।

जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम प्रमुखतः निम्नलिखित हैं–

(क) वायु प्रदूषणः– अधिक जनसंख्या अर्थात अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, एक सीधा सबंध है। अप्रत्यक्ष रूप से असर देखें तो अधिक जनता के लिये अधिक कारखाने, अधिक खेती योग्य जमीन एवं घर–मकान–शहर के लिये अधिक जंगल की कटाई अर्थात वायु के शुद्धिकरण में कमी। अत्याधिक कारखानों से, जगंल की कमी व वायु के प्रदूषण से तापमान में वृद्धि हो रही है, जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। विज्ञान के अविष्कार का प्रयोग करते हुये अधिक वातानुकूलन से और अधिक प्रदूषण एवं प्रकृति के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जो भविष्य में विनाशकारी भी हो सकता है।

(ख) जल प्रदूषणः– कहा जाता है अगला विश्व युद्ध अगर लड़ा गया तो वह पानी के लिये होगा। पेय जल की कमी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुद्ध पेय जल, विगत कुछ दशकों में ही हर जगह बिकने लगा। गर्मी में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ हफ्तों पानी नहीं होता। अधिक कल कारखाने, कृषि का विस्तार एवं बढ़ी हुई आबादी के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर इनके माध्यम से जल का प्रदूषण भी होता है। पृथ्वी के 70 प्रतिशत भाग में पानी है परंतु इसका मात्र 3 प्रतिशत ही मानव के प्रयोग में लाया जा सकता हैं। आज गंगा का पानी जल प्रदूषण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। प्रत्येक भारतीय को यह बात अति शीघ्र समझनी होगी।

(ग) प्राकृतिक संसाधनों में कमीः– प्रकृति में सभी कुछ सीमित मात्रा में है। सभी का आपस में सांमजस्य बना हुआ है। कोई भी प्राकृतिक साधन व संपदा लें, उसका अत्यधिक उपयोग जहाँ उसे समाप्त कर सकता है वहीं प्रकृति का संतुलन एवं व्यवस्था

बिगड़ सकती है। जिसका खामियाजा अंततः मानव को ही भुगतना होगा।

(घ) शिक्षा एंव रोजगारः- प्रकृति की बात अगर हम ना भी करें तो मानव द्वारा उत्पन्न संसाधन भी सीमित हैं। चाहे वह स्कूल-कॉलेज हों या कारखाने व रोजगार। शिक्षा का प्रसार व उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नही बढ़ पा रही है। दूसरी ओर रोजगार भी उसी गति से नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अशिक्षित बेरोजगारों से अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। जो कि समाज एवं देश के लिये चिंतनीय है। अशिक्षा से जहाँ जनसंख्या एवं गरीबी में वृद्धि होती है। वहीं शिक्षित बेरोजगार से समाज की व्यवस्था पर असर पड़ता है।

(ङ) आहार असंतुलनः- मानव के लिये खान-पान प्रकृति व कृषि से ही उत्पन्न होता है। जो कि सीमित है। हरित क्रांति के बाद भी आज हम खाद्य व अनाज जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के मतानुसार विश्व में चार वर्ष से कम पचास प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुछ वर्षों में ही अतिरिक्त खाद्यान्न खत्म हो जाएगा। अगर हमने जनसंख्या वृद्धि पर रोक या कोई चमत्कारिक वैज्ञानिक अविष्कार नहीं किया तो हम एक-एक दाने के लिये लड़ने लगेंगे।

नियंत्रित जन्म दर ही उपरोक्त सभी परेशानियों का निदान है। जिसके लिये हमें सामाजिक एवं राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं को भी नियमित करना होगा। कोई भी व्यवस्था मानव के ऊपर नहीं। जब मानव ही अव्यवस्थित व अस्त-व्यस्त होगा तो कैसा समाज, कैसी राजनीति एवं कैसा धर्म। प्रत्येक को अपना योगदान करना होगा। महिलाओं को शिक्षित करना होगा। परिवार नियोजन की उपयोगिता माननी होगी। यही एकमात्र समाधान है। अन्यथा प्रकृति को अपना रूप दिखाना होगा जो कि मानव जाति एवं सभ्यता के अनुकूल नहीं होगा।

❀

(पृष्ठ 65 का शेष)

अत्यावश्यकता या तात्कालिकता है। इसे बिना देरी के पुराने कानूनों की समीक्षा करने वाली किसी समिति को भेज दिया जाना चाहिए। हो सके तो प्रशासनिक आदेश निकाल कर खत्म कर देना चाहिए। कैसी-कैसी व्यवस्थाएं कर जाते हैं ये अंग्रेज कि जिन्हें समाप्त करवाने में हमें आदोंलन ही छेड़ना पड़ जाए और इतना कुछ लिखना पड़ जाए!

भारतीय वैचारिक परंपरा में एक संकल्पना इच्छा मृत्यु के वरदान की भी रही है। यानी कुछ लोग ईश्वर या सर्वोच्च सत्ताधारी की उपासना करके एक ऐसा वरदान मांग लेते थे जिससे कि कोई उन्हें मार ही न सके और मृत्यु उन्हें केवल तभी आए जब वो चाहें या मरने की इच्छा करें। दरअसल कहने-कहने के तरीके होते हैं। ये सभ्य लोगों के तरीके हैं कभी रिटायर न होने के। लोग लाईफलोंग चेयरमैन तो आज भी बनते रहते हैं। यह प्रिविलेज या वरदान भीष्म पितामह को भी मिला था। कौरव सेना के सेनापति थे। अर्जुन ने बाणों से इतना घायल कर दिया कि बेचारे उठ-बैठ भी नहीं सकते थे। परंतु रिटायरमेंट के मूड में श्रीमान फिर भी नहीं आए। तो यह तो तय हो ही जाना चाहिए कि अब कुछ लोगों को "इच्छा सेवानिवृत्ति" या "इच्छा रिटायरमेन्ट" का अवदान अवश्य मिलेगा।

राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

कार्यालय, महाप्रबंधक/राजभाषा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

समिति की 10वीं बैठक दिनांक 27-6-2005 को पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर श्री विजय कुमार रैना की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अपर महाप्रबंधक, श्री विजय कुमार रैना ने कहा कि राजभाषा की बैठक सांख्यिकी में उलझ कर रह जाती है जबकि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में अनौपचारिक माध्यम ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। उनका कहना था कि भारतवर्ष के सुदूर अंचलों में भी आज अगर लोग हिंदी भाषा जानते हैं उसका कारण ये अनौपचारिक माध्यम ही हैं। उन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के निमित्त परंपरागत रूप से चले आ रहे उपायों में बदलाव लाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि हम बदले हुए समय एवं जटिल परिस्थितियों के मद्देनजर कारगर उपायों की तलाश करें और तदनुसार कार्य करें। पिछली बैठक में दिए गए सुझाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान हिंदी का भी निरीक्षण करें। इसके अलावा उन्होंने सर्कुलरों को हिंदी में भी जारी करने को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इस संबंध में उन्होंने सी.पी.टी.एम. का भी उदाहरण दिया।

कार्यालय, महाप्रबंधक/राजभाषा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

समिति की तिमाही बैठक दिनांक 29-06-2005 को महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, श्री आर.मोहनदास की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री कुलदीप चतुर्वेदी ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सभी के सहयोग की ही देन है कि आज पूर्वोत्तर रेलवे के छोटे से लेकर बड़े कार्यालयों में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अधिकांशत: हिंदी का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौलिक चिंतन की भाषा में किया हुआ कार्य सहज और उत्कृष्ट होता है। पूर्वोत्तर रेलवे का संपूर्ण कार्यक्षेत्र 'क' क्षेत्र में पड़ता है, अत: यहां हिंदी में काम करना हमारे नैतिकता का भी तकाजा है।

महाप्रबंधक, श्री आर. मोहनदास जी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। भारत एक बहुभाषिक प्रजातांत्रिक देश है। संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज भाषाओं में से हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत सभी प्रशासनिक प्रधानों को इसके अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली फाइलों में आम बोल-चाल के सरल व सहज शब्दों का प्रयोग किया जाए तथा यदि कोई तकनीकी शब्द आ रहा है तो उसे यथावत देवनागरी में ही लिखा जाए। इससे न केवल जनसाधारण समझ सकेगा बल्कि अपने कार्यों को गुणवत्ता के साथ निष्पादित भी करेगा।

पूर्व रेलवे कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) 17,नेताजी सुभाष मार्ग, कोलकाता-700001

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 22-6-2005 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री श्याम कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे ने कहा कि सरकार की नीति के प्रमुख प्रावधानों अर्थात कानूनी प्रलेखों का द्विभाषीकरण, हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में देना, विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों को निर्धारित लक्ष्यानुसार हिंदी पत्राचार के अनुपालन के प्रति हमें हर स्तर पर जागरूकता बरतनी चाहिए, हमारा प्रयास हो कि नोटिंग/ड्राफ्टिंग मूलत: हिंदी में लिखें तथा हमारी भाषा सरल हो, हमें हिंदी शब्दों या अनुवाद के लिए डिक्शनरी का सहारा नहीं लेना चाहिए। भाषा जितनी सरल होगी, हिंदी प्रयोग-प्रसार उतनी ही सरलता से संभव हो सकेगा, इसलिए हमें प्रचलित शब्दों का प्रयोग देवनागरी लिपि में करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

महाप्रबंधक महोदय ने आगे कहा कि हम कंप्यूटरीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अत: कंप्यूटर पर हिंदी का भी तीव्रता से बढ़ाने के यत्न होने चाहिए। नियमों का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती, जन संपर्क के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग हमारी व्यावहारिक जरूरत है, आरक्षण चार्ट, द्विभाषी होना तथा हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में देना ऐसी अनिवार्यताएं हैं जिनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती, हमें चाहिए कि हम अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी नियमों/प्रावधानों से परिचित कराते रहें, ताकि किसी प्रकार की कमी न रह जाए, उन्होंने विचार व्यक्त किया कि राजभाषा का प्रयोग-प्रसार लगन और इच्छा शक्ति से ही पूरा किया जा सकता है, उन्होंने उम्मीद जताई कि हम इसमे अवश्य सफल होंगे।

अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि हिंदी माध्यम से संगोष्ठियाँ आयोजित करने की परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है. बी. आर. सिंह अस्पताल की चिकित्सक डा. सुजाता बसु, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी, एड्स रोग : कारण और बचाव विषय पर और डॉ. देवाशीष, बंदोपाध्याय, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी, पोलियो उन्मूलन : अद्यतन आयाम, विषय पर हमें जानकारी देंगे, यह एक सराहनीय कदम है।

रेल विषयों पर संगोष्ठियों तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जीवंत प्रदर्शन किया गया।

क्षेरेराकास की बैठक के अवसर पर हिंदी माध्यम से रेल विषयक संगोष्ठियों के आयोजन की स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करने हुए, "पोलियो उन्मूलन : अद्यतन आयाम" तथा "एड्स कारण एवं बचाव" विषयों पर संगोष्ठियां संपन्न हुई, साथ ही, कंप्यूटर के जरिए हिंदी में कार्य करने के सॉफ्टवेयर का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया।

अपर आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, जमशेदपुर।

समिति की दूसरी बैठक श्री डी. के मणिड, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, जमशेदपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29-08-2005 में मुख्यालय स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

दिनांक 21-04-2005 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत में निहित बातों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गयी, कार्रवाई के शेष मुद्दों के त्वरित निष्पादन का फैसला किया गया तथा तत्पश्चात् सर्वसम्मति से उसकी पुष्टि कर दी गयी।

श्रीमती तेजस्विनी पी. कुमार, अपर आयुक्त ने कहा कि सभी प्रकार के पत्रों के अग्रेषण पत्र/शून्य रिपोर्ट/अनुस्मारक/छुट्टियों के आवेदन पत्र केवल हिंदी में भेजना/देना शुरू किया जाए, इससे हिंदी पत्राचार में आशातीत बढ़ोतरी हो सकेगी तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी।

श्री मनोज कुमार केडिया, संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.) ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि

तकनीकी प्रकार के शब्दों को अंग्रेजी में ही लिखने का प्रयास किया जाए, ताकि हिंदी में काम भी हो और अर्थबोध भी सहजतापूर्वक हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि आयुक्त महोदया ने जिन पत्रों/सूचनाओं आदि को हिंदी में जारी करने का सुझाव दिया है, उन्हें अनिवार्य घोषित कर दिये जाएँ, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की कोई भी तकनीकी या विधिक बातें लिखने की जरूरत नहीं होती है।

श्री किशोर प्रसाद, प्रशासन अधिकारी (मुख्यालय) का विचार था कि कुछेक अधिकारी केवल अंग्रेजी में ही मुहर बनवाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि द्विभाषी में बनवाने से मुहर का आकार बड़ा हो जाता है तथा जगह भी ज्यादा लेने लगता है। उन्होंने केवल हिंदी में मुहर/अन्य सामग्रियाँ बनवाए जाने पर बल दिया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री मार्ण्डि ने कहा कि अपनी राजभाषा के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना का अभाव है, जो उन्हें बहुत खलता है। आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो काम स्वत: होना चाहिए था, उसके लिए कहना पड़ता है तथा हिंदी में छोटी-छोटी बातों को करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि रबर की मुहरों सहित सभी अपेक्षित सामग्रियाँ निदेशानुसार केवल द्विभाषी रूप में ही बनवायी जाएँ और उन्हीं को इस्तेमाल में लाया जाए। साथ ही बिना किसी बल-प्रयोग के सभी अधिकारी स्वप्रेरणा से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में बिना बुलावे की प्रतिक्षा किये हुए भाग लिया करें।

आईटीआई लिमिटेड दूरभाष नगर, रायबरेली-229010

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक इकाई प्रमुख एवं अपर महाप्रबंधक- आर.बी. श्री तेजबीर सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 12-07-2005 को अपरान्ह 3.30 बजे प्रशासन भवन स्थित सभागार में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रशासन में सामान्यत: प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों की सूची अंग्रेजी से हिंदी में इस तरह की जाय कि इसका उपयोग संक्षिप्ततम् रूप में किया जा सके। ताकि हिंदी में लिखने में सुविधा हो तथा कम समय में लिखा जा सके। उन्होंने राजभाषा अनुभाग द्वारा तैयार की गई सूची की सराहना की और इसे और संक्षेप में तैयार किये जाने का सुझाव दिया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान को फिर से कार्यादेश मिलने की उम्मीद बढ़ी है। संस्थान में उत्पादन पर खर्च करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन साथ ही अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने के पक्ष में हम हैं परन्तु ध्यान रहे कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए बहुत खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं।

अंत में उप महाप्रबंधक-मानव संसाधन, ई.डी.पी. एवं आईटी ने समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अध्यक्ष महोदय के विशेष आभारी हैं कि उन्होंने संस्थान में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हमें कई बहुमूल्य सुझाव दिए। आभार ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद -121003 (हरियाणा)

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2005-06 की पहली तिमाही बैठक 20 जून, 2005 को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री उपेंद्र चोपड़ा, महाप्रबंधक (कार्मिक, जनसंपर्क व राजभाषा) एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की गई। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी

सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। तत्पश्चात् सदस्य सचिव ने बैठक की कार्रवाई शुरू करते हुए बैठक में उपस्थित सदस्यों को पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद प्रबंधक (राजभाषा) ने विभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से हिंदी कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हिंदी पत्राचार में प्रगति करने वाले विभागों की सराहना की गई। बैठक में राजभाषा विभाग से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 की सूचना देते हुए सभी सदस्यों को उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और निरंतर उसकी अनुपालना पर जोर दिया गया। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 9 जून, 2005 को तीस्ता लो डैम-IV परियोजना तथा 13 जून, 2005 को रंगित पावर स्टेशन के निरीक्षण से संबंधित संक्षिप्त जानकारी भी उपस्थित सदस्यों को श्री.पी.डी. मिश्रा, प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा दी गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति ने निगम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली राजभाषा ज्योति, 2004 पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं को ज्ञानवर्धक बताते हुए सराहना की। इस बैठक में राजभाषा की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा के बाद अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने वार्षिक कार्यक्रम की मदों पर लक्ष्यानुरूप कार्रवाई करने पर जोर दिया।

कार्यालय महाप्रबंधक/राजभाषा, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुराकास) की तिमाही बैठक दिनांक 10-06-05 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री कुलदीप चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग सभी विभागों व विभागेत्तर कार्यालयों के हिंदी संपर्क अधिकारियों के अलावा राजभाषा अधिकारी/मुख्यालय उपस्थित थे।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री कुलदीप चतुर्वेदी, ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में उपस्थित सदस्यों से विभागेत्तर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के नियमित आयोजन के लिए अपनी सुविधानुसार कैलेंडर बनाए जाने और तदनुसार बैठकें आयोजित करने पर बल दिया।

उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों से कहा कि अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन प्रोत्साहन योजनाओं के लिए कम अधिकारी भाग लेते हैं जिसके कारण चयन की गुंजाइश नहीं रह जाती है। उन्होंने इसके लिए विभागों से एक से अधिक अधिकारियों के नाम भेजे जाने का पुनः सुझाव दिया। मुराधि ने विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों में राजभाषा संबंधी मद आवश्यक रूप से शामिल करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयी कार्यों में हिंदी की प्रगति पर निगरानी रखी जाए एवं राजभाषा संबंधी उपलब्धियों की रिपोर्टें राजभाषा विभाग को समय से भेजी जाएं, साथ ही उन्होंने राजभाषा संबंधी विभिन्न उपलब्धियों को राजभाषा विभाग को समय से सूचित करने पर बल दिया ताकि वस्तुस्थिति से बोर्ड को भी सूचित किया जा सके। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुराकास) की तिमाही बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से जिन विषयों पर कमियां इंगित की जाएं, उनका विभागों में पुनरीक्षण भी किया जाए और कमियों को दूर कराने का उपाय किया जाए।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

अंगुल (उपक्रम)

अंगुल की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 26-08-2005 को नालको नगर के प्रशिक्षण संस्थान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री कैलाश गुप्त, महाप्रबंधक (मा.सं. वि./प्रशा.), प्रद्रावक एवं विद्युत ने की। बैंठक में अंगुल स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालय, बैंक, इन्श्योरेन्स कंपनी, उपक्रम आदि के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री कैलाश गुप्त ने भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उपस्थित कार्यालय प्रमुखों ने वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कैसे काम करते हैं, उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। श्री गुप्त ने अपने अभिभाषण में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए सभी को काम करने के लिए अनुरोध किया। अगली बैठक दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में आयोजित करने हेतु निर्णय लिया गया। भारी पानी संयंत्र से अनुरोध था कि संयुक्त रूप से कुछ कार्यक्रम किया जाए। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने कहा कि चूंकि यहाँ नालको के सिवा दूसरी बड़ी कंपनी नहीं है और जो शाखा कार्यालय है, उनको नियंत्रण कार्यालय से कुछ कार्य करने की अनुमति लेनी पड़ती है। अत: संयुक्त रूप से कोई काम करना आसान नहीं है। फिर भी एक संयुक्त कार्यशाला करने हेतु सुझाव दिया गया। इसकी संभाव्यता को देखते हुए अगली बैठक के पहले एक कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। इस विषय पर और कई सदस्यों ने अपना वक्तव्य रखा। अंत में श्री उपेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ कार्यपालक सहायक (राजभाषा), सी.पी.पी. ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। समस्त सदस्यों को नालको की तरफ से आयोजित सहभोज में शामिल किया गया।

देवास

35 वीं बैठक दिनांक 15-6-2005 को अपराह्न 3.00 बजे बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के विभागाध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक श्री सुमित सिन्हा जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री सुमित सिन्हा ने कहा कि हमारी नगर राजभाषा समिति में लगभग इकत्तीस कार्यालय है इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इन कार्यालयों के कार्य की प्रकृति अलग-अलग है, कार्य का वातावरण अलग-अलग है, उन्हें एक साथ लेकर चलना वाकई एक मुश्किल काम होता है। लेकिन आपने विभिन्नता में एकता का परिचय देते हुए समिति को सहयोग प्रदान कर राजभाषा के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय काम किया है। मार्च, 2005 में नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में नराकास, देवास को राजभाषा विभाग की ओर से वर्ष 2003-2004 हेतु मध्य क्षेत्र का दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ जो आप सबके समन्वित प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

यह भी एक सुखद संयोग है कि हमारे क्षेत्र में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हमें सतत् मार्गदर्शन देने के लिए श्री सरवाही जैसे योग्य एवं कुशल अधिकारी मौजूद हैं जो समय-समय पर हमारे बीच उपस्थित हो कर हमारे कार्यों का त्वरित मूल्यांकन कर हमें अपने बहुमूल्य सुझावों से अवगत कराते हैं।

यह खुशी की बात है कि वर्ष 2004 में राजभाषा में श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले कार्यालयों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। पुरस्कृतों को बधाई एवं

आप सभी को आगामी वर्ष के लिए शुभकामनाएं। यहां एक बात और कहना चाहता हूँ कि केवल बेहतर कार्य ही पुरस्कार का पैमाना नहीं होता। बेहतर काम के अलावा उसकी प्रस्तुति, बैठकों में नियमितता एवं रिपोर्टों का सही समय पर प्रेषण भी पुरस्कार के लिए जरूरी है। कई कार्यालय ऐसे हैं जो कार्य तो अच्छा करते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती, कई कार्यालय काम भी अच्छा करते हैं, रिपोर्ट भी समय पर भेजते हैं लेकिन नराकास की बैठकों में उनके वरिष्ठ अधिकारी किन्हीं कारणों से हिस्सा नहीं ले पाते और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह देख कर होता है कि कुछ कार्यालय उपरोक्त सभी औपचारिकताएं निभाते हैं लेकिन जब वार्षिक प्रतियोगिता के लिए रिपोर्ट भिजवानी होती है तो उनकी रिपोर्ट नहीं आती जिससे वे इस सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाते। आप सभी को आत्म निरीक्षण करना होगा कि आखिर किन कारणों से आप यह पुरस्कार प्राप्त करने से चूक गए हैं। बस उस कमी को दूर कर लीजिए हो सकता है इस साल का पुरस्कार आपकी झोली में हो। एक बार पुन: सभी को बधाई और शुभकामनाएं।

शिलचर (उपक्रम)

31वीं बैठक संयोजक कार्यालय—हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछार पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 16 मई, 2005 को मिल के अधिशासी निदेशक श्री दिलीप कुमार साहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री साहा ने कहा कि आप सब जानते हैं कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु अब भी शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, किंतु अभी भी बहुत सा काम अंग्रेजी में हो रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिंदी का ही प्रयोग हो। यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। आप लोग अपने-अपने कार्यालयों के प्रमुख हैं। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से उठाए गये कदम निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी को नई दिशा देंगे। हमारा विश्वास है कि इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उनका आपके कार्यालयों में अनुपालन होने से राजभाषा हिंदी की प्रगति अवश्य होगी। संघ की राजभाषा नीति का आधार भले ही प्रेरणा और प्रोत्साहन है किन्तु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए।

कटक

दिनांक 8 जून, 2005 को उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बारवाटी स्टेडियम, कटक के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। श्री बसंत कुमार बेहेरा, केंद्र अभियंता, आकाशवाणी, कटक तथा अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कटक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले सभी कार्यालयाध्यक्षों को बैठक में योगदान करने के लिए बधाई दी एवं अनुपस्थित कार्यालयाध्यक्षों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा सभी देशों की एक भाषा होती है और उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है परंतु स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक हम अंग्रेजी को छोड़ नहीं पाए। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक सज्जन फ्रांस से आये थे। हम उनसे अंग्रेजी में बात करना चाहते थे परंतु उनकी अंग्रेजी की पकड़ इतनी कमजोर थी कि वे न हमें समझ पा रहे थे और न हम उन्हें समझ रहे थे। तीन चार दिन यहाँ रहने के बाद वह थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझने लगे। इससे यह पता चलता है कि उन्हें अपनी मातृभाषा पर कितना गर्व था। बिना

अंग्रेजी का सहारा लिये फ्रांस देश ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने आगे कहा हिंदी एक बहुत ही मधुर भाषा है। हिंदी का प्रचार और प्रसार से एकता की भावना बढ़ेगी। उन्होंने और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इजराइल जब स्वाधीन हुआ वहाँ के राष्ट्रपति जनता की भाषा हिब्रू को तुरंत राजभाषा बना दिया पर हमारे देश में हमारी राजभाषा हिंदी होते हुए भी आज भी अंग्रेजी सरकारी कामकाजों में प्रचलित है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

रायपुर

छमाही बैठक दिनांक 30 मई, 2005 को 16.00 बजे आदरणीय श्री आर.के. शर्मा, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, रायपुर एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क भवन, टिकरापारा, रायपुर के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम राज्य कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयुक्त, रायपुर को उनकी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी एवं अपेक्षा की कि भावी राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कृत कार्यालयों की सूची में रायपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों की संख्या बढ़े। उसके बाद समिति की बैठक में सदस्य कार्यालयों के समुचित प्रतिनिधित्व पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें कोई भी कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करना चाहिए तभी उसका अपेक्षित परिणाम मिल सकता है। राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में भी हमें वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए केवल आंकड़ों पर अपना ध्यान केंद्रित न कर राजभाषा हिंदी के वास्तविक प्रयोग पर बल देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अन्य अधिकारियों के सुझावों पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार की नीति प्रोत्साहन की नीति है अत: हो सकता है कि कोई भी सुझाव हमारे कार्य को बेहतर दिशा एवं गति प्रदान कर दे। अपने उद्बोधन के अंत में उन्होंने एक बार पुनः सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन किया एवं समिति की विभिन्न गतिविधियों में उनके सार्थक सहयोग की अपेक्षा की।

तृश्शूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तृश्शूर की 35वीं बैठक दिनांक 30-5-2005 के 3.00 बजे अपराह्न लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृश्शूर के निदेशक व समिति के अध्यक्ष श्री लैबर्ट जोसफ़ की अध्यक्षता में संस्थान के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर ज़ोर दिया तथा यह विचार व्यक्त किया कि सभी केंद्र सरकारी विभागों/बैंकों/उपक्रमों इत्यादि को सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि इस तरह की बैठक सभी को इस ओर प्रेरित करने के लिए आयोजित की जाती है।

भोपाल (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल की 42वीं बैठक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संयोजन में बैंक के आंचलिक कार्यालय में श्री घनश्याम गुप्ता, महाप्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अध्यक्ष, बैंक न.रा.का.स. भोपाल की अध्यक्षता में 22 अगस्त, 2005 को संपन्न हुई। श्री सुनील सरवाही, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल मुख्य अतिथि तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप

में बैठक में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यपालकगण, राजभाषा प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

श्री गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित अत्यंत महत्वपूर्ण समितियां हैं, जिनके माध्यम से नगर के सदस्य कार्यालयों के बीच राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु अनुकूल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। उन्होंने इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भोपाल की बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपने सदस्यों के सक्रिय सहयोग तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के श्री सरवाही जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में सफल रही है। श्री गुप्ता ने बैंक के कार्यपालकों तथा कार्यालय प्रमुखों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अन्य कार्यों की भांति राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन भी हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है। अत: हमें इसके कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए और स्वेच्छा से रुचिपूर्वक इसके समस्त आयोजनों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। राजभाषा हिंदी हमारी संवैधानिक, नैतिक जिम्मेदारी के अलावा हम बैंकरों के लिए एक व्यावसायिक आवश्यकता भी है, जिसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। श्री गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में इस बात पर विशेष बल दिया कि कार्यालय-प्रमुख समिति की बैठकों में स्वयं भाग लें ताकि बैठक में सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने समिति को भेजे जाने वाली रिपोर्ट को सही एवं समय से भेजने तथा भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के सभी मदों के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु विशेष आग्रह किया। उन्होंने बैठक में कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की।

श्री गुप्ता ने समिति द्वारा हिंदीतर भाषा भाषियों हेतु आयोजित हिंदी कार्यशाला, समिति द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "बैंक भाषा" के प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियों पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति के सदस्यों के सहयोग की सराहना की। अंत में उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी नियत समयावधि में बैठक के आयोजन पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी सदस्यों के सहयोग से समिति अपना कार्य आगे भी निरंतर सफलतापूर्वक करती रहेगी।

श्री सुनील सरवाही, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार ने अपने उद्बोधन में जहां एक तरफ समिति की बैठकों के समुचित आयोजन की सराहना की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि बैठकों के आयोजन को मात्र औपचारिकता न माना जाये। इन बैठकों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके महाप्रबंधक को पत्र लिखा जाना चाहिए। अनुपस्थित सदस्यों की जानकारी हमारे पास भेजी जाए ताकि उन्हें इस संबंध में पत्र लिखा जा सके। श्री सरवाही जी ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति अब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन के परिणाम एवं प्रभाव जानना चाहती है। समितियों द्वारा आयोजित कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं एवं सद्भावना का निमार्ण उद्देश्य प्राप्ति का एक माध्यम है। भारत सरकार का वास्तविक उद्देश्य है कि सरकारी कार्यालयों एवं उपक्रमों में हिंदी में कार्य किया जाये। उन्होंने सुझाव दिया कि समिति के सचिवालय को समिति की उपलब्धियों का एक सारांश तैयार करके रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर संसदीय राजभाषा समिति के दौरे के समय उसका उपयोग किया जा सके। श्री सरवाही जी ने समिति की बैठक में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति पर विशेष बल

दिया और कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उनके बैंक में कार्यान्वयन संबंधी स्थिति पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। उन्होंने सदस्य बैंकों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की विसंगतियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया और कहा कि रिपोर्ट का समय से न आना या सही रिपोर्ट का न आना चिंताजनक है।

श्री सरवाही जी ने कहा कि हर प्रशासक को सरकार की राजभाषा नीति संबंधी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने धारा 3(3) के पूर्णतया अनुपालन करने की बात कहते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि इस संबंध में प्रशासनिक कार्यालय तथा शाखा कार्यालय स्तर तक के सभी कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट उनके कार्य की वास्तविक परिचायक होनी चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट के प्रारूप में किसी प्रकार के परिवर्तन को आपत्तिजनक बताया।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, उप निदेशक (कार्यान्वयन) तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समिति की गृहपत्रिका "बैंक भाषा" के 2004-05 अंक का लोकार्पण किया गया। बाद में सभी उपस्थित सदस्यों को पत्रिका का अंक वितरित किया गया। सदस्यों द्वारा पत्रिका के आवरण, सामग्री एवं प्रस्तुति की सराहना की गयी।

तूतीकोरिन

नराकास, तूतीकोरिन, तमिलनाडु की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 28-07-2005 को महाप्रबंधक-दूरसंचार के कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड, पालयमकोट्टै रोड, तूतीकारिन-6 के परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री के. साम चंद बोस, उपमहाप्रबंधक-दूरसंचार, भारत संचार निगम लिमिटेड, तूतीकोरिन ने की। नराकास अध्यक्ष ने कहा कि छमाही रिपोर्ट में सही आंकड़े भरे जाने चाहिए एवं रिपोर्ट भरने संबंधी कठिनाई को नराकास सचिव से जानकारी लेकर हल करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में समय-समय पर एक निरीक्षण कार्यक्रम बनाकर हिंदी प्रयोगों संबंधी गतिविधियों की जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही, राजभाषा प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को भी मिलकर हल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारी पानी संयंत्र द्वारा हर तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है। अतः आप अपने कार्यालय से भी एक-दो हिंदी जानने वाले कार्मिकों को हिंदी कार्यशाला हेतु नामित कर सकते हैं एवं सभी से अनुरोध किया कि राजभाषा कार्यक्रम में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करें।

वडोदरा

समिति की 45वीं बैठक दिनांक 27-07-2005 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क भवन, रेसकोर्स सर्कल स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री कौशल श्रीवास्तव, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क वडोदरा-1 एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने की।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जैसा हम सब जानते हैं कि वडोदरा राजभाषा की दृष्टिकोण से 'ख' क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ अवस्थित कार्यालयों द्वारा 'क' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ किए जाने वाले पत्र व्यवहार के लिए सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ पत्राचार हेतु 100 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। यह हमारे लिए काफी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने-अपने कार्यालयों का प्रमुख होने के नाते हम सबका यहाँ कर्तव्य बनता है कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। इसके लिए हमें अपने कार्यालयों में होने वाले कार्यों में से ऐसे कार्यों की पहचान करनी होगी जिन्हें आसानी से हिंदी में कराया जा सके। साथ ही, फाइलों में नोट लिखने के

लिए भी सरकार की ओर से 50 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। अतः फाइलों में जहां तक संभव हो सके टिप्पणियाँ हिंदी में ही लिखने के प्रयास किए जाएं। जिन कार्मिकों को अभी भी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाए। वडोदरा नगर समिति का सौभाग्य है कि हमारे पास हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली की ओर से एक हिंदी प्राध्यापक भी तैनात है। अतः प्राध्यापक महोदय की सेवाओं का भरपूर लाभ लिया जाए तथा अपने कार्मिकों को हिंदी में प्रशिक्षित करवाकर उन्हें कार्यसाधक ज्ञान दिलाया जाए इसी तरह टाइपिंग का कार्य करने वाले सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि की जानकारी प्राप्त करें तथा आवश्यकता पड़ने पर हिंदी टंकण/ आशुलिपि का कार्य करें।

रा.भा. विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई से बैठक में भाग लेने हेतु पधारे श्री राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुछ कार्यालयों में हिंदी में कार्य हो रहा है पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। कहीं-कहीं काम वास्तव में नहीं हो रहा है परंतु वहाँ अच्छा निष्पादन बताया जा रहा है। कार्यालय प्रधानों का इन बैठकों में भाग लेना अत्यावश्यक है। जो कार्यालय बैठकों में भाग नहीं लेते हैं वे भी अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। गुजरात में राष्ट्र प्रेम एवं हिंदी प्रेम की भावना हमेशा रही है। यहाँ हिंदी बैठकों में भाग लेने के लिए बार-बार अनुरोध करना अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय सभी कार्यालय अध्यक्षों को अर्ध शासकीय पत्र लिखें तथा इसकी प्रति रा.भा. विभाग को भी दें। बैठकों में सभी कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि वे अपने-अपने क्षेत्र में तथा विशेष रूप से प्रबंधन में माहिर होते हैं। अतः राजभाषा को आगे बढ़ाने में वे अधिक मददगार सिद्ध होंगे। सभी लोग अपना व्यवहारिक (दैनिक) कार्य हिंदी में ही करते हैं परंतु फाइलों पर हिंदी में नहीं लिखते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। छोटी-मोटी टिप्पणियाँ हिंदी में लिखने के प्रयास किए जाएं। फाइलों पर लिखने का अभ्यास डालने की आवश्यकता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जा सकता है। लिखते समय अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने बजाय हिंदी में ही सोचने की आवश्यकता है। सदस्य कार्यालय आपसी तालमेल रखें और एक-दूसरे का सहयोग लें। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाएं और उसके कार्यवृत्त बनाए जाएं तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाए। हिंदी भाषा/टंकण/ आशुलिपि में प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम बनाएं एवं तद्नुसार सबको प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें।

करनाल

केंद्र सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपक्रमों, निगमों में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं इसके कामकाज को बढ़ाने हेतु गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल की वर्ष 2005-2006 की प्रथम एवं 41वीं छमाही बैठक दिनांक 22-6-2005 को लघु उद्योग सेवा संस्थान, कुंजपुरा रोड, करनाल में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि श्री वी.एन. राय, पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक मंडल पधारे। उन्होंने समिति द्वारा प्रकाशित "कर्णोदय" पत्रिका के सातवें अंक का विमोचन किया। उन्होंने समिति के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

इस बैठक में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय,(उत्तर) गाजियाबाद के अनुसंधान अधिकारी श्री जसवंत सिंह ने सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यालयों प्रमुखों से क्या अपेक्षाएं हैं इस बारे में विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक एवं

अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल श्री सुरेश यादवेंद्र ने की।

इस बैठक में वार्षिक कार्यक्रम, पत्राचार, धारा 3(3), अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं छमाही रिपोर्ट आदि 07 मदों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं संचालन समिति के सचिव एवं सहायक निदेशक श्री बृजेश यादव ने किया। आभार अपर आयकर आयुक्त श्री सुरेश चंद्र ने किया।

कोलकाता (बैंक)

नराकास (बैंक) कोलकाता की 39वीं बैठक दिनांक 24-08-2005 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता सुश्री सुनंदा लाहिड़ी, कार्यपालक निदेशक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने की। उक्त बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षण अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

अध्यक्ष महोदया ने आमंत्रित अतिथियों, सदस्य कार्यालयों से पधारे कार्यपालकों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन एक सांविधिक अपेक्षा है। आज बैंकिंग का कार्यक्षेत्र व्यापक एवं उन्नत हो गया है। बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में हिंदी में कार्य किए जाने चाहिए।

लुधियाना

लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 48वीं बैठक दिनांक 24-08-2005 को सायं 3.00 बजे मिराडो सैंटर, गिल रोड, लुधियाना के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। श्री एस.जे.एस. पाल, मुख्य आयकर आयुक्त लुधियाना एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना ने इस बैठक की अध्यक्षता की। श्री जसवंत सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन (उत्तर) कार्यालय गाजियाबाद से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में इस बैठक में उपस्थित हुए।

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन (उत्तर) कार्यालय गाजियाबाद से राजभाषा विभाग का प्रतिनिधत्व कर रहे श्री जसवंत सिंह, अनुसंधान अधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाएं, किसी भी कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन न किया जाए, फाइलों पर अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएं तथा रबड़ की मोहरें अनिवार्य रूप से द्विभाषी तथा नामपट्ट त्रिभाषी रूप में तैयार करवाए जाएं। विभिन्न कार्यालयों को पुरस्कृत करने के लिए बनाई गई समिति का नाम निरीक्षण दल के स्थान पर मूल्यांकन समिति या परामर्श दल रखा जाए। जिन कार्यालयों में कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है धारा 8(4) के अधीन उनके व्यक्तिश: आदेश जारी किए जाएं कि वे अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करें।

श्री एस.जे.एस. पाल, मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नराकास लुधियाना ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में भाग ले रहे सभी सदस्य राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयास करें ताकि नगर राजभाषा

कार्यान्वयन समिति अखिल भारतीय स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त करने के लिए प्रबल दावेदार बन सके। यह प्रसन्नता की बात है कि इस बैठक में कुछ कार्यालयों से वरिष्ठतम प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मैं आशा करता हूं कि अगली बैठकों में अधिक से अधिक कार्यालय अध्यक्ष उपस्थित होंगे ताकि इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करवाया जा सके।

(ग) कार्यशालाएं

आकाशवाणी, अहमदाबाद एवं विज्ञापन प्रसारण सेवा अहमदाबाद

14-6-2005 को संयुक्त रूप से एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन सुश्री आशा शुक्ला, केंद्र निदेशक ने किया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला की सार्थकता तो तभी सिद्ध होगी जब व्याख्यान सुन कर उसके समाप्त होने पर सभी अपने-अपने प्रतिभाव लिखित रूप से देंगे ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों ने इस कार्यशाला से क्या सीखा या जो भी सीखा उसे अच्छी तरह ग्रहण कर लिया एवं अपने-अपने दैनिक कार्य में उसका प्रयोग कर के राजभाषा की प्रगति में अपना सहयोग देंगे।

तत्पश्चात सचिव ने उपस्थित वक्ता एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए श्री आसित आचार्य, आयकर अधिकारी एवं वक्ता का संक्षिप्त परिचय दिया एवं बताया कि वैसे तो कार्यालय में अधिकांश सदस्य अपना-अपना काम राजभाषा में ही करते है फिर भी राजभाषा कार्य में गति लाने के उद्देश्य से एवं छोटी-छोटी उलझनें सुलझाने के लिए कार्यशाला का विषय हिन्दी में टिप्पण/प्रारूपण (नोटिंग-ड्राफ्टिंग) एवं उसका महत्व रखा गया। उम्मीद है सभी सदस्य इससे लाभान्वित होंगे।

श्री आसित आचार्य, वक्ता ने हिंदी में नोटिंग के प्रकारों की चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी दी एवं छोटी-छोटी टिप्पणियां कैसे लिखी जाएं ये बताते हुए लिखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बड़े ही मनोरंजन ढंग से छोटे-छोटे उदाहरण देकर समझाया। व्याख्यान के समाप्त होने पर सभी अपस्थित सदस्यों को नोटिंग करके अभ्यास भी करवाया गया।

मुख्यालय मुख्य अभियंता सेवक परियोजना द्वारा 99 सेना डाकघर

मुख्यालय में दिनांक 5, 6 तथा 7 सितंबर, 2005 को तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अवधि प्रतिदिन 11.30 बजे से दोपहर के बाद 13.00 बजे तक डेढ़ घंटे की थी।

कार्यशाला में सेवक मुख्यालय तथा स्थानीय यूनिटों के 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान हिंदी लिपि, वर्तनी, पत्र, परिपत्र, नोटिंग, अंतर-कार्यालय-टिप्पणी आदि के अभ्यास के साथ व्यवहार तथा दैनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों का अभ्यास भी कराया गया।

कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता परियोजना के मुख्य अभियंता, ब्रिगेडियर एस नरसिम्हन ने की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग इस कार्यशाला में बताई गयी बातों का उपयोग अपने दैनिक सरकारी काम-काज में करें और आप अपने अंदर हिंदी में कार्य करने की इच्छा जगाएं तभी इस प्रकार के आयोजनों को सफल माना जा सकेगा।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में दिनांक 08 एवं 09 जून, 2005 को

संयंत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एक दो पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 17 प्रतिभागी थे।

श्री वी.वी.एस.रामाराव ने अपने भाषण में कहा कि दिन-प्रतिदिन राजभाषा हिंदी का विस्तार हो रहा है। अब तो विभागीय परीक्षाओं में भी राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। अत: इन सभी स्थितियों को देखते हुए हमारा यह कर्त्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार की कार्यशालाओं का लाभ उठाएं और हिंदी में कार्य की बात करके एवं नियम को समझें। प्रशासन अधिकारी ने अपने भाषण में कहा कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और हमारा स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा इसलिए है एवं अधिकांश राज्य हिंदी भाषी हैं। सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि अधिक से अधिक कर्मचारी हिंदी सीखें, काम का हिंदी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आएं और अपनी विचारों को दूसरों तक पहुँचाए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य महाप्रबंधक श्री शास्त्री जी ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि हिंदी तो स्कूलों में भी सिखाई जाती है। लेकिन हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान एवं तकनीकी शब्दों का ज्ञान हमें कार्यशालाओं के माध्यम से ही हमें मिलता है। उन्होंने कहा कि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसे हमें हिंदी के माध्यम से सीखने का प्रयास करना चाहिए । उन्होंने कहा कि हिंदी व्याकरण की अपनी ही खूबी है। उन्होंने यह भी कहा कि हर सरकारी आदमी का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने सब लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी बातों-विचारों को हिंदी के माध्यम से सोचें और समझें।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओड़िसा, भुवनेश्वर

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओड़िसा, भुवनेश्वर कार्यालय में दिनांक 21-03-2005 से 29-03-2005 तक 6 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में कार्यालय के कुल 32 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप में संघ सरकार की राजभाषा नीति, कार्यालय के काम काज से संबंधित विषयों पर टिप्पणी एवं मसौदा लेखन, पत्राचार, विभागीय शब्दावली, हिंदी वर्तनी तथा शुद्ध हिंदी लेखन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों ने उत्सुकतापूर्ण माहौल में लगन तथा सक्रियता के साथ बढ़चढ़ कर अभ्यास किया।

कार्यशाला का समापन समारोह दिनांक 11-04-2005 को उपमहालेखाकार (प्रशासन) श्री निरंजन बाला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रारंभ में सभी प्रतिभागियों के साथ कार्यशाला की उपयोगिता पर चर्चा हुई तथा सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला को अत्यंत लाभदायक बताते हुए समय-समय पर इस प्रकार की कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता प्रकट की।

इस अवसर पर उपमहालेखाकार महोदय ने समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों को उक्त हिंदी कार्यशाला में उत्सुकता के साथ भाग लेने हेतु बधाई दी एवं हिंदी में टिप्पणी तथा मसौदा लिखने का सुझाव देते हुए हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी को सहृदयता से आगे आने का आह्वान किया। अंत में उप-महालेखाकार के कर-कमलों द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

परिषद मुख्यालय के अनुभाग अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रति सचेत करने तथा उन्हें अपना अधिक से अधिक सरकारी काम-काज हिंदी में करने तथा हिंदी में काम करने में होने वाली झिझक को दूर करने के लिए दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला

कृषि भवन के समिति कक्ष संख्या-1 में दिनांक 19 और 20 अप्रैल, 2005 को आयोजित हुई। इसमें कुल 23 अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के पहले दिन अर्थात 19 अप्रैल, 2005 को राजभाषा विभाग के तकनीकी निदेशक, श्री केवल कृष्ण ने सरकारी काम-काज हिंदी में करने में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं महत्ता पर व्याख्यान दिया।

दूसरे दिन अर्थात् 20 अप्रैल, 2005 को राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्या०) श्री नेत्र सिंह रावत, ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में राजभाषा अधिनियम एवं नियमों की विस्तृत व्याख्या की एवं इनके कार्यान्वयन की अनिवार्यता तथा महत्ता पर प्रकाश डाला। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए उन्होंने हिंदी में कार्य करने हेतु ध्यान देने योग्य कुछ विशेष तथ्य भी समझाए।

उपरोक्त दोनों हिंदी कार्यशालाओं में अनुभाग अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा हिंदी कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं से संबंधित कई प्रश्न भी पूछे। अतिथि व्याख्याताओं ने उनके सभी प्रश्नों के संतोषजनक समाधान बताए। इस अवसर पर प्रतिभागियों को संदर्भ साहित्य भी वितरित किया गया। अंत में अतिथि व्याख्याताओं को धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत दोनों कार्यशालाओं का समापन हुआ।

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, राजकोट

14 जून, 2005 को आयकर अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला तथा दिनांक 15 से 17 जून, 2005 तक कर्मचारियों के लिए अशंकालीन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

शुभारंभ समारोह में माननीय श्री सुभाष कुंद्रा साहब ने बहुत ही सारगर्भित एवं प्रेरक वक्तव्य देते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संनिष्ठ प्रयास करने का आग्रह किया।

उक्त कार्यशालाओं में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में डॉ. एस.पी.शर्मा, श्री दीपक पंडया, डॉ. दक्षाबेन दवे, डॉ. अमी दवे, श्री तुराब त्रवाड़ी, श्री पी.बी.सिंह, श्री पुरूषोत्तम मकवाणा ने सक्रिय सहयोग दिया तथा आयकर विभाग के श्री एन.पी.सिंह, आयकर आयुक्त (अपील) श्री एस.एस.मंत्री, संयु.आ.आ. एवं श्री एल.डी.धमल. सहायक निदेशक (रा.भा.) ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिये।

केंद्रीय न्यायालयिक संस्थान,
प्लॉट नंबर-2, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-36ए,
चंडीगढ़-160036

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सेक्टर-36ए, चंडीगढ़ में कार्यरत प्रशासनिक कर्मियों के लिए दिनांक 12-04-2005 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री दीपक मिड्ढ़ा, सदस्य सचिव द्वारा कार्यशाला का उदेद्श्य एवं कार्यालय की हिंदी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला के दौरान प्रशासनिक कर्मियों को राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, कार्यान्वयन व अनुपालन, सरकारी कार्य में अनुवाद की भूमिका व महत्व, हिंदी वर्तनी की कठिनाईयां, हिंदी में पत्राचार, हिंदी में टिप्पण व मसौदा लेखन तथा सरकारी कामकाज में तनाव प्रबंधन पर क्रमशः श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.), मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, डॉ. सुभाष रस्तोगी, हिंदी अधिकारी, प्रधान महा-लेखाकार, सुश्री नीरू, हिंदी अधिकारी, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, डॉ. पंकज अनेजा, हिंदी अधिकारी, पीजीआई, श्रीमती प्रीति सिंह, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, श्रीमती हरिता मदन मारवाह, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण एवं विचार-विमर्श किया। इस कार्यालय में 18 प्रशासनिक कर्मियों द्वारा भाग लिया गया। इस कार्यशाला की विशेषता यह रही कि सभी वक्ताओं ने अपने विषय की विस्तार-पूर्वक चर्चा उपरांत सभी प्रतिभागियों के साथ सामूहिक चर्चा की।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लि. 44, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता-700017

आईडीबीआई लि., कोलकाता में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कुल 12 स्टाफ सदस्यों को शामिल कर दिनांक 12-20 मई 2005 के दौरान पाँच सत्रीय एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उदेद्श्य स्टाफ सदस्यों को हिंदी में कार्य करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था।

कार्यशाला का उद्घाटन सत्र ''भारत सरकार की राजभाषा नीति और उनका अनुपालन'' विषय पर था। इसका संचालन हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता केंद्र के सहायक निदेशक श्री बी. एन. पांडेय ने किया। इसके अंतर्गत श्री पांडेय ने राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा नियम और अधिनियम की चर्चा की।

कार्यशाला के दूसरे सत्र का संचालन हिंदी प्राध्यापिका सुश्री रजनी पोद्दार ने किया। विषय था- ''शुद्ध हिंदी कैसे लिखें''। इसके अंतर्गत सुश्री पोद्दार ने हिंदी में वाक्य-गठन, लिंग, वचन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

कार्यशाला के तीसरे सत्र का विषय था- ''पारिभाषिक शब्दावली - बैंकिग संदर्भ में''। इसका संचालन सिडबी, कोलकत्ता शाखा कार्यालय के सहायक महा प्रबंधक (हिंदी) श्री वी.के. सेतिया ने किया। इसके अंतर्गत श्री सेतिया ने बैंकिंग संदर्भ में हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को इसका अभ्यास कराया।

कार्यशाला के चौथे सत्र का विषय ''हिंदी पत्राचार'' था। इसका संचालन सहायक महा प्रबंधक (हिंदी) श्री कृष्ण ठाकुर ने किया। इसके अंतर्गत श्री ठाकुर ने पत्रों के छोटे-छोटे नमूने लेकर प्रतिभागियों को उनका अभ्यास कराया।

कार्यशाला के पाँचवे और अंतिम सत्र का संचालन भी सहायक महा प्रबंधक (हिंदी) श्री कृष्ण ठाकुर ने किया। विषय था ''टिप्पण और आलेखन''। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को छोटे-छोटे टिप्पण और आलेखन का अभ्यास कराया गया।

सभी प्रतियोगियों ने कार्यशाला को उपयोगी बताया तथा सकारात्मक विचार व्यक्त किए।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प.बं.)

संस्थान के तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए एक-दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29-03-2005 को किया गया। कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित की गई जिसमें कुल 36 तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

कार्यशाला का उदघाटन डॉ. गरिमा श्रीवास्तव, रीडर, विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्थान के निदेशक, डॉ. ए. सरकार ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखती है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने सरकारी कार्यों में अधिकाधिक हिंदी में प्रयोग करने की अपील की। हिंदी कार्यशाला के आयोजन के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका मूल उदेद्श्य अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उनके झिझक को दूर करना है।

इस दौरान संस्थान के संयुक्त निदेशक, डॉ. ए.के.सैनगुप्ता ने अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने-अपने कार्य में राजभाषा हिंदी का समुचित स्थान दें तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रयासरत रहें।

हिंदी कार्यशाला के अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन

के हिंदी विभाग के रीडर, डॉ. गरिमा श्रीवास्तव ने हिंदी की महत्ता और उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सरकारी तंत्र में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यशाला के आयोजन से अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक तो समाप्त होगी ही इसके अलावा इसमें आत्म विश्वास के साथ सरकारी कामकाज हिंदी में निष्पादित करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

कार्यशाला में व्याख्यान डॉ. गरिमा श्रीवास्तव, रीडर, विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन ने किया। प्रथम सत्र का विषय "कार्यालीन हिंदी के अनुप्रयोग तथा पत्राचार के विविध स्वरूप" रखा गया था जबकि द्वितीय सत्र का विषय "राजभाषा नीति एवं इसका अनुप्रयोग" था ।

महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सी. जी. ओ. कांप्लेक्स, नई दिल्ली

महानिदेशालय, भा. ति. सी. पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने हेतु केंद्रीय अभिलेख कार्यालय के लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, छावला में यूनिटों आदि से आए 15 हैड कांस्टेबल/सी.एम. के लिए 16 से 19 मई, 2005 तक "तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला"आयोजित की गई।

श्री पी.के. धस्माना, अपर उपमहानिरीक्षक (प्रशा.) ने अपने स्वागत संबोधन में आशा प्रकट की कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से हर स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा और कार्मिकों की हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयां भी कम होंगी। उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यशाला में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों की व्यावहारिक कक्षाओं को भी आयोजित किया गया और सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें उत्साह और रुचि से भाग लेकर कार्यशाला को सफल बनाया। उन्होंने परिणाम की घोषणा की और समस्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी।

मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम सभी को कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महानिदेशालय स्तर पर, बल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु नियमित रूप से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कार्य में सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग की प्रवृति से बचा जाए। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि उन्होंने हिंदी कार्यशाला में जो कुछ सीखा है उसे वे अपनी-अपनी वाहिनियों में जा कर अपने सहकर्मियों को भी बताएं ताकि वे भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि कार्यशाला को और उपयोगी बनाने के लिए इसमें लगातार और सुधार किया जाए । उप महानिरीक्षक (प्रशा.) ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों, विशेषकर परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कार्मिकों को बधाई दी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर एयरपोर्ट,जयपुर

जयपुर हवाई अड्डा, विमानपत्तन निदेशक कार्यालय में दिनांक 21/03/2005 से 22/03/2005 तक दो दिन की पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में जयपुर कार्यालय में किए जा रहे हिंदी पत्राचार पर संतोष व्यक्त किया और सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के पत्राचार में बढ़ोतरी करने के लिए निरतंर प्रयासरत रहने के लिए कहा।

इस कार्यशाला में दिनांक 21-03-2005 को तीन व्याख्यान रखे गये। पहला व्याख्यान श्री राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा "**राजभाषा नीति**" पर दिया गया। अपने इस व्याख्यान में उन्होंने राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। द्वितीय

व्याख्यान स्थानीय व्याख्याता श्री प्रभाशंकर शर्मा, सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में **''प्रशासनिक पत्राचार मे हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाइयों''** पर चर्चा की एवं प्रतिभागियों द्वारा इससे संबंधित पूछे गये प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

इस दो दिवसीय पूर्णकालिक कार्यशाला के दौरान वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्रीय मुख्यालय के प्रतिनिधि एवं प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक चर्चा भी की गई। इस कार्यशाला में कुल 21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का समापन निदेशक विमानपत्तन श्री अरूण तलवाड़ द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला प्रमाण-पत्र प्रदान कर किया गया। समापन समारोह के दौरान निदेशक विमानपत्तन ने सभी प्रतिभागियों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने को कहा ताकि जयपुर विमानपत्तन पर राजभाषा कार्यों में और अधिक प्रगति लाई जा सके तथा पूर्ण रूप से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

निगम मुख्यालय दवारा राजभाषा की प्रगति के लिए बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 के कलैंडर के अनुसार **दिनांक** 21-06-2005 को विभिन्न विभागों में कार्यरत **कार्यालय अधीक्षक व समक्षक स्तर** के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया । कार्यशाला का उद्घाटन श्री दयाल माथुर,महाप्रबंधक (मानव संसाधन-II) के कर कमलों द्वारा कियां गया । उन्होंने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को आवाह्न किया कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रतिबद्धता से योगदान दें। हमें राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त करके विद्युत उत्पादन के साथ-साथ राजभाषा के क्षेत्र में भी उपलब्धियों के रिकार्ड दर्ज करने हैं। इसके लिए सभी के पूरे मनोयोग से सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने प्रतिभागियों से यह भी कहा कि वे शब्दावली को विभिन्न कार्यों में अपनाएं एवं शब्द भंडार बढ़ाएं ताकि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए निगम में प्रोत्साहन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इस अवसर पर श्री डी. एस. चौहान, प्रमुख (मा. सं. व राजभाषा) ने संक्षेप में बताया कि किस प्रकार तकनीकी क्षेत्र में भी निगम मुख्यालय में हिंदी में कार्य बढ़ा है और गैर-तकनीकी कार्य तो अधिकतर हिंदी में ही किए जा रहे हैं। उन्होंने राजभाषा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। कार्यशाला का संचालन श्री हरीशंकर, हिंदी अधिकारी ने किया।

श्री पी.डी. मिश्रा, प्रबंधक (राजभाषा) ने हिंदी कार्यशालाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निगम में सभी स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में उपस्थित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें कार्यशाला में राजभाषा संबंधी जो भी जानकारी दी जाती है उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करें और उसे अपने दैनिक कार्यालयीन काम-काज में अपनाएं।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री विलायती राम गोयल, सहायक निदेशक (राजभाषा), लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ने अपने व्याख्यान में प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा अधिनियमों/नियमों की जानकारी दी। हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के विभिन्न रूपों की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों एवं धारा 3(3) की संक्षिप्त जानकारी दी गई।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में सुश्री रमा वर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), विपणन एवं निरीक्षण

निदेशालय, फरीदाबाद ने अपने व्याख्यान में पारिभाषिक शब्दावली तथा हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग का अभ्यास भी कराया। प्रतिभागियों की दैनिक कार्य में आने वाली समस्याओं पर चर्चा और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।

कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालयः मंगलादेवी मंदिर मार्ग, डा. पे. सं. 88 मंगलूर-575001

कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 30 जून, 2005 को हिंदी संपर्क अधिकारियों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।प्रधान कार्यालय की कार्यात्मक यूनिटों में नामित 31 हिंदी संपर्क अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री के.ए. कामत, महा प्रबंधक ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हिंदी संपर्क अधिकारियों की भूमिका व जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी संपर्क अधिकारियों की भूमिका विपणन अधिकारियों की तरह है। उन्हें संबंधित कार्यात्मक यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यात्मक यूनिट को अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु संभावनाओं का पता लगाना है और उनके अनुपालन के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विशेषकर उत्तर भारत में कार्य करने के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर उन्होंने कहा कि बैंक के कारोबार की वृद्धि में हिंदी भाषा बहुत ही सशक्त संप्रेषण माध्यम है। अपने उत्पादों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाली विदेशी कंपनियों का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदी भाषा बड़ी तेज़ी से विज्ञापन के लिए प्रमुख भाषा बन रही है।

हिंदी संपर्क अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर तिमाही रिपोर्टों में सही आँकड़े भेजें क्योंकि इन्हीं के आधार पर राजभाषा के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना है। उन्होंने कहा कि राजभाषा के कार्यान्वयन में डॉ. ज.प्र. नौटियाल, मुख्य प्रबंधक तथा कर्नल रा.प्र. गोपालन, सहायक महा प्रबंधक से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

कर्नल रा.प्र. गोपालन, सहायक महा- प्रबंधक ने सभी कार्यात्मक यूनिटों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करते हुए कहा कि हिंदी संपर्क अधिकारियों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने राजभाषा प्रभाग के सहयोग से कंप्यूटरों में आकृति पैकेज लोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कोर बैंकिंग में हिंदी शामिल करने के संदर्भ में बैंक की उपलब्धि के संबंध में जानकारी दी।

प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केंद्र : नागपुर

दूरदर्शन केंद्र, नागपुर में दि. 29-07-2005 को प्रशासनीय स्टाफ के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रसार भारती के अंतर्गत नागपुर तथा विदर्भ में स्थित सभी कार्यालयों जैसे दूरदर्शन आकाशवाणी, सुपर पॉवर ट्रांसमीटर, दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्रों तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय से प्रशासन अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला की प्रस्तावना रखते हुए केंद्र के निदेशक श्री सतीश साने ने कार्यशाला के महत्व तथा विषय की गंभीरता से उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र अभियंता श्री एम.एस. थॉमस ने की। श्री सी.एल. नंदनपारे, सहा. केंद्र निदेशक ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री वेणुगोपालन प्रबंधक (बजट एवं लेखा) ने बजट एवं लेखा संबंधी समस्याओं तथा लेखा की नई प्रणाली पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। श्री एम.सी. घोंगे, वेतन एवं लेखा अधिकारी, दूरदर्शन ने द्वितीय सत्र की अध्यक्षता की

जिसमें उपस्थियों के विभिन्न प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री वेणुगोपालन, प्रबंधक (बजट एवं लेखा) ने उनकी शंकाओं का समाधान किया। दूरदर्शन केंद्र, नागपुर तथा प्रसार भारती के अन्य कार्यालयों के कुल 51 प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, शाखा कार्यालय: जनपथ शाखा, आई.डी.बी.आई.हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर-751022 (ओड़िशा)

आई.डी.बी.आई., भुवनेश्वर में एक 10 सत्रीय-पाँच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बैंक के महाप्रबंधक तथा 'राकास' के अध्यक्ष श्री अनिल रतनपाल ने किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी की महत्ता स्पष्ट करते हुए हिंदी को अपने तंत्र में पूरी इज्जत देने की सलाह दी। उन्होंने प्रतिभागियों को उद्बोधित करते हुए आगे कहा कि हम किसी भी काम को दिल लगाकर करें।

कार्यशाला में हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याकरण, हिंदी टिप्पण व प्रारूपण, हिंदी पत्राचार, हिंदी प्रारूपण, भारत सरकार की राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम व तिमाही रिपोर्ट, हिंदी तार व फैक्स व नवीनतम डाक सुविधाएं/सामग्री, परिभाषिक/बैंकिंग शब्दावली तथा कामकाजी हिंदी व कंप्यूटर पर उसका प्रयोग (सभी अभ्यास सहित) जैसे विषयों पर विभिन्न वक्ताओं ने सारगर्भित व्याख्यान देकर प्रतिभागियों को प्रेरित करने तथा व्यावहारिक बनाने की कोशिश की, जिससे कार्यालय के हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बल मिलेगा तथा स्टाफ-सदस्य अपने दैनंदिन कार्यालयी-कार्यों को हिंदी में कर सकने में सक्षम होंगे।

यह कार्यशाला 13 जून से 17 जून, 2005 तक बैंक के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। समापन समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री अतुल रस्तोगी, सहायक महाप्रबंधक (हिंदी), सिडबी, भुवनेश्वर ने हिंदी के महत्व पर अपने विचार रखे तथा कंपयूटर पर हिंदी की सुविधाओं पर सविस्तार बताया। उन्होंने यहाँ के हिंदी-प्रयोग पर खुशी जाहिर की तथा इसे और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने निर्णायक की भूमिका भी अदा की। श्री रवींद्र प्रसाद सिंह, प्रबंधक (हिंदी) ने मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया तथा उसकी जाँच की।

महाप्रबंधक, श्री अनिल रतनपाल ने मूल्यांकन-प्रपत्रों की समीक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम-से-कम एक कार्यशाला और करने की बात कही। उन्होंने इस अवसर पर डेस्क संबधित शब्दों को सरल रखने पर जोर दिया तथा कई कठिन शब्दों के उदाहरण से इसे समझाया। हिंदी कार्यशाला तथा संपूर्ण समारोह का सफल संचालन प्रबंधक (हिंदी) श्री आर.पी.सिंह. ने किया। श्री प्रवीर कुमार बंद्योपाध्याय, सहायक महाप्रबंधक (प्रशा./हिंदी) ने अंत में धन्यवाद-ज्ञापित किया तथा अंत में श्री आर. बारी, हिंदी सहायक ने हिंदी कार्यशाला के समापन की घोषणा की।

एन.एच.पी.सी. क्षेत्र. II, बनीखेत, जिला चंबा (हि. प्र.)

कार्यालय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र.II में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 06-07-2005 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय श्री एम.के.रैना, कार्यपालक निदेशक महोदय ने किया।

श्री डी.सी.त्रिपाठी, प्रमुख (भू-विज्ञान) प्रभारी राजभाषा ने राजभाषा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश "क" क्षेत्र में आता है अत: हमें चाहिए कि 100 प्रतिशत सरकारी कार्य हिंदी में ही किया जाए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूर्णता पालन करने का अनुरोध किया। हिंदी पत्रों का उत्तर आवश्यक रूप से हिंदी में ही दिया जाए। यदि कहीं से अभ्यावेदन हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है अत:

हिंदी ही हमारी राजभाषा हो सकती है। हिंदी बोलने में आसान है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है इसके प्रयोग में संकोच न करें। हिंदी के प्रति अपने हीन भाव को त्याग कर राजभाषा हिंदी को अपनाएं।

श्री नानक चंद उप प्रबंधक (राजभाषा) ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उप प्रबंधक(राजभाषा) ने हिंदी कार्यशाला की आवश्यकता के बारे में बताया तथा कहा कि यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदी प्रांत होते हुए भी हमें हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना पड़ रहा है। अपने सरकारी कार्य में बेझिझक हिंदी का प्रयोग करें, कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें, सरल तथा सुबोध भाषा का प्रयोग करें।

श्री एम.के.रैना., कार्यपालक निदेशक महोदय ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्र. II में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में किया जाए ताकि राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य करने हेतु क्षेत्र. II को निगम मुख्यालय पुरस्कृत किया जा सके। विद्युत उत्पादन में क्षेत्र. II सबसे आगे है, मैं चाहता हूं कि राजभाषा के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र का नाम ऊंचा हो।

महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलांग

राजभाषा हिंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से दिनांक 07 एवं 08 जून 2005 को महानिदेशालय असम राइफल्स के तिस्ता हाल में नराकास स्तर पर दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महानिदेशालय असम राइफल्स की विभिन्न शाखाओं, स्थानीय यूनिटों तथा शिलांग स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों से लगभग 65 कार्मिकों ने भाग लिया।

दिनांक 07 जून 2005 को कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री बदरी यादव, हिंदी अधिकारी ने संघ के काम-काज में हिंदी के प्रयोग हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम के ऊपर विस्तृत चर्चा की तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद श्री अविनाश कुमार सिंह, हिंदी अनुवादक ने कार्यालय में प्रयुक्त पत्र तथा आवेदन पत्र हिंदी में तैयार करने हेतु कुछ आवश्यक निर्देशों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हिंदी में नोट शीट तैयार करने के बारे में कुछ जरूरी निर्देशों से भी अवगत कराया। सत्र के अंतिम चरण में श्री पवन कुमार मिश्र, हिंदी अनुवादक ने प्रशासनिक शब्दावली तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण पर विस्तृत चर्चा की तथा उन्होंने इसके विभिन्न पक्षों को बड़े ही सरल अंदाज में प्रस्तुत किया। सभी प्रतिभागियों ने वक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुना तथा उनके अनुभवों का भरपूर लाभ उठाया।

कार्यालय का द्वितीय सत्र दिनांक 07 जून 2005 को 14.00 बजे श्रीमति असित कमल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबन्ध पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। उन्होंने संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न उपबंधों पर बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला तथा धारा 343,344,345 एवं 351 के विविध अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी तथा अष्ठम अनुसूची की भाषाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद श्री सुरेंद्र नाथ यादव, हिंदी अनुवादक ने सिगनल तथा टेलीग्राम हिंदी में तैयार करने के बारे में कुछ जरूरी बातों पर चर्चा की तथा कार्यालय में हिंदी में काम को आसानी से निपटाने के बारे में प्रचलित शब्दावली के बारे में भी जानकारी दी।

इसके बाद श्री जे पी गौड, हिंदी अनुवादक ने अंग्रेजी अभिव्यक्तियों को हिंदी में प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी दी तथा हव./लिपिक कैलाश चंद राय, हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षक ने मैनुअल टाइपराइटर पर टाइपिंग तथा स्टेंसिल काटने में आने वाली कठिनाईयों के निवारण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

प्रतिभागियों को कार्यालयी ज्ञान के अतिरिक्त "राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा" के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए लेडी कीन कालेज, शिलांग की हिंदी प्रवक्ता सुश्री जे एस इ्खार को भी अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। एक खासी महिला होते हुए भी उन्होंने राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा को अपने निराले अंदाज में प्रस्तुत करके सभी प्रतिभागियों का मन मोह लिया। ज्ञातव्य है कि सुश्री इ्खार इस समय नेहू से हिंदी में शोध कार्य कर रही है तथा हिंदी साहित्य में उनकी गहरी रुचि है। यह हम सभी के लिए प्रेरणा की बात है कि सुश्री इ्खार ने अपने कैरियर का चयन हिंदी-सेवा के लिए किया है।

दिनांक 08 जून, 2005 को 15.45 बजे उक्त कार्यशाला का समापन, कर्नल रोमेश घई, कर्नल जीएस(ट्रैनिंग) द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के साथ हुआ। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे हिंदी कार्यशाला को सार्थक बनाने के लिए अपने-अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक काम हिंदी में ही करें और राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने में अपना भरपूर योगदान दें।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4) 74-75, दक्षिण मार्ग, सैक्टर 31-ए, चण्डीगढ़-160030

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में दिनांक 17 अगस्त, 2005 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 16 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम. एम. मदान, कार्यपालक निदेशक ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपना सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करें। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की कड़ी बताते हुए कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति की संवाहक है। श्री मदान हिंदी के प्रति अत्यधिक अनुराग रखते हैं और हिंदी में तकनीकी विषय पर पुस्तक भी लिख चुके हैं जिस पर उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

कार्यशाला में मानक हिंदी वर्तनी और पत्राचार पर सत्रों का संचालन डॉ. राजबीर सिंह, प्रबंधक (राजभाषा) ने किया। उन्होंने हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रतिभागियों को मानक हिंदी वर्तनी की जानकारी दी। उन्होंने ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास भी कराया जो प्राय: अशुद्ध लिखे जाते हैं। उन्होंने निगम में प्रयुक्त होने वाले पत्राचार के विभिन्न रूपों की भी प्रतिभागियों को जानकारी दी।

भारत सरकार की राजभाषा नीति पर सत्र श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), आयकर विभाग ने लिया। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की पृष्ठभूमि बताते हुए हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी।

हिंदी में टिप्पण-प्रारूपण विषय पर डॉ. पंकज अनेजा, हिंदी अधिकारी, पीजीआई ने सत्र संचालित किया। उन्होंने हिंदी टिप्पण—प्रारूपण के विभिन्न रूपों की जानकारी देते हुए अच्छी टिप्पणी लिखने की अपेक्षाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

कार्यशाला के अंत में एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें श्री आनंद प्रिय चावला, सहायक प्रबंधक (प्रशासन) ने प्रथम, श्री एन. एस. बिष्ट, उप प्रबंधक ने द्वितीय और श्री सतपाल, आशुलिपिक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यशाला अत्यधिक सफल रही।

(घ) हिंदी दिवस

सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय, नई दिल्ली

सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में इस वर्ष 01 से 15 सितंबर, 05 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी टाइपिंग, हिंदी स्टेनोग्राफर, काव्य गोष्ठी/काव्य पाठ, हिंदी निबंध, हिंदी आशुलिपि, हिंदी प्रश्नोत्तरी व हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसी क्रम में सीमा सुरक्षा बल के अपर महा-निदेशक श्री एम. एल. कुमावत ने गत 14 सितम्बर, 05 को बल मुख्यालय में हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कुमावत ने कहा कि अधिकारियों को हिंदी के प्रयोग में झिझक छोड़कर आगे आना चाहिए जिससे कि स्टाफ को भी हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिले। उन्होंने रोज-मर्रा के काम में सरल हिंदी का प्रयोग करने की अपील की ताकि अन्य भाषा-भाषी राज्यों के कार्मिकों को हिंदी भाषा को आसानी से लिखने व बोलचाल में अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी भाषाओं के जो शब्द हिंदी ने ग्रहण कर लिए हैं और आम तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनका प्रयोग हिंदी में करें, जिससे हिंदी का स्वरूप समुद्र की तरह सर्व समावेशी हो सके। उन्होंने हिंदी में काम-काज करने में सहायक साहित्य तैयार करने के लिए राजभाषा अनुभाग की प्रशंसा की। उन्होंने इस अवसर पर श्रीमती वीणा भटनागर, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा तैयार की गई पुस्तिका 'राजभाषा हिंदी के बारे में जानने योग्य आवश्यक बातें' का विमोचन भी किया। इससे पूर्व अपने स्वागत भाषण में महानिरीक्षक (प्रशासन) श्री नरेश गौड़ ने कहा कि हमें अनुवाद पर निर्भर न होकर बोलचाल की भाषा में हिंदी में मूल कार्य करना चाहिए। जहां अड़चन हो वहां अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखें, तभी हिंदी का प्रचार, प्रसार होगा और इसका प्रयोग बढ़ेगा।

इस अवसर पर वर्ष 2004-2005 के दौरान हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए क्रमशः फ्रंटियर मुख्यालय शिलाँग, सी एस डब्ल्यू टी, इंदौर व संचार निदेशालय को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। हिंदी में मूल कार्य, हिंदी काव्य गोष्ठी/कविता पाठ, हिंदी निबंध, हिंदी आशुलिपि, हिंदी प्रश्नोत्तरी व हिंदी टाइपलेखन प्रतियोगिताओं में 44 अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर

दिनांक 01-09-2005 से 15-09-2005 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी का ही प्रयोग करने हेतु दिनांक 02-09-2005 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें 09 प्रतियोगियों ने भाग लिया। दिनांक 05-09-2005 को हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें 11 प्रतियोगियों ने भाग लिया। दिनांक 08-09-2005 को हिंदी वाक् प्रतियोगिता तथा दिनांक 12-09-2005 को अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त सभी प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

उपर्युक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि डा० आशा रानी, प्राचार्य, विद्यामंदिर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कर कमलों द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गये।

उन्होंने अपने संबोधन में महान समाज सुधारक, मार्गदर्शक स्वामी दयानंद सरस्वती का संदर्भ देते हुए विहित कर्तव्यों का बोध कराया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा है। इसे अपनाने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें गौरवान्वित होना चाहिए, आज हम

सभी संकल्प करें कि हम आज ही से अंग्रेजी का मोह त्यागकर हर कार्य में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट (असम)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विशाल के सभागार में 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री राम नारायण सरोज, उपनिदेशक (पूर्वोत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गुवाहाटी ने हिंदी की महत्ता पर अपना विचार व्यक्त किया। अपने उद्गार में उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनने के क्रमिक विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा संपूर्ण रूप से अपने मूल रूप में नहीं है। हर भाषाओं में दूसरी भाषा का मिश्रण हुआ है, तभी वह समृद्ध बनी है। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी का प्रयोग कार्यालयों में हिंदी ज्ञान नहीं होने के कारण में करते हैं यह बुरी बात नहीं है, परंतु हम सभी को मिलकर ही हिंदी का विकास करना है। अत: हिंदी को अगर संपूर्ण रूप से राजभाषा बनानी है तो सभी को कहीं न कहीं से हिंदी की शुरूआत तो करनी ही होगी।

मुख्य अतिथि के भाषण समापन के पश्चात् हिंदी सप्ताह के दौरान में आयोजित किए गए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे श्रुतलेखन, निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को संस्थान के निदेशक ने पुरस्कार प्रदान किया।

आकाशवाणी पणजी

सितंबर महीने के पहले पखवाड़े को आकाशवाणी पणजी में हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। केंद्राध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव ने हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित हिंदी कार्यशाला में सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज म्हापसा की व्याख्याता श्रीमती मैग्डालिन डिसूजा ने ''भारतीय भाषाओं के विकास के साथ देश का समग्र विकास'' विषय पर व्याख्यान दिए।

हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता केंद्राध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव ने की। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदी दिवस हम सबमें एक नया उत्साह और संकल्प पैदा करता है जिससे हम हर वर्ष अधिक अच्छी तरह से राजभाषा हिंदी का क्रियान्वयन करते हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पणजी के लिए यह गौरव का विषय है कि पिछले वर्ष के अंत में आकाशवाणी पणजी को ग क्षेत्रों के आकाशवाणी केंद्रों की श्रेणी में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार, राजभाषा ट्राफी और ग्यारह हजार रुपए नकद प्रदान किए गए थे। सहायक केंद्र निदेशक श्री वेणि माधव बोरकार ने कहा कि प्रसारण माध्यम होने के कारण आकाशवाणी पणजी से जहां कोंकणी और मराठी भाषाओं में प्रसारण होता है वहीं राजभाषा हिंदी के आयोजनों के साथ कोंकणी और मराठी जैसी भारतीय भाषाओं के विकास पर भी कवि-गोष्ठी और विविधा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्री दिलीप देशपांडे समाचार संपादक ने हिंदी भाषा की सहजता पर बल दिया।

कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान शाखा कार्यालय
नवीन सचिवालय भवन
नागपुर

निदेशालय में ''हिंदी पखवाड़ा'' के उपलक्ष्य में दिनांक 1-9-2005 से 14-9-2005 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

दिनांक 14-9-2005 को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान शाखा कार्यालय में संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार की अध्यक्षता में हिंदी दिवस तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में सरल व सटीक भाषा के प्रयोग पर जोर दिया तथा राजभाषा के रूप में हिंदी को उसका गरिमामय पद दिलाने के लिए सक्रिय रहते हुए राजभाषा नीति के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपील की। श्री आर. रमेश आर्य ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा श्रीमती रंजना रानी माहेश्वरी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही यह समारोह संपन्न हुआ।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प०बं०)

दिनांक 01-09-2005 को हिंदी दिवस का उद्घाटन समारोह आयोजित कर दिनांक 01-09-2005 से 14-09-2005 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

श्री के०सी० मंडल, संयुक्त निदेशक ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस संस्थान द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी अधिकारी व कर्मचारीगण उत्साहपूर्वक अपना योगदान करें एवं इसमें भाग लें।

मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, श्री एस.सी. लाल ने कहा कि हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सभी को एक सूत्र में बांधे रखती है। यह हमारी देश की राष्ट्रभाषा है और इसकी विशिष्टता है कि यह आसानी से बोली और समझी जा सकती है। उन्होंने इस संस्थान में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हिंदी कार्य की प्रशंसा की एवं सभी को अपने कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील भी की।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, नैनी, इलाहाबाद

दिनाँक 07-09-05 से 14-9-2005 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान दिनाँक 12-09-05 को निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

दिनाँक 14-9-2005 को हिंदी दिवस मनाया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं समापन समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम श्री अनिल कुमार मिश्र ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात् श्री एस०पी० मिश्र, नामित राजभाषा अधिकारी ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री श्याम देव ने श्री सत्यानंद मिश्र, अपर सचिव तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग), भारत सरकार, नई दिल्ली के संदेश का वाचन किया तथा कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। समारोह का संचालन श्री शेषमणि शुक्ल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने किया।

बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा-390005

दिनांक 14 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया, समारोह की अध्यक्षता श्री एम.बी. सामंत, महाप्रबंधक, परिचालन, सेवाएं एवं कार्पोरेट खाते ने की।

श्री एम.बी. सामंत ने स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा ''हिंदी में कार्य करना हमारी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है, यह हमारे राष्ट्र की पहचान है, इसलिए हिंदी में कार्य करना राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करना है। हिंदी आम व्यवसाय की एक सशक्त भाषा के रूप में ऊभर कर सामने आई है। हर एक देशी-विदेशी कंपनी को भारतीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए इस भाषा का सहारा लेना पड़ रहा है'' उन्होंने हिंदी दिवस के पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।

इस अवसर पर हिंदी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता, अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों हेतु हिंदी वार्तालाप प्रतियोगिता,

लिपिक वर्गीय स्टाफ सदस्यों हेतु हिंदी निबंध प्रतियोगिता, अधिकारियों हेतु हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता एवं कार्यपालकों हेतु आयोजित हिंदी नोटिस ड्राफ्टिंग (वार्षिक) प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

दिनांक 1 से 14 सितंबर, 2005 तक भव्य हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन समारोह 1 सितंबर, 2005 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन श्री एम एम मदान, कार्यपालक निदेशक ने दीप प्रज्जवलित करके किया।

श्री मदान ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति का संवाहक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारा यह भ्रम है कि अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली और समझी जाती है। उन्होंने यूरोप के देशों के अपने अनुभवों को उद्धृत करते हुए कहा कि सभी देशों में अपनी भाषा के प्रति अटूट प्रेम एवं लगाव है। हमें भी हिंदी के प्रति अनुराग रखना चाहिए और अपने कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको प्रयोग में लाना अत्यंत सहज एवं सरल है।

समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण श्री एम एम मदान, कार्यपालक निदेशक महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। साथ ही वर्ष भर में हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभागों को भी पुरस्कृत किया गया।

केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

संस्थान में 24 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रो. डॉ. सैय्यद रहमतुल्ला, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. पी. रविचन्द्रन ने की।

प्रो. सैय्यद रहमतुल्ला ने सभी भारतीय भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन सबमें हिंदी की अपनी एक अहम् भूमिका की ओर संकेत किया तथा यह बताया कि अगर हम अपने छोटे-छोटे कार्य-जैसे छोटी-छोटी कार्यालयीन टिप्पणियां हिंदी में लिखें व हिंदी में बातचीत आदि आरंभ कर दें, तो हिंदी अवश्य उस मुकाम पर पहुंच सकती है, जिस मुकाम की हम कामना करते हैं। इसके पश्चात् संस्थान के निदेशक, डॉ. रविचंद्रन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें अपना कार्य हिंदी में करना चाहिए, जिससे उसे आम जनता तक पहुँचाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों से अपील की कि वे अपना शोध कार्य हिंदी में करने का प्रयत्न करें। इसके अलावा उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके पश्चात् श्री महेश कुमार ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक व सचिव द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर की गई अपील को पढ़कर सुनाया।

इस अवसर पर हिंदी में भाषण तथा गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चार सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ-ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। अंत में श्री ह. पंडरिनाथ, हिंदी टंकक ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। राष्ट्र गान के साथ समारोह

का समापन हुआ। श्री महेश कुमार ने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया।

सीमा सड़क महानिदेशालय,
सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, दिल्ली कैंट,
नई दिल्ली-110010

दिनांक 30 मई, 2005 से 03 जून 2005 तक हिंदी सप्ताह तथा 01 सितंबर, 2005 से 15 सितंबर 2005 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिंदी टंकण, हिंदी भाषण/कविता/गायन तथा सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग से किया गया। इन प्रतियोगिताओं में महानिदेशालय के विभिन्न अनुभागों के कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने तथा वर्ष 2005-2006 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उददेश्य से महानिदेशालय में दिनांक 08 अगस्त 2005 से 10 अगस्त 2005 तक तथा 06 सितंबर, 2005 से 08 सितंबर, 2005 तक तीन-तीन दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशालाओं में कार्मिकों को हिंदी वर्तनी; भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के साथ-साथ हिंदी में विभिन्न प्रकार के पत्र, अर्ध-सरकारी पत्र, नोटिंग/ड्राफ्टिंग, आवेदन-पत्र इत्यादि तैयार करने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त इस दौरान दिनांक 30 अगस्त, 2005 को सीमा सड़क महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

नेहरू युवा केंद्र संगठन
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
ईस्ट प्लाजा, इंदिरा गांधी, इण्डोर स्टेडियम,
नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली में दिनांक 14 सितंबर, 2005 को नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक, डा. शकील अहमद खान ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन हिंदी दिवस और पखवाड़ा बड़े धूम-धाम से देश के 500 जिलों में मना रहा है और युवाओं को इस राष्ट्रीय महत्व के विषय के बारे में विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के माध्यम से जोड़ने का कार्य कर रहा है। महानिदेशक ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन हिंदी के प्रयोग व प्रचार के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा ''चूंकि हमारा कार्य सभी भाषा भाषियों के बीच ग्रामीण स्तर पर होता है इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि उन्हें साथ लेकर चलें उनकी भाषा में बात करते हैं। सभी भाषाओं को समान दर्जा देते हैं''।

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.,
उत्तरी आंचलिक कार्यालय
जीवन प्रकाश, 10वां तल, 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1

भारतीय औद्यौगिक निवेश बैंक लि. के उत्तरी आंचलिक कार्यालय में दिनांक 8 सितंबर से 14 सितंबर, 2005 के दौरान हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के पहले दिन दिनांक 8 सितंबर को श्री आर. डी. मासीवाल, निदेशक (राजभाषा), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हिंदी सप्ताह का उद्घाटन किया गया तथा इस अवसर पर ''हिंदी में काम काज एवं अभिप्रेरणा'' पर एक व्याख्यान रखा गया था। इस कार्यक्रम में उत्तरी आंचलिक कार्यालय के सभी कर्मचारीगण सम्मिलित थे। श्री आर. डी. मासीवाल ने हिंदी में काम काज में तेजी लाने का अनुरोध किया तथा राजभाषा संबंधी अधिनियम/नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और हिंदी को दिल से

अपनाने को कहा। सप्ताह के दौरान "हिंदी चित्रकथा प्रतियोगिता" एवं "हिंदी प्रश्न मंच" प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

समारोह के अंत में हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित समस्त हिंदी प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण डॉ. सुनील दत्त नंदा, उप महाप्रबंधक (प्रभारी) के कर कमलों द्वारा किया गया। डॉ. नंदा ने अपने अभिभाषण में सभी कर्मचारियों को हिंदी सप्ताह के दौरान अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया तथा अपने दैनिक कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने को कहा। समारोह का संचालन श्री विजय कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (हिंदी) द्वारा किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, परवाणु

दिनांक 14 सितंबर 2005 को क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, परवाणु में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय कार्यालय व शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह की अध्यक्षता श्री पी. के. एन. नंबूदरी, क्षेत्रीय निदेशक ने की। कार्यक्रम का संचालन श्री बिहारी लाल शर्मा ने किया।

क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने हिंदी दिवस की प्रासंगिकता एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा तथा केंद्रीय सरकार और बहुत से राज्यों की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना संविधान मनीषियों का सोचा-समझा निर्णय था। इसके प्रयोग से हमारे देश की एकता मजबूत होती है और साथ ही हिंदी में हम अपनी सहज अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। हिंदी के प्रयोग में क्षेत्रीय कार्यालय में किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने हिंदी के प्रयोग का महत्व देते हुए अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया।

नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ए-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016

दिनांक 14 सितंबर को ट्रस्ट सभागार में आयोजित हिंदी दिवस पर दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें सुबह के सत्र में निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। इस प्रतियोगिता में ट्रस्ट के बहुत से कर्मचारियों ने भाग लिया। निबंध का विषय था- 'लिखित शब्द का महत्व'।

प्रतियोगिता के निर्णायक थे वरिष्ठ साहित्यकार डा. जगदीश चंद्रिकेश। इस अवसर पर डा. चंद्रिकेश ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा—लिखित शब्द का भविष्य स्थायी है चूंकि मन में उमंग हो, लिखने की चाह हो और बात शब्दों की हो तो नि:संदेह यह अपने आप में बड़ी बात है। सदियों से लिखित शब्द का प्रमाण हमारी धरोहर है, जिसके साक्ष्य हमारे समक्ष पवित्र ग्रंथों के तौर पर मौजूद है।

दोपहर बाद काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक थे चर्चित गीतकार श्री गजेंद्र सोलंकी। इस अवसर पर श्री सोलंकी ने अपने चुनिंदा गीतों से सभागार में उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने विदेशों के अनुभव भी श्री गजेंद्र सोलंकी ने श्रोताओं के संग बांटे।

प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए ट्रस्ट की निदेशक श्रीमती नुज्हत हसन ने कहा—इस तरह की प्रतियोगिताओं से ट्रस्ट कर्मियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। मैं चाहती हूं कि इन प्रतियोगिताओं में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा हो। सभी प्रतिभागियों और निर्णायकों को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन

दिनांक 31-08-2005 से 14-09-2005 तक हिंदी पखवाड़ा बड़े धूमधाम से मनाया गया।

इसके साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हासन के तत्वाधान में 29-08-2005 से 14-09-2005 तक संयुक्त हिंदी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया।

एम.सी.एफ. के लिए आयोजित हिंदी पखवाड़ा एवं नराकास के तत्वाधान में आयोजित संयुक्त हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 14-09-2005 को एम.सी.एफ. में धूमधाम से आयोजित किया गया।

श्री एम.श्रीनिवास राव, प्रधान लेखा एवं आं.वि.सं/का. एवं सामान्य प्रशासन ने सभी का स्वागत किया और कहा कि सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें तभी राजभाषा का प्रचार-प्रसार सही मायने में संभव होगा और हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी सार्थक होगा।

डॉ. सी.जी. पाटिल उपनिदेशक, एम सी एफ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस पखवाड़े के दौरान सदस्य कार्यालय के सक्रिय सहयोग से दस प्रतियोगियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें सदस्य कार्यालयों से सौ से भी अधिक अधिकारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। सभी विजेताओं को बधाई देते हुए अध्यक्ष महोदय ने सभी को अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में उन्होंने सभी से अपील की कि हिंदी का प्रयोग केवल पखवाड़े तक सीमित न रखते हुए पूरे साल भर करें तभी राजभाषा हिंदी का सही मायने में प्रचार होगा।

श्री एस मंजुनाथ, ऑल इंडिया क्विज़ अकादमी, दिल्ली एवं बेंगलूर के निदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। अपने ओजपूर्ण भाषण में राजभाषा हिंदी के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी अत्यंत सरल एवं सार्वजनिक भाषा है। संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देकर उसके महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें एवं हिंदी पखवाड़ा मात्र पंद्रह दिन या एक साल के लिए ही नहीं अपितु आजीवन मनाएं।

पूर्ति प्रभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

पूर्ति प्रभाग, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली में 14 सितंबर 2005 से 29 सितंबर 2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं यथा निबंध प्रतियोगिता, कंप्यूटर पर टंकण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह संयुक्त सचिव (पूर्ति) श्री एम. पि. वि. सि. शास्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 28-9-2005 को संपन्न हुआ। उपनिदेशक (राजभाषा) श्री टेक चंद मंगला ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया और हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भारतीय संस्कृति से जुड़ी है और हिंदी में काम करना सरल है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में संयुक्त सचिव श्री शास्त्री ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने की अपील की। उन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता, कम्प्यूटर पर टंकण एवं दक्षता प्रतियोगिता, हिंदी में मूल रूप से कार्य करने के लिये प्रोत्साहन योजना तथा अधिकारियों के लिये हिंदी में डिक्टेशन योजना आदि प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई देते हुए नकद पुरस्कार वितरित किये। समारोह में श्री एम.के. आनन्द,

संयुक्त निदेशक ने अपने उद्गार व्यक्त किये और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस आयोजन को सफल बनाने में राजभाषा अनुभाग के कार्मिकों की भूमिका उल्लेखनीय रही।

कर्मचारी चयन आयोग (मु.)
सी.जी.ओ. कंप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों में इसके प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 1 सितंबर, 2005 से 15 सितम्बर, 2005 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत दिनांक 1 एवं 2 सितंबर, 2005 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग तथा हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा पत्राचार विषयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह दिनांक 15 सितंबर, 2005 को कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के तृतीय तल पर स्थित हॉल सं. 01 में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सदस्य महोदया एवं उप सचिव (प्रशा.) का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री शैलेश कुमार सिंह ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रमुख प्रतियोगिताओं की जानकारी दी और हिंदी दिवस के अवसर पर जारी माननीय गृह मंत्री जी के संदेश का वाचन किया। तदुपरांत, उन्होंने वर्ष 2004-2005 में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर तथा आयोग मुख्यालय के अनुसंधान एवं विश्लेषण अनुभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी।

सदस्य महोदया श्रीमती प्रतिभा मोहन ने अपने कर कमलों से हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर तथा आयोग (मु.) के अनुसंधान एवं विश्लेषण अनुभाग को शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया तथा साथ ही हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित किए गए विविध प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया।

मुख्यालय से बाहर साक्षात्कार में व्यस्त होने के बावजूद अध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाश चन्द्र जी ने इस अवसर पर आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अपना विशेष संदेश भिजवाया था जो कि वर्तमान परिवेश में राजभाषा हिंदी की प्रासंगिकता के साथ-साथ संवैधानिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता पर बखूबी प्रकाश डालता है। यह संदेश आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणास्पद एवं उत्साहवर्धक रहा जिसे मूल रूप में यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

"आज आयोग हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह मना रहा है। इस पखवाड़े के दौरान कुछ साथियों ने अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार, आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और कुछ साथियों ने ईनाम भी जीते। हमारे बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय का उल्लेख मैं विशेष रूप से करूंगा कि अहिंदी भाषी क्षेत्र होने के बावजूद हिंदी भाषा का कार्यालय के काम-काज में प्रयोग करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर हमारी वार्षिक शील्ड पर कब्जा कर लिया है। मैं आयोग तथा अपनी ओर से उन सभी विजेताओं को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे सभी हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में अपना-अपना समुचित योगदान देते रहेंगे।"

पूर्व रेलवे कोलकाता क्षेरेराकास की बैठक में हिंदी माध्यम से संपन्न संगोष्ठियाँ

क्षेरेराकास की 22-6-2005 की बैठक के अवसर पर हिंदी माध्यम से दो संगोष्ठियाँ आयोजित हुई। विषय थे 'पोलियो उन्मूलन : अद्यतन आयाम' तथा 'एड्स : कारण एवं बचाव'। इन संगोष्ठियों के मुख्य वक्ता थे-पूर्व रेलवे के सियालदह स्थित बी. आर. सिंह अस्पताल के वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवाशीष बंद्योपाध्याय तथा वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुजाता बसु।

डॉ देवाशीष बंद्योपाध्याय ने पोलियो उन्मूलन विषय की विवेचना ''पावर प्वाइंट'' के जरिए की उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में पांच वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को ओ.पी.वी. की अतिरिक्त खुराक दिलाना अपेक्षित है। पोलियो के कारणों तथा इस बीमारी के निदान की विशद व्याख्या करते हुए उन्होंने भारत सहित समूचे विश्व को पोलियो रहित बनाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों का उल्लेख किया।

डॉ. सुजाता बसु, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी 'पावर प्वाइंट' पर 'एड्स : कारण एवं बचाव' विषय पर सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। एड्स संक्षिप्ति का पूरा अर्थ बताते हुए डॉ. बसु ने इस बीमारी के कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एड्स का पहला मामला सैन्फ्रांसिस्को में 1981 में पाया गया एवं भारत में एड्स के पहले रोगी का पता चेन्नई में 1986 में चला। उन्होंने एड्स को खतरनाक रोग बताते हुए कहा कि अभी यह पूरे विश्व में फैला हुआ है एवं प्रतिदिन 18,000 व्यक्ति इसके वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं। इस बीमारी के मरीजों की मृत्यु दर भी सतत् बढ़ रही है। इस बीमारी की भयावहता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि एड्स वायरस शरीर में प्रवेश के बाद समूची जीवन प्रणाली को प्रभावित करने के बाद ही प्रकट होता है और फिर इससे निजात असंभव हो जाता है। एड्स से बचने के लिए उन्होंने जो उपाय बताए वे हैं :— सुरक्षित यौन संबंध, एक ही साथी के साथ वफ़ादारी, रक्त के लेन-देन एवं इंजेक्शन देने में रोगाणु/विषाणु मुक्त सुइयों का प्रयोग आदि।

मुख्य चिकित्सा निदेशक ने इस संगोष्ठी के आयोजन की सराहना करते हुए आग्रह किया कि इन दोनों बीमारियों से बचने के उपायों का व्यापक प्रचार होना चाहिए तथा सभी उपस्थित अधिकारी स्वस्थ एवं पोलियो व एड्स मुक्त समाज का सपना साकार करने में यथाशक्ति मदद करें।

दोनों संगोष्ठियों में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ, जिसकी सभी ने प्रशंसा की।

महाप्रबंधक महोदय ने चिकित्सकों को स्मृति चिह्न भेंट किये तथा इन प्रेरणाप्रद प्रस्तुतियों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

(II) कंप्यूटर के जरिए द्विभाषी/बहुभाषी कार्य: जीवंत प्रदर्शन

कंप्यूटर साफ्टवेयर की अग्रणी संस्था माइक्रो-साफ्ट के प्रतिनिधि सर्वश्री अरंदिम व दिव्यांशु ने ''एम एस ऑफिस एक्स पी 2003 हिंदी'' तथा इसके अगले वर्सन का जीवंत प्रदर्शन किया। यह उजागर हुआ कि विंडोज 2000 एवं विंडोस एक्स पी वातावरणों में उक्त साफ्टवेयर के जरिए हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में तथा साथ-साथ अंग्रेजी में बिना किसी

एड-ऑन (अतिरिक्त) साफ्टवेयर युक्ति के कार्य हो सकता है। कंप्यूटर प्रयोक्ता को अब GUI भी हिंदी में संपन्न करने का विकल्प उपलब्ध है। विभिन्न वैब-अनुप्रयोग भी हिंदी में संभव है।

समिति ने सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे इन नये आयामों की सराहना की।

दूरसंचार माध्यमिक स्विचिंग क्षेत्र, एलूरु

पश्चिम गोदावरी दूरसंचार ज़िले का राजभाषा सम्मेलन एवं संगोष्ठी महाप्रबंधक दूरसंचार ज़िले के कार्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया है। श्री एल. अनंतराम आई.टी.एस. महाप्रबंधक दूरसंचार ज़िला, पश्चिम गोदावरी इस सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। इस मा.स्वि.क्षे. के उप महाप्रबंधक, मंडल इंजीनियर्स, रा.भा.का.स. के सदस्य एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

श्री बी. विश्वनाथाचारी, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने अपने स्वागत भाषण में सभी का हार्दिक स्वागत किया और इस दूरसंचार जिले में राजभाषा कार्यान्वयन से सबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि इस साल में चार हिंदी कार्याशालाएं और एक कंप्यूटर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को द्विभाषी प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा रहा है।

इस शुभ अवसर पर श्री.एल. अनंतराम, अध्यक्ष, रा.भा.का.स., पश्चिम गोदावरी दूरसंचार जिला एवं न.रा.का.स. एलूरु ने 'राजभाषा तरंगिणी' हिंदी गृह पत्रिका का पंचम अंक का रिलीज किया। इसके अलावा 'बी.एस.एन.एल. की इंटनेट सेवाएँ' हिंदी पुस्तिका का रिलीज भी किया। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने बताया कि हिंदी सरल और मीठी भाषा है। इसका व्याकरण भी अन्य भारतीय भाषाओं से मिलता-जुलता है। हिंदी को अमल करना हर बी.एस.एन.एल. अधिकारी एवं कर्मचारी का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। तदुपरांत **हिंदी संगोष्ठी** में सदस्यों से हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित लेख प्रस्तुत किए गये। श्री एन. वी. रामाराव, मं. इं. (अनुरक्षण), ताडेपल्लिगुडेम राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर अपने लेख प्रस्तुत करते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार श्री के. वी. गुरवय्या (कंप्यूटर्स) ने हिंदी प्रशिक्षण के बारे में अपने लेख प्रस्तुत करते हुए, मा.स्वि.क्षे. में मंडल स्तर पर भी हिंदी पखवाड़ा समारोह आयोजन करने का सुझाव दिया। इस प्रकार श्री पी. अम्मिरेड्डी मं. इं (बाह्य), श्री सुब्रह्मण्यम, में. इं. (अनु.) और अन्य अधिकारियों ने अपने लेख प्रस्तुत किया।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि., केंद्रीय विपणन संगठन, पूर्वी, क्षेत्र कोलकाता

शाखाओं की राजभाषा कार्यान्वयन की टास्क फोर्स का विचार मंथन 24-6-05 को पटना में हुआ। भारत सरकार के इस संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए पूर्वी क्षेत्र कार्यकारी दल की पहचान की और उन्हें राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष इनकी दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यान्वयन के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों एवं उनसे निपटने के उपाय ढूंढे गए। प्रभावकारी ढंग से हिंदी पत्राचार को किस प्रकार आगे बढ़ाकर राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस विचार गोष्ठी में जहां एक ओर कार्यकारी दल के सदस्य होते हैं, वहीं संचालन के लिए प्रबंधक (हि) पु.क्षे.। इनके अतिरिक्त उप-महाप्रबंधक (का व प्र) पूर्वी क्षेत्र, क्षे.प्र. (एफ पी) व अध्यक्ष रा.भा. का.स., कोलकाता। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में महा प्रबंधक (का व प्र) के. वि. सं., कोलकाता भी उपस्थित हुए। इन अधिकारियों का मार्ग दर्शन एवं सपोर्ट नितांत आवश्यक है। जिसे वे प्रत्येक शाखा की प्रस्तुति देखने के बाद निर्णय के रूप में देते हैं। महा-प्रबंधक (का व प्र) ने राजभाषा संसदीय समिति की प्रश्नावली पर एक सम्यक् प्रस्तुति की एवं भविष्य में उसकी तैयारी से संबंधित बहुमूल्य जानकारी हासिल कराई। उ.म.प्र. (का व प्र) पू.क्षे. ने तमाम कठिनाइयों को किस प्रकार टैकल किया जाए से संबंधित फारमूला सुझाया एवं निरंतर गतिशील रहने पर जोर दिया।

इस गोष्ठी से जहां राजभाषा की प्रगति और संबंधित पहलुओं पर समालोचना होती है, वहीं विचारों, दस्तावेजों के आदान-प्रदान से चहुंमुखी विकास भी होता है।

दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मंडल विद्युत विभाग

विद्युत संरक्षा संगोष्ठी

दिनांक 06-05-2005 को मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती वंदना सिंहल की अध्यक्षता में हैदराबाद मंडल के विद्युत विभाग द्वारा हिंदी में ''विद्युत संरक्षा'' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में श्री सतीश कुमार, मुख्य विद्युत इंजीनियर, द.म. रेलवे उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि श्री सतीश कुमार, मुख्य विद्युत इंजीनियर, द.म. रेलवे ने अपने भाषण में कहा कि विद्युत संरक्षा केवल विद्युत विभाग से संबंधित नहीं है। यह प्रत्येक विभाग, प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। थोड़ी सी लापरवाही से इसके भयंकर परिणाम हो सकते है। अत: उन्होंने प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पर्यवेक्षकों को निरंतर इसकी सावधानियों के बारे में बताते रहना चाहिए। विद्युत विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को बार-बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी से प्रोएक्टिव रोल अदा करने का सुझाव दिया न कि रीएक्टिव रोल। उन्होंने सही योजना बनाए जाने पर भी जोर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती वंदना सिंहल, मंडल रेल प्रबंधक ने विद्युत विभाग के सभी कर्मचारियों से कहा कि जब कभी वे फील्ड़ पर जाएं तो अन्य विभागों को भी विद्युत संरक्षा नियमों की जानकारी दें, उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिवार के लोगों को भी शिक्षित करना आवश्यक है, विद्युत एक वरदान है, लेकिन इसमें यदि असावधानी बरती गई तो यह अभिशाप का रूप धारण कर लेती है, अत: कदम – कदम पर सभी कर्मचारियों में विद्युत संरक्षा जागृत करना आवश्यक है।

इससे पूर्व राजभाषा अधिकारी श्री अशोक सेन गुप्ता ने हिंदी में इस प्रकार की तकनीकी संगोष्ठी आयोजित करने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सबसे राजभाषा हिंदी में अपना दैनंदिन कार्य करने का आग्रह किया। श्री एम. रामचंद्र राव, मंडल संरक्षा अधिकारी ने सामान्य रूप से संरक्षा के पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संरक्षा को किसी भी विभाग से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने लोको विभाग से आग्रह किया कि वे डिब्बों में संरक्षा संबंधी सूक्तियां लगाएं।

❖

महाबैंक को रिज़र्व बैंक का राजभाषा पुरस्कार

मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में दिनांक 11 मई, 2005 को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को गवर्नर डॉ. वाई. वी. रेड्डी के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक श्री अशोक कुमार दुगाड़े ने वर्ष 2003-04 हेतु ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत बैंक को प्राप्त पुरस्कार ग्रहण किए।

इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. वाई. वी. रेड्डी ने कहा कि केवल संविधान के नियमों की पूर्ति ही नहीं बल्कि प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए भी हिंदी का प्रयोग उपयोगी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री वी. लीलाधर ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) डॉ. दामोदर खड़से, मुंबई परिमंडल कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री नरेंद्रकुमार, मुंबई उपनगर क्षेत्रीय कार्यालय की वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती वंदना शर्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय : नई दिल्ली-2

विद्यालय के संकाय एवं स्टाफ सदस्यों को हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए तथा वास्तुकला एवं योजना विषयों के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें हिंदी में अनूदित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक वर्ष में हिंदी में लिखित/अनुदित तीन-तीन सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों के लिए निम्नलिखित तीन-तीन पुरस्कार, प्रदान किए जाएंगे। ये पुस्तकें विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर ही होनी चाहिएं तथा इनसे विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसी पुस्तकों के लिए दिए जाने वाले तीन-तीन पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है :—

1. प्रथम पुरस्कार (मौलिक लेख)	:	20 हजार रुपए	(अनूदित)	:	15 हजार रुपए
2. द्वितीय पुरस्कार (वही)	:	16 हजार रुपए	(अनूदित)	:	12 हजार रुपए
3. तृतीय पुरस्कार (वही)	:	10 हजार रुपए	(अनूदित)	:	8 हजार रुपए

उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बीडीएल राजभाषा ट्रॉफी से सम्मानित

हैदराबाद स्थित रक्षा मंत्रालयाधीन उद्यम भारत डॉयनॉमिक्स लिमिटेड को वर्ष 2003-2004 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14-06-2005 को राजभाषा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। यह ट्रॉफी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) हैदराबाद की 21वीं अर्धवार्षिक बैठक और वार्षिक कार्यक्रम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ई.सी.आई.एल., हैदराबाद) ने श्री एम.एस. के. शर्मा, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) को प्रदान की।

भारत डॉयानॉमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मेजर जनरल (नि.) रजनीश गोसाईं ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपक्रम के तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संकल्प को दोहराया और राजभाषा की निरंतर प्रगति के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए बीडीएल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों तथा हिंदी विभाग के कार्मिकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

प्रशिक्षण

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अल्पकालीन अनुवाद प्रशिक्षण आयोजित

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सौजन्य से सिम्हाद्रि परियोजना में दिनांक 06-06-05 से 10-06-05 तक पांच दिवसीय अल्पकालीन अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संचालन हेतु केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूर एवं नई दिल्ली द्वारा एक-एक प्रशिक्षण अधिकारी क्रमशः श्री ईश्वरचंद्र मिश्र एवं श्री आई.जे. चावला प्रतिनियुक्त किए गए।

प्रशिक्षण का उद्घाटन अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) श्री मानस सरकार ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम से एन.टी.पी.सी. सहित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारी भी लाभान्वित हुए। प्रशिक्षण के अधीन अनुवाद के सिद्धांत, नियम, वाक्य संरचना, अनुवाद की शुद्धता एवं सटीकता पर व्याख्यान सत्र चलाए गए। अभ्यास सत्र के जरिए अनुवाद की सावधानियाँ पढ़ाई गईं। ब्यूरो द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतया निःशुल्क आयोजित किया गया।

10 जून, 2005 को सिम्हाद्रि के महाप्रबंधक श्री सुभाष चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में समापन समारोह संपन्न हुआ। महाप्रबंधक महोदय ने ब्यूरो के पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिया कि ब्यूरो के सौजन्य से भविष्य में भी सिम्हाद्रि में अनुवाद एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तदुपरांत श्री पांडेय ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया और संकाय सदस्यों को स्मृतिचिह्न देकर सम्मानित किया। अनुवाद पर आयोजित इस प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 21 कर्मचारियों ने अनुवाद प्रशिक्षण ग्रहण किया।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय में पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

निगम की विभिन्न परियोजनाओं एवं विभागों में तैनात अनुवादकों/पर्यवेक्षकों एवं राजभाषा के कार्य से जुड़े अन्य कर्मचारियों के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के सहयोग से 27 जून से 1 जुलाई, 2005 तक पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूर-दराज परियोजनाओं से आए 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री दयाल माथुर, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राजभाषा-हिंदी के सहज और सरल प्रयोग पर ध्यान देते हुए अनुवाद किया जाना चाहिए। कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सार्थकता इसी में है कि जो कुछ भी आप यहां सीखें उसका अपने दैनिक कार्य में प्रयोग करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागी अपनी-अपनी सीटों पर अधिक से अधिक कार्य स्वयं हिंदी में करके तथा अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करके राजभाषा की प्रगति में अपना सार्थक योगदान देंगे। इस उद्घाटन सत्र में प्रमुख (मानव संसाधन व राजभाषा) श्री डी.एस. चौहान भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की संयुक्त निदेशक श्रीमती किरण सक्सेना ने ब्यूरो के कार्यक्रमों एवं व्यापक गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय दिया। श्री पी.डी. मिश्रा, प्रबंधक (राजभाषा) ने निगम में राजभाषा की प्रगति एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे निगम में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय-समय पर परियोजनाओं एवं निगम मुख्यालय में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे पूरी रुचि एवं गंभीरता से इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं।

इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के सुविज्ञ व्याख्याताओं ने राजभाषा नीति, अनुवाद का महत्व, वर्तनी का मानकीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद की प्रक्रिया व सिद्धांत आदि विभिन्न विषयों पर गहन जानकारी दी एवं प्रतिभागियों से अनुवाद का अभ्यास कराया।

इस कार्यक्रम के समापन सत्र में डॉ. विचार दास, निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने ज्ञानवर्धक जानकारी प्रतिभागियों को दी। उन्होंने ब्यूरो के इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एन.एच.पी.सी. का आभार व्यक्त किया। कार्यपालक निदेशक (अनुसंधान व विकास) श्री ए.के. सचदेवा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने सारगर्भित संबोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस पर हम सभी को गर्व है। देश के समग्र विकास, एकता व अखंडता में राजभाषा हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें अपनी मातृभाषा को सम्मान देते हुए अपना कार्य हिंदी में ही करना चाहिए। हिंदी न सिर्फ जन-जन की भाषा है बल्कि यह हमारे राष्ट्र की अस्मिता की पहचान भी है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मानव संसाधन व विकास विभाग के सौजन्य से किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर में हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर में दिनांक 04-07-2005 को मंडल रेल प्रबंधक श्री ए.के. खन्ना ने माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर "हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र" का उद्घाटन किया।

मंडल रेल प्रबंधक ने प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि छह माह प्रतिदिन एक घंटा चलने वाले इस प्रशिक्षण में सभी अपने समय का सदुपयोग करें जिससे आपके साथ-साथ आपका कार्यालय भी लाभान्वित हो। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण अवधि में आप यह कदापि न सोचें कि हिंदी आशुलिपि सीखने के पश्चात् आप इसका कितना उपयोग कर पाएंगे या यह आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होगी। अंग्रेजी आशुलिपिकों द्वारा हिंदी आशुलिपि सीखना समय की मांग और राजभाषा नीति की दृष्टि से अनिवार्य है। मैं समझता हूं आप द्वारा सीखी गई यह विद्या आपके जीवन में कहीं न कहीं जरूर काम आएगी।

श्री खन्ना ने प्रशिक्षणार्थियों को अपने पिताजी के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब वे लखनऊ में रहते थे उन दिनों उनके पिताजी को नेताओं के भाषण लिखने का बहुत शौक था उसी दौरान

उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी भाषण लिखे। नेताजी के भाषणों में देशद्रोह का आरोप लगाते हुए अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उनके भाषणों को तोड़-मरोड़ कर आरोप-पत्र के साथ लगाया। मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने बताया कि देशद्रोह के मुकदमे में नेताजी ने उनके पिताजी डॉ. नारायण दास खन्ना द्वारा लिखा गया भाषण सबूत रूप में लगाया और वे आरोप मुक्त हो गये। बाद में इसी हिंदी आशुलिपि के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया था। उन्होंने कहा वर्तमान में चल रही हिंदी आशुलिपि प्रणालियों में "खन्ना प्रणाली" उनके पिताजी द्वारा ही अविष्कृत है।

उल्लेखनीय है कि जोधपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है जिसके अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक श्री ए.के. खन्ना हैं। पिछली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नराकास समिति के सदस्य कार्यालयों की मांग थी कि उनके अंग्रेजी आशुलिपिकों को स्थानीय स्तर पर यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाए तो जहां कई कार्यालयों के संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन पूरे हो जाएंगे वहीं उनके अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने में सुविधा होगी।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण केंद्र चलाकर रेल कार्यालय के 7 अंग्रेजी आशुलिपिकों सहित केंद्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के 11 अंग्रेजी आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भी दो बार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर रेलवे, पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, एच.वी.एफ. परिसर, आवड़ी, चेन्नै-600054

भारी वाहन निर्माणी केंद्र में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना कार्यालय द्वारा भारी वाहन निर्माणी केंद्र में किया गया जिसमें 09 विभिन्न कार्यालयों के 26 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना द्वारा दिनांक 8-08-2005 प्रातः 09.00 बजे दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया जिसमें स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 08-08-2005 से 12-08-2005 तक दोनों प्रशिक्षण अधिकारियों श्री चावला एवं राजेश सिंह द्वारा सौहार्दपूर्ण एवं रोचक माहौल में चलाया गया। कार्यक्रम का समापन दिनांक 12-08-2005 को सायं 03-30 बजे वरिष्ठ महाप्रबंधक, भारी वाहन निर्माणी श्री यू.एन. सिंह द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र तथा प्रशिक्षण अधिकारियों को स्मृति चिह्न देकर संपन्न हुआ। ☒

> **हिंदी को तुरंत शिक्षा का माध्यम बनाइए।**
> **—बेरिस कल्यएव**

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 सितंबर, 2005 का का ज्ञा. सं. 11014/16/2004-रा.भा. (पत्रिका)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची तैयार की जाती है ताकि केंद्र सरकार के कार्यालय/बैंक/उपक्रम आदि अपने पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद कर सकें। इसी क्रम में ''चयनित हिंदी पुस्तकों की सूची-2005'' तैयार कर ली गई है जो राजभाषा के पोर्टल rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है। कृपया पोर्टल से सूची डाउन लोड कर लें। सूची को पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है इसलिए इसकी प्रिंटेड प्रतियां विभाग द्वारा कार्यालयों को अलग से उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

2. सभी मंत्रालय/विभाग कृपया राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी पुस्तक सूची, जो कि राजभाषा पोर्टल पर उपलब्ध है, में से अपने-अपने पुस्तकालयों के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु निर्देश जारी करें।

अनुसंधान अधिकारी

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

(केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान) नई दिल्ली का दिनांक 20 अक्तूबर, 2005 का सं. 19013/1/2005-के.हिं.प्र.सं./2596-3345

विषय : **संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2006 में चलाए जाने वाले हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठयक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों के यथाशीघ्र हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में कौशल प्रदान करना है, ताकि वे वर्तमान द्विभाषिकता की स्थिति में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की टंकण और आशुलिपि में दक्षता प्राप्त कर सकें। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में उनके अंग्रेजी टाइपिस्टों तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों को क्रमशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दिया जाना है।

2. उपर्युक्त क्रम में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, उपक्रमों, निगमों राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से अनुरोध है कि वे हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के

पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने ऐसे कर्मचारियों को नामित करने की कृपा करें, जिनकी सेवाएं वे द्विभाषिक टाइपिस्टों या आशुलिपिकों के रूप में लेना आवश्यक समझते हों।

3. कंप्यूटरों पर प्रशिक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, बेंगलूर और हैदराबाद स्थित गहन प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षार्थियों को हिंदी आशुलिपि के साथ-साथ कंप्यूटर पर शब्द संसाधन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अपने कार्यालयों में जाकर कंप्यूटर पर भी कार्य कर सकें।

4. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अधीन कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, बेंगलूर तथा हैदराबाद में पाँच उप संस्थान हैं। उपर्युक्त हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय, नई दिल्ली के अतिरिक्त उपर्युक्त पाँचों उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। **इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।**

5. ये प्रशिक्षण पाठयक्रम पूर्णकालिक और नि:शुल्क हैं, अर्थात्, इनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इन पाठयक्रमों का पाठ्य विवरण और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन गहन प्रशिक्षण पाठयक्रमों में प्रतिदिन प्रात: 9:30 बजे से सांय 6:00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

6. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंत में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती हैं, सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 12-7-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/4/87- रा.भा. (घ) के अनुसार संबंधित नियमों के अधीन विहित शर्तें पूरी करने पर हिंदी टंकण में 97 प्रतिशत, 95 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा हिंदी आशुलिपि में 95 प्रतिशत , 92 प्रतिशत व 88 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कर्मचारी क्रमश: रु० 600/-, रु० 400/- और रु० 200/- के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने के पात्र होते हैं। इस राशि का भुगतान कर्मचारियों के संबंधित कार्यालयों द्वारा वहन किया जाता है।

7. **राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76- रा० भा० (घ) दिनांक 2-9-1976 के अनुसार हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विहित शर्तें पूरी करने पर हिंदी भाषी आशुलिपिक 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन तथा हिंदीतर भाषी आशुलिपिक (राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों) दो वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के पात्र होते हैं। राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर ही व्यैक्तिक वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर अराजपत्रित कर्मचारी विहित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के पात्र है।**

8. केंद्र सरकार के **निगमों/ निकायों/ उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों** आदि को प्रति कर्मचारी रू0 50/- की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जाना है जो कि "**उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली**" के पदनाम से देय होगा।

9. नई दिल्ली स्थित संस्थान के मुख्यालय में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप-संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

10. **इन पाठ्यक्रमों की अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :—**

(क) हिंदी टंकण

1 सभी अवर श्रेणी लिपिकों एवं अंग्रेजी टंककों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।

2 उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और हिंदी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।

3 **शैक्षिक योग्यता :** ऐसे कर्मचारी जो हिंदी के साथ मिडिल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा जैसे प्रवीण, आदि उत्तीर्ण हों, इस प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं।

(ख) हिंदी आशुलिपि

1 सभी वर्ग के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों, आदि के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।

2 कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों, टंककों, जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, संबंधित कार्यालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र देने पर कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है तथा प्रशिक्षण के बाद हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का उनसे कार्य लिया जाएगा, को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

3 **शैक्षिक योग्यता :** हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण की हो।

11 **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूर, चेन्नई और मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक - II में दिए गए हैं।**

12 अनुरोध है कि अपने कार्यालय के कर्मचारियों के नाम **पाठ्यक्रम आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले** इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक को भिजवा दें। **कृपया उन्हीं कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें आपके द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।** पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी कर्मचारी को सत्र के मध्य में वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामित कर्मचारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण आरम्भ होने के दिन संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक को प्रात: 9:30 बजे रिपोर्ट करने के निदेश दें। **कृपया ध्यान रखें कि यदि आशुलिपि पाठ्यक्रम के लिए किसी अवर श्रेणी लिपिक को नामित किया जाता है तो संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।**

13 **पाठ्यक्रम में प्रवेश "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर दिया जाएगा।**

14 **कृपया इस कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्रों में अपने कार्यालय का पूरा पता तथा दूरभाष संख्या अवश्य लिखें, जिससे संपर्क कार्य में सुविधा हो सके।**

निदेशक

अनुलग्नक-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली और कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई बेंगलूर तथा हैदराबाद स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों में दिनांक 06-1-2006 से 15-12-2006 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी टाईपलेखन और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I- हिंदी टाइपलेखन

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	06-01-2006 से 09-03-2006	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण
2	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	10-03-2006 से 10-05-2006	संस्थान 2-ए,
3	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	05-06-2006 से 28-07-2006	पृथ्वीराज रोड नई
4	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	22-08-2006 से 17-10-2006	दिल्ली-11 (जे. एंड
5	हिंदी टाइपलेखन,	40 कार्य दिवस	18-10-2006 से 15-12-2006	के. हाऊस के सामने)

II- हिंदी आशुलिपि

1	हिंदी आशुलिपिक	80 कार्य दिवस	06-01-2006 से 10-05-2006	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11 (जे. एंड के० हाऊस के सामने)
2	हिंदी आशुलिपिक	80 कार्य दिवस	22-08-2006 से 15-12-2006	

कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई तथा बेंगलूर में स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I- हिंदी टाइपलेखन

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का स्थान
1	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	06-01-2006 से 09-03-2006	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता चेन्नई, बेंगलूर और हैदराबाद
2	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	10-03-2006 से 10-05-2006	
3	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	05-06-2006 से 28-07-2006	

II- हिंदी आशुलिपिक

1	हिंदी आशुलिपिक	80 कार्य दिवस	22-08-2006 से 15-12-2006	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूर और हैदराबाद

मुंबई स्थित उप संस्थान में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I- हिंदी टाइपलेखन

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्य दिवस	05-06-2006 से 28-07-2006	के०हि०प्र० उप संस्थान, कार्मर्स हाऊस, तीसरी मंज़िल, करीमभाय रोड़, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

II- हिंदी आशुलिपि

1	हिंदी आशुलिपिक	80 कार्य दिवस	06-01-2006 से 10-05-2006	के०हि०प्र० उप संस्थान
2	हिंदी आशुलिपिक	80 कार्य दिवस	22-08-2006 से 15-12-2006	मुंबई-400 001

अनुलग्नक-II

उप संस्थानों के पते

1. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कॉमर्स हाऊस, तीसरी मंजिल, करीमभाय रोड़, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

2. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नं0 30, तीसरा तल, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001

3. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, केंद्रीय सदन, कोठी, सुल्तान बाजार,
हैदराबाद-500 095 (आं० प्र०)

4. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
बी-विंग, पाचवां तल, केंद्रीय सदन, 17वां मेन रोड़,
दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूर-560 034

5. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
दूसरा तल, राजाजी भवन, ई-3, सी ब्लॉक,
बेसैंट नगर, चेन्नै-600 090

विविध

आकाशवाणी पणजी में हिंदी-कोंकणी-मराठी कवि-गोष्ठी

"मुबारक हो सबको बादलों का छाना"

पावस ऋतु के आगमन पर धरती और आकाश में अप्रतिम सौंदर्य का साम्राज्य स्थापित हो जाता है जो कि हर संवेदनशील की भावना को और भी प्रगाढ़ कर देता है। गोवा के सुरम्य पर्वत और सागर की लहरें यहां के जन-जीवन को और भी भावुक बना देती हैं। आकाशवाणी पणजी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा रिमझिम फुहारों के बीच हिंदी-कोंकणी-मराठी में स्टाफ की कवि-गोष्ठी आयोजित की गई। कवि-गोष्ठी की अध्यक्षता केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदार ने की। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उत्तर गोवा के सचिव डॉ. उमेश कुमार सिंह विशेष रूप से आमंत्रित थे। कवि-गोष्ठी का संचालन श्री रामानंद जोशी वरिष्ठ उद्घोषक ने किया। मानवीय संवेदना की प्रथम कविता श्रीमती उमा शिवराम बोरकार ने समर्पित किया अपने नन्हे बच्चे को।

श्रीमती सुजिता नाईक ने बचपन का चित्रण सुंदर भावों के साथ अपने गीत में किया जिसमें धरती को सजाने के साथ आकाश को पाने की कामना थी।

श्रीमती प्रतिमा शिरोडकर की व्यंग्य-कविता में बार-बार होने वाले चुनावों को एक बच्चे की दृष्टि में चित्रित किया गया। श्री वेणि माधव बोरकार ने अपनी कोंकणी कविता में पावस की सुंदरता को साकार किया, वर्षा के सौंदर्य को नारी के सौंदर्य के रूप में मानवीकरण करते हुए नव सृजन की कामना की।

एन.एच.पी.सी., क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत

राजभाषा प्रगति की ओर बढ़ते कदम.......

एन.एच.पी.सी. उसके साथ जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है अत: इसी कारणवश जलविद्युत उत्पादन में अपना अग्रणी योगदान देने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास में भी यह क्षेत्र लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राजभाषा विकास को अधिकाधिक गति प्रदान करने के लिए कार्मिकों को हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से राजभाषा संबंधी प्रमुख निदेशों का अनुपालन, राजभाषा अधिनियमों की जानकारी, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग तथा कार्यालयी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग की जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर पर राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु कंप्यूटर में हिंदी के साफ्टवेयरों का प्रयोग किया जा रहा है। कार्मिकों को कंप्यूटर पर राजभाषा में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एन.एच.पी.सी. केंद्र सरकार का उपक्रम है तथा इसमें प्रत्येक राज्य से संबंधित कार्मिक कार्यरत हैं। अन्य भाषा-भाषी कार्मिकों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से हिंदी भाषा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अनुवाद क्षेत्र में सुधार हेतु अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्र-II के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में राजभाषा संबंधी कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें प्रत्येक वर्ष हजारों प्रतिभागी भाग लेते है व पुरस्कृत होते हैं। हिंदी पखवाड़ा/दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन में पूरे भाषायी सद्भाव के साथ किया जाता है।

एन.एच.पी.सी. का क्षेत्र-II कार्यालय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डलहौजी की भी अध्यक्षता कर रहा है जिसमें केंद्र सरकार के लगभग 35 सदस्य कार्यालय हैं। इस समिति की बैठक नियमानुसार वर्ष में दो बार नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इन कार्यालयों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं तथा सदस्य कार्यालयों हेतु नगर राजभाषा शील्ड जैसी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करके राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास में निरंतर प्रगति के प्रयास जारी हैं। एन.एच.पी.सी. का क्षेत्र-II कार्यालय इस प्रकार राजभाषा के विकास में नए आयाम स्थापित करने की ओर प्रयासरत है।

'अंकुर' के लोकार्पण तथा साहित्यकार सम्मान-समारोह का आयोजन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब, चंडीगढ़ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से विभागीय पत्रिका 'अंकुर' के छप्पनवें अंक के लोकार्पण समारोह व साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री नंद लाल, महालेखाकार ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में श्री अश्विनी अत्री, महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) हरियाणा उपस्थित हुए।

श्री अश्विनी अत्री ने 'अंकुर' के छप्पनवें अंक का लोकार्पण करते हुए कहा कि 'अंकुर' के अब तक प्रकाशित अंकों में से श्रेष्ठ रचनाओं का एक वार्षिकांक प्रकाशित किया जाना चाहिए। श्री नंद लाल, महालेखाकार ने 'अंकुर' की अब तक की रचनात्मक यात्रा का श्रेय रचनाकारों को देते हुए उन्हें साधुवाद दिया तथा सभी का और अधिक निष्ठापूर्वक हिंदी के प्रति प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया। साहित्यकार सम्मान समारोह में हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए राजेंद्र निशेश, बलबीर संधु, एस. राकेश, माधव कौशिक, सुभाष रस्तोगी, संतोष धीमान और जसविंदर शर्मा को प्रतीक चिह्न भेंट करके सम्मानित किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति का जयपुर में विचार-विमर्श कार्यक्रम

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति का दिनांक 6 व 7 सितंबर, 2005 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों तथा उनके कुछ सदस्य कार्यालयों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम होटल राजपुताना शैरेटन, जयपुर में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम इंडियन ऑयल के संयोजन में आयोजित किया गया था जिसमें करीब 42 बैंक/उपक्रम/केंद्रीय कार्यालयों ने हिस्सा लिया :

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति में निम्न सांसद उपस्थित थे :

1. प्रो. रामदेव भंडारी
2. श्री जयप्रकाश
3. श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय
4. श्री अनिल बसु
5. श्री संतोष गंगवार
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री महेंद्र कुमार निषाद

इसके अलावा श्रीमती पूनम जुनेजा, सचिव एवं श्री दिनेश कुमार पांडेय, अवर सचिव भी इस समिति के सदस्य थे।

उप-समिति का विचार विमर्श कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा एवं समिति के सदस्यों ने इंडियन ऑयल के संयोजन में हुए इस आयोजन को सराहा।

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती का अंक 106 पढ़ कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस अंक में छह लेख वैज्ञानिक तथा सामाजिक शोध-पत्रों द्वारा सरलता से लिखे हुए प्रकाशित किए गए हैं। राजभाषा भारती ने देश के उन अंग्रेजी प्रेमी व्यक्तियों का वह झूठा भ्रम तोड़ दिया जो यह कहते थे कि हिंदी में वैज्ञानिक शोध पत्र नहीं लिखे जा सकते । इस कार्य के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

कृपया आप भविष्य में भी वैज्ञानिक शोध-पत्रों को राजभाषा हिंदी में लिखवा कर राजभाषा भारती में प्रकाशित कराने का कष्ट करें । जिस प्रकार आप हिंदी में छपी मौलिक शोध पुस्तकों को पुरस्कृत करते हैं, यदि इसी प्रकार थोड़ी राशि द्वारा वैज्ञानिक मौलिक शोध-पत्रों तथा शोध-ग्रंथों को भी पुरस्कृत करने की कृपा करें तो वैज्ञानिकों को अपने शोध-पत्र हिंदी में लिखने की प्रेरणा मिलेगी और हिंदी तथा राष्ट्र को सम्मान प्राप्त होगा तथा देश का शोध-कार्य जन-जन तक पहुँचेगा व देश प्रगति की ओर अधिक तेजी से बढ़ेगा।

राजभाषा भारती की एक प्रति राष्ट्रभाषा भवन के पुस्तकालय हेतु निरंतर भिजवाने का कष्ट करें।

रामेश्वर दयाल गोयल, संपादक एवं संयोजक
राष्ट्रभाषा भवन, 1130, सदर बाजार (डाकघर के पास), करनाल-132001

राजभाषा भारती का 107वाँ अंक प्राप्त हुआ। इस अंक की संपूर्ण सामग्री आपके दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व, लगन एवं कर्मठता का ज्वलंत उदाहरण है। नब्बे काव्य पाठों को पढ़कर संवेदना, मानवीयता और स्पंदन एवं विभिन्न अनुभूति के अलग-अलग स्वर, मुखरित एवं गुंजायमान हुए।

राजभाषा संबंधी गतिविधियों से हिंदी के प्रति लगाव एवं समर्पित भावना का संदेश विचारणीय एवं ज्ञानवर्धक है। राजभाषा भारती वास्तव में एक विशिष्ट पत्रिका है। यह पत्रिका राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोपरि एवं ज्ञानवर्धक है।

ओम प्रकाश वर्मा, हिंदी अनुवादक
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केंद्रीय कार्यालय, स्कीम-74सी, 113 बी, विजय नगर, इंदौर

आपके कुशल और अनुभवी नेतृत्व में प्रकाशित हो रही राजभाषा भारती नामक हिंदी पत्रिका राजभाषा के प्रचार/प्रसार के लिये नि:संदेह सराहनीय कदम है। पत्रिका की कलात्मक साज-सज्जा और लाजवाब छपाई अंतरर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप है। इसमें संग्रहीत सामग्री जिन परिदृश्यों और विषयों को अपने कलेवर में समेटे हुए हैं, उनसे इसकी उपादेयता बढ़ती है। मुझे आशा है कि राजभाषा के प्रति आपकी सच्ची लगन और निष्ठा इस पत्रिका के माध्यम से उभरकर सरकारी कामकाज में अवश्य ही फलदायी सिद्ध होगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन में किसी भी रूप में अपना योगदान देने के लिए पूरा संपादन परिवार बधाई का पात्र है। आशान्वित हूँ कि भविष्य में भी पत्रिका को इस परिवार का अथक सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा।

श्रीमती सुमित्रा शर्मा
फ्लैट नं.-495, ब्लाक नं.-45, टाइप-4, तृतीय तल,सेक्टर-2,
सी. जी. ओ. कॉलोनी, अंटाप हिल, मुंबई-400037 (महाराष्ट्र)

राजभाषा भारती का जनवरी—मार्च, 2005 का अंक पढ़ा। प्रस्तुत अंक में चिंतन, साहित्य, स्मृति, पत्रकारिता, मानवाधिकार आदि से संबंधित सभी सामग्रियाँ स्तरीय एवं पठनीय हैं। विशेषकर हिंदी भाषा से जुड़ी सामग्रियां शोधपरक एवं उत्कृष्ट हैं। प्रो. महावीर सरन जैन, डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रो. सूरजभान सिंह के

आलेख हिंदी में सराहनीय है। राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए भाषाई निष्ठा को बल प्रदान करते हैं। ऐसे उत्कृष्ट अंक हेतु हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रबंधक,

हिंदी प्रचारक पब्लिकेशन्स (प्रा.) लि., सी-21, 30 पिशाचमोचन, वाराणसी-221010

राजभाषा भारती का 107वाँ अंक मानार्थ प्राप्त हुआ है। इस तरह के संकलनों का प्रकाशन जहां एक ओर रचनाशीलता को आयाम देते हैं वहीं भाषा के प्रचार-प्रसार में गति प्रदान करते हैं । भविष्य में भी इस परंपरा को प्रभावी रखना उत्तम् होगा। भारतीय भाषाओं के चिंतन पर केंद्रित एक अंक प्रकाशित होना चाहिए। हिंदी की भूमिका उस अंक के केंद्र में रहे। मैं आपके इन प्रयासों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।

राकेश शर्मा, अनुवादक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, नंदा नगर, इंदौर-10

राजभाषा भारती का जनवरी-मार्च, 2005 अंक 108 मिला, धन्यवाद। विश्वास है कि भविष्य में भी पत्रिका मिलती रहेगी। राजभाषा हिंदी के बारे में विभिन्न स्तंभों के माध्यम से आपने इसमें भरपूर सामग्री दी है। हिंदी के लिए काम करने वाले समर्पित अहिंदी भाषियों जिनसे, दूसरे भी प्रेरणा ले सकें और जो सरकारी सेवा में जुड़े हैं, के बारे में भी कोई स्तंभ शुरू करें तो अच्छा रहेगा।

देवेन्द्र उपाध्याय, सी-7/188ए, लारेंस रोड, दिल्ली-110035

राजभाषा भारती अंक107 प्राप्त हुआ, हार्दिक आभार। इस अंक में काव्य खंड देकर क्षतिपूर्ति कर दी। मैंने कई बार निवेदन किया था। भाषायी दासता मिटाने हेतु भावुक रचनायें मर्मस्पर्शी प्रकाशित की जाए। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सोचना है। राष्ट्रीय चिंतन से ही राष्ट्रभाषा का सम्मान होगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान से ही राष्ट्रभाषा का महत्व समझ में आयेगा। गाँधी जी की स्वदेशी, स्वभाषा को समझकर भारत की जनता को न्याय मिल पायेगा। भविष्य में भी राष्ट्रीय मद्दों पर राष्ट्रीय चिंतन परक रचनाएँ प्रकाशित कर राष्ट्रभाव जगाएँ। हर कार्य एक अभियान होना चाहिए। जन जागरण को कृत संकल्प, सभी राष्ट्रभक्त कवियों को शतशत नमन, हार्दिक अभिनंदन।

डॉ. युवराज सिंह, सचिव, राष्ट्र भाषा उत्थान संघ, जावल (बुलंदशहर)-203131

आप द्वारा प्रेषित पत्रिका प्राप्त हुई, धन्यवाद। विधा विशेष पर यह अंक इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल मौलिक अभिप्रेरणा की अथवा एक सार्थक पहल अथवा एक उर्वर मंच की। 'राजभाषा भारती' के इस प्रयास का व्यापक रूप से स्वागत होना चाहिए। यदि संभव हो, साहित्य की अन्य विधाओं यथा राजभाषा, अनुवाद व समस्त भारतीय भाषाओं की रचनाओं के हिंदी अनुवाद जैसे विषयों पर भी इसी प्रकार का सार्थक प्रकाशन अथवा विशेषांक निकाला जा सकता है। जहां एक ओर भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं गुदगुदाती हैं वहीं राजभाषा विषयक गतिविधियां/सूचनाएं भी उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। हां, कुछ रचनाएं काव्यगत शिल्प की दृष्टि से शिथिल अथवा कमजोर अवश्य हैं... लेकिन साधना मंथन आलोडन विलोडन का पर्याय होती है... इसी से रचना, शिल्प व भावगत सौंदर्य की ओर अग्रसर होती है। कुल मिलाकर इस विशेषांक के प्रकाशन पर आपका विभाग साधुवाद का पात्र है। कृपया 'विकल्प' परिवार की ओर से बधाई स्वीकारें।

डॉ० दिनेश चमोला 'शैलेश' संपादक 'विकल्प' भारतीय पेट्रोलियम संस्थान,
(वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248005

राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 'राजभाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के सफल संपादन के लिए समस्त संपादक मंडल को शुभकामनाएं। 'सु-शासन में राजभाषा की भूमिका एवं प्रासंगिकता' लेख सहित सभी लेख बहुत ही रोचक, प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि अभी भी यह पत्रिका केवल

देश के बड़े शहरों तक ही पहुंच पायी है। इस पत्रिका को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप एक विज्ञापन द्वारा इस पत्रिका की नि:शुल्क प्रति प्राप्त करने के लिए सभी कार्यालयों से आवेदन पत्र आमंत्रित करें। पालमपुर हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जहां पर केंद्र सरकार के कई कार्यालय हैं लेकिन मैंने यह पत्रिका किसी भी कार्यालय में नहीं देखी। इसी प्रकार देश में ऐसे असंख्य कार्यालय है, जहां यह पत्रिका पहुंच सकती है तथा आपको छापने के लिए सामग्री भी प्राप्त होगी।

इसके साथ ही पत्रिका में भीतर के पृष्ठों में कुछ रंगीन पृष्ठ हों तो पत्रिका और भी अच्छी लगेगी। आशा है आप उपर्युक्त सुझाव पर विचार करेंगे । पत्रिका के सफल संपादन के लिए पुनः शुभकामनाएं।

संजय शर्मा, राजभाषा अनुभाग

हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पो.बा.नं. 6, पालमपुर -176061 (हि. प्र.) भारत

"राजभाषा भारती" जनवरी-मार्च 2005 की 108 अंक की पत्रिका प्राप्त, धन्यवाद। पत्रिका के माध्यम से हिंदी का बढ़ावा हो रहा है। विदेशी विद्वानों ने भारत में रहकर हिंदी भाषा का उपयोग अपने व्यवहार में किया था। लेकिन आजकल के देश के नेता उस ओर ध्यान नहीं देते। प्रो. महावीर सरन जैन के लेख ने "विदेशी विद्वानों द्वारा हिंदी वाङ्मीमांसापरक अध्ययन" विवरण के साथ प्रकाशित कर बड़ा उपकार किया है। डॉ. रामकुमार वर्माजी के हिंदी नाट्य साहित्य के योगदान के बारे में डॉ. एम. शेषन द्वारा लिखा लेख बड़ा महत्व रखने वाला है। कार्यशालाएँ,हिंदी दिवस आदि कार्यक्रमों का विवरण भी उपयोगी, पठनीय है। हिंदी की दिशा में यह पत्रिका बड़ा महत्व रखती है।

बी. एस. शांताबाई, प्रधान सचिव,

कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, चामराजपेट, बेंगलूर-18

आपसे हमें राजभाषा भारती का अप्रैल-जून 2004 का अंक प्राप्त हुआ। अशोकचक्र समाहित मुखपृष्ठ वाला एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता "निज भाषा उन्नति अहै" वाला आखरी पृष्ठ तो लुभावने हैं ही साथ ही साथ " ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी यूज़ेजिज" एंव "उत्तरपूर्व में हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएँ", "हिंदी की सरस्वती-महादेवी वर्मा", "पुरानी यादें" नए परिप्रेक्ष्य -गांधी की प्रासंगिकता", "कैसे बना हमारा ब्रह्मांड" जैसे आलेख बहुत ही विचारणीय एवं सटीक हैं।

"इसका स्वाद प्रसाद-बहुत है जनभाषा रसवंती,
ऋतुओं में वासंती है, ये रागों में मधुवंती
भाषाएँ हो चाहे जितनी ये सबकी हमजोली,
स्वागत करती हिंदी सबका बिखरा कुमकुम-रोली।"

जैसे वाक्यांश हिंदी की गरिमा बढ़ाते है। श्री मैथिलीशरणजी के बारे में श्री कुलदीप कुमार का आलेख एवं "हिंदी की सरस्वती-महादेवी वर्मा" सुश्री निशा सहगल का आलेख राजभाषा भारती को साहित्यिक ऊँचाई बख्सने में सक्षम हैं। राजभाषा भारती के संपादक मंडल और सभी लेखकों-कवियों को बहुत-बहुत साधुवाद।

कुमारी उर्मिला जुंगी 'उमा'

राजभाषा अधिकारी, भा.जी.बी.निगम जीवन प्रकाश, टैगोर मार्ग, राजकोट

आपके द्वारा प्रेषित "राजभाषा भारती" अंक 107 की मानार्थ प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार से यह काव्य विशेषांक निकाला गया है, ठीक इसी प्रकार से कहानी विशेषांक आदि भी निकाले जाने चाहिएं।

राजभाषा हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए मेरी ओर से यथासंभव प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद,

राजन कपूर 'राज'

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, पो0 आई आई पी मोहकमपुर, देहरादून-248005

निस्संदेह, राजभाषा विभाग की यह त्रैमासिकी, गंभीर विषयों पर विचारोतेजक, रुचिकर चिंतन, उच्चतम श्रेणी का भाषायी साहित्य, दर्शन, को एक सार्वदेशिक, जनसाधारण के लिए अति उपयोगी बनाए जाने का सार्थक प्रयास है।

डॉ. बी.सी.उप्रेती जी द्वारा अभिव्यक्त उद्गार मानव अधिकारों का संरक्षण एवम् मानव-जीवनोपयोगी लेख सिद्ध होता है। हिंदी भाषा के विकास एवम् संवर्धन में डॉ. अर्चना गौतम का लेख भी ''फिल्मों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति और संभावना'' अति सामयिक, बहुपयोगी तथा हिंदी भाषा के प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ है। कुल मिलाकर यह त्रैमासिकी राजभाषा संबंधी अधिकतम गतिविधियों का व्यापक विवरण, जैसे विभागीय/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का क्रमिक विस्तार, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा, माह और पुरस्कार, प्रतियोगिताएं, हिंदी संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्य, का व्यापक विस्तार प्रस्तुत करते हुए गागर में सागर भर देती है। पत्रिका के लिए, एक बार फिर, साधुवाद।

गुलशन लाल चोपड़ा, उप निदेशक (रा.भा.)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1

''राजभाषा भारती'' के जनवरी-मार्च, 2005 के अंक में दी गई सामग्री काफी उपादेय तथा ज्ञानवर्धक है। इस में राजभाषा संबंधी आदेश-अनुदेश देने से पाठकों को राजभाषा की अदयतन जानकारी मिलती है। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा की गतिविधियों की भी सांगोपांग जानकारी मिल रही है।

गजानंद गुप्त, मंत्री
राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद्, 19-3-946, शमशीरगंज, हैदराबाद-500053 (आं. प्र.)

पहली बार सौभाग्य से राजभाषा भारती पढ़ने को मिली। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार की और भी पत्रिका देखी पर यह अपने-आपमें अनुपम है। मैं भी इस पत्रिका को नियमित रूप से पठन-पाठन करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस पत्रिका का पाठक बना लें तो मैं आपका इसके लिये अत्यंत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।

शुभम् पाठक, द्वारा डॉ0 गोविंद पाठक, टंडन बिल्डिंग, सिनेपथ, दमोह (मध्य प्रदेश)- 470661

राजभाषा भारती जनवरी-मार्च, 2005 अंक मिला। पत्रिका विलंबित परंतु स्तरीय रूप में आ रही है। अपने पुराने कलेवर में यह अभिराम प्रतीत हो रही है, साधुवाद।

मुकुल चंद पांडेय, 353, त्रिवेणी नगर, लखनऊ-20

राजभाषा भारती के विविधता भरे अक्तूबर-दिसंबर, 2004 अंक 107 की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई। राजभाषा कार्यान्वयन की विविध गतिविधियों को अपने में समेटे अंक बेहद रोचक लगा। काव्य खंड काफी सुंदर लगा।

डॉ. पी..पाल पांडियन, वरिष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिकी
कृषि मंत्रालय, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, डाक पेटी सं० -46, पोर्ट ब्लेयर

राजभाषा भारती का जनवरी-मार्च, 2005 अंक मिला। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय बालेश्वर राय जी का आलेख 'सु-शासन में राजभाषा की भूमिका एवं प्रासंगिता' विद्वतापूर्ण है एवं हिंदी की अभिव्यक्ति-क्षमता को रेखांकित करता है। डॉ0 प्रमोद कुमार अग्रवाल का आलेख 'हिंदी: राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी' आंकड़ों के आलोक में हिंदी के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की पड़ताल करता है। मा0 राजमणि तिवारी का आलेख 'राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी' हिंदी के व्यावहारिक पक्ष और कठिनाइयों को संकेतित करता है परंतु तिवारी जी ने हिंदी भाषी राज्यों की नामावली में दो राज्यों (1) छत्तीसगढ़ और (2) झारखंड को छोड़ दिया है। प्रो0 महावीर सरन जैन का शोधपरक आलेख अत्यंत ज्ञानप्रद है। अन्य आलेख एवं स्तंभ भी उत्कृष्ट हैं।

डॉ० वीरेंद्र कुमार सिंह, हिंदी प्राध्यापक,
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हि.शि.यो., एच. ए. एल. सुनाबेड़ा-763002 (उड़ीसा)

विनोद दुग्गल

गृह सचिव
HOME SECRETARY
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिनांक 14 सितम्बर, 2005

संदेश

भारत एक बहुभाषी देश है। यहां सभी भाषाएं एक-दूसरे का आदर करती हैं। ''हिंदी'' आम बोलचाल की भाषा होने के कारण सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य कर रही है और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए हुए है। आज मनोरंजन, मीडिया और मार्केट पर हिंदी छाई हुई है। सीरियलों, फिल्मों, गानों, विज्ञापनों के भीतर-बाहर रहकर हिंदी सांस्कृतिक संवाहिका का कार्य भी कर रही है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अपने सामान की बिक्री के लिए हिंदी विज्ञापनों का सहारा ले रही हैं। इस प्रकार हिंदी का एक ग्लोबल संस्करण भी तैयार हो रहा है।

संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने के लिए सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई है। आइए! हिंदी दिवस के अवसर पर आज हम सब यह संकल्प लें कि अपना अधिक-से-अधिक कार्य हिंदी में ही निपटाएंगे तथा राजभाषा के रूप में हिंदी का गौरव बढ़ाएंगे।

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी ओर से शुभकामनाएं।

ह०/

(विनोद दुग्गल)

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज़ पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हज़ार शब्दों से अधिक का न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें:—

संपादक/उप संपादक
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-2, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

MGIPRRND—3298 HA/2005—4000

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल में हिंदी कार्यशाला के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि श्री मैथिली शरण गुप्त, उप महानिरीक्षक (प्रशासन) ''प्रथम स्थान'' प्राप्त प्रशिक्षणार्थी है.कां./सी.एम. सुरेश बासुमतरी, प्रा.प्र.के. भानू को शाबाशी देते हुए।

नराकास करनाल की 'कर्णोदय' पत्रिका का विमोचन करते हुए, रोहतक मंडल के पुलिस महानिरीक्षक श्री बी.एन. राय जी, दाएं श्री जसवंत सिंह, अनुसंधान अधिकारी, बाएं श्री सुरेश यादवेंदु, अध्यक्ष नराकास, उनके साथ हैं श्री ब्रजेश यादव, सचिव, नराकास, करनाल।

पं.सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

सत्यमेव जयते

B. K. CHATURVEDI

मंत्रिमंडल सचिव
CABINET SECRETARY
NEW DELHI

संदेश

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं के साथ हिंदी की, विविधता में एकता की विशिष्टता वाले इस विशाल राष्ट्र को, एक सूत्र में बांधे रखने में अहम भूमिका रही है। भारत के अधिकांश लोगों द्वारा हिंदी बोली और समझी जाती है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तभी से 14 सितंबर हर वर्ष 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

पिछले पांच दशक में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विश्व में अनेकों अविष्कार हुए हैं। इन सब के फलस्वरूप कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब हिंदी में काम करना और भी सरल हो गया है। अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में टिप्पणियां आदि लिखकर अपने-अपने मंत्रालयों, विभागों व संगठनों में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं।

'हिंदी दिवस' के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/आयोजनों का उद्देश्य राजभाषा नीति की मूल भावना के अनुरूप प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है। इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि संविधान में निहित राजभाषा की संकल्पना को साकार करने के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें सरकारी काम-काज में स्वेच्छा से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके।

हिंदी दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(बाल कृष्ण चतुर्वेदी)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।